राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 08] चौदहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का सोलहवां दिवस [संख्या: 11

शुक्रवार,
10 मार्च 2017

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। राम-राम सा। प्रश्नकाल।

पी.एच.सी. भादसौड़ा का सी.एच.सी. में क्रमोनयन

215. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र कपासन के भदेसर के सबसे बड़े कस्बे भादसौड़ा में संचालित पी.एच.सी. में गत कई वर्षों से 2 चिकित्सक कार्यरत रहे हैं? यदि हां, तो उनमें से एक चिकित्सक का पद विलोपित करने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (श्री बंशीधर): (1) विधान सभा क्षेत्र कपासन के कस्बा भादसौड़ा में दिनांक 15.09.2004 तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं मातृ शिशु स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सा अधिकारी का 1-1 पद स्वीकृत था। अत: प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भादसौड़ा पर दिनांक 15.09.2004 तक दो चिकित्सक कार्यरत थे।

भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में प्रसवोत्तर सेवा केन्द्र (पोस्ट पार्टम सेन्टर) संचालित किये जा रहे थे। भारत सरकार द्वारा उक्त सेन्टरों को वर्ष 2004 में बन्द कर किया गया जिसके कारण इनमें स्वीकृत स्त्री रोग एवं बाल रोग विशेषज्ञ के पद समाप्त किये जाने थे। विशेषज्ञ के पदों को

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

यथावत रखने के लिए प्रदेश में चिकित्सा अधिकारी के 208 पद समाप्त किये गये जिसमें मातृ शिशु स्वास्थ्य केन्द्र भादसौड़ा में स्वीकृत चिकित्सा अधिकारी का पद भी समाप्त किया गया।

(2) ग्राम भादसौड़ा पंचायत समिति भदेसर जिला चितौड़गढ़ के अन्तर्गत आता है। उक्त ग्राम में वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है।

भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्ड के अनुसार 1 लाख की ग्रामीण जनसंख्या पर 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्ड के अनुसार पंचायत समिति भदेसर में 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की आवश्यकता के विरुद्ध 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भदेसर एवं मण्डफिया स्वीकृत हैं। इसलिए प्राथमिक स्वस्थ्य केन्द्र भादसौड़ा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर एक।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपने कह दिया कि एक लाख की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाते हैं। प्रदेश के अन्दर ऐसे कई जगह हैं जहां पर एक लाख से कम आबादी के बाद भी खोले हुए हैं। दूसरा, निवेदन है कि भादसौड़ा के अंदर दो डॉक्टरों की पोस्टें थीं। एक महिला रोग विशेषज्ञ की पोस्ट थी, वह भारत सरकार के द्वारा थी, उसकी पोस्ट खतम हो गई। मैं यह चाहता हूं कि उस पोस्ट पर किसी-न-किसी महिला चिकित्सक को वापिस लगाया जाए। वहां पर बीस हजार से ज्यादा की आबादी है। वहां पर लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिले सके। मेरा पहला पूरक प्रश्न यही है। आपकी इच्छा है या नहीं है, महिला चिकित्सक लगाने की?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जितने पद स्वीकृत हैं, उतने डॉक्टर्स अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(श्री कालीचरण सराफ)

कपासन विधान सभा क्षेत्र में टोटल 51 पद स्वीकृत हैं, उनमें से 24 पर अभी काम कर रहे हैं और 27 पद रिक्त हैं। इसके लिए 684 डॉक्टर्स की नियुक्ति प्रक्रिया अभी चल रही है। जैसे ही 684 डॉक्टर्स लगेंगे तो प्राथमिकता के आधार पर इनके विधान सभा क्षेत्र में डॉक्टर्स लगा दिए जायेंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मेरा यह निवेदन था कि नंबर एक, भादसौड के अंदर आप महिला चिकित्सक लगाएं। दूसरा, मेरा निवेदन था कपासन विधान सभा क्षेत्र में लगभग ढाई लाख मतदाता हैं।

श्री अध्यक्ष: यह जनरल हो गया। आप अपने प्रश्न से रिलेटेड पूछिए पूरक प्रश्न।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र कपासन से संबंधित बात कर रहा हूं और स्थिति यह है कि कपासन सी.एच.सी, राशमी, सी.एच.सी, भोपालसागर सी.एच.सी और मेवाडा सी.एच.सी., इनके अंदर मेडिसिन, गायनिक, सर्जरी, शिशु रोग विशेषज्ञ और एनेस्थिसिया, चार-चार पोस्टें, सब खाली पड़ी हुई हैं और 15 डॉक्टर्स की जैसे मेडिसिन, गायनिक, सर्जरी, शिशु रोग विशेषज्ञ, ये अति आवश्यक पोस्टें हैं, ये सारी की सारी खाली पड़ी हैं। एम.ओ. की दो-दो पोस्टें इसके साथ सैंक्शंड हैं सी.एच.सी में, उनमें से मात्र एक-एक एम.ओ. लगा हुआ है।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या आप इनकी पोस्टें जल्दी से जल्दी भरने की व्यवस्था करेंगे? एन.एम. का जहां प्रश्न है, पूरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 40 एन.एम. की पोस्टें खाली पड़ी हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि आप इन पोस्टों को कब तक भर देंगे?

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि डॉक्टरों की कमी है, यह बात सही है। फिर भी प्राथमिकता के आधार पर, आप मुझे बता दीजिएगा कि किस-किस की ज्यादा

(श्री कालीचरण सराफ)

आवश्यकता है, उनको लगाने की हम कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न है। लक्ष्मी नारायण जी बैरवा, स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू): ग्रामीण क्षेत्रों का आप जब तक ध्यान नहीं रखोगे..। ग्रामीण क्षेत्रों का ध्यान रखना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष: यह भादसौड़ा का है। इधर-उधर नहीं।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू): इधर-उधर नहीं, मैं आपसे बिलकुल प्रोपर-वे में बात करना चाह रहा हूं कि अभी कांग्रेस राज में कटारिया जी के कार्यकाल में जो रिव्यू कमेटी बनी थी ......

श्री अध्यक्ष: नहीं नहीं।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू): सर। एक मिनट सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस काल में जो पी.एच.सी. से सी.एच.सी हुईं, उनको सी.एच.सी में क्रमोन्नत मान लिया गया। उनको कब तक मान्यता देंगे? सी.एच.सी हुए चार साल हो गये, उनको वित्तीय स्वीकृति देंगे या नहीं देंगे?

श्री अध्यक्ष: लक्ष्मीनारायण जी, मैं निवेदन कर रहा हूं, यह प्रश्न से रिलेवेंट नहीं है।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय अध्यक्ष जी, बांसवाड़ा जिले में 80 परसेंट ट्राइबल रहती है और वहां एक लाख की आबादी पर सी.एच.सी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: यह प्रश्न के रिलेवेंट नहीं है।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): सी.एच.सी की बात ही तो मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल, श्री शुभकरण चौधरी।

उदयपुरवाटी में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

216. श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री शुभकरण चौधरी)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी के नगरपालिका क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय नहीं होने के कारण गरीब व निम्न स्तर के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए निजी महाविद्यालयों में उच्च दर पर प्रवेश लेना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के नगरपालिका क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय खोलने के लिए सर्वे किया गया था? यदि हां, तो सर्वे में किन-किन अधिकारियों को शामिल किया गया है? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्रीमती किरण माहेश्वरी): (1) जी नहीं। उदयपुरवाटी विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में सहशिक्षा का राजकीय महाविद्यालय, गुढा कला संकाय में संचालित है।

निर्धारित मानदण्डों के पूर्ण होने और संसाधनों की उपलब्धता व गुणावगुण के आधार पर विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी के नगरपालिका क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(2) जी नहीं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर एक।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब यह आया है कि संसाधनों की उपलब्धता होने पर और गुणावगुण के आधार पर महाविद्यालय खोला जाएगा और दूसरी बात यह है कि गुढ़ा में पहले से ही महाविद्यालय संचालित है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अकेले गुढ़ा में चालीस हजार बालक-बालिकाएं पढ़ते हैं, उन चालीस हजार बालक-बालिकाओं को पढ़ने के लिए अकेला कॉलेज वहां पर्याप्त नहीं है और वह उपखंड भी नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि हम उपखंड में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं, उस पहाड़ी क्षेत्र में लड़कियां दूर-दूर से पढ़ने के लिए आती हैं। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि प्राइवेट कॉलेजों की फीस कितनी महंगी है। बालिकाएं पढ़ नहीं पा रही हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन यह है, मैं चाहता हूं कि

(श्री शुभकरण चौधरी)

उपखंड खुले, उस कॉलेज के संसाधनों का जहां तक सवाल है, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं, उनका ध्यान इस बात की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि हम भूमि उपलब्ध करा देंगे, वहां पर भामाशाह भवन बनाकर देंगे। सारे संसाधन हम उपलब्ध करवाते हैं, आप को तो मात्र स्वीकृति जारी करनी है।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय मंत्री महोदया।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, उदयपुरवाटी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है, वह बात सही है कि झुंझुनूं जिला एक ऐसा जिला है जो वास्तव में राजस्थान के अंदर महिला शिक्षा को गौरवान्वित करता है। वहां पर अगर हम देखें तो जिले के टोटल बच्चे जो कॉलेज में पढ़ते हैं, 57,489 हैं, इनमें से 23,740 बॉयज हैं और 33,739 गर्ल्स हैं। यानी 58.7 परसेंट वहां की गर्ल्स एजुकेशन लेती हैं। यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है। इन्होंने कहा कि गुढ़ा में कॉलेज है, लेकिन ये चाह रहे हैं कि उदयपुरवाटी में भी कॉलेज हो। जैसा माननीय सदस्य महोदय ने कहा कि वे लोग वहां पर जमीन और बिल्डिंग वगैरह सब कुछ उपलब्ध कराएंगे, तो हम इसके अन्दर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और इसमें देखेंगे कि जिस तरीके से भी वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होगी, उसके अनुसार हम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। पूरक प्रश्न नंबर दो।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): इस बात के लिए तो, मंत्री महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने गंभीरता से विचार करने का भरोसा दिया है। (व्यवधान) मुझे भरोसा है। पहले भी दिया है।

श्री अध्यक्ष: आप सवाल कीजिए।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): पहले भी दिया है। मुझे तो पहले भी दिया है। मुझे तो ऑलरेडी एक कॉलेज मिली है इसलिए आप चिंता न करें। वह मुझे लेना आता है। वे बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने वाली महिला मंत्री हैं। वहां कॉलेज खुलेगा।

श्री अध्यक्ष: शुभकरण जी, आपस में बातचीत नहीं। आप सवाल कीजिए। शुभकरण जी, आप मंत्रीजी से सवाल कीजिए।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): ये बीच में बोलते हैं साहब।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, बिलकुल नहीं। आप इधर ध्यान मत दीजिए।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से इतना-सा और जानना चाहता हूं कि गुढ़ा में आपने कॉलेज खोला है, संचालित भी है। वहां मात्र कला संकाय है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां कला के साथ-साथ विज्ञान और वाणिज्य संकाय खोलकर उसको पी.जी. किया जाए और उदयपुरवाटी में कॉलेज खोला जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदया।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, माननीय सदस्य जी ने जो नए विषय खोलने के बारे में बात कही है, वह भी हम लोग वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर ही कर सकेंगे और मैं यह भरोसा दिलाती हूं कि इस पर पूरे तरीके से विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। इस पर क्या सवाल करेंगे? पूरणमलजी, इस पर सवाल क्या बनता है? पूरक प्रश्न क्या बनता है? यह केवल उदयपुरवाटी का है।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्ता ने धन्यवाद दे दिया, लेकिन मैं एक निवेदन माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: उदयपुरवाटी के बारे में ही?

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): हां-हां।

श्री अध्यक्ष: बोलिए।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय का भी मानना है कि झुन्झुनूं जिला शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, दूसरे क्षेत्रों में भी आगे है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में मेरा नजदीक का विधान सभा क्षेत्र है। अब यह तो पार्टी से आ रहे थे इसलिए इसका जवाब देने की मजबूरी रही।

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। उदयपुरवाटी का है। मैंने इसीलिए कह दिया कि उदयपुरवाटी से ही, पड़ोस का नहीं।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): मेरा नहीं है, उदयपुरवाटी की ही बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, पड़ोस का नहीं। भंवरसिंह जी।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुरवाटी की ही बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: हां, उदयपुरवाटी ही।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): उदयपुरवाटी के लिए ही, मैं इसलिए रेज कर रहा हूं कि पड़ोसी हूं इसलिए जानता हूं। उदयपुरवाटी के एडजोइन ही मेरा गांव है। उदयपुरवाटी पूरे पहाड़ों के बीच में बसा है।

श्री अध्यक्ष: अच्छा विराजिए, विराजिए।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): वहां वास्तव में, माननीय बीजेपी से थे इसलिए प्रैशर में आकर धन्यवाद दे दिया। लेकिन उदयपुरवाटी को उच्च शिक्षा के लिए, नगरपालिका क्षेत्र में बहुत बड़ा, विभिन्न गांव का, कम से कम 25 गांव नहीं आए, इसलिए मेरी भी मांग है, झुन्झुनूं जिले से आता हूं इसलिए कि उदयपुरवाटी जिला शिक्षा के क्षेत्र में काफी कम रह रहा है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): अगर उच्च शिक्षा का स्थान दिया जाए, कालेज दिया जाए तो वास्तव में....

श्री अध्यक्ष: विराजिए। मंत्री महोदया।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): उदयपुरवाटी भी जिले के साथ बह सकेगा। यह मेरी मांग है।

श्री अध्यक्ष: जवाब दिला देता हूं, विराजिए। मांग, सहानुभूतिपूर्वक विचार कीजिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि खेतड़ी से आने वाले माननीय सदस्य उदयपुरवाटी के एरिया की भी चिंता कर रहे हैं, यह अच्छी बात है। पूर्व में मैं जवाब दे चुकी हूं कि उदयपुरवाटी में जो कालेज खोलने का प्रस्ताव माननीय सदस्य उदयपुरवाटी ने रखा है उस पर हम लोग गंभीरता से विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। श्री भंवरसिंह, पूरक प्रश्न नम्बर दो।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुरवाटी में उपखण्ड मुख्यालय भी है, नगरपालिका भी है। सरकार के सुराज संकल्प पत्र में सभी उपखण्ड मुख्यालयों पर बालिका महाविद्यालय और राजकीय महाविद्यालय खोले जाने का संकल्प पत्र भी दिया गया है। मैं माननीय मंत्री महोदया से पूछना चाहूंगा कि आपके चुनाव घोषणा पत्र में स्पष्ट घोषणा होने के बावजूद उदयपुरवाटी और ऐसे अन्य जो भी उपखण्ड मुख्यालय हैं वहां अभी तक घोषणा पत्र में होने के बावजूद कालेज क्यों नहीं खोले जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, मैं इसका जवाब दिला देता हूं।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): क्या यह अपने चुनाव घोषणा पत्र पर अमल करने का विचार रखते हैं या नहीं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदया। विस्तार कर दिया उसका।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उदयपुरवाटी दूर तक चला गया, कोलायत तक चला गया। माननीय अध्यक्ष जी, सदन ...(व्यवधान)... इनका ससुराल है, अच्छा ससुराल है, तब तो फिर पूछना वाजिब है।

श्री अध्यक्ष: अभी आप जवाब दीजिए, पाइंटेड सवाल है, पाइंटेड जवाब दे दीजिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): बिलकुल। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने उपखण्ड़ के ऊपर कालेज खोलने की बात कही। माननीय सदस्य ने माननीय मुख्यमंत्री जी का बजट भाषण सुना ही होगा। उसमें चार उपखण्ड के ऊपर महाविद्यालय खोलने की इस बार बजट के अंदर स्वीकृति दी है। मैं समझती हूं कि 30 ऐसे उपखण्ड हैं जहां पर हमारे पास अभी ना तो प्राइवेट कालेज है और ना ही गवर्नमेंट कालेज है। उसमें से चार की घोषणा अभी 2017-18 के बजट के अंदर हो चुकी है। धीरे-धीरे हम लोग इन सभी जगहों पर, उपखण्ड में कालेज खोलेंगे।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न, श्री फूलचन्द भिण्ड़ा। ...(व्यवधान)... आप विराजिए, विराजिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): कुछ नहीं है, यह भाषण है। मेरे तो सुनते-सुनते कान भारी हो गए, सुनते तीस साल हो गए। कुछ नहीं करते ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह जब भी आते हैं, करेंगे, देखेंगे, कराएंगे कुछ नहीं।

श्री अध्यक्ष: श्रवण जी, स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): करना धरना कुछ नहीं है। तो करो ना ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: शांत रहिए, शांत रहिए ...(व्यवधान)... केवल भिण्डा। आपका उदयपुरवाटी से संबंधित है?

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): हां, पूरी तरह उसी से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष: बोलिए, आड़ा-टेढ़ा मत कीजिए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान में ही नहीं पूरे देश भर में झुन्झुनूं जिला उच्च शिक्षा में एक नम्बर पर है। 13 हजार की आबादी पर एक कालेज है जबकि नेशनल लेवल 64 हजार पर है, एक निवेदन तो मेरा यह है। ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): इनकी क्या मेहरबानी है, सेठों की मेहरबानी है वह तो ...(व्यवधान)... इनका क्या लेना देना उसके अंदर?

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): दूसरा निवेदन यह है कि पूरे विश्व में 52 परसेंट का औसत है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ...(व्यवधान)... झुन्झुनूं जिले में कालेज था इनका क्या लेना देना उसके अंदर? यह क्या मांगते हैं, सेठों की मेहरबानी है वह तो। ...(व्यवधान)... सरकार ने क्या दिया हमको?

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): सुन लो, ज्ञान ले लो ज्ञान (व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने सैनिक दिए ...(व्यवधान)... जो सीमा पर लड़ते हैं। हमने शिक्षा प्राप्त करके पूरे राजस्थान में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया ...(व्यवधान)... इन्होंने क्या दिया? सरकार कहती है, यह कहते हैं करेंगे, करेंगे ...(व्यवधान)...

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): पूरे विश्व का उच्च शिक्षा का रिकार्ड है 52 परसेंट का। झुन्झुनूं का रिकार्ड है 94 परसेंट ...(व्यवधान)... अबव दी वर्ल्ड

(डॉ. फूलचन्द भिण्डा)

लेवल है उच्च शिक्षा में, इस कारण से मेरा निवेदन है कि पुरस्कार स्वरूप वहां गर्ल्स कालेज दे दिया जाए। ...(व्यवधान)... उदयपुरवाटी में ही, इसकी मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदया। ...(व्यवधान)... दे दिया जवाब।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, माननीय सदस्य द्वारा जो सजेशन दिया गया है उस पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल, श्री फूलसिंह मीणा।

ग्राम पंचायत बेड़वास (उदयपुर) में मेगा आवास योजना

217. श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में गिर्वा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बेड़वास में मैगा आवास योजना के अन्तर्गत 1696 आवास बन रहे हैं? यदि हां, तो उक्त आवासों पर कितनी लागत आएगी तथा निर्माण कब चालू हुआ व कब तक पूर्ण होगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना के लिए कोई पेयजल योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कितनी लागत की है? उक्त योजना से कब तक इस कॉलोनी व आस-पास के यू.आई.टी. अनुमोदित कॉलोनियों को पानी की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त क्षेत्र में यू.आई.टी. द्वारा अनुमोदित अन्य कॉलोनियां बनी हुई हैं? यदि हां, तो क्या उनको पेयजल सुविधा मिल रही है? यदि हां, तो किस योजना से?

(4) क्या सरकार उक्त योजना से नाकोडा नगर एवं भैरवाय नगर आदि कॉलोनियों को भी जोड़ने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री के स्थान पर): (1) जी हां। विधानसभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में गिर्वा पंचायत

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

समिति की ग्राम पंचायत बेडवास में राज्य सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना की मेगा आवास परियोजना के अन्तर्गत 8.00 हैक्टेयर में निजी विकासकर्ता मैसर्स प्राईम के.के. गुप्ता जे.वी. के द्वारा निर्मित किये जा रहे 1696 (G+3) फ्लैट्स आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS-848, अल्प आय वर्ग LIG-584, मध्यम आय वर्ग MIG-264 का शिलान्यास दिनांक 27.02.2014 को माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा किया गया था। प्रस्तावित योजना स्थल पर 22 अतिक्रमियों द्वारा ग्राम न्यायालय, उदयपुर से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया था, जिसे न्यास द्वारा प्रभावी पैरवी के पश्चात् माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश खारिज कराने के पश्चात् दिनांक 11.02.2015 को राजस्थान आवास विकास इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. (राविल), जयपुर, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर एवं मैसर्स प्राईम के.के. गुप्ता जे.वी. के मध्य त्रिपक्षीय करार (MOU) निष्पादित किये जाने के पश्चात् मौके पर उक्तानुसार फ्लेट निर्माण की उक्त योजना क्षेत्र में सड़क, विद्युत, पानी सुविधाऐं विकासकर्ता द्वारा ही स्थापित की जानी है। वर्तमान में फ्लेट्स निर्माण का कार्य प्रगतिरत है। उक्त कार्य की लागत 66.95 करोड़ रुपये है। एम.ओ.यू. अनुसार उक्त कार्य 31 मार्च 2018 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित है।

(2) जी हां। कार्य के अनुबंध अनुसार मैगा आवास योजना क्षेत्र की आन्तरित पेयजल वितरण प्रणाली विकासकर्ता द्वारा स्थापित की जानी है। जो बना रहा है, वही करेगा। जबकि योजना क्षेत्र तक पेयजल स्रोत (पेयजल पाइप लाइन) पहुंचाने का कार्य जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के स्तर पर किया जाना है। उक्त योजना एवं इसके आस-पास की कन्वर्टेड कॉलोनी में पेयजल व्यवस्था हेतु न्यास के खर्चे पर जलदाय विभाग द्वारा डी.पी.आर. तैयार करवाई गई है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की डी.पी.आर. अनुसार परियोजना की अनुमानित लागत 47.68 करोड़ रुपये है। उक्त डी.पी.आर. पर न्यास की सामान्य बैठक दिनांक 08.11.2016 में हुई विस्तृत चर्चा के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उक्तानुसार डी.पी.आर. फतहसागर झील को जल स्रोत मानकर कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। परन्तु फतहसागर की क्षमता तथा फतहसागर से बेड़वास तक 12.50 किलोमीटर की दूरी तथा इसके मध्य उदयपुर शहर की मुख्य सड़क की कार्य क्रियान्विति के दौरान होने वाली खुदाई

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

एवं उनकी पुन: मरम्मत पर होने वाले अत्यधिक व्यय के मद्देनजर जलदाय विभाग को मेगा आवास योजना, बेडवास तथा इसके समीप की कॉलोनियों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु वैकल्पिक स्रोत का परीक्षण किये जाने का निर्णय लिया गया। न्यास के उक्त निर्णय दिनांक 08.11.2016 के क्रम में जिला प्रशासन के स्तर पर सभी संबंधित विभागों की हुई बैठक में भी विस्तृत चर्चा करने के पश्चात् पाया गया कि डी.पी.आर. अनुसार होने वाले अत्यधिक व्यय के साथ-साथ भूमिगत उपयोगिताओं का क्षतिग्रस्त होना व कार्य के दौरान उदयपुर शहर जहां वर्ष पर्यन्त पर्यटकों की आवाजाही रहती है, के साथ ही स्थानीय नागरिकों को भी मुख्य सडकों की खुदाई से होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत फतहसागर को जल स्रोत मानते हुए 12.50 कि.मी. दूर पेयजल ले जाने का प्रस्ताव अव्यावहारिक पाया गया। इसके उपरान्त यह सुझाव आया कि मानसी वाकल से हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, देबारी तक जा रही समर्पित पेयजल लाइन जिसके संबंध में दिनांक 11 फरवरी 1997 को राज्य सरकार के जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के मध्य MOU हुआ था, के अनुसार हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को 10 मिलियन लीटर प्रतिदिन पानी दिया जाना निर्धारित है, उस जल राशि में से हिन्दुस्तान जिंक लि. द्वारा पेयजल हेतु उपभोग में ली जाने वाली जल राशि में से शेष जल राशि मेगा आवास योजना एवं उसके आस-पास की कन्वर्टेड कॉलोनियों में पेयजल उपलब्ध कराने बाबत हिन्दुस्तान जिंक से चर्चा की जाकर उनके द्वारा उक्त प्रस्ताव पर लिखित सहमति ली जावें। अभी तक सहमति नहीं आई है। उनसें सहमति ली जाए, इस हेतु हिन्दुस्तान जिंक को दिनांक 28.02.2017 को पत्र लिखा गया है। उक्त पत्र के क्रम में हिन्दुस्तान जिंक लि. से सहमति प्राप्त होनी अपेक्षित है। सहमति पश्चात् हिन्दुस्तान जिंक लि., जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं सिंचाई विभाग के मध्य नियमानुसार त्रि-पक्षीय करार निष्पादित किये जाकर उक्तानुसार योजना की क्रियान्विति जून, 2018 तक की जानी प्रस्तावित है।

(3) जी हां। उक्त क्षेत्र में यू.आई.टी. द्वारा अनुमोदित अन्य कॉलोनियां यथा-नाकोडा नगर-प्रथम, द्वितीय, तृतीय, नाकोडा पुरम बनी हुई है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार वर्तमान में उक्त क्षेत्र में

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

जलदाय विभाग की कोई पेयजल योजना संचालित नहीं है। क्षेत्रवासी बोरवेल से पेयजल सुविधा अपने स्तर से प्राप्त कर रहे है। जलदाय विभाग द्वारा पेयजल स्रोत विकसित करके यदि सर्विस लाइन इन कन्वर्टेड कॉलोनियों तक डाल दी जाती है, तो इसके पश्चात् नगर विकास प्रन्यास द्वारा इन कन्वर्टेड कॉलोनी क्षेत्र में आन्तरिक वितरण प्रणाली हेतु पाइप लाइन डालने बाबत राशि वहन की जा सकती है।

(4) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड से सहमति प्राप्त करने के पश्चात् मेगा आवास योजना हेतु बनाई जा रही पेयजल योजना से इस योजना के पास की इन कॉलोनियों हेतु भी पेयजल उपलब्ध कराना संभव होगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक। ...(व्यवधान)... विस्तार से जवाब आ गया है, इसमें पूरक प्रश्न क्या बना रहे हो?

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आप भी मेवाड़ के रहने वाले हैं और यह प्रश्न करते-करते मुझे तीन वर्ष हो गये हैं। इन पैरा-फेरी कालोनियों में पानी की समस्या को लेकर प्रश्न भी लगाये, पर्ची के माध्यम से भी और नियम 295 के माध्यम से भी इस समस्या को उठा कर सरकार से आग्रह किया। मगर यू.आई.टी. वाले पी.एच.ई.डी. पर डालते हैं और पी.एच.ई.डी. वाले यह कहते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं हैं। इस गेंद को इधर-उधर पाले में डालते-डालते तीन वर्ष निकल गये हैं। अभी तक यह प्रोजेक्ट रास्ते में ही चल रहा है। मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि 1696 मेगा आवास परियोजना के फ्लैट्स बनाने के लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा 27.02.2014 को शिलान्यास किया गया था और 66 करोड़ 95 लाख रुपये लागत लगेगी। यह कार्य 31 मार्च, 2018 को पूर्ण किया जाना निर्धारित है।...(व्यवधान)...

पैरा दो, माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि आपने बताया कि हिन्दुस्तान जिंक से सहमति प्राप्त होने पर ही इन कालोनियों को पेयजल उपलब्ध कराने की जो योजना है, उसकी क्रियान्विति की जायेगी। मगर हिन्दुस्तान जिंक सहमति नहीं देता है तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करेगी। ऐसी स्थिति में वे कालोनियां पेयजल से वंचित रह जाएंगी, ऐसी स्थिति में सरकार पेयजल उपलब्ध कराने के लिये क्या व्यवस्था करेगी, यह जानकारी दें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इसका जवाब आने दीजिये ना। आप वक्तव्य दे रहे हैं सारा।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट।

पैरा तीन, जवाब दिया है कि उक्त क्षेत्र में जो अन्य कालोनियां बनी हुई हैं, वहां पेयजल योजना संचालित नहीं है। क्षेत्रवासी बोरवैल से पेयजल सुविधा अपने स्तर पर प्राप्त कर रहे हैं। यू.आई.टी. के अधिकारी कहते हैं कि जलदाय विभाग द्वारा पाइप लाइन बिछाने पर ही हम आगे की सुविधा कराएंगे। माननीय मंत्री महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि कुछ लोग तो सक्षम हैं, वे तो अपने स्तर पर बोरवैल द्वारा पेयजल की सुविधा प्राप्त कर लेते हैं और जो गरीब यू.आई.टी. के प्लाट को लेकर ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: सवाल पूछिये आप।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, वही पूछ रहा हूं कि उन मजदूरों के लिये क्या होगा, जिन्होंने लोन लेकर कालोनियों में प्लाट लेकर मकान बनाया। सक्षम आदमी ने तो पैसों से बोरवैल करवा लिया। मगर वह मजदूर कहां से पानी पियेगा। क्योंकि यू.आई.टी. कन्वर्टेड प्लान है।

पैरा चार, आपके बिन्दु संख्या चार में जवाब दिया कि हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड से जवाब प्राप्त होने पर ही इन कालोनियों को पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि अगर हिन्दुस्तान जिंक सहमति नहीं देता है तो सरकार कालोनियों में पेयजल के लिये क्या व्यवस्था करेगी?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजिये, आप विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न तो बिलकुल सही है। क्योंकि 1696 जब हमने अफोर्डेबल हाऊसिंग में फ्लैट्स बनाये हैं, जो मार्च, 2018 तक कम्पलीट होने हैं, उनको पानी उपलब्ध होना है। उस पानी की उपलब्धता में हिन्दुस्तान जिंक से जो हमारी लाइन जा रही है, मानसीवाकल से जो उनको दिया, वह एक एम.ओ.यू. के आधार पर दिया कि वे कितना खर्चा देंगे और उनको कितना पानी देंगे, यह पानी उनके

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

हक का है। लेकिन उनसे बात यह चल रही है कि आपके इस हक में से हमको कुछ पानी दे दें, ताकि इन कालोनियों को दे दें और जो हमारा उदय सागर है, जहां हमारी झील है, वहां से आपका प्लाण्ट है देबारी में, हिंदुस्तान जिंक का, उसको वह बचा हुआ पानी हम यहां से दे दें ताकि हमको रास्ते में इससे कम खर्चे से काम हो सकता है। लेकिन अभी जब तक उनकी सहमति नहीं आती है, इसके बारे में नहीं कह सकते। यह तो अफोर्डेबल हाउसिंग की बात है।

इनका दूसरा प्रश्न बहुत वैलिड है। वह यह है कि जो कालोनियां कन्वर्टेड कालोनियां हैं, जिनका नाम एक-दो-तीन, नाकोड़ा नगर और बाकी जो दिया है, उसमें इंटीरियर पानी पहुंचाने का काम तो यू.आई.टी. का काम है, वह करती है। लेकिन पानी का सोर्स वहां तक पहुंचाना, यह हमारे पी.एच.ई.डी. का जिम्मा है। पी.एच.ई.डी. ने अभी तक वहां उन कालोनियों को पानी पहुंचाया नहीं, मैं सोचता हूं कि उसके लिये तो सोर्स पी.एच.ई.डी. को ही तैयार करके उनके नजदीक पानी पहुंचाने का काम वह करेंगे। लेकिन यह बात सच है कि यह समस्या विकट है। यू.आई.टी. के पास जो डवलपमेंट का पैसा आता है, वह कुछ लाख में आता है। उससे इंटीरियर डवलपमेंट तो उन्होंने कर दिया। सड़क, नाली और बिजली का जो काम है, वह तो उन्होंने पूरा कर दिया। लेकिन अगर यह पाइप लाइन का डालें तो कन्वर्जन में तो उनको मिलते हैं अनुमानित 40 लाख रुपये और खर्च होते हैं 40 करोड़ रुपये। मैं सोचता हूं कि इस बारे में पी.एच.ई.डी., यू.आई.टी. ये सब बैठ करके सामूहिक कोई निर्णय करेंगे तो कालोनी के लोगों का तो हक है कि जब आपने डवलपमेंट चार्ज उनसे ले लिया तो उनको सुविधा पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं और मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि दोनों-तीनों विभागों को साथ में बैठा करके इसका हल निकालना पी.एच.ई.डी. और यू.आई.टी. की जिम्मेदारी है। वे किसी पर टाल नहीं सकते हैं। कौन इसमें कितना करेगा, कैसे करेगा, लेकिन यह है कि मार्च, 2018 तक जब अफोर्डेबल फ्लैट्स बन जाएंगे, उसके पहले यह सुविधा इनको कहीं से भी मिले, पर मिलनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष: आ गया पूरा जवाब आपका।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): जी हां। अध्यक्ष महोदय, जवाब तो आ गया। हमारे माननीय गृह मंत्री महोदय अच्छी तरह वाकिफ हैं उदयपुर से, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके मार्फत सरकार को।

श्री अध्यक्ष: बताइये मत, आप तो सवाल कीजिये।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय मंत्री महोदय, जो वहां की पैराफेरी की कालोनियां हैं। पूर्व सरकार को भारी मतों से जिताया था, मगर उन्होंने पांच साल कुछ नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): इसलिये, इन कालोनियों को पानी दिलाने की पूरी कोशिश कीजिये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। माननीय मंत्री महोदय, पूरी तरह आश्वस्त कर दीजिये। मैं भी उदयपुर का हूं, आपको मालूम होना चाहिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, अफोर्डेबल हाउसिंग योजना सभी जगह बन रही है। कॉलोनियां डवलप नहीं हो रही हैं।

श्री अध्यक्ष: बैठिये, बैठिये। जोगारामजी, बैठिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अगर मीटिंग बुलानी है तो सभी के साथ में, राजस्थान का निर्णय ले लें।

श्री अध्यक्ष: इस तरह से यूं बीच में उठकर नहीं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उदयपुर, ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य को मैं यह आश्वस्त करता हूं कि यू.आई.टी. में डवलपमेंट का पैसा जिन कालोनियों का जमा हो गया उनको पानी उपलब्ध कराना यू.आई.टी. और पी.एच.ई.डी. की जिम्मेदारी है। इसके लिये कोई भी बच नहीं सकता। अब यह उनका आपसी है कि कितना वे बर्दाश्त करेंगे और कितना इनको देना है। पर इनकी व्यवस्था जितनी जल्दी सम्भव हो सकती है, निश्चित रूप से कराएंगे। अफोर्डेबल में अभी हमारे पास मार्च, 2018 तक का समय है। तो हम

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

हिन्दुस्तान जिंक से उसकी बाकी पानी की पूर्ति उदय सागर से करके और यहां से उतना पानी उनसे लेने से प्रयास करेंगे तो हमको कम महंगा पड़ेगा। अगर यह भी नहीं होता है तो हमारी जिम्मेदारी है अफोर्डेबल हाउसिंग में।

श्री अध्यक्ष: गृह मंत्रीजी, आप इनीशिएटिव लीजिये। पूरक प्रश्न, श्री भीण्डर।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): अध्यक्ष महोदय, हम प्राइवेट बिल्डर्स से तो यह एक्सपेक्ट करते हैं कि वे पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करके दें। पाइप लाइन भी बनाएं, रोड्स भी बनाएं और लाइट्स भी लगा कर दे। जबकि यू.आई.टी. जो कालोनियां डवलप कर रही हैं, उनमें यू.आई.टी. की अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं महसूस करते कि अब उसका खर्चा ज्यादा है तो दे, लेकिन उनको पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी तो यू.आई.टी. की हो गई।

जिस जगह प्राइवेट बिल्डर्स ने प्लाट काटे हैं या जिनको पास तो यू.आई.टी. और नगर निगम ने ही किया है तो उनकी जिम्मेदारी से वह पीछे कैसे हट सकते हैं ? तीन-चार साल तो बहुत होते हैं साहब, पानी टैंकर से आ-आकर भर रहे हैं।

दूसरा, हिंदुस्तान जिंक की यह बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक को आपने डैडिकेटेड पाइप लाइन दे रखी है, दरीबा तक पानी जा रहा है, उनको पानी पिलाने के लिए, उनकी कॉलोनियों में देने के लिए जबकि उसके अपशिष्ट से मेरी पंचायत, मेरे वल्लभनगर विधान सभा क्षेत्र की करीब 12 पंचायतों को पानी बिलकुल खराब हो चुका है। उनका तो पानी बंद कर देना चाहिए और यह पूरा हमारी कॉलोनीज में आना चाहिए, यह पानी। मेरा मंत्री महोदय से यही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, कोई प्रतिक्रया देंगे आप?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): हिंदुस्तान जिंक के साथ जब मानसी-वाकल का निर्माण हुआ था, जब एम.ओ.यू. किया था, उसमें दोनों के खर्चे के बराबर शेयर किया था। 33 परसेंट हिंदुस्तान जिंक वहां डैम को बनाकर पानी को लाने तक का देगा और बाकी राज्य सरकार देगी। उसी के आधार पर पानी का भी बंटवारा हुआ। जितना एम.सी.एफ.टी. पानी वहां पर है, उसका 33

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

परसेंट हिंदुस्तान जिंक लेगा तो समझौता जो आधार पर मानसी-वाकल बना वह उनके हिसाब से सही है लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनको कम्पनसेट करने के लिए उदय सागर से उसकी पानी की पूर्ति करके इस पानी में से हम पानी इस कॉलोनी को दे पाएंगे तो हमको कम खर्चीला पड़ेगा। इसके बाद भी अगर हिंदुस्तान जिंक मना करता है तो अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी को भी पानी देना यू.आई.टी. और पी.एच.ई.डी. की जिम्मेदारी है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। अगला सवाल श्री शंकरसिंह राजपुरोहित।

प्रदेश में ईंट भट्टों में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण की योजनाएं

218. श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में ईंट-भट्टे संचालित किये जा रहे हैं? यदि हां, तो जिलेवार संचालित ईंट-भट्टों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में ईंट-भट्टे किन नियमों के तहत पंजीकृत किये जाते हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त ईंट-भट्टों में से कितने ईंट-भट्टे उक्त नियम के तहत पंजीकृत हैं ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा ईंट-भट्टों में कार्यरत श्रमिकों के लिए कौन-कौनसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्रम एवं रोजगार मंत्री (डा. जसवन्त सिंह यादव): (1) जी हां। जिलेवार संचालित ईट-भट्टों की संख्या का विवरण परिशिष्ट- अ पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में ईंट-भट्टे कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 एम (i) एवं 2 एम (ii) के अन्तर्गत पंजीकृत किये जाते हैं। कारखाना अधिनियम, 1948 के नियमों की प्रति परिशिष्ट- ब पर संलग्न है।

(3) विभाग में 929 ईंट-भट्टे उक्त नियम के तहत पंजीकृत हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट- स पर संलग्न है।

(4) कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत ईंट-भट्टों में

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

सामान्यतया अधिकतम कार्यरत श्रमिकों की संख्या के आधार पर उनके लिये कल्याणकारी प्रावधानों, कपड़े रखने, धोने व सुखाने की सुविधा, बैठने की सुविधा, शेल्टर रेस्ट रूम, व लन्च रूम आदि की सुविधा, प्रथम सहायता बाक्स मय निर्धारित दवाइयों की सुविधा, महिला श्रमिकों के छोटे बच्चों के लिए शिशु- गृह की सुविधा ईट भट्टा मालिक द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है।

इनका प्रवर्तन विभाग निरीक्षण करता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जवाब बहुत ही व्यवस्थित और अच्छा दे दिया। मंत्री महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपके विभाग ने जो हमें चाहिए था, विस्तार से यह दे दिया है। पर इसमें एक चीज, मेरे यहां ईंट भट्टे नहीं हैं, कजावे हैं, छोटे ईंट भट्टे तो कजावे के लिए भी कल आपके विभाग ने सारे कलेक्टर्स को पत्र लिख दिया, मतलब, छोटे-छोटे कजावे को पटवारी जाकर तंग करता है। वह अव्यवस्था न हो। इसके लिए भी मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। अब एक उनके सबके श्रमिक कार्ड बन जाएं, वह व्यवस्था आप करवा देना, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: और पूरक प्रश्न नहीं करना दूसरा?

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): आ गया।

श्री अध्यक्ष: श्री विद्याशंकर नन्दवाना।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के जवाब में प्रथम बिंदु में माननीय मंत्री महोदय ने यह बताया है कि पूरे राजस्थान में मात्र 990 ही ईंट भट्टे संचालित हो रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में मैं यह कहना चाहूंगा कि हम यदि केवल कोटा जिले की ही बात करें तो 900 भट्टे तो आज की तारीख में केवल कोटा जिले में ही चल रहे हैं। ईंट भट्टे के मूल्यांकन में कौनसा आधार उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिया जाता है, यह माननीय मंत्री महोदय बताएंगे।

साथ ही, माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि कारखाना अधिनियम, 1948

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

की धारा 2 एम (i) एवं 2 एम (ii) के अंतर्गत इनका पंजीयन किया जाता है। ऐसे ईंट भट्टे जो पंजीकृत नहीं हैं, क्या उनके लिए कोई नियम नहीं है?

तीसरी बात, बिंदु नम्बर-चार पर आपने अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत पट्टों के लिए कुछ नियम बनाये हुए हैं। ऐसे भट्टे जो पंजीकृत नहीं हैं लेकिन बहुत बड़ा प्रदूषण पैदा कर रहे हैं और जिन्होंने सारी सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से खनन किया हुआ है, इनके लिए विभाग कोई कार्यवाही करेगा? राजस्थान में सभी वैध या अवैध चल रहे ईंट भट्टों पर एक बार अभियान चलाकर पंजीकरण करने की कार्यवाही क्या विभाग करेगा?

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय मंत्री महोदय।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न कई संदर्भ से जुड़ा हुआ है। ईंट भट्टा जिसके अंदर 20 मजदूर या उससे ज्यादा मजदूर काम कर रहे हो, जहां 20 मजदूर की संख्या हो और विद्युत कनेक्शन ले रखा हो, वह कारखाना एक्ट के अंदर आ जाता है या 40 मजदूर, जिसमें बिजली का कनेक्शन नहीं हो, वह भी कारखाना एक्ट के अंदर आता है। अब बहुत से भट्टे तो हमको नजर आते हैं लेकिन उनमें यदि संख्या 20 से कम है तो उनके रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है वह लेबर कानून के अंदर आ जाते हैं। कोई छोटे, जैसे माननीय शंकर सिंहजी ने यह कहा था कि अलावा वगैरह यह तो इसके अंदर आपने यह बात उठाई पॉल्यूशन की, यह हमारे विभाग से संबंधित नहीं है। हमारे विभाग से पॉल्यूशन कंट्रोल का, यह हमारे विभाग के अंदर नहीं आता है और न हम इसके बारे में कुछ कह सकते हैं। फिर भी अगर माननीय सदस्य कोई हमको अवगत करवाएंगे तो निश्चित रूप से जांच करेंगे और संबंधित अनियमितताएं कर रहे हैं तो उस विभाग को हम अपनी तरफ से रिपोर्ट पेश करेंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। श्री सुखराम विश्नोई, दूसरा पूरक प्रश्न। ....(व्यवधान)....

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): आप इनको तो पूछने दो। ....(व्यवधान)....

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह तो बता दो कि कितने भट्टे ऐसे हैं

(श्री श्रवण कुमार)

जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं? आप कह रहे हो 20 मजदूर वाला कोई महत्व नहीं रखता, 20 मजदूर होते ही नहीं भट्टे के ऊपर। भट्टे पर 20 मजदूर होते ही नहीं, 50 से कम होते ही नहीं। टालमटोल मत करो। ऐसा कोई भट्टा नहीं है जिस पर 20 मजदूर काम करते हैं। प्रत्येक भट्टे पर 50 से कम काम नहीं करते हैं। ....(व्यवधान)....

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सुनिए पहले। सुनने की शक्ति रखिए। क्या कह रहे हैं? ....(व्यवधान)....

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): 50 श्रमिक से कम तो कोई भट्टे पर काम करते ही नहीं हैं। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: नन्दवानाजी, विराजिए कृपया। श्री सुखराम। बीच में नहीं, नहीं-नहीं यूं-यूं क्या होता है? हां-हां, इनका जवाब आने दीजिए।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में खातेदारी के अंदर ईंट भट्टे निकाले जा रहे हैं और प्रावधान भी है। वहां के स्थानीय, पटवारी, आर.आई., तहसीलदार तंग करते हैं। ऐसा एक सर्कुलर जारी हो या ऐसा कोई प्रावधान किया जाए कि खातेदारी में ईंट-भट्टा किसान अपनी जरूरत के लिए निकाल सकता है, ऐसी कोई व्यवस्था की जाए।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है, यह वाकई में प्रश्नकर्ता की भी सबसे बड़ी यही शिकायत थी कि 2500 स्क्वायर मीटर के अंदर कोई भी किसान अपनी खातेदारी की जमीन में अगर ईंट का व्यवसाय करता है तो उसको किसी तरह के कन्वर्जन की आवश्यकता नहीं होती पर जगह-जगह से शिकायतें मिल रही थीं कि वहां का पटवारी, तहसीलदार जाकर उन लोगों को परेशान करते हैं तो इसके अंदर हमारे विभाग ने कल ही सभी जिला कलक्टर्स को पत्र प्रेषित कर दिया है कि इनको, यह कानून से मुक्त है, यह तहसीलदार या पटवारी इनको कन्वर्जन के लिए बाध्य नहीं कर सकते और इस तरह से जो भट्टा मालिकों को, जिनकी 2500 स्क्वायर मीटर तक है, उनको जो

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

परेशान किया जा रहा है, वह तुरंत प्रभाव से बंद करवा दिया गया है तो माननीय सदस्य की भावना को देखते हुए ऑल-रेडी मैं इस पर कल कार्यवाही कर चुका हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। तीसरा पूरक प्रश्न श्री मानसिंह। ....(व्यवधान).... नहीं, मैं नहीं दूंगा इस तरह। यूं-यूं नहीं है। ....(व्यवधान)....

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्रीजी से और सरकार से अनुरोध करूंगा कि जयपुर के पास में कानोता स्थित जो भट्टे हैं, उन से जयपुर में प्रदूषण फैल रहा है। माननीय हाई कोर्ट इस बारे में निर्देश दे चुका है कि इन भट्टों के बारे में कोई निस्तारित, नीति बनाई जाए लेकिन अब तक सारे भट्टे चल रहे हैं, प्रदूषण फैल रहा है और न कोई ग्रीन कोरिडोर बनाई जा रही है, इस बारे में सरकार ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): खातेदारी में तो सरकार को यह परमिशन है कि किसान जो कजावे बनाता है, उसको तो परमिशन है, लेने की जरूरत नहीं रहती। मगर छोटे-छोटे गांवों में जो कुम्हार लोग हैं, वे अपना व्यवसाय सदियों से करते आ रहे हैं, उन गरीब लोगों के लिए सोचिए, सर। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: अब विराजिए। विराजिए आप। अब बैठिये आप। कृपया बैठिये। जवाब आ रहा है और बीच में खड़े हो गये आप। ....(व्यवधान)....

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पोल्यूशन की बात उठायी है, यह हकीकत में हमारे विभाग से संबंधित नहीं है, फिर भी माननीय सदस्य की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पोल्यूशन विभाग के पास हम इस बात को पहुंचा देंगे और इसमें मदद करेंगे कि इस तरह की परेशानियां न आए।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री पूरणमल सैनी।

राजकीय एस.के.एस. विद्यालय मोल्यावाली (प्रतिभानगर) का क्रमोन्नयन

219. श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार राजकीय एस.के.एस. प्राथमिक विद्यालय मोल्यावाली (प्रतिभानगर) गाडराटा को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री वासुदेव देवनानी): प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर विद्यालय क्रमोन्नति हेतु वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर गुणावगुण के आधार पर प्राथमिकता से विचार किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर एक।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने मेरे सवाल का जो जवाब दिया है, वह अभी सारे सदन ने सुना है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि कुछ देर पहले भी झुन्झुनूं जिले की विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी के लिये शिक्षा के क्षेत्र में ही सवाल था। माननीय अध्यक्ष महोदय, झुन्झुनूं जिला वैसे तो दो भागों में बंटा हुआ है। एक पहाड़ी क्षेत्र और दूसरा पठारी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र में नाले भी आते हैं, पुलियाएं भी आती हैं।

श्री अध्यक्ष: आपके सवाल का जवाब आ गया। आप समझदार विधायक हैं, आपके सवाल का जवाब आ गया। यह जो पूरक प्रश्न कर रहे हो, वह इस सवाल से कतई संबंधित नहीं है।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): यह स्कूल इंटीरियर में है और छात्राओं की संख्या बहुत अधिक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी परिस्थितियों में माननीय मंत्री महोदय ने यह जवाब दे दिया कि प्रस्तावित नहीं है तो मैं प्रस्ताव कर रहा हूं। अगर सरकार की पॉलिसी में नहीं है तो वहां की वस्तुस्थिति को और शिक्षा के क्षेत्र में कमी को देखते हुए मैं प्रस्ताव कर रहा हूं कि इस स्कूल का प्रस्ताव करो या इसको जो भी करने वाले हैं, जहां से

(श्री पूरणमल सैनी)

प्रस्ताव मंगवाना था, वहां से प्रस्ताव मंगवायें और इस स्कूल का क्रमोन्नत करें। क्या मंत्री महोदय, इस बजट सत्र में इसकी घोषणा कर पाएंगे?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस विद्यालय के बारे में इन्होंने पूछा है और जिसका इन्होंने प्रस्ताव पूछा है जिला झुन्झुनूं के अन्तर्गत 507 प्राइमरी स्कूल हैं और 544 अपर प्राइमरी हैं। कुल 1051 स्कूल यहां पर संचालित हैं। आपके विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत खेतड़ी के अंदर 43 तो प्राइमरी स्कूल और 107 अपर प्राइमरी स्कूल, कुल 150 इस समय संचालित हैं। साथ में जिस विद्यालय के लिये आपने पूछा है, आपने कहा कि छात्र संख्या है। वहां पर कक्षा तीन में 4 बच्चे हैं, कक्षा चार के अंदर 7 हैं और कक्षा पांच के अंदर 7 बच्चे हैं। 7 बच्चे जब पांचवीं में होंगे वह स्कूल कैसे अपर प्राइमरी में क्रमोन्नत हो सकता है ? आर.टी.ई. के मापदण्ड हैं, जिसके अन्तर्गत पांचवीं के अंदर 30 बच्चे होंगे तो ही वह स्कूल छठी में क्रमोन्नत किया जा सकता है। चूंकि आपके यहां केवल 7 ही बच्चे हैं इसलिये वह स्कूल क्रमोन्नत नहीं किया जा सकता और इसके साथ आपने जिसका जिक्र किया है, पंचायत समिति मोल्यावाली की जनसंख्या 200 से 250 के बीच है। वहां पर 50 से 60 घर हैं और जिस प्रतिभा नगर राजस्व ग्राम का कहा है उसके अंदर पहले से ही दो यू.पी.एस.और एक पी.एस. पहले से ही संचालित है। आर.टी.ई. के नोर्म्स हैं कि एक किलोमीटर के अंदर एक प्राइमरी स्कूल होगा और वह भी संचालित है। मैं तो सोचता हूं, शायद उस स्कूल में आप बच्चे बढ़ाओ फिर आप प्रस्ताव लाओ तो निश्चित रूप से आपकी हम मदद करेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न श्री जोगारामजी, इसमें आप क्या पूरक प्रश्न करेंगे। पूरणमल जी आप बैठिये।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): शिक्षा मंत्री महोदय, यह पूर्व की सरकारों की खोली हुई स्कूलें हैं, इनके भी पीछे इसी तरह से परिसीमन करने में लगे हैं तो मेरी मांग है कि पहले तो आपके पास सूचना गलत है माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, उस प्रतिभानगर में एक यू.पी.एस. है और वह विभिन्न नालों और पहाड़ों में बंटा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक, आपकी सारी बात आ गयी। अब पूरक प्रश्न के लिये पुकार लिया है जोगाराम जी को।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, कि यह जो आपने 30 बच्चों का काइटेरिया बताया है और जो एक किलोमीटर का बताया है, यह पश्चिमी क्षेत्र जहां मरूस्थलीय जिले हैं, उनमें भी यह लागू होता है क्या?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): वैसे तो यह प्रश्न केवल मोल्यावाली तक सीमित था, फिर भी यह आइ.टी.ई. का जो नियम है, यह पूरे देश भर में लागू होता है। केवल राजस्थान सरकार या पर्टीकूलर जिले के लिये यह नियम नहीं बना है। फिर भी हम गुणावगुण के आधार पर जो आपके बाड़मेर और जैसलमेर जैसे जिले हैं, वहां पर फिर भी हमने रिलक्सेशन देकर कुछ जगह किया है। पिछली सरकार के लिये इन्होंने कहा तो पिछली सरकार ने भी पहले तीन वर्षों में एक भी विद्यालय क्रमोन्नत नहीं किया बल्कि जाते-जाते 1800 स्कूलों को नये खोल गये जिसमें एक भी टीचर की व्यवस्था उन्होंने नहीं की। हमने तय किया व्यवस्था करके ही फिर स्कूल खोलेंगे। पहले अध्यापक आयेंगे तो खोलेंगे। ..(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र सिंह भादू, क्या इसमें आप सवाल करेंगे? नहीं करेंगे ठीक है। श्री पब्बाराम, आप करेंगे? हां, कर लीजिये।

श्री पब्बाराम (फलौदी): जवाब आ गया साहब। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आपका भी ले लूंगा। तीसरा सवाल आपका है। तीसरा प्रश्न आपका ले लूंगा।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी को यह निवेदन करना चाहता हूं कि बाड़मेर और जैसलमेर, दोनों ही मरुस्थलीय क्षेत्र है और स्कूलों की दूरियां भी दस-दस किलोमीटर हैं। फिर भी आपने उसमें कम से कम मेरे जिले के अंदर 15-20 प्राइमरी स्कूल और अपर प्राइमरी दोनों को ही मर्ज कर दिया। क्या आप उनकी गाइड लाइन अलग से, एक विशेष दर्जा देकर करना चाहते हैं? नम्बर दो, निवेदन है कि जो बालिका स्कूल आठवीं तक है और दूसरे गांव यदि उस बच्ची को पढ़ने जाना है तो उसकी दूरी 10 किलोमीटर है, क्या बालिकाओं को बढ़ावा देने के लिये उस स्कूल को क्रमोन्नत करना चाहते हैं या नहीं चाहते?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, आप लम्बा-चौड़ा जवाब मत दीजिये। पाइंटेड जवाब दे दीजिये।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): स्कूल में हमेशा बच्चे जहां होंगे, वहां स्कूल चलेंगे। जहां बच्चे ही शून्य के होंगे, दो होंगे या पाँच होंगे, वहां निश्चित रूप से स्कूल चलाना व्यावहारिक भी नहीं होता। अध्यापक आपने कहा, वहां हमने पर्याप्त दे दिये। अब निश्चित रूप से आपके यहां भेजेंगे, प्रस्ताव आयेगा तो हम गुणावगुण के आधार पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: नहीं आपका जवाब आ गया, विराजिये। अगला सवाल, श्री हमीर सिंह भायल।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, 17 हजार स्कूलें तो बंद कर दीं और कितनी बंद करने की और इच्छा रखते हो, यह तो बता दो ताकि हम संतुष्ट हो जाएं।

बाड़मेर जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा वितरित सामग्री

220. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार के नोटबन्दी के निर्णय के बाद बाड़मेर केन्द्रीय सहकारी बैंक से किसानों को रबी का ऋण नकदी के रूप में नहीं दिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदेश में नवीन ग्राम पंचायतों के अनुसार ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) नोटबन्दी के बाद किसानों को ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा क्या-क्या सामग्री वितरित की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या केन्द्र सरकार द्वारा बजट में किसानों को 2 माह के ब्याज वसूली की छूट दी गई है? यदि हां, तो उक्त योजना के तहत प्रदेश में किस-किस माह के ऋण पर ब्याज की छूट दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अजय सिंह): (1) केन्द्रीय सहकारी बैंक बाड़मेर द्वारा खरीफ का ऋण वितरण उनके बचत खातों के माध्यम से किया गया था। खरीफ ऋण के सदृश रबी का ऋण वितरण भी बचत खातों के माध्यम से किया जा रहा है।

(2) जी हां। ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन हेतु निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने तथा जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाता है।

(3) किसानों को ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा खाद, बीज के साथ-साथ विविध सामग्री वितरित की जा रही है।

(4) जी हां। माह नवम्बर व दिसम्बर 2016 के अल्पावधि फसली ऋण पर ब्याज की छूट दी गयी है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से बाड़मेर जिले के जितने भी मैम्बर हैं, जो पूर्व सरकार द्वारा वंचित रह गये थे, उस हर किसान को जो सहकारी समिति के मैम्बर्स हैं, उनको लोन वितरण करने का विचार रखते हैं?

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार के आने के बाद में हमने अभी तक तीन लाख से अधिक नये किसान सदस्यों को फसली ऋण उपलब्ध करवाये हैं और राजस्थान सबसे अग्रणी राज्य है जोकि नाबार्ड से सबसे अधिक री-फाइनेंस लेता है ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध कराने के लिये। चूंकि नाबार्ड के री-फाइनेंस के ऊपर यह निर्भर करता है कि कितने कृषकों को अब की बार ऋण दे पाएंगे। वर्तमान में नाबार्ड के द्वारा केवल 40 प्रतिशत री-फाइनेंस किया जा रहा था, लेकिन वर्तमान में नाबार्ड 55 प्रतिशत री-फाइनेंस करने पर अभी राज़ी हो गया है और मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि अप्रैल के बाद में विशेष अभियान चलाकर हम प्रयास करेंगे कि पूरे प्रदेश स्तर पर नये किसानों को, जिनको कभी भी यह योजना आने के बाद में फसली ऋण नहीं मिला, उनको दिलाया जाये।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन कर रहा था कि इस बार खरीफ का लोन देने में जो देरी हुई है, उनके लिये आगे तारीख बढ़ाकर समय पर उनको लोन दिया जाएगा क्या ?

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि रबी का ऋण, अगर बाड़मेर में देखें तो हमने 52 हजार 903 किसानों को पिछली बार दिया था और अभी तक हम लगभग 22 हजार किसानों को दे चुके हैं, अभी लोन तेजी से चल रहा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इससे अधिक लोगों को हम ऋण उपलब्ध करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। श्री रामलाल शर्मा।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न निवेदन कर रहा था।

श्री अध्यक्ष: हमीरसिंह जी विराजिये, नहीं। ...(व्यवधान)... श्री रामलाल शर्मा।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): मेरे बाड़मेर जिले की उन्हीं सोसाइटी के जो पुराने नोट थे वो समितियों के पास रह गये हैं, उनके बारे में मंत्री क्या विचार करेंगे?

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। ...(व्यवधान)... विराजिये। आप स्थान ग्रहण कीजिए। श्री रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश के अन्दर कई ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो पांच-पांच, छह-छह ग्राम पंचायतें मिल कर एक ग्राम सेवा सहकारी समिति बनी हुई है, क्या आप पूरे प्रदेश में इन ग्राम सेवा सहकारी समितियों का पुनर्गठन करने का विचार रखते हैं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर यह जी.एस.एस. बनें?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में पूरे प्रदेश में 6487 ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं और सरकार की स्पष्ट मंशा है कि हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों का

(श्री अजय सिंह)

गठन हो लेकिन इसके लिए कुछ मापदण्ड हैं, यदि उनकी पूर्ति कर ली जाती है तो हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समिति खोलना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री मेवाराम जैन। दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि ग्राम सोसाइटियां जो चार-चार, पांच-पांच एक साथ एक सोसाइटी में हैं, हर पंचायत में एक तो अलग सोसाइटी हो ताकि वहां के लोगों को फायदा मिले।

दूसरा, बाड़मेर जिला अकाल ग्रस्त है, पूरे 2400 गांव अकाल ग्रस्त हैं, जो खरीफ में लोन दिया था और के.सी.सी. दी थी, उनको क्या माफ करने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पहला प्रश्न पूछा है, मैंने अभी बता दिया है कि हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर, आपके बाड़मेर में 210 ग्राम पंचायत मुख्यालय ऐसे हैं जहां पर कि ग्राम सेवा सहकारी समितियां नहीं हैं और यदि मापदण्ड पूरे किये जाते हैं तो आपके वहां पर तुरन्त खोल दिये जायेंगे। ...(व्यवधान)... आप मेरी बात सुनिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): तो इसका आप करो न ...(व्यवधान)... मापदण्ड कम करने वाले तो आप ही हो।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि इसके कुछ मापदण्ड हैं। पहले तो आप कम से कम पांच लाख रुपये हिस्सा राशि जमा करायें, कम से कम पांच सौ सदस्य होने चाहिए, एक लाख रुपये आपकी अमानत राशि होनी चाहिए। जिस दिन भी आपका हो जाए, बता दीजिए, तुरन्त खुल जायेगी।

श्री अध्यक्ष: श्री नारायण सिंह देवल। तीसरा पूरक प्रश्न।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, आपने अभी अपने जवाब में यह

(श्री नारायण सिंह देवल)

बताया है कि जिला स्तरीय कमेटी के माध्यम से जो नई ग्राम पंचायत बनी हैं उनमें नई जी.एस.एस. के जो प्रस्ताव आये हैं, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाह रहा हूं कि पूरे राजस्थान भर में जो नई ग्राम पंचायत बनी हैं उनके कोई प्रस्ताव आये हैं? और अगर कोई प्रस्ताव नहीं आये हैं तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपके डिपार्टमेंट के माध्यम से पूरे राजस्थान में यह आदेश दिये जाएं कि जो नई ग्राम पंचायत बनी हैं, उसमें नये जी.एस.एस. का गठन किया जाए।

दूसरा, बाड़मेर जिले में जो बैंकों में पुराने नोट हैं वो बच गये हैं, तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि किसानों के पैसे, जो बच गये हैं तो उनको जमा करने की कोई व्यवस्था कराएं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार के आने के बाद में हमने 295 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया है जिसमें से बाड़मेर में 21 का गठन किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सभी को, जो हमारे उप-रजिस्ट्रार हैं जिलों में उनको यह निर्देशित कर दिया गया है कि यदि वो मापदण्ड को पूरा करते हैं, पांच सौ सदस्य, पांच लाख की हिस्सा राशि, एक लाख की अमानत राशि, तो हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एक-एक ग्राम सेवा सहकारी समिति हम खोलना चाह रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने अभी यह पूछा है, मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि 8 नवम्बर के बाद में डीमोनेटाइजेशन के बाद में, विमुद्रीकरण के बाद में हमारी प्रदेश की कुछ ग्राम सेवा सहकारी समितियां और कुछ सी.सी.बीज. में पुराने पांच सौ के और एक हजार के नोट उनके पास में रह गये थे और उसके बाद में आर.बी.आई. के द्वारा इनके एक्सचेंज पर और जमा कराने पर रोक लगा दी गयी थी। इसके लिए हमने आर.बी.आई. को सूचित कर दिया गया है व्यक्तिगत रूप से भी, लिखित के अन्दर भी और आर.बी.आई. ने हमें यह अवगत कराया कि इसकी नाबार्ड जल्दी से ऑडिट करा लेगा और ऑडिट के बाद में इसका निर्णय आर.बी.आई. को लेना है। लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हम पूरी तरह से सूचित कर

(श्री अजय सिंह)

चुके हैं। इसलिए निश्चित रूप से इस समस्या का आर.बी.आई. के द्वारा हल कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री शंकर सिंह रावत।

ब्यावर शहर व जवाजा क्षेत्र के पालनहार योजना के लम्बित आवेदन

221. श्री शंकर सिंह (ब्यावर):- क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पालनहार योजना के मानदण्ड क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) ब्यावर शहर एवं जवाजा क्षेत्र में पालनहार योजनान्तर्गत वर्ष 2016 में कितने आवेदन प्राप्त हुए? उक्त क्षेत्रों के उक्त योजना के कौन-कौनसे प्रकरण, किन-किन दस्तावेजों की कमी से, कितने-कितने समय से लंबित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि अनेकों प्रकरणों में आवेदकों द्वारा कार्यालय में दस्तावेज जमा कराने के बाद आवेदनों के साथ संलग्न नहीं करने से उक्त योजना का लाभ नहीं मिल पाया है? यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेवार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अरुण चतुर्वेदी): (1) (अ) विभाग द्वारा संचालित पालनहार योजना के मापदण्ड निम्नानुसार है:

योजनान्तर्गत निम्नानुसार श्रेणियो के बच्चों को लाभान्वित किया जाता है।

1. अनाथ बालक/बालिका।
2. न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के सभी बच्चे।
3. निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के तीन बच्चे।
4. पुनर्विवाहित विधवा माता के सभी बच्चे।
5. एड्स पीड़ित माता/पिता के सभी बच्चे।
6. कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता के सभी बच्चे।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

7. नाता जाने वाली माता के तीन बच्चे।

8. विशेष योग्यजन माता-पिता के सभी बच्चे।

9. तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के सभी बच्चे।

(ब) पालनहार को स्वीकृत अनुदान राशि व अनुदान की शर्ते निम्नाकित है:-

1. 0-6 से वर्ष तक की आयु के बच्चे हेतु 500 रुपये प्रतिमाह (आंगनबाड़ी जाना अनिवार्य)
2. 06-18 वर्ष तक की आयु के बच्चे हेतु 1000 रुपये प्रतिमाह (विद्यालय जाना अनिवार्य)
3. वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि हेतु 2000 रुपये वार्षिक अतिरिक्त एकमुश्त देय (विधवा पालनहार व नाता पालनहार में देय नही)
4. पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से अधिक नही होनी चाहिये।
5. बच्चे की अधिकतम आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिये।
6. आवेदन की तिथि से कम कम से 3 वर्ष की अवधि से राजस्थान में रह रहे हो।

(स) आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया:

नजदीकी ई मित्र कियोस्क पर आनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने का प्रावधान है। स्वीकृति का कार्य जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाता है। नियमो की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर सलंग्न है।

(2). ब्यावर शहर एवं जवाजा क्षेत्र में पालनहार योजनान्तर्गत वर्ष 2016 में प्राप्त आवेदनों एवं लम्बित आवेदनों का संख्या विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन	लम्बित आवेदन
2016	290	99	191

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

लम्बित आवेदन पत्रों के लम्बित रहने के कारण सहित विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। प्रार्थी द्वारा दस्तावेजों को जमा कराने के बाद सभी दस्तावेजों को आवेदन पत्रों के साथ सलंग्न कर दिया गया है। किसी भी प्रकरण में प्राप्त दस्तावेज आवेदन के साथ सलंग्न किया जाना शेष नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न एक।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे माननीय मंत्री महोदय ने पूरे विस्तार से बहुत अच्छा जवाब दिया है, जवाब में सब आ गया है।

श्री अध्यक्ष: क्या रह गया?

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): दूसरा, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार वहां अधिकारी मौके पर नहीं रहने से इसका प्रचार-प्रसार थोड़ा कम होता है, मेरा आग्रह है कि उसका थोड़ा प्रचार-प्रसार करवा दिया जाए। जिस प्रकार वहां पर क्षेत्र में अधिकारियों का नहीं के बराबर भ्रमण रहता है उस वजह से अभी 2016 वाले भी 191 प्रकरण शेष बचे हुए हैं और अभी 2017 में और आ गये हैं, तो मेरा निवेदन है कि अधिकारियों को थोड़ा सतर्क रख कर के और वो क्षेत्र में प्रचार-प्रसार भी करें, अच्छे लोगों को लाभ मिले। आपकी बहुत अच्छी योजना है। इसका आप थोड़ा सा खुलासा करें अधिकारियों को पाबंद करने के लिए।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2005 में इस योजना को शुरू किया था और सबसे पहले जब शुरू किया तो 2005 की फरवरी में केवल अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों के लिए प्रावधान था और अगस्त में इसको हमने सभी समाजों के अनाथ बच्चों के लिए किया और समय-समय पर इसकी कैटेगरी में और पात्र लोगों की सूची में लगातार बढ़ोतरी करती रहे।

इसमें अभी भी जो हमने 191 की पैडेंसी बतायी है, आज जिस समय मैं कह रहा हूं उस समय 55, और इसमें 48 और क्लीयर हो गये और केवल

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

135 की बची है और पिछली बार की जो सूची थी उसमें से केवल 8 बचे हुए हैं। 2016 तक के सब पूरे क्लीयर हो गये और 8 भी वो हैं जिनकी कोई आपत्तियां थीं और आपत्तियों को उनको सूचित किया गया है।

इसके बाद हमने इस बार का पोर्टल, उस पोर्टल को आधार कार्ड से जोड़ दिया है। एक दिक्कत इसमें आती थी, जून, 2015 में पहले यह मैन्युअल था और पूरा का पूरा हर व्यक्ति मैन्युअल ही एप्लिकेशन लगती थी और मैन्युअल ही उसके पैसे का भुगतान होता था। 2015 में, पहले बाल अधिकारिता के पास था, सामाजिक न्याय में इसको लिया और लेने के बाद इसको पूरे दिसम्बर तक जितना भी डाटा था उसको सब को हमने कलेक्शन कर के सिस्टम के ऊपर ले लिया। दिसम्बर, 2015 से इस पूरी चीज को लेकर के 2016 से हमने इसको ऑन लाइन किया, एप्लिकेशन ऑन लाइन ले रहे हैं और लेकर के पूरा, इनका सब का डिस्पोजल भी कर रहे हैं। अभी एक दिक्कत इसमें आती थी कि जो स्कूल ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आपका जवाब पूरी तरह से आ गया। प्रश्नकाल समाप्त।

(12.00 बजे)

अनुपस्थिति अनुमति

धनसिंह रावत, श्री, सदस्य को दिनांक 9 से 17 मार्च, 2017 तक

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री धनसिंह रावत, सदस्य, विधान सभा ने बांसवाड़ा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में व्यस्त रहने के कारण दिनांक 9 मार्च, 2017 से 17 मार्च, 2017 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई।

पुष्पेन्द्र सिंह, श्री, मंत्री, को दिनांक 9 से 19 मार्च, 2017 तक

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा ने अपने रिश्तेदार का निधन हो जाने के कारण दिनांक 9 मार्च, 2017 से 19

(श्री अध्यक्ष)

मार्च, 2017 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से जिला बाड़मेर में जिला मुख्यालय पर स्थित शिवकर कुडला लिग्नाइट प्रोजेक्ट के तहत सरकार द्वारा अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा किसानों को नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
2. श्री पूरणमल सैनी, सदस्य की ओर से चिकित्सा शिक्षा विभाग में नियम विरूद्ध पदोन्नतियां किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
3. श्री भंवरसिंह, सदस्य की ओर से बूंद-बूंद सिंचाई श्रेणी के कृषि कनेक्शनों की बढ़ाई हुई विद्युत दरें सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शनों के समतुल्य करने के संबंध में।
4. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से दिनांक 20.01.2017 को पुलिस थाना क्षेत्र चौहटन, जिला बाड़मेर में दलित दो नाबालिग बच्चियों के साथ गैंग रेप के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

5. श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से गौशालाओं की स्थिति सुधारने एवं गौशालाओं से संबंधित नियम सरल करने के संबंध में।
6. श्री दर्शन सिंह, सदस्य की ओर से नगर पालिका वैर व भुसावर में ट्रकों से अवैध वसूली किए जाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

7. श्री रमेश, सदस्य की ओर से डेयरी विभाग में निरंतर चल रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

8. डॉ. किरोड़ी लाल, सदस्य की ओर से जिला टोंक के 6 गांवों में बिजली के कनेक्शन काटने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए। अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्रीमती शकुन्तला रावत, श्री दर्शन सिंह, श्री रमेश एवं डॉ. किरोड़ी लाल को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

मेरा खयाल है कि आप सबने कल जो एक विज्ञप्ति निकाली है हमारे सचिवालय ने, उस पर ध्यान दिया होगा, कि, नियमों में 295 के अंतर्गत 250 से ज्यादा शब्द नहीं लिखे जाने चाहिंए। वही हमने आज भी अपनाया है। जिनमें ज्यादा हैं, उनको निरस्त कर दिया गया है।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अध्यक्ष महोदय, लोक सभा में 500 शब्द हैं, अगर 500 कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। आप दिखवा लेना।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह अपने नियमों में है। कोई विज्ञप्ति से नहीं है। वह तो रिमाइंड किया गया है, कल जो विज्ञप्ति निकाली गई है उससे। बाकी अपने नियमों में है। उन नियमों में संशोधन की स्थिति आप जानते हैं कि कैसे हो सकती है। तो कर दिया जाएगा। हमको क्या एतराज है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, आप नियम बदल दो।

श्री अध्यक्ष: आज आपकी जगह मैंने किराड़ी लाल जी को लिया है। साथ जो लेता हूं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): आज आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है।

श्री अध्यक्ष: आपके कृपा नहीं करने का सवाल ही नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, यह कहते हैं कि नियम बदल दो। मैं कह रहा हूं कि अध्यक्ष महोदय खुद बदल सकते हैं, पर नियम नहीं बदलेंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजें।

नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री अजीत सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र टोंक के आसपास स्थित वन क्षेत्र के पहाड़ों में हो रहे अवैध खनन को रोकने के संबंध में।
2. श्री मनोहर सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लाडनूं के पास निम्बीजोदा में पुलिस थाना खोलने के संबंध में।
3. श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के सांचौर रेलवे फाटक एलसी 114 पर आर.ओ.बी. स्वीकृत किए जाने के संबंध में।
4. श्री अर्जुनलाल जीनगर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कपासन में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुए बांधों, तालाबों, नहरों, एनिकट आदि की मरम्मत व सुदृढ़ीकरण करने के संबंध में।
5. श्री हरिसिंह रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भीम की ग्राम पंचायत बग्गड़ में घोषित औद्योगिक क्षेत्र को वन विभाग से एन.ओ.सी. दिलाने व कार्य प्रारंभ कराये जाने के संबंध में।
6. श्री अर्जुनलाल, सदस्य की ओर से 'अन्नपूर्णा रसोई योजना' को प्रदेश के विभिन्न तीर्थस्थलों पर भी लागू करने के संबंध में।
7. श्री फूलसिंह मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में यू.आई.टी. पेरिफेरी क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में।
8. श्री नरेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से प्रदेश में लैब टेक्निशियन एवं प्रयोगशाला सहायकों के पदों में बढ़ोतरी कर शीघ्र ही भर्ती विज्ञप्ति जारी करने के संबंध में।
9. श्री गिर्राज सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में पंजीकृत थोक विक्रेताओं को भूखण्ड आवंटित किए जाने के संबंध में।
10. श्री कैलाश भंसाली, सदस्य की ओर से जोधपुर के मथुरादास

(श्री अध्यक्ष)

माथुर अस्पताल के बाहर बिना परमिट खड़ी एम्बुलैंसों को सीज करने के संबंध में।

11. श्रीमती अंजु देवी धानका, सदस्य की ओर से ग्राम जटवाड़ा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर में मिलीभगत कर नाले की भूमि पर होटल निर्माण किए जाने के संबंध में।

12. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला, सदस्य की ओर से झुंझुनूं जिले को राजधानी जयपुर से जोड़ने वाले स्टेट हाईवे 8 की मरम्मत कराने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता था कि आज से ही 4-5 दिन की छुट्टियां आ रही हैं और सारे माननीय सदस्य शाम को जल्दी जाना चाहेंगे। बोलने वालों के नामों की भी हमारे पास लंबी लिस्ट है। मेरा निवेदन है कि ये 295 के पढ़े हुए मान लिये जाएं।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन की राय है कि 295 को पढ़ा हुआ मान लिया जाए?

(स्वीकृत)

प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाओं को पढ़ा हुआ मान लिया गया।

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट देखें।)

पर्ची

आज दिनांक 10 मार्च, 2017 को शून्यकाल में बोलने हेतु 39 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नांकित हैं:-

क्र. सं.	नाम माननीय विधायक	विषय
1.	श्री नाना लाल अहारी	रैफरल चिकित्सालय ऋषभदेव एवं खैरवाड़ा स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत कर 30 से 50 बैड करने की आवश्यकता के संबंध में।
2.	श्री संदीप शर्मा	कोटा नगर निगम में सफाई व्यवस्था हेतु कर्मचारियों की भर्ती किये जाने के संबंध में।
3.	श्री हमीर सिंह भायल	सिवाना क्षेत्र की सड़कों की खराब स्थिति के संबंध में।
4.	डॉ. फूलचन्द भिण्डा	सरस डेयरी अलवर में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में।

श्रीमती शकुन्तला रावत। अपने स्थगन प्रस्ताव पर 2 या 3 मिनट अपने विचार रखिए।

सूचना

करवर (बूंदी) में अग्निकांड में 4 व्यक्तियों की मृत्यु

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): अध्यक्ष महोदय, एक पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन है। मेरे बूंदी जिले में करवर कस्बे में कल एक बड़ी दर्दनाक घटना हुई। एक मकान में आग लगने से 4 लोगों की, कोमल जैन, 50 वर्ष, उसकी पत्नी लाड़ बाई, 48 वर्ष, उसका लड़का कपिल, 28 वर्ष और लड़की चिंकी, 24 वर्ष, इनकी दर्दनाक मृत्यु हो गई।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। आपने सूचना दे दी।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): आपदा राहत मंत्री से निवेदन है कि कलक्टर को मौके पर भेजकर जो भी राहत हो, उसकी घोषणा कराई जाए।

श्री अध्यक्ष: सूचना हो गई। विराजें। आप सूचना पर रेस्पोंड करेंगे? एक नई परंपरा है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, रात को यह सूचना प्राप्त हो गई है। यह वास्तव में पटाखों के एक जगह रखे होने और शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। उससे उस परिवार के चारों लोगों की डैथ हो गई। आपदा विभाग नियमों के तहत जो भी इसमें सहायता राशि है, वह तुरंत पहुंचाने का काम करेगा। पुलिस से भी कहूंगा कि इस बात की भी जांच करें कि घर के अंदर यह पटाखे किस तरह से और क्यों रखे गए? किसके आदेश से पटाखे घर के अंदर रखे गए?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, एक पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन मेरा भी है।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): मेरे विधान सभा क्षेत्र में रात को भारी ओलावृष्टि होने के कारण नुकसान हुआ है। अध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन है।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत। श्रीमती शकुन्तला रावत को पुकारा है मैंने। आप बैठिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा भी ले लीजिए। ओलावृष्टि हो गई। किसान का भारी नुकसान हुआ है।

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): इनके बाद बोल लूंगा। एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण करें। श्रीमती शकुन्तला रावत बोल रही हैं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

गौशाला संचालन सम्बन्धी नियमों का सरलीकरण

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, नियम 50 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। अध्यक्ष महोदय, गौशालाओं के हालात बहुत बुरे हो रहे हैं। बानसूर में अधिकतर पंचायतों में गौशालाएं हैं। सरकार द्वारा कई तरह की घोषणाएं गौ वंश के लिए बजट में की जाती हैं। लेकिन गौ माता के लिए इतना फंड नहीं दिया जाता। गाएं भूखी मर रही हैं। गांव वाले भी इतना खर्चा

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

नहीं उठा पाते हैं। यह शोचनीय विषय है कि गौ माता का क्या हाल हो रहा है। गौशालाओं के नियम हैं, उनमें शिथिलता बरती जाए, जो गौशालाएं जन सहयोग से बना ली गई हैं और उनका खर्चा भी सारा जन सहयोग से ही चल रहा है।

तो कम से कम सरकार नियम बनाए कि तहसील हैडक्वार्टर पर ही उनका रजिस्ट्रीकरण हो, रजिस्टर हो और उनकी जो किस्म भूमि की बदली जाती है, गोचर भूमि है, तो वह गौशालाओं के नाम कर दी जाए, तो गाएं इधर-उधर घूम कर किसानों की फसल को नष्ट नहीं करेंगी। जितनी गौशालाएं बना दी गई हैं उनके अंदर सीधा रजिस्ट्रीकरण करके उनमें फंड दिया जाना चाहिए, यह मेरी मांग है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बानसूर में जो बड़ी-बड़ी गौशालाएं हैं जैसे ऊंचपुर, गुताशाहपुर, रामपुर, बानसूर, नीमूचाना, हरसोरा, मुंडावरा, गढ़ी, चानपुरी है, तो इस तरह की जो यह बड़ी गौशालाएं हैं जिनमें हजार से डेढ़ हजार तक की गायों की संख्या है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके द्वारा निवेदन है कि इन गौशालाओं को जिनकी रजिस्ट्रीकरण नहीं हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और जो बनी हुई हैं उनको गौशाला का जो फंड है वह मिलना चाहिए। यह मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री ओटाराम (राज्य मंत्री, गौपालन): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने गौशालाओं की स्थिति सुधारने और गौशालाओं से सम्बन्धित नियम सरल करने के सम्बन्ध में विषय उठाया है। गौवंश के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु पृथक से गोपालन विभाग का गठन मार्च, 2014 में किया गया। ...(व्यवधान)... राजस्थान देश का पहला राज्य है, जहां देशी गौवंश के संवर्द्धन एवं संरक्षण हेतु पृथक से गोपालन विभाग बनाया गया है। गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु गौशाला प्रबंधकों को प्रशिक्षण के माध्यम से नवाचार की जानकारी उपलब्ध करवाना, गोपालन विभाग द्वारा गौ तथा गौवंश से प्राप्त उत्पादनों से सम्बन्धित गतिविधियां, नवाचार, विज्ञापन, विपणन, उत्पादनों का प्रशिक्षण, वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु चार दिवसीय आवासीय नि:शुल्क गौशाला संचालकों, गौपालकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जिसमें विषय विशेषज्ञों के माध्यम से तकनीकी जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया जाकर गौशालाओं को गौ उत्पादकों के माध्यम से आत्म निर्भर बनाने की दिशा में

(श्री ओटाराम)

प्रयास किया जाता है। इनके एक आमुखीकरण कार्यक्रम में आदर्श गौ शालाओं में भ्रमण भी कराया जाता है।

गौशाला में गौ तथा गौवंश से प्राप्त उत्पादन में मुख्यत: दूध एवं दूध उत्पादन, गौ मूत्र अर्क, वर्मी कम्पोस्ट, कम्पोस्ट खाद, आदि के साथ-साथ बायोगैस, धूप बत्ती निर्माण करना, गमला निर्माण करना, पंच गव्य औषधि व चारा उत्पादन, अजोलो, हाथीघास आदि के सम्बन्ध में जानकारी दी जाती है।

वर्ष 2015-16 में 1173 प्रबंधकों को प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 2016-17 में 798 गौशाला प्रबंधकों और गौपालकों को प्रशिक्षण दिया गया। वित्तीय वर्ष 2015-16 में....

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): भागवत पुराण है क्या यह?

श्री ओटाराम (राज्य मंत्री, गौपालन): सुनिए, सुनिए। ...(व्यवधान)...सुनिए पहले।

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): आप पहले इनके प्रश्न का जवाब दीजिए।

श्री ओटाराम (राज्य मंत्री, गौपालन): प्रश्न का ही जवाब दे रहा हूं।

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): यह प्रश्न का जवाब नहीं है, लिखा-लिखा पढ़ रहे हैं आप। आपके डिपार्टमेंट ने लिख दिया कि गायों का यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं। आपने किया क्या, वह बताओ।

श्री ओटाराम (राज्य मंत्री, गौपालन): वही कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: गौशाला के बारे में सुन लीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): यह क्या पढ़ रहे हैं?

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): रजिस्ट्रेशन करवाने की प्रक्रिया सरल करा दें। तहसील हैडक्वार्टर पर रजिस्ट्रेशन हो जाए। ...(व्यवधान)...

श्री ओटाराम (राज्य मंत्री, गौपालन): रजिस्ट्रेशन का ही बता रहा हूं आपको कि रजिस्ट्रेशन किस तरह से होता है। ...(व्यवधान)... मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरह से वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 में...

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्राइवेट गौशालाओं में 55 लाख रुपए सहायता दानदाताओं से दिलाई हैं, रजिस्टर्ड है। आप क्या कर रहे हैं वह बता दें।

श्री ओटाराम (राज्य मंत्री, गौपालन): वही तो सुनना है आपको। पहले तो सुनने की क्षमता तो रखो।

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): हम यहां पर भागवत नहीं सुनेंगे आपसे।

श्री ओटाराम (राज्य मंत्री, गौपालन): भागवत तो सुनते-सुनते बड़े ही हुए हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ये भोपा साहब हैं, पहले बांका-टेढ़ा करते हैं, फिर सीधा करते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री ओटाराम (राज्य मंत्री, गौपालन): वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट में की गई घोषणा के अनुसार राजस्थान स्टाम्प ड्यूटी अधिनियम में धारा 3(ख) अंतस्थापित कर 10 परसेंट जो स्टाम्प ड्यूटी लगाई उससे हमें जो पैसे प्राप्त हुए उसके आधार पर हमने जनवरी, फरवरी और मार्च का अनुदान देने की जिस तरह से हम कार्यवाही कर रहे हैं, अभी हमने जनवरी, फरवरी और मार्च, तीन महीने का अनुदान देने की व्यवस्था की है। जिस तरह से हमने 90 दिन का अनुदान देने की व्यवस्था की है उसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा रहे हैं।

जिस तरह से अपन सबको पता है कि हमने इसमें एक नीति बनाई कि जिस गौशाला में 200 गायें हैं उसको ही हम गौशाला मानेंगे और दूसरा 2014 से पहले का जो रजिस्ट्रेशन है उसको ही हम अनुदान देंगे। यह इस तरह से करके हमारे पास 5 लाख 60 हजार जो गौवंश है, जो गौशालाओं में है उसको हम अनुदान देने की तैयारी कर रहे हैं और उन गौशालाओं में अनुदान दे भी दिया गया है। इस तरह से करके हमने अभी 71 करोड़ 24 लाख रुपए इन गौशालाओं को अनुदान के रूप में दे भी दिए हैं। ...(व्यवधान)...

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): पढ़ा हुआ मान लिया।

श्री ओटाराम (राज्य मंत्री, गौपालन): मान लिया? ...(व्यवधान)...

हमारी एक मंशा है, गौशालाओं के बारे में आप सबने कहा है कि नियम में संशोधन करो। बहुत अच्छी बात बताई। मैंने जो नियम बनाये हैं, वे यही बनाए हैं कि जहां आज की तारीख में 5 गायें हैं वह भी कहता है कि गौशाला है। इस तरह से करके 2148 गौशालाएं थीं, उनमें से जो 200 गायों वाली गौशालाएं हैं वह करीब हमारे पास में 1148 आई हैं। उस तरह से करके हम आगे की भी योजना बना रहे हैं ताकि हमारे पास जो फंड उपलब्ध होगा उसके

(श्री ओटाराम)

आधार पर हम आगे भी गायों के लिए व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। जय हिन्द।

(12.16 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: श्री दर्शन सिंहजी।

वैर व भुसावर नगर पालिकाओं में ट्रकों से अवैध वसूली

श्री दर्शन सिंह (करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 50 के तहत निवेदन करना चाहूंगा कि नगरपालिका वैर, भुसावर, जिला भरतपुर द्वारा सभी प्रकार के ग्रिट, पत्थर, ईंट, मोरम इत्यादि के भरे हुए ट्रक, ट्रैक्टर इत्यादि से पथकर के रूप में ठेकेदार द्वारा पथकर वसूला जाता है जिसका ठेका कार्यालय नगर पालिका, वैर एवं भुसावर द्वारा ठेकेदार को निम्नलिखित दरों पर दिया हुआ है। वर्ष 2016-17 प्रति ट्रक चक्कर 130 रुपए प्रति ट्रक एवं 50 रुपए ट्रैक्टर का ठेका निर्धारित किया हुआ है परन्तु ठेकेदार द्वारा अपनी मनमानी कर 400 रुपए प्रति ट्रक प्रति चक्कर एवं 100 रुपया प्रति ट्रोली ट्रैक्टर वसूला जा रहा है। क्रम संख्या 81 दिनांक 22 नवम्बर, 2016 पुस्तक संख्या 22, रसीद संख्या 93, राशि 400 रुपया, रसीद संख्या 85 दिनांक 20 नवम्बर, 2016, रसीद संख्या 42 पुस्तक संख्या 24, दिनांक 16 नवम्बर, 2016, वाहन संख्या एचआर 8839 से ठेकेदार द्वारा अवैध रूप से वसूली की जा रही है जिससे नगरपालिका आयुक्त, वैर व भुसावर के ठेकेदारों से मिले हुए हैं। ट्रक, ट्रैक्टर मालिकों से अवैध वसूला जा रहा है।

अत: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार की जा रही करोड़ों रुपयों की अवैध वसूली के घोटाले का पर्दाफाश व दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अवैध पथकर वसूली पर रोक लगाने के आदेश फरमाने की सरकार कृपा करें। धन्यवाद।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सच है कि वैर और भुसावर में जो पैसे वसूल करने की रेट लगी हुई है उससे अधिक पैसे वसूल करते हुए, जांच के दौरान भुसावर गेट नाका संवेदक के कर्मचारियों

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

द्वारा ट्रकों से अवैध वसूली करते पाये गये। नगरपालिका द्वारा कार्यादेश अनुसार ट्रेक्टर ट्रोली प्रति चक्कर 50 रुपया, ट्रक प्रति चक्कर 130 रुपया वसूल करने के आदेश दिये गये थे जबकि संवेदक जांच के दौरान 300 रुपये वसूल करते हुआ पाया गया। उसके खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज किया है मुकदमा नं. 9/17 और उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू की है।

इसी तरह वैर नगरपालिका क्षेत्र में ट्रकों से अवैध वसूली के संबंध में अन्य किसी विभाग से अवैध वसूली नहीं की जाती। इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं है। इसमें उक्त प्रकरण सुमेर सिंह, सीईओ, नगरपालिका, वैर द्वारा संवेदक कर्मचारी श्री पूरणसिंह धाकड़, निवासी वार्ड नं. 14 वैर विरुद्ध भी एक मुकदमा दर्ज किया है जो हमारी जानकारी में आया। उसके अनुसार जांच की गयी और जांच में ये दोषी पाये गये और इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके आगे कार्यवाही पुलिस कर रही है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रमेश।

डेयरी विभाग में जारी अनियमितताएं

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरस डेयरी में 2 हजार से अधिक समितियां हैं और वे दूध सप्लाई करती हैं। प्रतिदिन 8.5 लाख लीटर दूध सप्लाई किया जाता है। डेयरी का व्यवसाय सालाना 1800 करोड़ रुपये है। सरस डेयरी में दूध में मिलावट नहीं हो, इसके लिए डेयरी प्रबंधन के द्वारा मशीनरी खरीदी गयी है, कार्मिक लगाये गये हैं। उसके बावजूद भी दूध में डिटर्जेंट, तेल, मालटोस, यूरिया, विभिन्न प्रकार के पदार्थ मिलाये जाते हैं। हमारे आसपास के लोग इस जहर को पी रहे हैं। प्रबंधन द्वारा किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की जाती है, न कोई कार्यवाही की जाती है। यदि कोई दूध मिलावटी पकड़ा गया है तो उसे नष्ट कर देते हैं। छोटी-मोटी कार्यवाही करके पैनल्टी लगाकर, एक तरह से कह सकते हैं कि प्रबंधन द्वारा खुली छूट दी जा रही है। डेयरी में एक विजिलेंस टीम भी बनी हुई है जिसका काम है दूध में मिलावट नहीं हो। लेकिन इस सरस डेयरी में जो विजिलेंस टीम का मुखिया है वही दूध में यूरिया मिलाता हुआ पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद वह कहता है, उच्च स्तर के अधिकारी या प्रबंधन कमेटी का चेयरमैन है, उसके इशारे पर

(श्री रमेश)

काम कर रहा हूं। बाद में वह उस बयान को भी बदल देता है। किसके कहने पर बयान बदला जाता है, किसके कहने पर दूध में यूरिया मिलाया जाता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नोटबंदी के दौरान घी बेचा गया फर्जी आईडी के माध्यम से। व्यापारियों, स्टॉकिस्टों ने भारी मात्रा में घी खरीदा। कुछ दिन बाद डेयरी ने घी की कीमत बढ़ा दी। दूध के मैनेजमेंट के द्वारा व्यापारियों व स्टॉकिस्टों को भारी मुनाफा दिया गया है। नोटबंदी के दौरान 16, 17, 20, 27, 28, 29 नवम्बर, 2016 को सरस पार्लर में जितनी सेल हुई उससे अधिक कीमत की सेल बतायी गयी। 26 लाख 44 हजार के जो 1000 व 500 के पुराने नोट थे वे बैंक के खाते में जमा कराये गये। एक तरह से कालेधन को सफेद किया गया। किसके कहने पर किया गया? यह कालाधन किसका था, उसकी कोई जांच नहीं हुई, कोई कार्यवाही नहीं हुई। जो सहायक लेखाधिकारी था उसको पहले 25 दिसम्बर को हटा दिया गया। अभी थोड़े दिन बाद उसको सरस का प्रभारी बना दिया गया है।

सरस डेयरी में अभी मार्केट में जो दूध बिक रहा है वह मई महीने का पाउडर बिक रहा है, लेकिन जिस व्यापारी के पास एसीबी ने 48 कट्टे पकड़े गये वे नवम्बर महीने के पकड़े गये। जब स्टॉक में देखा तो वहां 45 कट्टे दूध की डेयरी में पाये गये। मात्र 3 बोरी कम पायी गयी। इससे एक संदेह पैदा होता है कि सरस दूध डेयरी में किस प्रकार का मैनेजमेंट है, किस प्रकार की व्यवस्था है, ठेकेदारों के माध्यम से या व्यापारियों के माध्यम से, 45 बोरी भी मिल जाती है, जो व्यापारी के पास बरामद की गयी। ये कहां से आयी, यह जांच का विषय है।

खाली केन को भरा केन बताकर दूध का पेमेंट कर दिया जाता है। दूध के टैंकरों में दूध निकालकर पानी भर दिया जाता है। इस प्रकार की काफी शिकायतें आयी हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं आपसे कहना चाहूंगा, इसका उदाहरण भी मैं आपको बता दूं खाली केन का। जयपुर दूध डेयरी प्रशासन ने रामल्यावाला, 1516 दुग्ध समिति द्वारा डेयरी कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर खाली कैन जमा कराकर भरे कैन का भुगतान करा लिया। बाद में यह प्रकरण पकड़ा गया, लेकिन न तो कर्मचारियों पर कोई कार्यवाही हुई, न उस समिति पर कार्यवाही हुई।

(श्री रमेश)

जिस प्रकार आये दिन घी को एक स्कीम के द्वारा, क्रीम को एक स्कीम के द्वारा बेच दिया जाता है उसको इकट्ठा कर लिया जाता है, बाद में दूध, क्रीम व घी के दाम बढ़ा दिये जाते हैं। यह मिलीभगत किसके द्वारा हो रही है, किसके इशारा हो रही है?

जिसकी सालाना आय 1800 करोड़ रुपये है। दूध की डेयरी में बड़ा भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन सरकार न तो कोई जांच कर रही है, सरकार की कहीं कोई मॉनिटरिंग नहीं है। इस तरह के कार्यक्रम वहां के मैनेजमेंट के द्वारा किये जा रहे हैं। चाहे वहां का जीएम हो, चाहे वहां का चेयरमैन है। जो दूध हमें शुद्ध मिलना चाहिए, खाद्य पदार्थ शुद्ध मिलना चाहिए, सरकार दावा करती है, लेकिन हमें नहीं मिल पा रहा है। दूध की समितियों में जब विजिलेंस टीम का लीडर यूरिया मिला रहा हो तो कैसे हम सोच सकते हैं? जिस प्रकार दूध की डेयरियों में मिलावट का प्रकरण चल रहा है और सरकार इस मिलावट को रोकने में नाकाम है।

मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से सरकार से कि सरस डेयरी में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है। समितियों में किसी समिति को बंद कराना है तो चेयरमैन के द्वारा दूध में यूरिया मिलाना। इस तरह की कंप्लेंट लोग हमारे पास कर रहे हैं कि हमारी समिति को निरस्त कराना है, चेयरमैन मनमर्जी से जिस समिति को बहाल कर देता है। इस तरह के भ्रष्टाचार खुले में हो रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब आप विराज जाओ।

श्री रमेश (सपोटरा): मेरा आपके माध्यम से सरकार से कहना है कि यह गंभीर मुद्दा है। आम आदमी के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जयपुर शहर व आसपास के लोगों से जुड़ा हुआ है। इसका प्रोडक्ट बाहर विदेश में भी जाता है। इसलिए इस पर गंभीर चर्चा हो और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हो, यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आये दिन जो जयपुर डेयरी की शिकायतें आ रही है निश्चित रूप से सरकार की इस मामले में प्रतिष्ठा भी खराब होने की आशंका है। मैं भी निवेदन करता हूं वास्तव में लगातार आये दिन जिस प्रकार से समाचार-पत्रों में छप रहा है इसकी एक बार जांच के निर्देश माननीय मंत्री महोदय कर दें और जिस तरह

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

पारदर्शी तरीके से जांच करा दी जाय, तो यह सरकार के लिए भी और आमजन के लिए थोड़ा उचित रहेगा। यह मेरी प्रार्थना है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने डेयरी के बारे में जो विषय उठाये हैं, सरकार ने समय-समय पर जो अनियमितताएं पायी हैं हमने उनके विरुद्ध एसीबी में केस दर्ज किये हैं, उनकी जांच चल रही है। मेरे पास 2012 से लेकर अब तक सब लोगों की सूची है। उसमें आपके लोग और मंत्री लोग भी हैं। आज की तारीख में जो पूनिया जी, चेयरमैन हैं उनके खिलाफ भी है। आप चाहो तो मैं (व्यवधान) किसी को बचाने का प्रयत्न नहीं किया। जैसे ही ध्यान में आया कि कहीं दोष हुआ है, कहीं गलती हुई है, कोई अनियमितता हुई है तो एसीबी ने उसके खिलाफ केस दर्ज किये हैं।

मैं आपको बताऊं श्रीलाल गुंजल, अध्यक्ष, सहकारी समिति बूंदी डेयरी, इसके खिलाफ केस दर्ज हुआ 10/15। 184/15 हंसराज, प्रबंधक, पशु आहार नियंत्रण, इसके खिलाफ दर्ज हुआ। परिवाद संख्या 313/15 श्री महिपाल जाट, सचिव और अन्य दुग्ध उत्पादक संघ, इनके खिलाफ हुआ। परिवाद संख्या 322/15, लेखाधिकारी कोटा के खिलाफ दर्ज हुआ। 179/16 विरुद्ध अधिकारी, सहकारी संघ, बीकानेर के खिलाफ दर्ज हुआ। परिवाद संख्या 202/16 श्री शरद चौधरी, प्रबंध निदेशक, अलवर के खिलाफ केस दर्ज हुआ। परिवाद संख्या 313/16, विरुद्ध श्री गिर्राज शर्मा, सचिव, गंगा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, संचालक, डेयरी, जयपुर के खिलाफ हुआ। परिवाद संख्या 315/16, मन्नालाल मीणा, अध्यक्ष और शरद चौधरी के खिलाफ दर्ज हुआ। परिवाद संख्या 328/16, विरुद्ध श्री ओमप्रकाश (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): मैं जयपुर की बात कर रहा हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय। आपने कहा कि जिसके खिलाफ कार्यवाही हुई है....

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, या तो आप पहले यह समझ लें कि जब स्थगन पर आपको आसन से इजाजत मिल जाती है, तो मंत्रीजी की संपूर्ण प्रतिक्रिया आ जाने दीजिए। उसके बाद अगर कोई संशय रह जाये तो आप आसन से अनुरोध कर सकते हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय सदस्य, ये जो मैं प्रकरण 328/16 जो पढ़ रहा हूं यह ओमप्रकाश पूनियां, चेयरमैन, जयपुर डेयरी, जयपुर दिनांक 16.1.2014 को एक मल्टी जनरल स्टोर से जयपुर डेयरी का 45 रुपये प्रति पीस वाला पनीर मात्र 33 रुपये में देने के आरोप हैं जिसकी जांच ए.सी.बी. चौकी, जयपुर ग्रामीण के द्वारा हो रही है। परिवाद संख्या 329 विरुद्ध श्री रामसिंह कर्मचारी और अन्य, जयपुर डेयरी, इनके खिलाफ भी जयपुर शहर तृतीय चौकी में जांच चल रही है। परिवाद संख्या 362/16, एल.के. जैन, प्रबन्ध संचालक, श्री अरविंद कुमार गर्ग डिप्टी मैनेजर व अन्य, भीलवाड़ा डेयरी, उसके खिलाफ जांच हो रही है। परिवाद संख्या 409 विरुद्ध शरद चौधरी, एम.डी., इसके खिलाफ भ्रष्टाचार में अलवर में जांच हो रही है। परिवाद संख्या 7/17 विरुद्ध श्री अजयवीर सिंह, पूर्व संस्थागत विकास अधिकारी, को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन, सुरेश चौधरी, इनके खिलाफ हो रही है। परिवाद संख्या 12/17, यह जो है न यह एम.डी. और चेयरमैन, जयपुर डेयरी के खिलाफ कार्यवाही हो रही है।

तो जो भी केस हमारे ध्यान में आये हैं वो सारे केस हमने ए.सी.बी. में रजिस्टर किए हैं। इसके पूर्व वाले भी हैं लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया कि अभी आप भड़क जाओगे, इसलिए मैंने बताए नहीं।

श्री रमेश (सपोटरा): बैठ जाओ, पहले आप मेरी सुन लो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अब मैं बता रहा हूं आपको। आपके जमाने में भी परिवाद संख्या 136/12, ये सारे अधिकारीगण हैं जयपुर डेयरी के और इनके विरुद्ध दर्ज हुआ। परिवाद संख्या 146/13 अनिल कुमार शर्मा, प्रभारी मंत्री, परिवाद संख्या 46/14 श्री एल.के. जैन, परिवाद संख्या 113/14 श्री रामलाल जाट, पूर्व मंत्री, पूर्व अध्यक्ष एवं अजय कुमार, इनके खिलाफ 2014 में मुकदमा दर्ज हुआ। परिवाद संख्या 191 श्री श्रीलाल गुंजल।

एक भी नहीं है, जो प्रकरण ध्यान में आया उसके सारे केस ए.सी.बी. में दर्ज हुए हैं और उन सबके विरुद्ध जांचें चल रही हैं।

मैं आपको इतना आश्वस्त करता हूं कि जांच में अगर कहीं धीमापन है तो उसको तेज कराने के लिए और समय पर इसकी जांच होकर रिजल्ट आ जाए, इसके लिए मैं विभाग और अपनी तरफ से प्रयास करूंगा।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि जिस व्यापारी के अभी 48 कट्टे पकड़े गए, न तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही हुई है और जिस अधिकारी को ए.सी.बी. ने इसमें ट्रेप किया था उसको बहाल करवा दिया इस के.पी. जैन ने और आप कह रहे हो कि कार्यवाही हो रही है।

जिस प्रकार आप बार-बार इस सदन में वक्तव्य देते हो क्योंकि आप बहुत सीनियर मंत्री हो, सीनियर विधायक हो और आप बार-बार कहते हो कि कांग्रेस ने यह किया, उसने वो किया पर भ्रष्टाचार आपके समय में हो रहा है उस पर पर्दा डालने के लिए, आप मन से नहीं, दिल से बात करते हो, लेकिन आप दिल से +++ की बात करते हो तो इसको बार-बार इस सदन में मत दोहराओ और जो हकीकत बात है वही बताओ। आप स्वीकार कर लेते हो कि अपराध हुआ है, फिर कहते हो कि हम ऐसा कर रहे हैं, पुरानी सरकार ने ऐसा किया है। आप क्या कर रहे हो, वो बताओ। पुरानी ने क्या किया, पर आप क्या कर रहे हो? उसने किया उसका रिजल्ट उसको मिल गया। आप भी बेइमानी करोगे, आप भी गलत काम करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। आप स्वीकार करोगे इस बात को।

तो आप बताएं कि आप इसमें जो बोल रहे हो, आपने जो बोला है, पर अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई, कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई। उसमें रिटायर्ड व्यक्ति भी नौकरी कर रहे हैं 65 साल से ऊपर के, जो नियम में नहीं आता, पर फिर भी वहां नौकरी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसके खिलाफ आपने कोई जांच करवाई क्या, कोई कमेटी बिठाई क्या? सरस डेयरी में आज से नहीं हो रहा, मैं यह नहीं कह रहा कि आज से ही हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, इसमें सिर्फ दो मिनट बोलने का मौका दिया जाता है पर 15 मिनट आप पहले बोल लिये, 5-7 मिनट आप अभी बोल लिये।

अगर आप उचित समझें मंत्री महोदय तो आप उत्तर दें वरना कोई उत्तर देने का है नहीं।

श्री किरोड़ी लाल जी मीना।

टोंक जिले के 6 गांवों में विद्युत सम्बन्ध विच्छेद

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिजली विभाग ने टोंक जिले के 6 गांवों के 419 उपभोक्ताओं के कनेक्शन दो दिन पहले काट दिये। काटे इसलिए थे कि उन पर 23 लाख का बकाया था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसमें 119 उपभोक्ता ऐसे थे जिन्होंने अपने बिल जमा कराये थे, पर चने के साथ घुण भी पिस गया और पूरे के पूरे 6 गांव इस समय अंधेरे में हैं। बोर्ड की परीक्षा चल रही है, बोर्ड के बच्चे दीये तले अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, पूरे गांवों में अँधेरा है और पानी की भयंकर समस्या बनी हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका और मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि डोमेस्टिक कनेक्शन पर इतना बकाया था और आपने बिजली का कनेक्शन काट दिया, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आपको जानकर अचम्भा होगा कि इण्डस्ट्रीज पर 367 करोड़ का बकाया है, पर 367 करोड़ का बकाया होने के बावजूद भी इण्डस्ट्रीज का कनेक्शन नहीं काटा जा रहा है। गरीब उपभोक्ता का, गरीब किसान का कनेक्शन काट दिया जाता है।

मैं सभी इण्डस्ट्रीज के बारे में तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि आपने दो मिनट का समय दिया है, इसलिए ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। एम.आई.ए., अलवर में मोदी एल्केलीज एण्ड केमिकल्स पर...

श्री उपाध्यक्ष: हां, बोलो।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप व्यस्त थे।

एम.आई.ए. अलवर में मोदी एल्केलीज एण्ड केमिकल्स पर 28 करोड़ का बकाया है अकेली फैक्ट्री पर। उपाध्यक्ष महोदय, अकेली फैक्ट्री पर 28 करोड़ का बकाया कैसे हो गया? इतना बकाया हो जाने के लिए जिम्मेदार कौन हैं और उनसे पैसा क्यों नहीं जमा कराया गया? खैर कोई बात नहीं। अब मजबूरन जब 28 करोड़ रुपये बाकी हो गये तो उनका कनेक्शन निगम को डी.सी. करना पड़ा, डी.सी. हो गया। डी.सी. करते समय जब दुबारा कनेक्शन मांगा तो उपाध्यक्ष महोदय, आपको अचम्भा होगा कि उक्त फैक्ट्री पर 6 करोड़ की सिक्योरिटी थी और 6 करोड़ की ही पैनल्टी थी। इस प्रकार 12 करोड़ रुपये की राशि निगम ने माफ कर दी। उपाध्यक्ष महोदय, 6 करोड़ की सिक्योरिटी

(डा. किरोड़ी लाल)

माफ करने का राजस्थान में पहला उदाहरण है और 12 करोड़ माफ कर दिये। सिक्योरिटी एवं पैनल्टी की 12 करोड़ की राशि को नियम विरुद्ध माफ किया है। उपाध्यक्ष महोदय, जो 15 करोड़ निगम की राशि बकाया रही उसके बकाया होने के बावजूद भी दिनांक 22.5.2014 को निगम ने 23 के.वी.ए. का 3 एम.वी.ए. लोड पर री-कनेक्शन कर दिया। सिक्योरिटी 6 करोड़ और पैनल्टी 6 करोड़ को किन अधिकारियों ने किस नियम के तहत माफ किया या डिडक्ट किया? उपाध्यक्ष महोदय, 12 करोड़ रुपये उस फैक्ट्री से आज तक वसूल नहीं किए गए।

जो बकाया राशि बचती है 15 करोड़ वो जमा कराने का समझौता हुआ तो वो समझौता यह हुआ कि यह बकाया राशि आप 32 इंस्टालमेंट में जमा करा देना और फैक्ट्री मालिक को निगम ने कह दिया। यह समझौता हो गया। फिर फैक्ट्री मालिक ने मात्र डेढ़ किश्त जमा कराई और बाकी की किश्त जमा कराने से मना कर दिया। इतना बकाया होने के बाद.....

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं आपसे क्षमा चाहता हूं पर आपने जो प्रश्न या स्थगन लगाया है वो मात्र टोंक जिले के 6 गांवों में कटे हुए कनेक्शन के बारे में लगाया है। अगर आपको यह सब चीजें बोलनी थी तो पहले लिख देते जिससे हम आपको उसका प्रत्युत्तर ठीक प्रकार से दे पाते। आपने प्रश्न तो लगाया कि 6 गांव की बिजली कटी और आप सारे हिन्दुस्तान में कहां-कहां पैसा क्या चुकाया, उसको यहां जोड़कर भाषण ठोक रहे हो, यह उचित नहीं है।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): मंत्रीजी, यह भी उचित नहीं है कि आप 6 गांवों की बिजली तो काट दो और 367 करोड़ उद्योगपतियों पर बकाया हो उनके कनेक्शन नहीं काटें। इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है कि आपका मन कहेगा कि यह गलत हो रहा है तो रिकवरी निगम करेगा। इसलिए मैं आपका इस मुद्दे को जोड़ते हुए ध्यान आकर्षित कर रहा हूं इसलिए उस पर आप बुरा न मानें।

उपाध्यक्ष महोदय, किश्त जमा नहीं कराने के बाद भी 132 के.वी. का 30 एम.वी.ए. लोड का बिजली कनेक्शन फिर जारी कर दिया। पर किश्त जमा नहीं कराई, सिक्योरिटी जमा नहीं कराई, पैनल्टी जमा नहीं कराई। जो बिजली

(डा. किरोड़ी लाल)

विभाग की टर्म्स एण्ड कंडीशंस हैं TCOS 2004 के अनुसार, उसमें बिना सिक्योरिटी राशि लिए हुए री-कनेक्शन नहीं कर सकते। मेरे पास यह किताब है, यह हवाला है लेकिन उसको पढ़ने का टाइम नहीं है।.....

कोई भी डीसी कनेक्शन दो साल की समय सीमा पार हो जाने के बाद नहीं करते। अब उपाध्यक्ष महोदय, आज तक कोई भी ऐसा काश्तकार राजस्थान में नहीं है, जिसकी दो साल की समय सीमा पूरी हो जाये और बिना सिक्योरिटी जमा कराये उसको कनेक्शन दे दिया जाये। दो साल की अवधि पार होने के बाद यह कनेक्शन हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि किसान या आम उपभोक्ता से सिक्योरिटी राशि लिये बिना आज तक कोई कनेक्शन नहीं किया, न सिक्योरिटी माफ की तो इस उद्योगपति की सिक्योरिटी माफ क्यों की? इसका कनेक्शन कैसे जारी कर दिया? कनेक्शन काटने के बाद, दो साल की समय सीमा निकल गई उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद भी कनेक्शन कर दिया।

इनके निगम का, डीओपी का आर्डर है 16.7.1990 का। किसान को बकाया राशि जमा कराने के लिए अधिकतम 10 इन्स्टालमेंट में वह कर सकते हैं, लेकिन इस उद्योगपति को 32 इन्स्टालमेंट में इसकी राशि जमा कराने के लिए कहा और अब फैक्ट्री ने क्या किया। पहले अपने नाम से ले लिया मोदी एल्केलीज एण्ड केमिकल्स से और बाद में नाम लिखकर लोडक्रोरो लिमिटेड, नाम बदलकर नई प्लेट लगा दी और कनेक्शन ले लिया। 28 करोड़ रुपये निगम के, सांठ-गांठ करके चेयरमैन ने, निगम के चेयरमैन से सांठ-गांठ करके 28 करोड़ रुपये का नुकसान निगम को पहुंचाया है।

मैं मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं, उनको तकलीफ देना चाहता हूं कि पूरी बात मैं स्थगन में लिख नहीं सकता। यह इसलिए कहना चाहता हूं कि आम उपभोक्ता किसान की बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है लेकिन इस उद्योगपति का कनेक्शन 30 एमयू के लोड का आज भी चल रहा है और 28 करोड़ रुपये बकाया है।

मैं गृह मंत्रीजी, आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि उद्योगपतियों पर तो इतनी मेहरबानी और किसान और आम उपभोक्ता को, आप गांव के गांव की लाइन हटा रहे हो, उनको अंधेरे में डाल रहे हो, यह अन्याय है। मैं आपसे

(डा. किरोड़ी लाल)

चाहूंगा कि आप अन्यायपूर्ण कार्यवाही नहीं करें, समान रूप से कार्यवाही करें। किसान को इस बकाया के नाम पर, इस पैनल्टी के नाम पर परेशान नहीं करें और साथ ही यह जो सुविधाएं दी जा रही हैं उद्योगपतियों को, वह सुविधाएं किसान को नहीं दी जा रही।

इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जितने भी उद्योगपति हैं, उनसे सारी राशि, 267 करोड़ रुपये की बनती है, वह जमा कराई जाये और जो उद्योगपतियों को रियायत दी जा रही हैं, वही रियायत किसानों को दी जाये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बात से असहमत नहीं हूं। बकाया किसी की भी हो, उद्योगपति की हो, मेरी हो या आपकी हो, निश्चित रूप से विभाग को एक तरीके से सबके साथ कार्यवाही करनी चाहिए। उसमें सिद्धान्तत: मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं लेकिन मेरी मजबूरी यह है कि आपने जो स्थगन प्रस्ताव लगाया, "डाक्टर किरोड़ी लाल, विभाजन संख्या 30, सदस्य की ओर से जिला टोंक के छह गांवों में बिजली के कनेक्शन काटने से उत्पन्न स्थिति के बारे में" वह छह गांव तो बापड़े डूब गये इस चर्चा में। वह कहीं आये ही नहीं कि वह कौनसे हैं, क्या है, उन्होंने क्या किया? उनके साथ कनेक्शन क्यों कटा? उसकी चर्चा नहीं। मतलब विषय को हाईलाइट करने के लिए दूसरी तरफ मार कर दी।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): नहीं, नहीं, मैंने बोल दिया, साहब। पहले यही बात बोल दी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): कहां बोला?

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): नहीं, मैंने छह गांव बोल दिये। 420 उपभोक्ता बोल दिये, उन पर 23 लाख का बकाया है, यह बोल दिया। आपने ध्यान से नहीं सुना।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस पर यह स्थगन प्रस्ताव था, उस स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र थे, वह यह थे कि टोडारायसिंह में तीन गांव ऐसे हैं जिसमें रामपुरा, भैरूपुरा और कल्याणपुरा। यहां लगभग पिछले तीन-चार साल से जो कंज्यूमर हैं, उनका पैसा जमा नहीं हुआ। लगभग तीन-चार वर्ष हुए। रामपुरा में 86 कंज्यूमर हैं, 9 ने केवल पैसा

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

जमा कराया, 77 का पैसा जमा नहीं हुआ। भैरूपुरा में 42 कनेक्शन हैं, 4 का पैसा जमा है, बाकी का पैसा जमा नहीं है। कल्याणपुरा में 37 लोग हैं, दो का पैसा जमा है, बाकी 35 का पैसा जमा नहीं है। 160 कंज्यूमर हैं इन तीन गांवों में, उनमें से मात्र 15 कंज्यूमर का पैसा जमा है और वह भी एक-दो दिन से नहीं, पिछले तीन-चार साल से उनके पैसे जमा नहीं है।

इसी तरह से देवली के ही तीन गांव हैं जिनके बारे में इन्होंने अपने प्रस्ताव में रखा है। एक है बैनपा, गोपालपुरा और सुजानपुरा। यहां जो कंज्यूमर हैं इन गांवों के, बैनपा में 114 कंज्यूमर में से 39 का पैसा जमा है, बाकी 75 का पैसा जमा नहीं है। यह जो दोनों गांव हैं, इनके 93 कंज्यूमर हैं, 4 का पैसा जमा है, बाकी का पैसा जमा नहीं है। इसके कारण से उनके कनेक्शन काटे हैं।

लेकिन जिन्होंने पैसे जमा कराये हैं, उनका दोष नहीं है। जिन्होंने जमा कराया है, इसलिए विभाग ने भी इस बारे में जिन उपभोक्ताओं के बिल जमा हैं, अलग से ट्रांसफार्मर लगा करके उनका विद्युत कनेक्शन तुरन्त चालू करने का काम करेंगे।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): उद्योगपतियों के बकाया हैं गुलाबजी, उनके बारे में...

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): नहीं, आप पहले देते तो बताता मैं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): नहीं नहीं, आपको मैंने ध्यान आकर्षित कर दिया, फिर क्या करोगे? एक उद्योगपति पर 15 साल से 28 करोड़ रुपये बकाया है। कोई सो रहा है निगम? कोई सो रहा है निगम?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): आपने जो कुछ भी...

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट आप विराज जाएं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, क्योंकि चीज आपके अब ध्यान में आ गई है, तो इस पर जो भी आप उचित समझें, वह कार्यवाही करें।

पर्ची के माध्यम से।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय..

श्री उपाध्यक्ष: बस, अब इसमें मैं चर्चा नहीं करने दूंगा।

श्री नानालाल अहारी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इस पर खाली जांच के आदेश दे देते मंत्रीजी कि अलवर की जिस इण्डस्ट्री का नाम आ रहा है, उसकी जांच करवा देते साहब।

श्री उपाध्यक्ष: अब आसन ने ही यह बात कह दी कि आप इस पर कार्यवाही करेंगे तो अपने आप ही जांच हो गई। मतलब आसन की बात को आप महत्वपूर्ण नहीं मानते क्या?

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

ऋषभदेव व खैरवाड़ा स्थित रैफरल चिकित्सालयों में बैड क्षमता में बढ़ोतरी

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में ऋषभदेव रैफरल अस्पताल है, वह 1978-79 में रैफरल अस्पताल बना था और वहां की जनसंख्या 2011 के अनुसार देखी जाये तो 1,37,369 है और पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। मैं इस पर ज्यादा नहीं कहता हुआ, मैं तो मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि 38 वर्षों के बाद में भी यह जो रेफरल अस्पताल है, क्रमोन्नत नहीं हुआ है। मेरा तो आपसे निवेदन है कि इस ऋषभदेव अस्पताल को क्रमोन्नत किया जाये।

उसी तरह से खैरवाड़ा भी रेफरल अस्पताल है। यह 2008 में क्रमोन्नत हुआ। यहां पर बहुत बड़ी जनसंख्या है। यहां 48 ग्राम पंचायतें हैं और करीब दो लाख से भी ज्यादा जनसंख्या है। तो मेरे इन दोनों अस्पतालों को क्रमोन्नत कर 50-50 बैड किया जाये।

यही मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक महोदय ने जो बात कही है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कस्बा ऋषभदेव में वर्तमान में 30 शय्याओं का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है और इन शय्याओं की 2016 में केवल 35.24 प्रतिशत उपयोगिता रही है। इसलिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ऋषभदेव की शय्याओं में वृद्धि किया जाना वर्तमान में संभव नहीं है।

(श्री कालीचरण सराफ)

इसी प्रकार से कस्बा खैरवाड़ा के लिए आपने कहा कि 50 शय्याओं का करो, तो वह तो आलरेडी 50 शय्याओं का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है। इसलिए वहां पहले ही 50 का है, तो इसमें और बढ़ोतरी क्या करनी है।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): वह नेशनल हाइवे पर पड़ता है, आये दिन एक्सीडेंट्स होते हैं। ऋषभदेव में तो बहुत आवश्यकता है साहब।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं तो कह रहा हूं कि 35 परसेंट ही उपयोग में आ रहा है, जो आज जितनी शय्या हैं, वह 35 परसेंट ही भर्ती है। तो वहां ज्यादा करके क्या करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, आपका श्रीमुख आसन की तरफ होना चाहिए।

श्री संदीप शर्मा।

कोटा नगर निगम में सफाई व्यवस्था हेतु कर्मचारियों की भर्ती

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कोटा शहर की ज्वलंत और लोकहित मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा शहर की आबादी 10 लाख है और लगभग 65 वार्डों में नगर निगम के द्वारा उनको वर्गीकृत कर गठन किया गया है। कोटा शहर सफाई व्यवस्था के नाम पर वर्तमान स्थिति में और उससे पूर्व भी असफल सिद्ध रहा है। इन 65 वार्डों में लगभग 10 लाख लोग निवास करते हैं और डेढ़ से दो लाख विद्यार्थी देश के विभिन्न शहरों से कोटा शहर में विद्याध्ययन के लिए आते हैं और विभिन्न होस्टल्स में वह रहते हैं... होटल, मैस, ढ़ाबे इत्यादि में उनका भोजन होता है। इतनी अधिक संख्या में विद्यार्थी और लोगों के रहने के उपरांत भी जो वार्डों में नगर निगम को सफाई व्यवस्था करनी चाहिए उसमें नगर निगम, कोटा पूरी तरह से नाकाम रहा है और उसके पीछे वजह से मात्र 746 कर्मी सफाईकर्मी के रूप में नगर निगम, कोटा में नियुक्त हैं। टनों कचरा सड़कों पर सड़ा पड़ा रहता है। गंदगियों के अम्बार लगे रहते हैं। चौराहे, बाजार बदबू के मारे सड़ रहे होते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतनी गंभीर स्थिति है कि पिछले वर्ष इस सारी गन्दगी की वजह से कोटा शहर बीमारी का घर बन गया था। हजारों की संख्या में लोग डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया से पीड़ित हुए। हजारों-हजारों

(श्री संदीप शर्मा)

यूनिट रक्तदान करके उनकी जान बचानी पड़ी। कोटा तो जैसे बीमारियों का शहर हो गया हो।

हम सभी जानते हैं कि सफाई का आम जन पर कैसा प्रभाव पड़ता है यदि शहर गंदा होगा तो निश्चित रूप से वहां पर रहने वाला व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता और जहां एक ओर हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी का सपना है कि राजस्थान स्वच्छ हो, राजस्थान स्वस्थ हो, राजस्थान हरा-भरा हो और इसके लिए बड़े पैमाने पर पूरे राजस्थान भर में कार्य चल रहे हैं। विभिन्न तरीकों से शहरों को स्वच्छ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों को स्वस्थ बनाने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि यह तय है कि जिस देश का नागरिक स्वस्थ होगा वो देश मजबूत होगा और जो हमारा सपना है कि हम हमारे इस देश को विश्वगुरु बनायें वो तभी साकार हो सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा शहर का जो माननीय प्रधानमंत्रीजी के द्वारा सौ शहर थे उनकी पहली लिस्ट में चयन हो जाना चाहिए था। सारे संसाधन वहां थे। सकारात्मक वातावरण था, परंतु मात्र एक सफाई व्यवस्था के कारण कोटा शहर पहली बार में स्मार्ट सिटी शहर के चयन रुक गया, लेकिन आज पुन: कोटा शहर स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित हो गया है और आज इसीलिए महती आवश्यकता है कि हम सफाई व्यवस्था की ओर ध्यान दें।

यह बहुत पुरानी वाल्मिकी समाज की भी मांग रही है और कांग्रेस की जाती हुई सरकार ने पिछड़ा वर्ग को, वाल्मिकी समाज को प्रलोभन देते हुए उन्हें गुमराह किया और जाते-जाते उनके लिए भर्ती खोल गये और ये उनकी जैसी फितरत है, जैसी उनकी आदत है, छलावे की लोगों के साथ, पिछड़े वर्ग के साथ, कभी उन्होंन पिछड़े वर्ग का ध्यान नहीं रखा। पिछड़े वर्ग के लिए कभी उन्होंने सोचा नहीं और जाते-जाते पिछड़े वर्ग को फिर धोखा देकर गये, फिर छलावा देकर गये, उन्हें सफाई भर्ती के रूप में एक प्रलोभन देकर। जनता ने उन्हें नकार दिया वो आज लुप्तप्राय हैं।

मेरा आपसे निवेदन है कि हमारा राजस्थान प्रदेश आज देश में अग्रणी राज्यों में आ रहा है और निश्चित रूप से जब हमारे शहर स्वच्छ, हरे-भरे होंगे जैसा माननीय मुख्य मंत्रीजी का सपना है तो और तेजी के साथ हम अग्रणी राज्य की ओर स्थापित होंगे आगे बढ़ेंगे। पिछले विधान सभा सत्र में मैंने

(श्री संदीप शर्मा)

सफाई व्यवस्था के लिए बात की थी उस समय हमारे नगरीय विकास मंत्रीजी ने डोर-टू-डोर सफाई संग्रहण की बात कही थी और उसे स्वीकार किया था, लेकिन आज तक भी वो डोर-टू-डोर एक वर्ष पूर्ण होने के बाद भी वो प्रक्रिया में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया है और उसके पीछे सबसे प्रमुख कारण माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही है कि सफाईकर्मी 65 वार्डों में 746 हैं।

ये सिर्फ कोटा शहर की ही हालत नहीं है राजस्थान के प्रत्येक शहर में सफाईकर्मियों की भर्ती की आवश्यकता है। इस ओर जहां कांग्रेस पिछड़े वर्गों के साथ छलावा करती है, वहीं दूसरी ओर हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धराजी का प्रयास है कि पिछड़े वर्गों को बिलकुल समरसता के आधार पर आगे बढ़ाना और उनका ध्यान रखना। आज यदि सफाई भर्ती के द्वारा हम हमारे शहरों को तो स्वच्छ रखेंगे ही, साथ ही साथ सफाई भर्ती में एक बड़े समाज का पिछड़े वर्ग का भी प्रतिनिधित्व हमको मिलेगा, जहां पर वो संतुष्टि के साथ एक सरकारी विभाग में नौकरी के रूप में आ सकते हैं।

मैं आपके माध्यम से स्वायत्त शासन नगरीय विकास मंत्रीजी, जो अत्यंत सहृदय और संवेदनशील हैं और निश्चित रूप से सभी वर्गों को और सभी को साथ लेकर चलने का उनका प्रयास रहता है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कोटा नगर निगम के साथ-साथ प्रदेश के सभी शहरों निकायों में सफाई भर्ती हेतु सकारात्मक कदम उठायें, ताकि प्रदेश के शहरों को स्वच्छ और विकसित बना सकें और हमारी माननीय मुख्यमंत्रीजी का स्वच्छ राजस्थान का सपना साकार हो सके। मैं माननीय नगरीय विकास मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया इस ओर सकारात्मक रूप से आपके प्रयास पिछड़े वर्ग को ही नहीं, अपितु सारे राजस्थान के शहर आपकी ओर देख रहे हैं। धन्यवाद।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कोटा नगर निगम की सफाई व्यवस्था हेतु कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में जो मामला उठाया है निश्चित रूप से यह सही है कि कोटा का स्मार्ट सिटी के रूप में भारत सरकार ने चयन किया है और कोटा की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास भी काफी लंबे समय से चल रहा है। इसी वजह से नगर निगम, कोटा में मई, 2012

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

में सफाई कर्मचारियों के 762 पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये थे। उसके उपरांत दिनांक 3.5.2013 को उक्त पदों की संख्या बढ़ा कर 1821 की गयी। उक्त भर्ती के प्रथम चरण में 1247 पद अनुसूचित जाति आरक्षित वर्ग से भरने पर शेष 574 पद द्वितीय चरण में अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्ग से भरे जाने के निर्देश दिये गये। उक्त निर्देशों की पालना में नगर निगम, कोटा द्वारा 3.10.2013 को 1247 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची जारी कर दी गयी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चयन सूची जारी करने के उपरांत इस भर्ती में अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं इस पर जिला कलेक्टर, कोटा से भर्ती की जांच करवाई गई। जिला कलेक्टर, कोटा ने जांच रिपोर्ट में 141 चयनित अभ्यर्थियों का चयन निरस्त किये जाने एवं 36 चयनित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों की विस्तृत जांच और परीक्षण किये जाने व शेष चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिये जाने का निर्णय विभागीय स्तर पर लिये जाने की अभिशंसा की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिला कलेक्टर, कोटा की रिपोर्ट का विभागीय स्तर पर परीक्षण करके विभाग द्वारा नगर निगम, कोटा को जिला कलेक्टर, कोटा की रिपोर्ट के अनुसार विस्तृत परीक्षण कर 500 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। नगर निगम, कोटा के द्वारा 64 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जा चुकी है। शेष पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिये जाने की कार्यवाही नगर निगम, कोटा के स्तर पर विचाराधीन है।

इसी दौरान माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दो चरणों में की जा रही भर्ती के संबंध में दायर रिट याचिका संख्या 6461/2015 में दिनांक 19.1.2016 को निर्णय पारित कर शेष भर्ती के संबंध में आदेश दिये गये हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जल्दी ही माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में विभागीय स्तर पर विस्तृत परीक्षण कर शेष भर्तियों के संबंध में शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हमीर सिंह।

(13.00 बजे)

सिवाना की सड़कों की जर्जर स्थिति

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पर्ची के माध्यम से सड़कों के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिवाना विधान सभा क्षेत्र का भूभाग बड़ा है, जिसमें लगभग 69 ग्राम पंचायतों के साथ ही 250 छोटे मोटे राजस्व गांव आते हैं जिनमें ढाणियां, हैबिटेशन, मजरें हैं। दो उपखण्ड मुख्यालय के साथ तीन तहसील हैं एवं तीन पंचायत समितियां आती हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की कुल लंबाई 738.50 किलो मीटर है। जिसमें पेचेबल सड़कें 227.50 किलोमीटर तथा नोन पेचेबल सड़कें 79.80 किलोमीटर है। इसमें से पिछले दो वर्ष में 37 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। साथ ही नव ग्राम पंचायत मुख्यालयों को ग्रामीण गौरव पथ से जोड़ा गया है। विधान सभा क्षेत्र में पिछले वर्ष 13 किलो मीटर मिसिंग लिंक सड़कें निर्मित की गईं जो गांव से गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने में सहायक बनी। विधान सभा क्षेत्र की अभी भी 62 किलोमीटर सड़कें नोन पेचेबल हैं जिनका नवीनीकरण किया जाना आवश्यक है। क्षेत्र की मुख्य सड़कें जो नोन पेचेबल हैं एवं ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यक है उनमें समदड़ी, सिवाना समदड़ी कल्याणपुर की 51 किलोमीटर जो कि सांचौर से लगाकर, जालौर से लगाकर, सायला से लगाकर मुख्य मार्ग हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके बारे में मैं कई बार निवेदन कर चुका हूं और यह मुख्य सड़क है। मैं मंत्री महोदय से और मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन कर चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि इसी बजट में यह आ जाये।

समदड़ी सिवाना, देवन्दी अर्जियाना सड़क पाँच किलोमीटर है। सिवाना शहर व समदड़ी और सिण्धरी तीनों शहरों की जो 15 साल पहले शहर में जो डामर रोड बनी थी वह क्षतिग्रस्त है, उसको भी जोड़ने की आवश्यकता है। रमणीया पादरू सड़क 37 किलोमीटर, मांगला मार्ग 11 किलो मीटर, ढीढस सड़क 16 किलोमीटर, डण्डाली करना सड़क मार्ग 12 किलोमीटर आदि नोन पेचेबल सड़कें हैं जो बनाई जानी अतिआवश्यक है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सिवाना विधान सभा क्षेत्र के कई राजस्व गांव ऐसे हैं जो वर्तमान में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत सड़कों

(श्री हमीरसिंह भायल)

में नहीं है। विभाग स्तर पर वंचित गांवों की सूची मंगवाकर ऐसे गांवों के लिये प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रस्ताव बनाकर स्वीकृत हेतु प्रेषित करावें।

जिले से जिले जोड़ने की सड़क मेरे यहां काफी जगह बाकी हैं। रमणीया से रायथल जालौर सीमा पड़ती है। पादरू से दहिवा जालौर सरहद तक, रातडी से भोरडा सड़क तक, यह सारे कार्य अधूरे पड़े हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत चाहूंगा कि इन सड़कों का नवीनीकरण और जिलों को जोड़ने की सड़कें जल्दी से जल्दी तैयार हों।

मेरा क्षेत्र धार्मिक स्थलों के लिये प्रसिद्ध है जहां पर पंच तीर्थ के नाम से विख्यात है। सिवाना नगरी जिसमें छोटे बड़े लगभग 28 धार्मिक स्थलों को पक्के सड़क मार्ग से जोड़ा जाना आवश्यक है। क्षेत्र में तीन बड़े कस्बे समदड़ी सिवाना और समदड़ी और ग्राम पंचायत मुख्यालय में ग्रामीण गौरव पथ वांछित है। 2017-18 वित्तीय वर्ष में मिसिंग लिंक में भी सिवाना विधान सभा में 35 किलो मीटर सड़कें दी जाये तो छोटे छोटे टुकड़ों से आपस में सभी मार्ग सड़क से जुड़ जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं एक निवेदन कर दूं, मंत्री महोदय माननीय सदस्य के विधान सभा क्षेत्र में जितनी भी सड़कें हैं उन सबका ध्यान से आप उनका परीक्षण करवा कर यथा उचित कार्यवाही कराने का श्रम करें।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा-सा निवेदन था कि इस बजट में खनन को महत्व देते हुए मुख्य मंत्री जी द्वारा 242 करोड़ की 220 किलोमीटर नई सड़कें दी हैं। राजस्थान में सबसे अच्छा ग्रेनाइट मेरी विधान सभा क्षेत्र में है जिसकी 300 खाने हैं। उसके लिये 12 किलोमीटर सड़क की महती आवश्यकता है। इस फंड से देवडा, दन्ताला, देवन्दी, मवडी तक 12 किलोमीटर रोड इस खनिज मद से दिया जाये, यह भी मेरी प्रार्थना रहेगी।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): उपाध्यक्ष महोदय, बाडमेर तक आप इतनी सड़कें दिला रहे हो तो पड़ोस में भी 20 किलोमीटर दिला दो।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सिवाना विधान सभा क्षेत्र की खराब सडकों के बारे में जो चिंता जाहिर की है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि यह बात सही है

(श्री बाबूलाल वर्मा)
कि सिवाना विधान सभा क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से काफी बड़ा है और सिवाना विधान सभा क्षेत्र में लगभग कुल 1167 किलोमीटर लंबाई की सड़क है। जिसमें से 1017 किलोमीटर की सड़कों की स्थिति काफी ठीक है। 150 किलोमीटर की सड़कें अभी भी ऐसी हैं जो कि नोन पेचेबल हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आरआईडीएफ 20 के तहत 23 किलोमीटर की सड़कें और आरआईडीएफ 21 के तहत 11.50 किलोमीटर की सड़कें 5.06 करोड़ की सेंक्शन की जा चुकी है, उसके काम भी हो चुके हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा इसके अलावा 29.50 किलोमीटर की सड़कें आरआईडीएफ 22 के तहत भी मरम्मत के लिये सैंक्शन की जा चुकी है जिसमें 4.10 करोड़ की स्वीकृति भी जारी की जा चुकी है। शेष नोन पेचेबल सड़कें जो माननीय सदस्य ने बताई है उसके लिये मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि जैसे ही राज्य सरकार के पास वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे प्राथमिकता के आधार माननीय सदस्य अपनी सूची दे दें, उसको हम प्राथमिकता के आधार पर पूरी करा देंगे।

सूचना

बीकानेर में कृषकों का धरना

श्री उपाध्यक्ष: श्री भँवर सिंह जी, ऑन पाइंट ऑफ इन्फोरमेशन।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ इन्फोरमेशन के जरिये मैं आपके माध्यम से बीकानेर जिले की एक तात्कालिक घटना से अवगत करवाना चाहूंगा और ऊर्जा मंत्रीजी से तत्काल कार्यवाही की मांग करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर सहित पूरे राजस्थान के किसानों के कृषि कनेक्शनों पर बढाई गई बिजली की दरें पिछले दिनों वापस कम कर दी गई हैं लेकिन बूंद बूंद श्रेणी के कृषि कनेक्शनों की जो बढ़ाई गई दरें थी, उनको वापस नहीं लिया गया। सरकार ने सभी किसानों को राहत दे दी लेकिन...

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, यह विषय पाइंट ऑफ इन्फोरमेशन के दायरे में नहीं आता। अगर वहां कोई ऐसी घटना घट गई है तो वह आप जानकारी दे दें।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): वही निवेदन करना चाह रहा हूं कि पिछले पांच दिनों से मुख्य अभियंता कार्यालय, बीकानेर के आगे हजारों किसानों का एक धरना चल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि सरकार ने सभी किसानों को राहत दे दी है और ऑर्डर निकलने में कोई गलती रही है, होली का समय है किसान वहां भूखा प्यासा बैठा है तो क्यों न माननीय ऊर्जा मंत्री जी पहल करके बूंद बूंद श्रेणी के कृषि कनेक्शन वाले किसानों की दरें भी कम कर दें। सरकार के द्वारा कम कर भी दी गई है, आदेश नहीं निकला है जिसकी वजह से वह धरने पर बैठे हैं। होली के त्योहार को देखते हुए और मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए सरकार उस पर कार्यवाही करे, मैं ऊर्जा मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: डाक्टर फूलचन्द भिण्डा।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

अलवर सरस डेयरी में अनियमितता

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान अलवर में एक डेयरी का महा भ्रष्टाचार का अड्डा है, उसके बारे में दिलाना चाहता हूं। अलवर में जो जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ है उसके चेयरमैन मिस्टर बन्नालाल मीणा है, उसके खिलाफ अनेकों थानों में केस दर्ज है। एक केस तो उस समय का है जब इमरजेंसी में गरीबों को प्लाट दिये गये और वह सैक्रेटरी थे तो 20 साल बाद में उसने गरीबों के 136 पट्टों को निरस्त करके मनमानी तरीके से पट्टे दिये, तब से उसके खिलाफ केस चल रहा है। उसके बाद वह इस्तीफा देकर चुनाव लड़ा, कहते हैं इल्लीगल आलवेज इल्लीगल, उस समय चार स्थानों पर उसका वोटर लिस्ट में नाम था। नियमों में यह साफ लिखा हुआ है कि छह वर्ष का मैम्बर होगा। छह महीने तक साठ लीटर दूध देगा, तब जाकर उसे सदस्यता मिलेगी। सब बातों को दरकिनार कर चुनाव लड़ा। वह चुनाव जीत गया और उसके बाद में उसके खिलाफ जितनी शिकायतें हुईं, विवाद दर्ज हुए, सबको दरकिनार कर दिया गया। इस प्रकार की स्थिति अलवर में है। वह व्यक्ति मनमाने तरीके से, अवैध तरीके से, किसको टैंडर देना है, किसको टैंडर नहीं देना, अगर ब्लैकलिस्टेड है और मिनिमम टैंडर जिसका लगा है, उसको दरकिनार करके, उस रूट पर उसको वापस लगा दिया

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

गया। मैक्सिमम टैंडर होने के बाद भी लगा दिया गया। जिस रूट पर टैंडर वाला दूध में मिलावट करते हुए पकड़ा गया था, उस जगह उसको वापिस लगा दिया गया। चार दिन पहले किसी का डेयरी बूथ कैंसिल किया जाता है, चार दिन बाद पैसे लेकर दे दिया जाए। यह खेल खुले आम चल रहा है। उसमें सबसे ज्यादा मुश्किल बात यह है कि उत्पादक और उपभोक्ता, दोनों को लूट रहा है। एक गिरोह बनाकर लूट रहा है। उसका पी.ए. चालीस हजार की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, ए.सी.डी. ने पकड़ा। वह दो महीने जेल में रहा। जब जमानत होकर आया, तो उसको दुबारा नियुक्ति दे दी। कौनसे कानून और नियमों के अंतर्गत है? 2011 की 377 नंबर की एफ.आई.आर. है, उसमें वह दोषी पाया गया। अग्रिम जमानत करा ली, इसलिए चालान पेश नहीं हुआ। चालान पेश हुआ तो वह अध्यक्ष के लिए अयोग्य हो जायेगा। फिर इसके बाद इनक्वायरी चेंज हुई, वह अतिरिक्त रजिस्ट्रार, भरतपुर को दी गई। उसमें भी उसको दोषी माना। फिर भी वह पद पर है। चार आदमियों की कमेटी बनाकर सरकार ने उसकी जांच कराई। उन्होंने उसे दोषी माना। फिर भी वह पद पर है। रैणी का उसका सर्टिफिकेट बना, उसमें उसको स्थाई मान लिया और जिस अधिकारी ने जांच की वह रिपोर्ट में कह रहा है कि वह उस स्थान पर स्थाई निवास का पात्र नहीं था। तब भी वह पद पर है। लगातार मनमाने तरीके से रेट बढ़ा देता है। कभी वितरण की रेट बढ़ा देता है, कभी कलेक्शन की रेट बढ़ा देता है और उसका कोई नियम नहीं है। यह वास्तव में राजस्थान में जो बेचारा गरीब किसान है, जिसका आधार केवल दूध है, उन लोगों को खुले आम लूटा जा रहा है। रिकॉर्ड में तीन-तीन थानों में उसके खिलाफ केस हैं। एक भी थाने में अभी उसका चालान पेश नहीं हुआ। इस प्रकार की स्थिति चल रही है। अगर उसको दो बार दोषी माना गया तो उसने माननीय मंत्रीजी के यहां अपील कर दी। दो महीने से यहां पर पैंडिंग पड़ी है। तो वह कितना लूट रहा है, किस रूप में लूट रहा है? उसकी कोई सीमा नहीं है और उसके आधार पर माननीय सदन के विधायक ने ही लिखकर दिया है, रामगढ़ से आने वाले विधायक ने। उसकी जांच में वह दोषी पाया गया। फिर एक्शन नहीं हुआ। माननीय उपाध्यक्ष जी, आप भी अलवर में कहीं होंगे तो वहां शिकायत की थी। अभाव अभियोग जन सुनवाई अलवर जिले में हुई, माननीय मुख्य मंत्रीजी के टाइम।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)
वह भी पैंडिग है। इस प्रकार के चोर आदमी को, इस प्रकार के लूटने वाले आदमी को, जो कि किसान को भी लूटता है और दूध लेने वालों को भी। खुद मिलावट करता रहता है और कोई व्यक्ति शिकायत कर दे तो वह खुद उसके ड्रमों को रास्ते में उतराकर मिलावट करके उसका लाइसेंस निरस्त कर देता है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): पीता है तो पी ले।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): पीता नहीं है। वह तो पैसे पीता है। वह तो पैसे का पाजी है। वह खुले आम माल खाता है। सारा जिला त्रस्त है। क्या स्थिति है? कोई नियम भी हैं कि नहीं? डेयरी फैडरेशन आखिर लिमिटेड है। लिमिटेड कम्पनी भी एक्ट के द्वारा बनती है। इस कारण से, क्या सरकार के नियम असहाय हो गए? इस प्रकार खुले आम फिरता रहे, चाहे-जैसे लूटता फिरे, चैलेंज करता फिरे। इस प्रकार की जो अलवर की स्थिति है। ऐसी कई जगह हैं। हमारा राजस्थान डेयरी फैडरेशन के नियंत्रण को भी नहीं मानता। नियंत्रण की बात ही नहीं है। इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। मैं आपको कुछ बातें पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उसके सदस्यों के बारे में रिपोर्ट में लिख रहे हैं कि वर्तमान 2010-11 में 149 सदस्य दर्शाए गए साथ ही परिशिष्ट - 4 पर पृष्ठ संख्या 7-11 में दर्ज 31.03.2011 को 179 के नाम दर्ज हैं। ऑडिट में कोई नया सदस्य नहीं बनाया गया। यह ऑडिट कह रही है और वह सदस्य बन गया और चुनाव लड़ लिया। वह अभी भी चल रहा है। इसी प्रकार से पन्नालाल मीणा के द्वारा 19.12.2014 को जाति प्रमाण-पत्र बनाया गया। माननीय तहसीलदार रैणी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी किया गया है। इसमें पन्नालाल मीणा को निवासी-परवनी दर्शाया गया और वह मौजपुर के नाम से चुनाव लड़ रहा है। मौजुपर के नाम से चुनाव लड़ने के लिए सर्टिफिकेट है। यह सारा रिकॉर्ड है। फिर लिखा हुआ है 2014 में ग्राम पंचायत मौजपुर की वोटर लिस्ट में जिसमें क्रमांक 311 पर पन्नालाल का नाम है, पिताजी रामखिलाड़ी मीणा है। चुनाव लड़ने के लिए पाँच वर्ष का नियमित निवासी और 180 दिन दूध देना अनिवार्य है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): भिण्डा जी, सरकार के खिलाफ मत बोलो।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): सरकार का विषय नहीं है। मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बोल रहा हूं। यह मामला 2011 से चल रहा है। उसके पहले से भी चल रहा है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): जोश में ज्यादा हो, मुझे लग रहा है।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): 11 तारीख को देखना क्या होगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): हम चाहते हैं वही होगा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): पृष्ठ 7 पर श्री पन्नालाल मीणा, ग्राम बलेका, पंचायत समिति- उमरेन का भी वोटर लिस्ट के 305 नंबर पर नाम है। ऐसा व्यक्ति मौजपुर में भी है, परवनी में भी है, बलेका में भी है, खोराचोहाण में भी है। 'फिर परिशिष्ट 9 पर पन्नालाल मीणा के द्वारा परवनी दुग्ध उत्पादक समिति की सदस्यता दिनांक 08.01.2015 को ली गई, जिसकी रसीद संख्या 60177 है। पन्नालाल मीणा ने समिति से सदस्यता वापिस 01.09.2015 को ले ली। फिर भी वह चेयरमैन है। क्योंकि उक्त अवधि में श्री पन्नालाल मीणा, खोराचोहाण समिति के भी सदस्य रहे हैं। परवनी सचिव द्वारा 11.11.2015 को सदस्य न होने के संबंध में प्रमाण-पत्र दिया गया है। पन्नालाल मीणा द्वारा 01.09.15 की सदस्यता वापिस ली जा चुकी है'। तमाशा है। चाहे जब सदस्य बन जाएगा, चाहे जब हट जाएगा, चाहे जब लग जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, मेरे खयाल से यह इतना ही काफी है। मंत्रीजी इसका जवाब दे देंगे। बाकी आपके पास अगर और कोई जानकारी है तो उसके कागज आप..।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं रिकॉर्ड टेबल करने के लिए तैयार हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अलवर का मैटर है। मैं भी कुछ कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: चाहे मैटर अलवर का हो या राजस्थान का हो या भारत का हो। इस पर फूलचन्द जी भिण्डा के अलावा किसी और को इजाजत नहीं दी जाएगी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मुद्दे को पिछली बार उठा चुका हूं।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजो। मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे स्व-विवेक से जिसका जवाब देना चाहें, दे सकते हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): इस संबंध में मैं पिछली बार इनको यह बता चुका हूं।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): मुझे साहब टेबल करने दें।

श्री उपाध्यक्ष: आप लोग क्या समझते हैं, इस सदन में कोई नियम है या नहीं है?

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मेरी एक..।

श्री उपाध्यक्ष: आदरणीय, पहले तो आप विराजो। देखें, आप विराज के बताओ। आप विराजो देखें।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्ष जी, टेबल करने की अनुमति दी जाए। मैं सारा रिकॉर्ड लेकर आया हूं, पुलिस का, जांच का, सबका रिकॉर्ड है। इसलिए मुझे टेबल करने की अनुमति दी जाए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): भिण्डा साहब एक मिनट। उपाध्यक्ष महोदय ..।

श्री उपाध्यक्ष: वैसे मैं एक निवेदन करता हूं कि यह पर्ची के माध्यम से किस प्रकार का अनुशासन आपको निभाना है, इसके कोई लिखित नियम नहीं थे। हमने कल से नियम बना दिए। ना तो इसमें किसी सप्लीमेंट्री को अलाउ करेंगे, न कोई री-सप्लीमेंट्री करेगा और चार मिनट से ज्यादा का समय नहीं देंगे। आप अपनी स्वयं की स्वायत्तता पर अगर आप पूर्ण विराम लगाना चाहते हैं, लगाइये। हम नियम बना देंगे। अब तक नियम नहीं थे। कभी-कभी शिथिलता बरत देते थे, लेकिन धीरे-धीरे यह आदत-सी बन गई है।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं टेबल करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: अब आदरणीय प्रोफेसर, डॉ. फूलचन्द भिण्डा जी, आपसे आसन निवेदन कर रहा है कि शेष पत्र आदि आप टेबल कर दें और मंत्री जी को मैं निवेदन करता हूं कि इनका उत्तर दें।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): बहुत-बहुत धन्यवाद।

(माननीय सदस्य श्री फूलचन्द भिण्डा ने पत्रादि
विवरण सदन की मेज पर रखे)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट, उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने इशारा करके हां पक्ष लॉबी से और कागज मंगाए हैं, उनका क्या करोगे?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जितनी जानकारी दी, उस सारी जानकारी का उत्तर तो मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि बन्नाराम के खिलाफ भी और इनके एम.डी. के खिलाफ में 2016 में 315/16 एक एफ.आई.आर. दर्ज है, जिसकी अभी अलवर की चौकी पर जांच चल रही है। 409/16 में भी बन्नाराम, अध्यक्ष और एम.डी., दोनों ही भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। अपराध किया है। मुकदमा दर्ज है। मुक़दमे की जांच चल रही है। मैं सोचता हूं कि मुक़दमे की अभी क्या स्थिति है? इसके बारे में मैं स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता, पर आपने जिस भावना से इस विषय को रखा है। मैं प्रोसिडिंग से लेकर संबंधित अधिकारी को इसके बारे में कि वे रिपोर्ट दें। ताकि इन सब पर ठीक प्रकार से कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही, इसकी जानकारी दे सकें।

श्री उपाध्यक्ष: आप भी बोलना चाहेंगे।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने अलवर डेयरी में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में पर्ची के माध्यम से ध्यान आकृष्ट किया है। पहले तो मैं एक बात माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि आपने कहा कि मंत्री के स्तर पर कुछ पैंडिंग है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर चुनाव संबंधी कोई भी शिकायत उन्होंने की है तो संस्थागत विकास अधिकारी डेयरी उसको देखते हैं, उसके बाद उसकी सीधी अपील कॉआपरेटिव ट्रिब्यूनल में होती है, उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय में। इसलिए मंत्री के स्तर पर किसी तरह की कोई पेंडेंसी नहीं है।

जहां तक भ्रष्टाचार की, अध्यक्ष के विरुद्ध की बात की है, तो उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 55 के तहत समस्त कृषक एवं पशु पालक अलवर से प्राप्त शिकायत के आधार पर जांच अतिरिक्त रजिस्ट्रार आरसीडीएफ कर रहे हैं। एक जांच अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां भरतपुर खण्ड, भरतपुर एवं उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति का जांच दल जांच कर रहा है वह अभी प्रक्रियाधीन है। उसको एक्स्पीडाइट करवा लिया जाएगा। जांच के, जो भी उसके बारे में जानकारी आएगी उसके अनुसार जो भी हो सकता है, नियम विरुद्ध अगर

(श्री अजय सिंह)

किसी ने कृत्य किया तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): कार्यवाही का कोई समय तो होगा?

श्री उपाध्यक्ष: अधिसूचना, सम्मानीय सदस्यगण, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): चर्चा नहीं होगी ....

श्री उपाध्यक्ष: इस पर चर्चा नहीं होगी। अब मैं नियम पढ़ दूं, अगर आप चाहे तो मैं नियम पढ़ दूं? आपकी भावनाओं से आप मंत्रीजी को अवगत करा दें लेकिन सदन का उपयोग उसके लिए नहीं किया जा सकता, मैं बड़े आदर के साथ निवेदन कर रहा हूं। आसन बहुत आदर के साथ आपसे निवेदन कर रहा है। और अगर सदन चाहता कि इस प्रकार के नियम बने तो अध्यक्ष जी के पास में अपनी प्रस्तावना भेजिए अपने-अपने सचेतकों के माध्यम से। इस प्रकार के नियम बनने की अगर आवश्यकता महसूस की गई तो बना देंगे, वर्तमान में नहीं है।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): +++

श्री उपाध्यक्ष: इस बात को रिकार्ड पर लें लें? गृह मंत्री महोदय, इस बात को रिकार्ड पर ले लें क्या जो सम्मानीय सदस्य ने कहा है? आप विराजे हुए बात कर रहे हैं। आप विराजे हुए बात कर रहे हैं, आप वह बात कर रहे हैं जो अशोभनीय है। सदन इस बात को स्वीकार नहीं करता। आसन को आप काम करने दें। मैं सत्ता पक्ष के सचेतक जी और उप सचेतक जी आपसे निवेदन कर रहा हूं, आसन को आसानी से मत लीजिए।

श्री राजपाल सिंह शेखावत।

सदन पटल पर रखे गए पत्र

अधिसूचनाएं

वित्त विभाग की 54 अधिसूचनाएं

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, कल रात को बहुत जोर से बिजली कड़की, तो मैंने कहा कि भई ड़रो मत, विधान सभा में तो कई बार कड़कती है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या: एफ. 12(14)वित्त/कर/2017-79 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है;
2. अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2017-80 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या: एफ.12(63)वित्त/कर/2005-2 दिनांक 11.4.2006 को अतिष्ठित करते हुए व्यवहारियों हेतु कर की दर निर्धारित की गई है;
3. अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2017-81 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-190 दिनांक 8.3.2016 को अतिष्ठित करते हुए सिगरेटों पर कर की दर निर्धारित की गई है;
4. अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2017-82 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-I में संशोधन किया गया है;
5. अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2017-83 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है;
6. अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2017-84 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा पंजीकृत टैन्ट व्यवहारियों के लिये देय कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है;
7. अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2017-85 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा पंजीकृत सर्राफा व्यवहारियों के लिये देय कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है;
8. अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2017-86 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा पंजीकृत जेम्स एण्ड स्टोन्स सर्राफा व्यवहारियों के लिये देय कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है;

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

9. अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2017-87 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा पैट्रोलियम कंपनियों के पंजीकृत खुदरा विक्रेता व्यवहारियों के लिये देय कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है;

10. अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2017-88 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा आर.सी.एस. फ्लाईट्स ऑपरेटर्स को ऐवियेशन टरबाईन फ्यूल के विक्रय पर देय कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है;

11. अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2017-89 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(161)वित्त/कर/09-1 दिनांक 02.6.2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

12. अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2017-90 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा भारतीय रेलवे को हाई स्पीड डीजल विक्रय या उस पर देय कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है;

13. अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2017-91 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-206 दिनांक 09.3.2015 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

14. अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2017-92 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा एमनेस्टी स्कीम, 2017 लागू की गई है;

15. अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2017-93 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(35)वित्त/कर/ग्रुप-4/87 दिनांक 23.5.1987 की शर्त के उल्लंघन पर देय कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है;

16. अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2017-94 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर (राजस्थान) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है;

17. अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2017-95 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(99)वित्त/कर/07-66 दिनांक 14.2.2008 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

18. अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2017-96 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा नई स्वैच्छिक प्रवेश कर एमनेस्टी स्कीम, 2017 लागू की गई है;

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

19. अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2017-97 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा जॉबवर्क हेतु लाये गये यार्न पर प्रवेश कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है;

20. अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2017-98 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा मनोरंजन हेतु ऑनलाईन टिकिट बुकिंग चार्जेज पर कर से सशर्त छूट प्रदान की गई है;

21. अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2017-99 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा मोटरयानों के प्रवेश पर कर की एमनेस्टी स्कीम, 2017 लागू की गई है;

22. अधिसूचना संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2017-100 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा संदेय विद्युत शुल्क, जल संरक्षण उपकर और नगरीय उपकर से सशर्त छूट प्रदान की गई है;

23. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-101 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा पैतृक सम्पत्ति से भिन्न अचल सम्पत्ति के विभाजन की लिखतों पर देय स्टाम्प ड्यूटी 5 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत की गई है;

24. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-102 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा बिना कब्जे वाले अचल सम्पत्ति के विक्रय इकरारनामों एवं अचल सम्पत्ति को बेचने का अधिकार देने वाले बिना प्रतिफल के मुख्त्यारनामों पर देय स्टाम्प ड्यूटी घटाकर 0.5 प्रतिशत की गई है;

25. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-103 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-225 दिनांक 08.3.2016 को अतिष्ठित करते हुए ऋण दस्तावेजों पर देय स्टाम्प ड्यूटी की अधिकतम सीमा दस लाख रुपये से घटाकर पांच लाख रुपये की गई है;

26. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-104 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-214 दिनांक 08.3.2016 को अतिष्ठित करते हुए बंधक के दस्तावेजों पर देय स्टाम्प ड्यूटी की अधिकतम सीमा दस लाख रुपये से घटाकर पांच लाख रुपये की गई है;

27. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-105 दिनांक 08.3.2017 जिसके

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-227 दिनांक 8.3.2016 में संशोधन किया गया है;

28. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-106 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-228 दिनांक 8.3.2016 में संशोधन किया गया है;

29. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-107 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-229 दिनांक 8.3.2016 में संशोधन किया गया है;

30. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-108 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-230 दिनांक 8.3.2016 में संशोधन किया गया है;

31. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-109 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-226 दिनांक 08.3.2016 को अतिष्ठित करते हुए भागीदारी फर्मों एवं कम्पनियों के सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन के आदेशों पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

32. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-110 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय आस्तियों में अधिकारों एवं हितों के आस्ति पुनगर्ठन कम्पनी के पक्ष में हस्तान्तरण या समनुदेशन के लिये निष्पादित दस्तावेजों पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

33. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-111 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(15)वित्त/कर/2014-55 दिनांक 14.7.2014 में संशोधन किया गया है;

34. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-112 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(15)वित्त/कर/2014-56 दिनांक 14.7.2014 को विखण्डित किया गया है;

35. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-113 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा मुख्यमंत्री जन आवासन योजना -2015 के अधीन आर्थिक रूप से

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के पात्र व्यक्तियों के पक्ष में आवंटित आवासीय इकाईयों के दस्तावेजों पर देय स्टाम्प ड्यूटी में सशर्त छूट प्रदान की गई है;

36. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-114 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा रूग्न, सूक्ष्म और लघु उपक्रमों की सम्पत्ति के ऐसे उपक्रमों के पुनर्वास के प्रयोजनों के लिये हस्तान्तरण के दस्तावेजों पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

37. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-115 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा बकाया स्टाम्प ड्यूटी की राशि दिनांक 8.3.2017 से 30.4.2017 की अवधि में जमा कराने पर स्टाम्प ड्यूटी पर देय ब्याज एवं शास्ति में छूट प्रदान की गई है;

38. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-116 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों से पट्टा प्राप्त करने से पूर्व निष्पादित अपंजीकृत या अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित मध्यवर्ती दस्तावेजों पर देय ब्याज एवं शास्ति में छूट प्रदान की गई है;

39. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-117 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 में संशोधन किया गया है;

40. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-118 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(4)वित्त/कर/2015-226 दिनांक 9.3.2015 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

41. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-119 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(47)वित्त/कर/09-04 दिनांक 9.4.2010 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

42. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-120 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा पैतृक सम्पत्ति से भिन्न अचल सम्पत्ति के विभाजन की लिखतों पर पंजीयन शुल्क 01 प्रतिशत से घटाकर 0.25 प्रतिशत एवं अधिकतम 10 हजार रुपये निर्धारित किया गया है;

43. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-121 दिनांक 08.3.2017 जिसके

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

द्वारा बिना कब्जे वाले अचल सम्पत्ति के विक्रय इकरारनामों एवं अचल सम्पत्ति को बेचने का अधिकार देने वाले बिना प्रतिफल के मुख्त्यारनामों पर पंजीयन शुल्क घटाकर 0.25 प्रतिशत एवं अधिकतम 10 हजार रुपये निर्धारित किया गया है;

44. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-122 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा पारिवारिक समझौते की लिखत पर पंजीयन शुल्क 01 प्रतिशत से घटाकर 0.25 प्रतिशत एवं अधिकतम 10 हजार रुपये निर्धारित किया गया है;

45. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-123 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा भागीदारी फर्मों एवं कम्पनियों के सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन के आदेशों पर पंजीयन शुल्क की छूट प्रदान की गई है;

46. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-124 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा 20 वर्ष तक की अवधि के अचल सम्पत्ति के किरायेनामों पर पंजीयन शुल्क की छूट प्रदान की गई है;

47. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु0/95/1-वी दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु0/95/1-आर दिनांक 14.7.2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

48. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु0/95/22-ई दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ. 6(179)परि/कर/मु0/95/22-सी दिनांक 14.7.2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

49. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु0/95/5-सी दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु0/95/5-बी दिनांक 31.3.2000 में संशोधन किया गया है;

50. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु0/95/2 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु0/95/3 दिनांक 09.3.2015 को अतिष्ठित करते हुए राज्य में रजिस्ट्रीकृत या समनुदिस्ट मोटरयानों के कतिपय वर्गों को एकमुश्त कर का अनिवार्य रूप से सशर्त कर संदाय निश्चित किया गया है;

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

51. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु0/95/3-एन दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/ मु0/95/3-एच दिनांक 1.3.2002 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

52. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु0/95/1 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान कराधान नियम, 1951 में संशोधन किया गया है;

53. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु0/95/3 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.6(96)कर/शैक्षणिक/89 दिनांक 21.7.1993 को विखण्डित किया गया है; एवं

54. आदेश संख्या: एफ.12(14)वित्त/कर/2017-125 दिनांक 08.3.2017 जिसके द्वारा राजस्थान विनिधान प्रोन्नति स्कीम, 2014 में संशोधन किया गया है।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, जयपुर का प्रतिवेदन वर्ष 2015-16

श्री उपाध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन ,श्री अरूण चतेर्वेदी जी।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य जैव विविधता अधिनियम, 2010 की धारा-21 (3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गुलाब चन्द कटारिया।

राजकोम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड का छठा प्रतिवेदन वर्ष 2015-16

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395(1) के अन्तर्गत राजकोम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड का छठा वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 सदन की मेज पर रखता हूं।

याचिका

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामहेत सिंह जी।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

अलवर (किशनगढ़बास) में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

1. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास (अलवर) में राजकीय महाविद्यालय खुलवाने बाबत्।

कोटकासिम को जिले का दर्जा

2. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास (अलवर) के कोटकासिम को जिला बनाने बाबत्।

श्री उपाध्यक्ष: श्री दलीचन्द।

करूकड़ा, तहसील कपासन के राजकीय माध्यमिक विद्यालय का क्रमोन्नयन

श्री दलीचन्द डांगी (मावली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र कपासन के ग्राम पंचायत मुख्यालय करूकड़ा, तहसील कपासन के राजकीय माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

चिमरानी ग्राम के उच्च प्राथमिक विद्यालय का भवन निर्माण

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र खींवसर की ग्राम पंचायत खरनाल के गांव चिमरानी में स्वीकृत उच्च प्राथमिक विद्यालय के भवन का निर्माण करवाये जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हमीर सिंह जी। श्री हमीर सिंह जी। उप सचेतक महोदय, मैं पुन:। श्रीमती सोना देवी।

रायसिंहनगर के सीमावर्ती ग्रामों में विद्युत सप्लाई

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के विभिन्न सीमावर्ती ग्रामों में पर्याप्त विद्युत सप्लाई किये जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

व्यवस्था का प्रश्न

अमर्यादित एवं अव्यवस्थित वेशभूषा में सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हो सकते

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करूंगा कि सदन में कई पालनीय नियम भी है और ऐसा कई बार अवसर भी आया है कि होली खेलकर पहुंचे सांसदों को भी स्पीकर ने सदन से बाहर निकाला था, यह सदन की गरिमा का प्रश्न है। आज टोडाभीम से आए हुए माननीय सदस्य होली खेलकर सदन में पहुंचे हैं। कृपया आप निर्देशित कराए कि यह कपड़े बदलकर, नहा-धोकर, तैयार होकर सदन में पहुंचे। यह मेरा निवेदन है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के भी बहुत पालनीय नियम रहे हैं। यह सदन किसी भी प्रकार से आमोद-प्रमोद, मजाक या अन्य किसी प्रकार के लिए नहीं बना है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में मुझे अच्छी तरह याद है, पहले कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य पूर्व विधायक देवीसिंह जी भाटी है वह इस सदन में आए थे। वह इस सदन में केवल गले में एक तख्ती लगाकर आ गए थे। उसके ऊपर उसमें, तत्कालीन समय कांग्रेस की सरकार थी और श्री शिवचरण जी माथुर उस समय मुख्यमंत्री थे। उस समय प्रस्ताव कर दिया था कि माननीय सदस्य की सदन की सदस्यता समाप्त कर दी जाए। उसके बाद बहुत वाद-विवाद हुआ था और सात दिन के लिए उनको सदन में आने से प्रतिबंधित कर दिया था। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा आसन से कि कोई भी सदस्य, उनसे भी आग्रह करूंगा, कि सदन में हम हमारी मर्यादाएं बनाकर रखे, सदन के प्रति, आसन के प्रति। अगर ऐसी कोई परिस्थिति भी बनती हो तो हम कपड़े

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बदलकर आ सकते हैं। एक घंटे बाद आ सकते हैं। मैं समझता हूं कि सचेतक महोदय ने जो प्रस्ताव किया है वह उचित ही है। हम सबको भी, माननीय नेता प्रतिपक्ष से भी कहना चाहूंगा कि इस सदन की गरिमा को बनाए रखने में आप भी सहयोग दें और इस प्रकार की घटना दुबारा नहीं हो उसके लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए।

व्यवस्था

सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे अमर्यादित व अव्यवस्थित वेशभूषा में सदन में उपस्थित नहीं हों

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, सदन आपसे यह अपेक्षा करता है कि वह सभा में व सभा के बाहर आचरण का एक निश्चित स्तर बनाए रखे। उनका व्यवहार इस प्रकार का होना चाहिए जिससे सदन तथा उसके सदस्यों की गरिमा बढ़े। सदस्यों का आचरण, प्रथाओं का प्रतिकूल अथवा सभा की प्रतिष्ठा के विपरीत नहीं होना चाहिए जिसकी आशा सदन अपने सदस्यों से करता है। माननीय सदस्यगण सदन में प्रवेश करते समय सदन की परम्पराओं एवं सदस्यों द्वारा पालनीय नियमों का पालन करें। राजस्थान विधान सभा में यह एक प्रथम अवसर है जब श्री घनश्याम सदस्य द्वारा होली के रंग लगाकर सदन में प्रवेश किया है और वह सदन में बैठे हैं। उनका यह आचरण सदन की गरिमा व शिष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता। अत: माननीय सदस्य कृपया सदन की गरिमा एवं पालनीय नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए कृपया सदन से बाहर जाकर, दूसरे वस्त्र पहनकर पधारें।

मैं इसके अलावा भी आपका ध्यान कुछ ऐसी बातों पर आकर्षित करना चाहता हूं। कौल एंड शकधर के अंदर सदस्यों के आचरण के संबंध में कुछ विशेष बातें हैं। मैं सिर्फ वह अंकित कर रहा हूं जो यहां सामान्यत: आप करते हैं।

सभा में स्वयं उठकर अध्यक्षीय पीठ तक आना, यह भी आचरण में नहीं है। अपना भाषण देकर तुरंत यहां से चले जाना। दोनों सीट के बीच के जो गलियारे हैं वहां खड़े होकर बतियाना। आज के बाद इसका कड़ाई से पालन किया जाएगा। खासकर मंत्री मण्डल सदस्य इस बात का पुरजोर का ध्यान

(श्री उपाध्यक्ष)
रखे, बतियाना, बतियाते दिखना, बतियाने को प्रोत्सहित करना भी अंकित होगा। धन्यवाद।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, आपने इतना तो बता दिया, हमारे लिए अच्छी बात है। हम इन परम्पराओं का ध्यान रखेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: सम्मानीय सदस्य।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, परम्पराओं का हम ध्यान रखेंगे। लेकिन हमारे मंत्रीजी पूरे टाइम गुटखा खाकर और मुंह में गुटखा लेकर आते हैं, यह संसदीय परम्परा है क्या? इनके लिये भी तो बताओ, साहब, गुटखे के बारे में बताओ आप।

श्री उपाध्यक्ष: यह सम्पूर्ण रूप से निषिद्ध है।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, याचिका।

श्री उपाध्यक्ष: आपकी याचिका अब नहीं। अब आपको नहीं है। इस पर तो आपको प्रताड़ना दी जा सकती है।

विधायी कार्य। पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक।

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017, श्रीमती किरण माहेश्वरी।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाएं?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017, श्रीमती किरण माहेश्वरी।

राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017, श्रीमती किरण माहेश्वरी।

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (संशोधन) विधेयक, 2017, श्रीमती किरण माहेश्वरी।

राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (संशोधन) विधेयक, 2017

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2017, श्रीमती किरण माहेश्वरी।

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2017

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय,

(श्री उपाध्यक्ष)

बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री महोदय।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा (संशोधन) विधेयक, 2017, श्रीमती किरण माहेश्वरी।

गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा (संशोधन) विधेयक, 2017

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017, श्रीमती किरण माहेश्वरी।

कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (संशोधन) विधेयक, 2017, श्रीमती किरण माहेश्वरी।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (संशोधन) विधेयक, 2017

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

अनुमति से पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (संशोधन) विधेयक, 2017, श्रीमती किरण माहेश्वरी।

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (संशोधन) विधेयक, 2017

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017, श्रीमती किरण माहेश्वरी।

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर (संशोधन) विधेयक, 2017, श्रीमती किरण माहेश्वरी।

महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर (संशोधन) विधेयक, 2017

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय, भरतपुर (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2017, श्रीमती किरण माहेश्वरी।

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2017

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर (निरसन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करती हूं।

सूचना

ओलावृष्टि से फसल का नुकसान

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): पाइण्ट ऑफ इन्फार्मेशन। मेरे विधान सभा क्षेत्र में रात को भारी ओलावृष्टि होने के कारण फसल का बहुत नुकसान हुआ है। माननीय आपदा राहत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सारा सर्वे करवा कर किसानों को राहत प्रदान करने की कोशिश करें।

श्री उपाध्यक्ष: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2017-18, सामान्य वाद-विवाद।

श्री अभिषेक मटोरिया।

आय-व्ययक

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट के

(श्री अभिषेक मटोरिया)
माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने वित्त मंत्री के रूप में सरकार के आगामी दो वर्षों के लिये राज्य की अर्थ-व्यवस्था, जो पहले पूर्ण रूप से चरमराई हुई थी, उसको एक नई दिशा देने की कोशिश की है। यह हमारा प्रयास है कि इस प्रदेश को एक स्वस्थ और मजबूत प्रदेश, सामाजिक, आधारभूत ढांचा और एक सामाजिक सुरक्षा कवच, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से हम राजस्थान की सात करोड़ की जनता को उपलब्ध करायें।

इसकी पहल करते हुए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया, उसके कुछ आंकड़े, कुछ फैक्ट्स आपके बीच में रखना चाहूंगा और यह आंकड़े निश्चित रूप से आर्थिक समीक्षा के आधार पर, प्रस्तुत बजट के आधार पर, आउट ले एवं इनकम बजट एक्सपंडीचर एवं इनकम के आधार पर यह स्पष्ट करेंगे कि वर्तमान राज्य सरकार का तीन वर्ष का कार्यकाल और पूर्ववर्ती सरकार का पांच साल का कार्यकाल, इनमें से कौन बेहतर है। किस प्रकार राज्य सरकार ने विषम परिस्थितियों में भी, बार-बार जैसे विपक्ष के साथी, माननीय सदस्य यह कहते हैं कि आपकी राज्य सरकार ने तीन साल में हमारे द्वारा चलाई गयी योजनाएं बंद कर दीं। रिफाइनरी की बात करते हैं। पूर्व मुख्य मंत्री महोदय ने मेमोकॉज फैक्ट्री की बात की, मेट्रो रेल की बात की, उनके द्वारा चलायी गयी पेयजल योजनाओं को बंद करने की बात की तो मैं आपके समक्ष उन फैक्ट्स को, फिगर्स को रखना चाहूंगा जिसके माध्यम से यह साबित हो सके कि वर्तमान राज्य सरकार ने 38 माह, लगभग तीन साल, 38 माह के इस कार्यकाल में पूर्ववर्ती सरकार के पांच साल के कार्यकाल से कहीं अधिक कार्य किया और आने वाले दो साल निश्चित रूप से राजस्थान के लिए खुशहाली किस प्रकार लेकर आएंगे। राजस्थान सरकार ने 2015-16 के वास्तविक जो राजस्व व्यय थे, वह 1 लाख 6 हजार करोड़ की तुलना में 2017-18 में बजट अनुमानों के अनुसार 1 लाख 43 हजार करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित, 34.7 प्रतिशत की वृद्धि। व्यय की तुलना में जो प्राप्तियां हमें मिलीं, 2015-16 की वास्तविक जो राजस्व प्राप्तियां थीं वह थी 1 लाख 285 करोड़ और 2017-18 के जो बजट अनुमान हैं, उनके अनुसार यह 1 लाख 30 हजार करोड़ रुपये तक प्रस्तावित है यानी, 30 प्रतिशत की वृद्धि।

एक तरफ माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि डीमोनेटाइजेशन की वजह

(श्री अभिषेक मटोरिया)

से, विमुद्रीकरण की वजह से राज्य सरकार पूर्ण रूप से राजस्व प्राप्तियों के प्रति विफल रही है और एक तरफ 30 प्रतिशत की वृद्धि तो यह आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि डीमोनेटाइजेशन के पिछले कुछ समय के बावजूद लंबे समय में इसका लाभ मिलेगा, वह दिखना शुरू हो गया और राजस्व प्राप्तियों में 2 साल की तुलना में तीस प्रतिशत की वृद्धि हुई और इसी बात को प्रमाणित करने के लिए जो सबसे बड़ा आकड़ा हम आर्थिक समीक्षा के आधार पर, आम जनता के समझ का आकड़ा हम देते हैं, वह है प्रति व्यक्ति आय, पर-कैपिटा इनकम।

2016-17 में जो प्रति व्यक्ति आय 2015-16 की तुलना में 6 प्रतिशत की वृद्धि। अब एक तरफ प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो निश्चित रूप से यह बात इस बात को दर्शाता है कि राजस्थान सरकार ने पिछले तीन साल के बजट और इस बजट में इस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था की है जो इन कठिन दौर में भी निकल कर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय को, उसके जीवन स्तर को, इनकम और एक्सपेंडिचर को बैलेंस बनाकर उसको आगे ले जाने का काम कर रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में एक बहुत बड़ी बात देखने को मिली और वह बात है प्लान और नॉन प्लान के एक्सपेंडिचर को, इस वर्गीकरण को समाप्त करने की। बहुत सारे माननीय सदस्य जानते हैं कि प्लान व्यय को प्लान एक्सपेंडिचर में लिया जाता था और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को नॉन प्लान में लिया जाता था और इस वर्गीकरण का शायद हम अकसर यह कहें कि हमको इसकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है परंतु यह वास्तविकता नहीं। अगर हम इसको समझें तो इस कारण जो असेट मेंटीनेंस था और एक्सपेंडिचर ऑन ए लार्जर आउट कम, यह दोनों चीजें प्रभावित होती थीं, अब इसको अबॉलिश करने से उपलब्ध संसाधनों का बेस्ट यूज आफ अवेलेबल रिसोर्सेज होगा और बहुत बार नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में अगर कुछ राशि अधिक हुआ करती थी तो उसको प्लान एक्सपेंडिचर में लाकर व्यय करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी, बार-बार प्रस्ताव लेने पड़तें थे, स्वीकृतियां लेनी पड़ती थीं। इस वर्गीकरण को समाप्त करने से सबसे बड़ा फायदा अगर कुछ होगा तो जो स्वीकृतियां हमें लेनी पड़ती थीं राशि को व्यय

(श्री अभिषेक मटोरिया)
करने के लिए, वह नहीं लेनी पड़ेगी। मैक्सिमम अवेलेबल रिसोर्सेज जो होगा, उनका बेस्ट यूज होगा और वर्तमान में जितने भी हमारे उपलब्ध संसाधन हैं, उन पर हम अच्छे से खर्च कर पाएंगे, उनका रख-रखाव हो पाएगा, यह कोई छोटी बात नहीं है।

केन्द्र सरकार से इसके लिए हमने अनुमति ली। फाइनेंस और प्लानिंग कमीशन से हमने यह मंजूरी ली और उनकी मंजूरी के बाद इस वर्गीकरण को केन्द्र में और राज्य सरकार ने समाप्त किया है। शायद, आज यह बात हमें बहुत छोटी लगे कि प्लान और नॉन प्लान के वर्गीकरण को समाप्त करने से क्या होगा? नहीं, आने वाले समय में जब भी हमें इस एक्सपेंडिचर में व्यय करना पड़ेगा तो इसके बहुत बड़े लाभ मिलेंगे क्योंकि Non-plan expenditure is a very large component of the total expenditure spent by the Government. अब उसमें अगर अधिक राशि हो और अगर आपको प्लान एक्सपेंडिचर में जनता की बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा जैसी सुविधाओं में खर्च करना हो तो आपको अनुमति भी नहीं लेनी पड़ेगी और उसका बहुत बड़ा लाभ निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को आने वाले समय में मिलेगा।

इसी प्रकार से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विगत 3 वर्षों में राज्य सरकार ने विभिन्न-विभिन्न क्षेत्रों में जो विकास कार्य करवाये उसके परिणाम स्वरूप केन्द्र सरकार ने इंडिपैंडेंट एन.जी.ओज. ने, अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान को न केवल सराहा, राजस्थान की योजनाओं की न केवल चर्चा हुई, उनको रोल-मॉडल बनाकर किस प्रकार से पूरे देश में लागू किया जाए, यह एक उदाहरण पेश किया।

9 ऐसे पुरस्कार राजस्थान को विगत 3 वर्षों में मिले हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अलग-अलग क्षेत्रों में वर्तमान की हमारी सरकार ने ऐसे उदाहरण देश के समक्ष प्रस्तुत किये, पार्टी धरातल से हट कर जिसका उदाहरण समूचे देश में अपने आप में एक एग्जाम्प्ल है, अपने आप में गौरव है।

विगत दो वर्षों से लगातार 'सर्वश्रेष्ठ कौशल प्रदाता राज्य', निश्चित रूप से युवाओं को स्किल डवलपमेंट के प्रति मोटिवेट करना, उत्साहित करना और

(श्री अभिषेक मटोरिया)
उसको इस लायक बनाना कि वह अपने पाँच नाखूनों की कमाई से दिन-रात मेहनत करके स्वयं नौकरी ढूंढ सके, चाहे राजकीय या निजी किसी भी सहभागिता में जाकर, अपने लिए मेहनत करके एक सीमित और एक फिक्स सोर्स आफ इनकम एस्टेब्लिश कर सके, इस हेतु राजस्थान को पूरे भारत-वर्ष में लगातार दो वर्षों से 'सर्वश्रेष्ठ कौशल प्रदाता राज्य' का पुरस्कार दिया गया।

चूंकि, अब जमाना आधुनिकता का है। मॉडर्नाइजेशन का है इसलिए ई-गवर्नेंस, नेशनल, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान को ई-गवर्नेंस गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया, जो इस बात को प्रकट करता है कि राजस्थान आज की इस तेज रफ्तार और समय सीमा के साथ समूचे देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और सोशल मीडिया और ई-गवर्नेंस के साथ गोल्ड मेडल प्रदान करने के साथ हम निश्चित रूप से अपनी जो आम सेवाएं हम जनता को देते हैं, उनमें भी हम अग्रणी हैं।

भामाशाह योजना को आर्डर आफ मैरिट, यह अपने आप में एक बहुत बड़े गर्व की बात है। इस योजना को न केवल उत्तरी भारत या समूचे भारत-वर्ष में बल्कि विदेशों में भी इस योजना की सराहना हुई और Skoch Order-of Merit के माध्यम से इसको एक रोल-मॉडल बनाकर पूरे देश में लागू करने की चर्चा है।

राजधारा (GIS) को ESRI Award, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड, ऊर्जा के क्षेत्र में, राजस्थान के लोग जिस प्रकार से पानी बचाने के लिए और पानी का महत्व समझते हैं, उसी दिशा में ऊर्जा में कंजर्वेशन, विद्युत के इस उत्पादन और संरक्षण में राजस्थान को समूचे भारत-वर्ष के इस प्लेटफार्म में कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। Special reorganization by the Central Government for providing maximum loan to disabled.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत कोई छोटी बात नहीं है। मैं डिसएबल को विकलांग न कहकर विशेष-योग्यजन व्यक्ति जो हैं, हमारी सरकार ने विगत तीन वर्षों में सबसे अधिक ऋण उनको दिया, यह कोई आम बात नहीं है। विशेष-योग्यजन लोगों की जल्दी से कोई सुनवाई नहीं करता। उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सबसे ज्यादा ऋण उपलब्ध हमारी सरकार ने करवाया है और यह बात केन्द्र द्वारा सराही गयी और पूर्ण रूप से इसकी चर्चा हुई।

(श्री अभिषेक मटोरिया)

कृषि के क्षेत्र में जो हमारी सरकार ने काम किया और जो एग्रीटेक मीट 'ग्राम' के नाम से हमने आयोजित की, उसका पूरे विश्व में अपने आप में एक डंका बजा। विदेश की नामी-गिरामी कम्पनियां हमारे यहां पर आईं और उन्होंने इस बात को सराहा कि राजस्थान भी इजराइल के तर्ज पर, यूरोप के तर्ज पर कम पानी में और फसलों के अधिक उत्पादन हेतु एक नयाचार कर रहा है और उस हेतु हमें 'कृषि कर्मण पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।

इसके साथ ही नेशनल गर्ल्स डे पर झुन्झुनूं को 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' से सम्मानित किया गया। हम बात जरूर करते हैं कि महिलाओं को हम निश्चित रूप से आगे लेकर आए, मुख्य धारा से जोड़े, जो देश की आधी आबादी है, उसको हम किस प्रकार से कंधे से कंधा मिलाकर चले, यह इसकी शुरूआत है। झुन्झुनूं जिले को समूचे भारत में इसके लिए सम्मानित किया गया और निश्चित रूप से बाकी जितने भी राजस्थान 32 जिले हैं इसको छोड़कर, उनमें भी अपने आप में एक संदेश बेटी को बचाने का और बेटी को पढ़ाने का इस पुरस्कार के माध्यम से मिलेगा।

बिजनिस रिफोर्म्स जो राजस्थान सरकार ने उद्योग जगत में किये और Ease of doing Business, जिससे हमारा निवेश बढ़ता है उसको मध्यनजर रखते हुए पहले हम एस्पायरिंग स्टेट थे, अब हम लीडर स्टेट हैं क्योंकि 96 प्रतिशत गतिविधियां हमने इस क्षेत्र में पूरी की, केवल 4 प्रतिशत गतिविधियां हमारी शेष रह गयीं शत-प्रतिशत होने को, इसको देखते हुए समूचे भारत-वर्ष में राजस्थान की सराहना हुई।

इसी प्रकार, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सड़कों की सार्वजनिक निर्माण क्षेत्र की दृष्टि से पिछले वर्ष की तुलना में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने 6657 करोड़ 32 लाख रुपये का प्रावधान किया है जो कि वर्ष 2016 के संशोधित अनुमान से 58.47 प्रतिशत अधिक है। आधे से भी ज्यादा अधिक है। क्या यह इस बात का प्रतीक नहीं है कि हमारी सरकार सार्वजनिक निर्माण विभाग को, सड़कों को सुगम व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए कटिबद्ध है?

यह अब तक का इस विभाग में सबसे बड़ा जम्प है 58.47, मतलब आधे से भी ज्यादा राशि हमने पिछले बजट की तुलना में दी। इसी प्रकार विगत तीन वर्षों में सड़क के क्षेत्र में 20 हजार 822 करोड़ का व्यय अब तक हम कर

(श्री अभिषेक मटोरिया)

चुके हैं और गत सरकार ने तीन वर्ष में मात्र 9 हजार 157 करोड़ का व्यय किया है। हमने 4 हजार 281 गांवों और ढाणियों को सड़क से जोड़ने का काम किया है। पूर्ववर्ती सरकार ने केवल 661 गांवों और ढाणियों को जोड़ने का काम किया था। पूर्व मुख्य मंत्री महोदय फरमा रहे थे कि सर्वप्रथम बजट में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 20 हजार किलोमीटर लम्बी सड़क बनाने की थोथी घोषणा की, कहां से थोथी है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने तीन वर्षों में 15 हजार 278 किलोमीटर लम्बाई की नवीन सड़कें बना लीं, उनका निर्माण हो गया और आपने पाँच वर्ष में 12 हजार 554 किलोमीटर लम्बाई की सड़कें बनायी हैं। अभी हमारे पास दो साल का कार्यकाल और शेष है। हम यह जो 20 हजार करोड़ का आंकड़ा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दिया है, हम उसको क्रोस करेंगे। वह सही कह रहे थे हमने 20 हजार नहीं बनायी, हम 20 हजार से और आगे जाएंगे, और अधिक जाएंगे, क्योंकि 15 हजार तो हम तीन साल में बना चुके।

हमारा खर्च अब तक तीन वर्षों में इन नवीन सड़कों पर 4 हजार 37 करोड़ और आपका खर्च पाँच साल में 2 हजार 993 करोड़, जबकि अभी हमारे पास दो साल शेष पड़े हैं। राज्य की ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण हेतु पहली बार किसी सरकार ने अगर सुध ली और पंजाब-हरियाणा की तर्ज पर जो ग्रामीण गौरव पथ निर्माण किये, यह कोई आम बात नहीं कि एक किलोमीटर की सी.सी. सड़क बन गयी और नाली बन गयी। राजस्थान में अब तक खंरजा निर्माण की परम्परा थी, अब धीरे-धीरे हमारी सरकार ने इंटर-लॉक और सी.सी. निर्माण के प्रति ग्राम पंचायतों को और सैंट्रल फण्ड को, जो जिला परिषदों के माध्यम से ग्राम पंचायतों को मिलती है, यह नवीनीकरण का प्रयोग किया। एक किलोमीटर की सड़क मय नाली उस पूरे ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बनेगी। अब किलोमीटर से जितना यथासंभव हो सके, उस ग्राम पंचायत का एरिया कवर होगा। उसको देखते हुए अन्य ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत के अन्य गांव, जो ग्राम पंचायत मुख्यालय नहीं है, वहां पर भी सी.सी. सड़क का और इंटरलॉक सड़क का चलन इन ग्रामीण गौरव पथ के माध्यम से शुरू हो गया। जब आवाज उठी कि ग्रामीणों के साथ-साथ शहरों की सड़कों की भी सुध लेनी चाहिये तो राज्य सरकार ने तुरन्त यह घोषणा की और शहरी गौरव पथ

(श्री अभिषेक मटोरिया)

353 करोड़ की लागत से घोषणा कर दिये और मैं समझता हूं प्रत्येक शहर, प्रत्येक नगरपालिका में डेढ़ से ढाई किलोमीटर की लम्बी सड़क मय डिवाइडर लाइट और आधुनीकरण जिससे वह शहर आवागमन हेतु बाधित न हो, साथ ही वह शहर सुंदर भी दिखे। हमने शहरी गौरव पथ की भी घोषणा कर दी। वह कार्य भी प्रगति पर है।

पेयजल की दृष्टि से, सभापति महोदय, गत सरकार द्वारा प्रथम तीन वर्षों में शहरी व ग्रामीण पेयजल, दोनों परियोजनाओं को मिलाकर 6 हजार 97 करोड़ का व्यय किया गया। इसके विपरीत हमारी सरकार ने प्रथम तीन वर्षों में 13 हजार 773 करोड़ का व्यय किया, डबल से भी ज्यादा।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से आगामी वर्ष में 8 हजार 647 करोड़ 31 लाख का प्रावधान इस वर्ष 2016-17 के रिवाइज एस्टीमेट से 15.68 प्रतिशत ज्यादा है। यह राशि भी बढ़ी है। विपक्ष का आरोप था कि पेयजल की दृष्टि से राशि घटी है। यह राशि घटी नहीं है बल्कि यह 15.68 प्रतिशत अधिक बढ़ी है।

पेयजल योजनाओं के प्रभावी मानिटरिंग के लिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि पहले केवल नहरों में स्काडा सिस्टम लगता था। आम तौर पर शिकायत हुआ करती थी कि जो पानी गुजरात से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से आता है, वह बुकलेट में आंकड़ों में हमें ज्यादा दिखाया जाता है और वास्तविकता में कम है। उसी की तर्ज पर पेयजल विभाग ने यह नया काम किया है स्काडा सिस्टम, सुपरवीजन, कंट्रोल एण्ड डाटा एक्वीजिशन सिस्टम, जिसके तहत हम घर बैठे पानी की उपलब्धता वर्तमान में हैड में और अन्तिम छोर तक कितनी है, वह जानने के लिये हमने स्काडा सिस्टम लागू किया है। यह बहुत बड़ी बात है। बार-बार अधिकारियों को फोन करना, पानी की उपलब्धता के बारे में झगड़े करना, या वास्तविक आंकड़े क्या है, पानी कितना उपलब्ध है, डेम पर बताया कितना जा रहा है पेयजल के लिये, उन सब समस्याओं से छुटकारा और निजात पाने के लिये स्काडा सिस्टम को इस वित्तीय वर्ष में हमने लिया है, उसको हम लागू करेंगे।

माननीय सदस्य,जो आज सदन में नहीं आ पाये, उनका कहना था कि

(श्री अभिषेक मटोरिया)

हमारी सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार की जो 68 मेजर, माइनर और मेजर, दो प्रकार की योजनाएं होती हैं, 68 मेजर पेयजल परियोजनाओं को पूरा नहीं किया। यह बिलकुल गलत बात है। हमारी सरकार ने इन 68 मेजर पेयजल परियोजनाओं में तीन वर्ष में 32 परियोजनाएं तो पूरी कर लीं और जो शेष पाँच रही हैं, उनको भी हम इस वर्ष में पूरा करेंगे। 9 लम्बित मेजर परियोजनाओं के लिये, जिसके लिये आप बिना प्रावधान किये, बिना बजट में पूर्ण रूप से फंडिंग की व्यवस्था किये आपने प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी, उनका व्यय है 5 हजार 292 करोड़, केवल 9 लम्बित परियोजनाओं के लिये, हम उनको पूरा करके दिखाएंगे और निश्चित रूप से इन दो वर्षों की अवधि में पूरा करके दिखाएंगे।

ग्रामीण क्षेत्र में क्वालिटी अफैक्टेड क्षेत्रों को प्रथम व द्वितीय चरण में संयुक्त रूप से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिये 1 हजार 961 रिवर्स ऑसमोसिस, आर.ओ. प्लांट लगाने का हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, जिसके तहत 245 करोड़ 90 लाख की लागत आयेगी। इसके विपरीत इनकी सरकार ने केवल 700 आर.ओ. प्लांट लगाये। हम इनसे डबल से ट्रिपल पर पहुंच गये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा ध्यान ..(व्यवधान)...

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): आपकी इजाजत हो तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि अभी जो स्काडा सिस्टम के बारे में माननीय सदस्य बता रहे थे, मुझे अचम्भा हुआ, मैंने यह खोलकर देखा स्काडा सिस्टम, केवल पेयजल योजनाओं के लिये है, किसी नहर के पानी को नापने के लिये सिस्टम का उल्लेख कम से कम इस बजट भाषण में तो नहीं है। अगर किसी पृष्ठ पर हो तो जरा कृपया मुझे बताने की कृपा करें।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): माननीय सदस्य यह भूल गये कि मैं जिस जिले से आता हूं, वह पूर्ण रूप से ...(व्यवधान)....

श्री विश्वनाथ (संसदीय सचिव): माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछले साल मुख्य मंत्री थे, उस समय से ही चालू कर दिया था। ...(व्यवधान)....

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): आप फरमायें।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): आमेर से आने वाले माननीय सदस्य का प्रश्न पूछना वाजिब है, परन्तु शायद यह थोड़ा-सा भूल गये कि जिस जिले से मैं आता हूं, पूर्ण रूप से वहां नहरी तंत्र है और दो वर्ष पहले ही हमारी सरकार ने, मेरे स्वयं की सिद्धमुख नोहर परियोजना में हरियाणा से जो पानी आता है, उसमें बार-बार हमारा झगड़ा हरियाणा से इस बात को लेकर होता है कि हमें पूरा पानी उपलब्ध नहीं कराया जाता। हरियाणा यह कहता है कि हम आपको हैड पर पूरा पानी सी.पी.-4 हैड, जो हमारा बॉर्डर है, उस पर उपलब्ध कराते हैं। इस झगड़े को खत्म करने के लिये हमारे इर्रिगेशन विभाग ने वहां पर स्काडा सिस्टम लगा दिया और अब उसका मॉडल बनाकर धीरे-धीरे पूर्ण रूप से बीकानेर संभाग की सात नहरों पर लग चुका है।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): इसमें कहीं उल्लेख नहीं है।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): वह दो साल पहले लग गया माननीय सदस्य।...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय संसदीय सचिव, आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): शिक्षा की दृष्टि से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा ध्यान और सबसे ज्यादा फोकस अगर हम शिक्षा पर देंगे तो निश्चित रूप से जो नारा हम आम तौर पर राजनीतिक लोग देते हैं कि अंधेरे से प्रकाश की ओर जा रहा है, शिक्षा को बढ़ावा देना है, बच्चे-बच्चियां पढ़ेंगी तो देश की नींव मजबूत होगी। वह तभी मजबूत हो पायेगी जब हम शिक्षा के क्षेत्र में मिसाल कायम करें और कुछ करके दिखायें। मेरा मानना है कि वर्तमान सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जितना अधिक कार्य किया है, आज तक इससे ज्यादा कार्य कभी भी नहीं हो पाये। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय, इससे पहले पूर्ववर्ती सरकार के समय भी दो, तीन, पाँच उच्च माध्यमिक विद्यालय में करते थे, अब राज्य सरकार ने यह घोषणा की कि प्रत्येक पंचायत में एक बारहवीं का स्कूल होगा। यह कोई छोटी बात नहीं है। एक बारहवीं का स्कूल लेने के लिये संघर्ष करना पड़ता था। अब प्रत्येक पंचायत में एक बारहवीं का स्कूल होगा। केवल कमी इतनी रह गयी कि जहां निजी बारहवीं के विद्यालय हैं, वहां पर

(श्री अभिषेक मटोरिया)

राज्य सरकार ने प्राथमिकता वहां न देकर वहां दी जहां पर किसी भी प्रकार का उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं था। अब जो कमी रह गयी थी उसको भी इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने दूर करने का काम किया ओर 772 ग्राम पंचायत, जहां पर उच्च माध्यमिक विद्यालय निजी विद्यालय होने की वजह से नहीं थे, वहां सरकार ने घोषणा कर दी। यानी आने वाले दो वर्ष में प्रत्येक पंचायत में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय होगा। अभी शिक्षा मंत्री महोदय यहां पर विराजमान नहीं है, मेरा इसमें एक सुझाव भी था कि प्राथमिक से उच्च प्राथमिक और उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय भी अगर क्रमोन्नत करें तो इस कड़ी से कड़ी जुड़ने के प्रयास में निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं, जहां बच्चों का नामांकन बहुत अधिक है तो अगर वह पांचवीं से आठवीं और आठवीं से दसवीं के विद्यालय भी अपनी रिप्लाई में आने वाले समय में राज्य सरकार करे तो सुझाव के रूप में निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम होगा।

राज्य के 13 हजार 527 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्तमान में 3 हजार 685 विद्यालयों में कम्प्यूटर, 7 हजार 150 विद्यालयों में प्रिन्टर, 6 हजार 873 विद्यालयों में इंटरनेट सुविधा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतनी गहराई तक हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में गयी और इन सारे कामों पर, यह छोटी बात नहीं है। कहीं कम्प्यूटर मिल रहा है, कहीं प्रिन्टर मिल रहा है और इंटरनेट सुविधा, इन सभी व्यवस्थाओं पर 29.60 करोड़ राज्य सरकार इसलिये खर्च करेगी, ताकि यह बच्चे आज की इस आधुनिक नई टैक्नोलॉजी के साथ जुड़कर कहीं भी निजी क्षेत्र से शिक्षा के मामले में पीछे न रहे।

(14.00 बजे)

इसी प्रकार उच्च शिक्षा के मामले में हमने तीन वर्षों में 28 नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले तथा पांच को क्रमोन्नत भी किया। 37 हजार शिक्षकों की भर्ती कर के जो बहुत बड़ा बैकलॉग, शिक्षकों की जो बहुत बड़ी कमी थी वो शत-प्रतिशत पूरी नहीं हो पायी परन्तु काफी हद तक, 75 प्रतिशत, 80 प्रतिशत से ऊपर जो कमी थी उसको भरने का काम किया। नवीन भर्ती प्रक्रियाधीन है।

(श्री अभिषेक मटोरिया)

राजस्थान के शिक्षा विभाग के इतिहास में पहली बार 86 हजार शिक्षकों की पदोन्नति हुई। एक ही साल के अन्दर तीन-तीन प्रमोशन, एक ही साल के अन्दर तीन-तीन बार डी.पी.सी.। जो 16 साल से काम नहीं हुआ वो एक साल में हुआ।

पदस्थापन में पारदर्शिता लाने के लिए समानीकरण जैसा कठोर कदम उठाने के साथ-साथ काउंसलिंग व्यवस्था की। अब काउंसलिंग के माध्यम से आपकी वरिष्ठता, आपका अनुभव और जो स्थान आपको चाहिए उसके अनुसार कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, कहीं किसी के आगे-पीछे फिरने की जरूरत नहीं, आप काउंसलिंग के माध्यम से जो स्थान, जहां पद रिक्त है आपको वो मिलेगा। यह एक नवीन पहल राजस्थान सरकार ने शिक्षा के अन्दर की।

इसके साथ-साथ चिकित्सा की दृष्टि से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए आगामी वर्ष में 6 हजार 315 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो कि वर्ष 2016-17 की तुलना में 8.21 प्रतिशत अधिक है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य सरकार ने एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया जिसमें भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को न-केवल राज्य स्तर पर केन्द्र स्तर पर इसलिए भी सराहा गया क्योंकि इसमें सर्वाधिक 1715 बीमारियां उपचार हेतु ली गईं जिसके तहत 65 प्रतिशत राजस्थान की आबादी कवर होगी और 3 हजार से 3 लाख रुपये तक का निशुल्क इलाज। आज तक तो सरकारी अस्पतालों में ही होता था, जिनकी संख्या 494 है। इसका दायरा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने 633 निजी चिकित्सालयों को भी जोड़ दिया। अब 3 हजार से लेकर 3 लाख तक का 17 सौ बीमारियों का इलाज आम आदमी अगर भामाशाह कार्ड लेकर जायेगा तो बहुत बड़ी राहत मिलेगी। आज दो सौ, तीन सौ, चार सौ किलोमीटर से चल कर कोई व्यक्ति आता है, डेढ़ लाख, दो लाख का अगर उसको कोई उपचार कराना पड़ता है, कोई आपरेशन कराना पड़ता है तो इतनी बड़ी राशि उसके लिए लाना संभव नहीं है। राज्य सरकार ने 17 सौ बीमारियों और 3 लाख तक की छूट और निजी चिकित्सालय भी दे दिये। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है।

कुछ माननीय सदस्यों का आरोप था कि कांग्रेस सरकार के समय जो

(श्री अभिषेक मटोरिया)
निशुल्क दवा वितरण योजना चलायी गयी थी, उसको हमने बंद करने का काम किया, यह सही नहीं है। हालांकि यह योजना निश्चित रूप से अच्छी थी, हमारे सदन की नेता ने, सब लोगों ने माना परन्तु हमने इसको बंद नहीं किया, हमने इसमें जो दवाइयां थीं उनको बढ़ाया और पिछले बजट के मुकाबले 143 करोड़ रुपये का अधिक प्रावधान किया है। क्योंकि जो चीज अच्छी थी उसके दायरे को हमने और अधिक बढ़ा कर राजस्थान की जनता को सौगात के रूप में दिया।

खेल की दृष्टि से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भी खेलों से जुड़े हुए हैं और मुझे भी लंदन में और ब्राजील में ओलम्पिक खेलों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि मैं भी भारतीय ओलम्पिक संघ से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ हूं। वहां पर जब देश की दोनों बेटियों साक्षी मलिक और पी.वी. संधू ने देश के लिए गर्व का काम किया, देश के लिए दो मैडल जीते तो निश्चित रूप से अपने आप में बड़ी बात थी, पर विडम्बना भी थी कि 121 करोड़ की आबादी में इन दो मैडलों, इन दो शानदार बच्चियों के अलावा हमारे पास कोई मैडल नहीं था। इस बात की चर्चा हमने हमारे खेल मंत्री महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से की और उन्होंने हमें यह आश्वस्त किया कि राजस्थान में खेलों को बढ़ावा देने के लिए जितनी भी योजना हैं, सब में इजाफा होगा, जो राशि उनको डाइट के रूप में दी जा रही है, वो भी बढ़ेगी और युवा मामले एवं खेल विभाग के लिए आगामी वर्ष में 106.8 करोड़ लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जो कि वर्ष 2016-17 की तुलना में 24.3 प्रतिशत अधिक है। राज्य में वर्तमान में जो 14 स्पोर्ट्स एकेडमी हैं उसके अलावा खेल विभाग ने कोटा में बालिका फुटबाल, भरतपुर में बालक कुश्ती एकेडमी, बीकानेर संभाग मुख्यालय पर साइक्लिंग एकेडमी, झुन्झुनूं में वॉलीबॉल एकेडमी, जोधपुर, अलवर और करौली में जो मल्टी परपज इण्डोर हॉल निर्मित है, 4.50 करोड़ की राशि उन पर व्यय कर के उनका विस्तार किया जायेगा। एस.एम.एस., जयपुर स्टेडियम में जो हॉकी एस्ट्रोटर्फ है, जो हमारा राष्ट्रीय खेल है जो बहुत लम्बे समय से पिछड़ रहा है, इसको और अधिक महत्व देने के लिए और ट्रेनिंग ट्रेक को सिंथेटिक करने के लिए 4 करोड़ और 2 करोड़ की राशि राजस्थान सरकार इस बजट में खेलों के लिए व्यय करेगी।

(श्री अभिषेक मटोरिया)

परिवहन की दृष्टि से जो प्रश्न के माध्यम से हंगामा हुआ, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि 38 माह में हमने 1327 नये मार्ग खोले जबकि गत सरकार ने पांच वर्ष में 1254 मार्ग खोले। उद्योगों की दृष्टि से 38 माह में हमने 1 लाख 37 हजार 234 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना की जिसमें 21 हजार 780 करोड़ रुपये की पूंजी विनियोजन एवं 8 लाख से अधिक रोजगार सृजित हुआ। और पिछली सरकार के पांच वर्ष के कार्यकाल में यह 74 हजार 51 स्मॉल, मीडियम और लार्ज एन्टरप्राइजेज की स्थापना हुई जिसमें 11 हजार 183 करोड़ की पूंजी विनियमन एवं 1 लाख 92 हजार रोजगार सृजित हुआ, जो हमने 30 प्रतिशत कम है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हमने 38 माह में सिंगल विंडों क्लीयरेंस सिस्टम के के माध्यम से 8 हजार 75 करोड़ रुपये निवेश और 119 प्रस्ताव स्वीकृत करे हैं। जो बार-बार माननीय सदस्य हम पर आरोप लगाते हैं कि आपने बहुत सारी मीट कर ली, बहुत सारे कार्यक्रम कर लिये परन्तु आपको निवेश कितना आया इंडस्ट्रियल मीट के माध्यम से। इनके समय में सिंगल विंडों क्लीयरेंस व्यवस्था के तहत केवल 2873 करोड़ रुपये और केवल 68 प्रस्ताव इनको प्राप्त हुए।

कृषि विभाग में हमने मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के इन्फ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए 55 नवीन मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की, इनकी सरकार ने पांच वर्ष में केवल 26 नवीन प्रयोगशालाएं स्थापित कीं। महिला सशक्तीकरण को कृषि विभाग से जोड़ने के लिए हमने 32 लाख बीजों के मिनी किट का वितरण किया, इनके समय में पांच वर्ष के कार्यकाल में केवल 30 लाख कर पाये। हमारी सरकार ने 38 माह में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पीएचडी कृषि में अध्ययनरत 29 हजार 510 छात्राओं को 18 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन राशि के रूप में वितरण किया, इनके समय में यह फीगर केवल 25 हजार था। हमारी सरकार के 38 माह के कार्यकाल में अब तक 31 लाख 30 हजार कृषकों को हमने हैल्थ सोइल कार्ड प्रोवाइड कर दिया, इनके पांच वर्ष में भी यह केवल 13 लाख 40 हजार कृषकों को हैल्थ सोइल कार्ड दे पाये। कृषि विभाग का जो टोटल इस बजट में हमने रखा है वो 3156.61 लाख करोड़ का प्रावधान किया है और 2015-16, 2016-17 में कुल 600 ग्राम पंचायत में नवीन पशु चिकित्सालय खोले जायेंगे, जो शेष रह गयी 4160 ग्राम पंचायतें उनमें माननीय मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी कोई भी पंचायत

(श्री अभिषेक मटोरिया)
नवीन पशु चिकित्सालय के बगैर नहीं रहेगी, मैं घोषणा करती हूं कि सभी में खुल जाए। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सभी पंचायतों में नवीन पशु चिकित्सालय खोल दिये जायेंगे।

इसके अलावा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में पालनहार योजना के तहत हमने 38 माह में 533 करोड़ 46 लाख रुपये व्यय किये और 2 लाख 5 हजार 554 लाभार्थियों को लाभ दिया, इन्होंने पांच वर्ष के कार्यकाल में 222 करोड़ 70 लाख रुपये व्यय किये और केवल 80 हजार लाभार्थियों को लाभ दिया।

हमने सहयोग योजना के माध्यम से 40 हजार 375 पुत्रियों को 47 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की, आपने 22 हजार 555 पुत्रियों के विवाह हेतु केवल 22 करोड़ रुपये प्रदान किये। हमने 5 हजार 940 करोड़ रुपये का सर्वाधिक व्यय अगर इस बजट में किया है तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में किया है, जो आपके पांच साल के बजट से कहीं अधिक है।

अपनी बात समाप्त करने से पहले केवल अंतिम पोइंट के रूप में निवेदन करना चाहता हूं। पर्यटन विभाग अपने आप में राजस्थान की एक पहचान है और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने 38 माह में 96 करोड़ रुपये पर्यटन स्थलों के विकास और संरक्षण के लिए व्यय किया और इन्होंने पांच वर्षों में केवल 35 करोड़ रुपये व्यय किये, जो हम से तीन गुना कम है। हमारे यहां पर देसी और विदेशी सैलानियों का जो कम्पेरिजन है, जो टोटल अमाउंट है वो 11 करोड़ था और इनके 38 माह में केवल 8 करोड़ था।

अग्रेसिव मार्केटिंग कैम्पेन, माननीय सदस्या जिनके साथ मैं एक डिबेट पर गया, वो आज हमारे बीच में नहीं आयी, उन्होंने कहा कि आपने तो एक ऐसा मार्केटिंग कैम्पेन चला दिया जिसमें ऐसा लगता है कि राजस्थान का जब वो एड आता है जो 'जाने क्या दिख जाए' पता नहीं भूत दिख जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में तो लाग भूत को भी देखने आते हैं। कई ऐसे गढ़ हैं, कई ऐसे किले हैं। परन्तु जब वो कैम्पेनिंग होती है, अग्रेसिव कैम्पेनिंग 'म्हारो राजस्थान', वेलकम टू राजस्थान', उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का लोगों नहीं होता, वो राजस्थान एज ए प्रदेश, एज से स्टेट को विकसित करने

(श्री अभिषेक मटोरिया)

के लिए, देश और विदेश में राजस्थान की साख बढ़ाने के लिए, देसी और विदेशी पर्यटकों को राजस्थान के प्रति आकर्षित करने के लिए ताकि हमारे यहां पर जो स्थानीय उद्योग हैं उनको बढ़ावा मिले, इस हेतु वो योजना चलायी गयी। एक तरफ चित्तौड़गढ़ का किला है, दूसरी तरफ उदयपुर की धरा है, तीसरी तरफ जैसलमेर के धोरे दिखाये गये। उन सब का जो समावेश है वो अग्रेसिव मार्केटिंग कैम्पेन के तह 88 करोड़ रुपये इस बात पर हमारी सरकार ने खर्च किये ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक राजस्थान में आएं। मेरी समझ में यह कोई पार्टी विशेष से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है।

इसके अलावा 156 करोड़ रुपये केवल और संस्कृति के लिए हमने खर्च किये, जो कि पिछले बजट की तुलना में 48.6 प्रतिशत अधिक है। सहकारिता विभाग में, इन्होंने एक हंगामा किया कि हमने डेढ़ लाख रुपये प्रत्येक काश्तकार को सहकारी विभाग में दिये, कितने रुपये दिये यह मैं आपको बताता हूं। हमने 38 माह में अल्पकालीन ऋण के तहत 44 हजार 370 करोड़ रुपये वितरित किये, आपने पांच वर्षो में 40 हजार 700 करोड़ रुपये अल्पकालीन ऋण के रूप में दिये। अगर हम मध्यकालीन ऋण की बात करें तो केवल 38 माह में सहकारिता विभाग ने 1450 करोड़ रुपये के ऋण वितरण किये और आपने पांच वर्षों में 1340 करोड़ रुपये वितरण किये। कहां तीन साल का फीगर कहां पांच साल का फीगर।

इसके अलावा हमने 38 माह में 41 करोड़ रुपये का व्यय 407 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के नये गोदामों के निर्माण में किया, आपने पांच वर्षो में केवल 44 करोड़ रुपये व्यय किये और 340 ग्राम सेवा सहकारी समितियों का निर्माण और नये गोदामों का निर्माण किया। 3 साल के फीगर और 5 साल के फीगर में यह स्पष्ट है कि सहकारी विभाग में भी राज्य सरकार ने इनकी तुलना में कहीं अधिक खर्च किया।

उपाध्यक्ष महोदय, अंतिम पाइंट के रूप में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में हमने 38 माह में 665 उप केन्द्र, 32 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 22 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के निर्माण हेतु 304 करोड़ की राशि व्यय की। आपने 5 वर्षों में भी केवल 132 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण किया।

(श्री अभिषेक मटोरिया)

हमने 38 माह में 253 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 268 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 24 स्वास्थ्य केन्द्रों और 22 जिला चिकित्सालयों पर जो खर्च किया, उसकी तुलना में आपके 5 वर्ष में केवल 150 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 119 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की जो राशि है, वह हमारी तुलना में काफी कम है।

उपाध्यक्ष महोदय, समय सीमा को ध्यान में रखते हुए, आज वैसे भी शुक्रवार है और आने वाले होली के पर्व को मद्दे नजर रखते हुए जो स्ट्रिक्ट गाइड लाइंस आपने समय सीमा की दी, उसमें बंधते हुए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रथम वक्ता के रूप में आपने और हमारे उप मुख्य सचेतक महोदय ने मुझे समय दिया। इस शानदार बजट के लिए और माननीय मुख्यमंत्रीजी ने एक वित्त मंत्री के रूप में जो बजट राजस्थान की धरा पर दिया, जिससे राजस्थान की दशा और दिशा निश्चित रूप से बदलेगी और आने वाले 2 साल का समय हम एग्जीक्यूशन के रूप में साबित कर पाएंगे, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बनवारी लाल सिंघल।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। आज के ओपनिंग बैट्समैन के रूप में मैं धन्यवाद करता हूं हमारे साथी विधायक अभिषेक मटोरिया का, पूरे आंकड़ों के साथ जोरदार तरीके से राजस्थान सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को जिस तरह से आपने सदन के पटल पर रखने का काम किया है, निश्चित रूप से स्वागत योग्य है।

उपाध्यक्ष महोदय, इन सब 200 माननीय सदस्यों के काम का आंकलन हर 5 वर्ष में राजस्थान की 7 करोड़ जनता करती है। पिछली बार जब हम लोग 13वीं विधान सभा में थे, तो जो लोग इधर बैठे थे, उनसे हम यह बात कहते थे कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं इस राजस्थान की जनता के हित में तो इन लोगों को गुस्सा आता था। चीख-चीख कर पड़ते थे और इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। राजस्थान की जनता ने इनके कुकर्मों का फल इनको देकर ऐसी स्थिति में लाकर के छोड़ा कि यह लोग, अगर एक- आध और कम आ जाते तो शायद प्रतिपक्ष के रूप में भी इनको मान्यता मिलने की स्थिति नहीं होती।

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

उपाध्यक्ष महोदय, कल हमारे किशनपोल से आने वाले विधायक महोदय ने जिस तरह से बताया। जिस तरह की प्रतिक्रिया बजट पर प्रतिपक्ष के नाते प्रतिपक्ष ने दी, मैं समझता हूं कि इन्होंने केवल प्रतिपक्ष का धर्म इसको मान लिया है कि हमको केवल आलोचना करनी है चाहे अच्छा काम सरकार करे। मैं देख रहा था कि जब माननीय मुख्यमंत्री वित्त मंत्री के रूप में बजट प्रस्तुत कर रहीं थीं, प्रतिपक्ष के भी बहुत सारे सदस्य जब उनके क्षेत्रों का नाम आ रहा था, तो चुपचाप नीची गर्दन करके टेबल तो बजा रहे थे। आंतरिक खुशी तो मिल रही थी। लेकिन प्रतिपक्ष का सदस्य होने के नाते बार-बार टोका-टोकी और टीका-टिप्पणी भी करके अपने प्रतिपक्ष होने का बखान कर रहे थे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह के काम इन 3 सालों में इस राजस्थान की सरकार ने और पौने 3 साल में इस देश की सरकार ने, इस देश को और प्रदेश को करके दिये हैं, उसका आत्मावलोकन करोगे तो निश्चित रूप से आपको स्वयं उत्तर मिलेगा कि यह राजस्थान की सरकार और पिछली सरकार, दोनों में क्या अंतर था।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात शुरू करता हूं।

एक माननीय सदस्य: अब तक क्या कर रहे थे?

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): वह तो मैं आपको बता रहा था कि आपकी ऐसी दशा क्यों हुई? हनुमान जी, आप भी जाकर के फंस गए उनके बीच में।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): यह तो बीच में फंसे हुए हैं।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): यह सो नहीं रहे थे। यह तो मनन की मुद्रा में थे। यह सब आप लोगों की चाल थी कि आपने मनन की मुद्रा में बैठे हुए हमारे मंत्री गणों के फोटो ऐसे छाप दिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सिंघल साहब, मैं तो उधर कहां फंसा हूं। मैं तो यहां बैठा हूं। थर्ड फ्रंट है यह तो।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): उपाध्यक्ष महोदय, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड जो इस देश में एनसीआर क्षेत्रों में विकास करने का काम करता है। लेकिन पिछले 5 वर्ष जब हम विपक्ष में थे तो राजस्थान में कांग्रेस की

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

सरकार थी और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। हम लोग जो एनसीआर क्षेत्र से आते हैं, प्रत्येक लीटर पैट्रौल पर, प्रत्येक लीटर डीजल पर, प्रत्येक लीटर ईंधन पर हम लोग एनसीआर का भुगतान करते हैं। सेस के रूप में करते हैं। करों के रूप में भुगतान करते हैं। हर वाहन पर हम अतिरिक्त रूप से भुगतान करते हैं। हमारे एनसीआर क्षेत्र में यह व्यवस्था है कि हम यूरो-4 से नीचे का कोई वाहन नहीं खरीद सकते। अगर खरीदेंगे तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग पिछले सांसद जो हमारे यहां से थे, उनको और राजस्थान की सरकार के माध्यम से भी अनेक बार इस बात को कह चुके थे कि आप एनसीआर का पैसा लाइए। एनसीआर के जिले का विकास कराईए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक कान से सुनते थे और दूसरे कान से निकाल देते थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय वसुन्धरा जी को, राजस्थान की सरकार के नगरीय विकास मंत्री जी को, देश के नगरीय विकास मंत्री आदरणीय वैंकेया नायडू जी को और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को जिन्होंने एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के माध्यम से राजस्थान में अभूतपूर्व विकास कराने का काम किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो आज राजस्थान के 200 विधायक सबसे पहले अपने क्षेत्र में पानी की मांग करते हैं, मेरे अपने अलवर विधान सभा क्षेत्र में 174.86 करोड़ रुपए की पानी की योजना और मिशन अमृत के माध्यम से 211 करोड़ रुपए की एग्रीकल्चर क्षेत्र में पानी की योजना, सीवरेज की योजना, पार्कों के विकास की योजना, बस स्टैंडों के विकास की योजना, 400 करोड़ रुपया केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के माध्यम से और राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के माध्यम से, कुल 943 करोड़ रुपए का विकास 3 वर्षों के अंतराल में इस वर्तमान सरकार के माध्यम से हुआ है। 5500 करोड़ रुपए से ज्यादा का विकास अलवर जिले में हुआ। मैं इसके लिए राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री को धन्यवाद नहीं दूं तो इसका मतलब यह है कि हम लोग राजस्थान की मुख्यमंत्री के द्वारा किए जा रहे लोक कल्याणकारी कामों को अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान की मुख्यमंत्री ने विकास के वह आयाम स्थापित किए हैं कि उनको बरसों तक जनता याद रखेगी। बरसों तक यह सदन याद रखेगा।

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

(14.19 बजे)

(श्री जोगाराम पटेल, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के माध्यम से अलवर जिले को 968 करोड़ रुपए की लागत से, 600 करोड़ रुपयों की सड़कों का विकास अभी हमें मिला है। मैं बिन्दु संख्या 28 जो कि इस बजट में दर्ज है, क्योंकि हमारे आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूर्व वक्ता को बीच में टोककर कहा कि आप बताइए इस बजट में कहां दर्ज है। आज हम अधिकतम उन्हीं बातों की चर्चा करेंगे जो बजट में दर्ज हैं।

सभापति महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए आगामी वर्ष में 6657 करोड़ 32 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 58.47 प्रतिशत अधिक है। मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 5 वर्ष में जो स्थिति हम सड़कों की देखते थे, चाहे वह हाइवेज हों, उनकी स्थिति देखते थे तो यह हालत होती थी कि कभी-कभी पैच लगता नजर आता था। यह 6657 करोड़ 32 लाख की राशि का प्रावधान किया है। पिछली सरकार फटी जेब, खजाना खाली, फटी जेब, खजाना खाली, जब भी कोई प्रश्न लगाते थे तो एक ही उत्तर मिलता था कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर कार्य किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पिछली सरकार के पास किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं था। 5 वर्ष तक लगातार हम लोग इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करते रहे और विकास के कामों को मांगते रहे। लेकिन सरकार काम करने में सफल नहीं हुई।

सभापति महोदय, अभी प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, मैं तो आपका भी धन्यवाद करता हूं कि कम से कम जब मैंने बात कहना शुरू किया है तो आपको पता नहीं कहां से हनुमान जी ने आकर शक्ति दी है कि आप पधार गए।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): आप शांति बनाए रखें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): नहीं, शांति तो बनाकर के रखेंगे। वह इतना तो इनका और मेरा समझौता है। इतना ही है बस। आपके बिना सदन अधूरा था। कुछ न कुछ टोका-टोकी के बिना आनंद आता नहीं है।

सभापति महोदय, प्रतिपक्ष यह समझता है कि किसानों की बात करने की केवल प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है। लेकिन सदन की नेता ने, राजस्थान की

(श्री बनवारीलाल सिंघल)
यशस्वी मुख्य मंत्री ने आपको यह अहसास करा दिया कि जिस बात को आप आज तक उठा नहीं पाए, ध्यान नहीं दे पाए, किसानों का भला करते हुए, किसानों की सोच रखते हुए आगामी 2 वर्ष में 1 लाख कृषि कनेक्शन देने का अपना संकल्प दोहराया है। इसके साथ-साथ एक बड़ी बात की है कि अभी तक केवल पंचायत समिति के स्तर पर एक किसान अपने कृषि कनेक्शन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता था। अब हमारी मुख्य मंत्री ने इस सीमा को बढ़ाकर पूरे जिले की सीमा कर दिया है। किसान अपने कृषि कनेक्शन को पूरे जिले में कहीं भी स्थानांतरित कराकर ले जा सकता है। यह किसान के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, केवल राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश में धार्मिक स्थलों पर किस तरह से वहां हमारे राजस्थान के लोगों को सुविधाएं उपलब्ध हों, इसके लिए बनारस में अलवर मंदिर के नाम से जो मंदिर जाना जाता है, उसके जीर्णोद्धार और मरम्मत के लिए राजस्थान की मुख्य मंत्री ने राजस्थान के गौरव को बढ़ाने के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वृंदावन, उत्तर प्रदेश में भी राधा माधव मंदिर, जो कि जयपुर मंदिर के नाम से जाना जाता है, की स्थापना का शताब्दी वर्ष इस वर्ष मनाया जाएगा, उसके सौंदर्यीकरण और प्रकाश व्यवस्था के लिए 50 लाख रुपए की व्यवस्था माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है। इतना ही नहीं तिरूपति बालाजी और बद्रीनाथ धाम पर भी राजस्थान के यात्री अगर जाएंगे तो उनके रुकने की व्यवस्था कैसे होगी, इस बात को भी राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने ध्यान में रखा है। तिरूपति बालाजी और बद्रीनाथ धाम में भी राजस्थान सरकार की ओर से धर्मशालाओं का निर्माण कराया जाएगा। ऐसी व्यवस्था राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने की है।

भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में लम्बे समय से मांग चल रही थी, हमारे साथी विधायक इस बात की मांग करते थे, वहां पानी के प्रदूषण की बहुत भारी समस्या थी। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस गंभीर समस्या की तरफ ध्यान देते हुए, भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए सीटीपी भिवाड़ी पर 52 करोड़ रुपए की लागत से 6 एमएलडी के आर. ओ.

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

प्लांट की स्थापना करने का अपना जो संकल्प दोहराया है, जो प्रावधान किया है इसके लिए सारे क्षेत्रवासी ढोल नंगाड़ों से हमारी मुख्य मंत्री का स्वागत अपने क्षेत्र में कर रहे हैं और जयपुर तक आने की तैयारी में भी लगे हुए हैं। आप लोगों से इस बाबत पाँच साल तक हमारे क्षेत्र के विधायक और हम सब लोगों ने खूब लगातार मांग की लेकिन तत्कालीन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के युवाओं को, किस प्रकार से उनके उद्यम को प्रोत्साहन दिया जाए, युवा उद्यमिता को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से राजस्थान के युवाओं की परियोजनाओं को स्थापित करने हेतु 5 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा प्रदान की जाती है जिसके प्रथम 90 लाख रुपए तक के लोन पर राज्य सरकार की ओर से 6 प्रतिशत ब्याज की सब्सिडी राज्य सरकार की ओर से प्रदान की जाती है। राजस्थान की सरकार ने युवाओं के उद्यम को बढ़ाने के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए इस 90 लाख रुपए की सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ 50 लाख रुपए किया है ताकि युवा, इन पर पहले स्थापना के वर्षों में भार अधिक नहीं पड़े और यह युवा उद्योगपति अन्य बड़े उद्योगपतियों के कम्पीटिशन में उनकी प्रतिस्पर्द्धा में अपने आपको स्थापित करने में आराम से सक्षम हों, इसके लिए मैं युवाओं की तरफ से राजस्थान के युवाओं की तरफ से निश्चित रूप से माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करता हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने गंभीर सोच के साथ राजस्थान के युवाओं को, राजस्थान में उद्यम स्थापित करने के लिए जो एक बड़ा भारी सपोर्ट किया है उसके लिए मुख्य मंत्रीजी बहुत बधाई की पात्र हैं।

राजस्थान के अल्पसंख्यकों के लिए जिस प्रकार का सोच रखा है। गुरु गोविन्द सिंहजी का 350वां सालाना प्रकाश उत्सव पूरे देश में और दुनिया में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। माननीय मुख्य मंत्रीजी तक भी यह बात, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारे स्थानों पर गुरु गोविन्द सिंहजी के 350वें प्रकाश उत्सव में भाग लिया है, चूंकि उन्होंने भाग लिया और मुख्य मंत्रीजी की सोच और याददाश्त मजबूत है इसलिए उन्होंने गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़, रायसिंहनगर, गंगानगर और गुरुद्वारा श्री चरण कमल साहब, नारायणा, दूदू में गुरु गोविन्द का पैनोरमा निर्माण करवाए जाने का संकल्प इस बजट में किया है। इससे पूर्व

(श्री बनवारीलाल सिंघल)
अगर कभी भी इतिहास में इस तरह का सोच, यह प्रतिपक्ष जो आज वर्तमान में है, इन्होंने रखा हो तो मैं समझता हूं कि सब कुछ इतिहास के पन्नों में है, यह निश्चित रूप से ढूंढ कर उसका बखान करें।

राज्य के सात जिला चिकित्सालयों में व्यवस्था की जहां तक बात है, जब प्रदेश में हर साल डेगूं, चिकनगुनिया ऐसी बीमारियों का जोर चलता है, जब यह जोर चलता है तो लोगों के प्लेटलेट्स डाउन होते हैं, तुरंत लोगों को एसडीपी की आवश्यकता पड़ती है। उस समय किसी भी तरह से न तो ब्लड देने से काम चलता है और न प्लेटलेट्स देने से काम चलता है, एक अलग व्यवस्था होती है, ऐसे मरीज को तुरंत प्रभाव से एसडीपी सिंगल डोनर प्लेट्लेट्स की आवश्यकता पड़ती है और सिंगल डोनर प्लेट्लेट्स की जो व्यवस्था है वह इतनी महंगी है कि हर ब्लड बैंक सिंगल डोनर प्लेटलेट्स मशीन को लगाने की स्थिति में नहीं होता। राज्य की मुख्य मंत्रीजी ने राज्य के 7 जिला चिकित्सालयों, ब्यावर, बूंदी, अलवर, चित्तौड़गढ़, श्रीगंगागनर, धौलपुर और झुंझुनूं में जो वर्तमान में ब्लड बैंक कार्यरत हैं उनमें ब्लड कम्पोनेंट सेपरेशन यूनिट के लिए साढ़े तीन करोड़ रुपए यानी फिफ्टी लेक्स ईच, यानी पचास लाख रुपए प्रत्येक को देने का भवन के लिए और प्रत्येक को अस्सी लाख रुपए उपकरणों के लिए देकर लोगों के जनमानस के लिए ऐसी विषम परिस्थितियों में जब लोग डेगूं और चिकनगुनिया से अपने जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहे होते हैं ऐसे समय में जो उनके जीवन को बचाने का काम किया है इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं।

गत वर्ष के बजट में राज्य के सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से मैंने यह मांग की थी स्वयं कि मंत्री महोदय हमको थोड़ी सी ईर्ष्या हो रही है आपने राजस्थान के सभी ग्रामीण विधान सभा क्षेत्रों में ग्रामीण गौरव पथ के निर्माण किए जाने की घोषणा की है, हम लोग शहरी विधान सभा क्षेत्र से आते हैं, हमारे लोग भी लालायित होकर देख रहे हैं, एक-एक विधान सभा क्षेत्र में तीस, पैंतीस, चालीस तक ग्रामीण गौरव पथ बन रहे हैं। शहरी क्षेत्रों से ऐसा भेदभाव क्यों? मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का, राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी का और नगरीय विकास मंत्रीजी का कि

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

आपने संयुक्त प्रयास करके राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में भी गौरव पथ बनाने के लिए 2016-17 में 89 करोड़ 87 लाख रुपए का प्रावधान किया था और 2017-18 में तो आपने राजस्थान के रिकार्ड को तोड़कर 357 करोड़ रुपए का प्रावधान करके राजस्थान के सभी शहरी विधान सभा क्षेत्रों को लाभांवित करने का जो प्रावधान किया है इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत धन्यवाद करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में जिस तरह से बहुत सूक्ष्म दृष्टिकोण तक जाते हुए, बहुत माइन्यूट ऐसे ऑब्जर्वेशन करते हुए राजस्थान में संपत्ति के विवाद बहुत होते थे, रोजाना पुलिस में मुकदमें हो रहे हैं, एग्रीमेंट के मुकदमें हो रहे हैं, एग्रीमेंट टू सेल, इसको जिस तरह से तर्कसंगत बनाने का माननीय मुख्य मंत्रीजी ने काम किया है, मैं समझता हूं कि यह राजस्थान की पुलिस के मुकदमों की और प्रशासनिक अदालतों के सिर दर्द को कम करने में बहुत बड़े स्तर पर कामयाब होगा। इसके अलावा रेंट डीड, लोग आते हैं, कोई कहीं से आया, किसी का कोई अता नहीं, कोई पता नहीं, लिया दस, बीस, पचास रुपए का स्टैम्प और उस पर किरायानामा लिखवाया और कोई भी आदमी चला गया कोर्ट में, अगर कोई चला जाता है किसी आदमी के खिलाफ किसी किरायेदार के खिलाफ तो कोर्ट कहता है आपका किरायानामा रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए हम किसी भी प्रकार की मदद करने की स्थिति में नहीं है। माननीय सभापति महोदय, ऐसी रेंट डीड को तर्कसंगत करते हुए अब तक जो स्टाम्प ड्यूटी रेंट डीड पर लगती थी उसको मात्र 20 प्रतिशत पर लाकर राजस्थान की सरकार के माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिस तरह से राजस्थान के आम आदमी को सुरक्षित करने का काम किया है, इसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्रीजी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से फैमिली सैटलमेंट के दस्तावेज, आज परिवार बढ़े हैं, बड़े परिवारों में किसी भी प्रकार का विघटन होना सामान्य सी प्रक्रिया है। उस विघटन की स्थिति में फैमिली सैटलमेंट को रजिस्टर्ड कराने के लिए जब कोई व्यक्ति जाता है तो स्टाम्प ड्यूटी सुनते हैं तो लोग उसको सादा कागजों पर लिखने पढ़ने का काम करते थे, जिससे आने वाले समय में किसी प्रकार का विवाद हो जाए तो उस फैमिली सैटलमेंट की कोई मान्यता नहीं बचती थी। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस ओर भी ध्यान दिया और फैमिली सैटलमेंट के रजिस्ट्रेशन की फीस को 1 प्रतिशत से घटाकर .25 प्रतिशत यानी उसका केवल चौथा हिस्सा करके राजस्थान की जनता को जिस प्रकार से लाभ देने का काम किया है मैं राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक-एक छोटे से छोटे बिन्दु को जिस तरह से लीज, लोग मकान, प्लॉट खरीदते हैं और भूल जाते हैं, लीज इकट्ठा हो जाती है, जब लीज को जमा कराने कोई जाता है तो उस पर ब्याज पेनेल्टी जिस तरह से लगने लगती है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस ओर ध्यान देते हुए 1.4.2017 से 30.9.2017 तक जो भी लोग अपनी बकाया लीज और पेनेल्टी को जमा कराने जाएंगे उनको एकमुश्त ब्याज और पेनेल्टी की छूट देने का जो अपना संकल्प दोहराया है इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, कुछ विशेष बिन्दु है जो मैं इस बजट के बाहर भी कहना चाहता हूं। माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी यहां नहीं है, एक बहुत गंभीर विषय राजस्थान में सिर उठा रहा है। वह सिर यह उठा रहा है कि राज्य में निजी स्तर पर संचालित तकनीकी महाविद्यालय हैं या जो तकनीकी यूनिवर्सिटीज हैं इनमें पिछले समय में एक ऐसी होड़ चली, हर व्यक्ति कॉलेज चलाने लगा, इंजीनियरिंग कॉलेज चलाने लगा, परिणाम यह हुए कि इन इंजीनियरिंग कॉलेजों में लोगों ने एडमीशन देने के नाम पर किसी भी तरह के क्राइटेरिया का पालन नहीं किया। चालीस, पैंतालीस, पचास, अड़तीस परसेंट के लोगों को एडमीशन दिया और उसके परिणाम यह हुए कि वह गरीब परिवार के युवा, पैंतीस, चालीस, पैंतालीस परसेंट, पचास परसेंट अंक जिन्होंने बारहवीं क्लास में प्राप्त किए थे, इंजीनियरिंग में एडमीशन लिया, बीटेक किया और आज जब वह प्लेसमेंट के लिए जाते हैं तो देश की कोई कम्पनी, प्रदेश की कोई कम्पनी उनके प्राप्तांकों को देखकर कोई रोजगार देने को तैयार नहीं है। मेरा यह मानना है कि इस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ी है। परिवार ने लोन लिया, अपने गहने भी माताओं ने गिरवी रख दिए, परिवार ने मकान गिरवी रख दिया, पिता ने अपनी पूरी सम्पत्ति लगा दी, उसके बाद आज बच्चों में जो स्थिति हो रही है, या तो बच्चों में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है या बच्चों में

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

सुसाइड की प्रवृत्ति बढ़ रही है, परिवारों का विघटन हो रहा है। बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं, मेरा इस मंच से, इस सभा के माध्यम से, सदन के माध्यम से कहना है माननीय सभापति महोदय, हमारे राजस्थान का उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, यह बी.टेक. के लिए कम से कम बी.टेक. के लिए तो एक प्राप्तांक तो तय करे कि पचास परसेंट, पचपन परसेंट, साठ परसेंट से ज्यादा इस-इस ब्रांच में एडमीशन नहीं दिया जाएगा ताकि आने वाले समय में बच्चा दूसरी फैकल्टीज को चूज करे, उनको सलेक्ट करे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान में सिंगल फेस कनेक्शन की बात है, माननीय जलदाय मंत्रीजी यहां पर मौजूद नहीं है, मैं कहना चाहता हूं कि सिंगल फेस कनेक्शंस को प्रीपेड मीटर लगाकर जिस तरह से रिचार्ज नहीं कराने की व्यवस्था वर्तमान में राजस्थान में चल रही है, उससे अधिकतम सिंगल फेस मोटर, सिंगल फेज बोरिंग्स हैं, वह थोड़ी सी विभागीय लापरवाही है, सरकार पैसा दे रही है लेकिन समय-समय पर पब्लिक तो उनको ज्यादा चला लेती है जितने घंटे रोजाना चलना चाहिए, यह रिचार्ज नहीं होने से खड़े हैं, इसलिए इनको भी ठीक उसी समय पर रिचार्ज कराने की व्यवस्था हो। एक हमारे सभी सदस्यों की समस्या है।

मैं एक बात की ओर इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हम राजस्थान के 200 सदस्य, जिनमें माननीय मुख्यमंत्रीजी से लेकर हम सभी सदस्य आते हैं, हम 200 सम्मानित सदस्य, जिनको राजस्थान की 7 करोड़ जनता चुनकर भेजती है वह राजस्थान की जनता अपने सम्मानित सदस्यों का निश्चित रूप से मान-सम्मान भी चाहती है। आये दिन जिस प्रकार की घटनाएं राजस्थान में, चाहे वह टोल टैक्स पर हो रही है, चाहे वह सड़क पर चलते हो रही है, चाहे किसी बलवे के टाइम हो रही है, किसी मुकदमे या झगड़े के टाइम हो रही है, जब माननीय सदस्य को ऐसे स्थान पर तुरन्त प्रभाव से जाना जरूरी होता है, जब वहां माननीय सदस्य जाते हैं और झगड़े या किसी प्रकार की ऐसी आशंका होती है (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) एक मिनट लूंगा। मात्र एक मिनट लूंगा। हमारे, आपके सबकी बात है। मेरा यह कहना है कि देश भर के अनेक प्रदेशों में राजस्थान विधान सभा के सदस्यों को भी, यह मैं

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

मांग करता हूं, देश के जो दूसरे प्रदेश हैं, हिमाचल है, पंजाब है, हरियाणा है, और प्रदेश हैं उनमें विधायकों को एक अंबर बीकन अपने वाहन पर उपयोग करने के लिए, क्योंकि पिछले कुछ छोटे से समय में ही राजस्थान विधान सभा की समितियों को टोल पर रोक दिया, राजस्थान विधान सभा के सदस्यों को रोक दिया गया।

श्री सभापति: विषय ध्यान में आ गया, धन्यवाद।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): एक अंबर बीकन की व्यवस्था सभी माननीय सदस्यों के लिए की जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: डॉ. श्री फूलचंद जी भिंडा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, मेरा पाइंट ऑफ इंफार्मेशन है।

श्री सभापति: भिंडा साहब, एक सैकिण्ड। Only for information.

सूचना

बाड़मेर जिले के नागरिक की विदेश में मृत्यु

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक सूचना पढ़कर सुना देता हूं। सभापति महोदय, बाड़मेर जिले के कासमी निवासी राजूदास पुत्र श्री भगवान दास की मृत्यु 15 दिन पहले सऊदी अरब के रियाद के अंदर हो गई थी। घर वाले रो-रोकर परेशान हैं। उनका शव तत्काल भारत लाया जाए। इस दिशा के अंदर सरकार दिल्ली सरकार से बात करे। ऐसी घटनाएं पहले भी हुई है। दो-दो, तीन-तीन महीने तक बॉडी वापस नहीं आयी।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इसमें मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं, इसमें आप निर्देश जारी कराएं।

श्री मानवेन्द्रसिंह (शिव): सभापति महोदय, जो विषय खींवसर विधायक ने उठाया है यह मेरे विधान सभा क्षेत्र का विषय है। मैं लगातार प्रतिदिन रियाद,

(श्री मानवेन्द्रसिंह)

सऊदी अरब में अपनी एम्बेसी से सम्पर्क में हूं। जांच सऊदी पुलिस कर रही है क्योंकि उनको आशंका है कि यह मामला आत्महत्या का है। जब तक सऊदी पुलिस संतुष्ट नहीं हो कि केवल आत्महत्या है, वे बॉडी देने को तैयार नहीं है। डेली मेरी वार्ता अपनी एंबेसी से हो रही है, वे मेरे सम्पर्क में हैं।

श्री सभापति: धन्यवाद। भिंडा साहब।

आय-व्ययक

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय सभापति जी, हमारा 2017-18 का जो संकल्प है उस पर वाद-विवाद चल रहा है। (व्यवधान) हमारे जो विचारक और संस्थापक दीनदयाल जी उपाध्याय थे उनके बारे में बहुत लोगों को मालूम नहीं है। दीनदयाल जी कृषि के बारे में नहीं, खेत और स्वावलम्बन की बात करते थे। मैं वर्तमान मुख्यमंत्री और वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि खेत और स्वावलम्बन के बारे में पहली बार विशेष प्रयास इस बजट में किये गये हैं।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने "स्वस्थ धरा, खेत हरा"। कृषि की बात उन्होंने नहीं की। खेत हरा। यह एक संस्कार है। खेत के प्रति किसान का अटैचमेंट होता है। इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्रीजी ने इस बजट में बीज स्वावलम्बन योजना, यह बीज स्वावलम्बन योजना भारत की थाती है। हजारों वर्षों से जो किसान अन्नदाता कहा जाता था उसका आधार बिन्दु था स्वावलम्बन। चाहे वह सिंचाई के रूप में था, चाहे बीज के रूप में था। आज भी अमरीका की लेबोरेटरी 60 साल से हर वर्ष 60 साल पुराने बीज का उपयोग करके देखती है कि वह उगता है या नहीं उगता है। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): नियमों में 10 प्रतिशत संख्या होनी चाहिए। कोई आदमी नहीं है। 20 सदस्य नहीं हैं सदन के अंदर। कैसे हाउस चलेगा?

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, ये जान-बूझकर इस प्रकार का वातावरण तैयार करने की कोशिश विपक्ष कर रहा है।

(श्री मदन राठौड़)
(व्यवधान) आप कहां से बोल रहे हो यह मैं समझ रहा हूं। (व्यवधान) मानवेन्द्र सिंह जी, आप अंदर आओ। (व्यवधान)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): कोरम है।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): वह मैं समझ रहा हूं।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): जाओ, जाओ, कोई बात नहीं। (व्यवधान) वापस क्यों आ रहे हो? आप तो जाओ। कोरम है।

श्री सभापति: आप विराजें। आसन का काम आसन को करने दें। आप तो अपना वक्तव्य जारी रखें।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): विपक्ष किसानों की बात सुनना नहीं चाहता। पहली बार महाभारतकालीन व्यवस्था जिसको हमने लागू किया है। ये मॉनसेंटो लाये, विदेशी कंपनियां लाये, विदेशी बीज लाये, किसानों को बर्बाद कर दिया, गरीब कर दिया और आज सुनने को तैयार नहीं हैं।

माननीय सभापति महोदय, नारद जी जब महाभारत के बाद में युधिष्ठर के राज्य में जाते हैं तो वे बीज स्वावलम्बन की बात करते हैं। उसको हमारे मुख्यमंत्रीजी ने लागू किया है। इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती, किसानों के भविष्य के बारे में। उसमें 77वें श्लोक में कहते हैं-

आप्तैरलुब्धे: क्रमि कैस्ते च कच्चिदनुष्ठिता:।

कच्चित् राष्ट्रे तडागानि पूर्णानि च बृहन्ति च।

भागशो विनिविष्टानि न कृषिर्देव मातृका।

क्या राज्य में कृषक संतुष्ट हैं? पहली बार अभी बिजली का हुआ, आज बीज का हो गया, किसानों की सब्सिडी बढ़ गयी, इस कारण संतुष्टि की ओर हम जा रहे हैं। ऐसी ही बात वे कहते हैं "क्या राज्य में उपयुक्त दूरी पर तालाब एवं जोहड़ बने हुए हैं।" जो जल स्वावलम्बन का कार्य गत साल से माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ किया है। यह महाभारत कालीन मामला है। जब नारद जी जाते हैं तो यही पूछते हैं। फिर पूछते हैं "क्या खेती पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर है?" माननीय मुख्यमंत्रीजी ने सिंचाई पर जितना पैसा दिया है उसमें "अदेवमात्रिका" कृषि की व्यवस्था करने का एक कदम है।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

इसी प्रकार से-

"कच्चिन भक्तं बीजं च कर्षकस्यावसीदति,

प्रत्येकं च शतं वृद्धया ददास्यृण मनुग्रहम्।"

क्या खाद्यान्न एवं बीज नष्ट करने की मनाही है? उस समय भी किसान के बीज की आत्मनिर्भरता की बात थी। क्या ऐसी स्थिति में आप कृषकों को न्यूनतम ब्याज पर अर्थात एक प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने का विचार करते हैं? क्या राज्य में तीन प्रकार के व्यवसाय खेती, पशुपालन एवं व्यापार। कितना शानदार बजट है ? खेती और पशुपालन की बात महाभारत में कही गयी है। पशुपालन में प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक पंचायत में उप स्वास्थ्य केन्द्र होगा। पशु मुंह से बोलता नहीं। यह ऐतिहासिक कदम है। यह देश में पहला राज्य होगा जब प्रत्येक पंचायत हैडक्वार्टर पर हमारे पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था की गयी है। फिर लास्ट में कहते हैं- "इन पर जनता का सुख निर्भर करता है।"

मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं। यह महाभारत में ही नहीं, "कृषि पाराशर" ग्रंथ है उसमें भी लिखा हुआ है। उसमें भी-

"सुस्था भवन्तु कृषका धनधान्य समन्विता:"। बीज संग्रहण और परिरक्षण के बारे में श्लोक है। जिसमें प्रार्थना की गयी है किसान हैप्पी रहे, हैल्दी रहे और वैल्दी रहे।

इसी प्रकार जल धारणा के बारे में जो "पाराशर" ग्रंथ है उसमें 186 से 188 में लिखा है "भूभाग पर पानी को सुरक्षित करने के लिए बांधों के निर्माण की अनुशंसा पाराशर ग्रंथ में की गयी है जिसकी माननीय मुख्यमंत्रीजी ने काफी व्यवस्था की है और अभियान चलाकर काम किया है।

अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं दीनदयाल जी उपाध्याय पर हमें गर्व है कि इस प्रकार का संस्थापक हमारा विद्वान था, वैचारिक संस्थापक महापुरुष था। उनके विजन को देखते हैं तो वे कहते थे अंतिम व्यक्ति की चिंता करो। कांग्रेस के लोग हैं नहीं, मैं उनको बताना चाहता था कि इसके अलावा और अंतिम व्यक्ति की क्या चिंता हम करेंगे?

सौर ऊर्जा, यह आत्मनिर्भरता का है। प्रधानमंत्री बीमा योजना, जन-धन

(डा. फूलचन्द भिण्डा)
योजना, ज्योतिराव फुले मण्डी श्रमिक कल्याण कोष में 5 लाख रुपये, सहकारिता दुर्घटना बीमा में 5 लाख रुपये, आदर्श ग्राम पंचायत योजना में 20 लाख रुपये, सांसद ग्राम विकास योजना, एग्रोटेक, जैविक खेती, मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन, फोर वाटर कंसेप्ट, गरीब कन्या सहयोग विवाह राशि, ग्रामीण गौरव पथ शानदार, गांवों के उत्थान के लिए।

नि:शक्तजन पेंशन में वृद्धि, सहकारी भण्डार, प्रत्येक ग्राम पंचायत पर ग्राम सहकारी समितियों का गठन, वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना जिसमें 5 हजार को हवाई यात्रा करायेंगे। 'अविका कवच योजना', भेड़-बकरी के लिए भी व्यवस्था है जिसमें एस.सी., एस.टी. के जो भेड़पालक हैं उनको भेड़ों के बीमा पर 80 प्रतिशत प्रीमियम दिया जाएगा। गांवों का स्वावलम्बन, 1180 किसान केन्द्रों की स्थापना, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, क्या शानदार है जिसमें 474 रुपये में 32 हजार का बीमा होगा। पहले 2 हजार रुपये में 8 हजार रुपये का बीमा होता था वह 32 हजार रुपये, चार गुना कर दिया और प्रीमियम को 1/4 कर दिया। इस तरह 16 गुना की व्यवस्था की है। पिछली बार ये आलोचना करते थे कि किसानों को अनुदान कम मिलता है तो केन्द्र के अनुदान के अलावा अनुदान में 35 से 40 प्रतिशत वृद्धि की गई है और दीर्घकालीन ऋण के ब्याज में भी पहली बार 2 प्रतिशत की कमी की गई है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में पशुधन की व्यवस्था के लिए 900 डाक्टर और 4 हजार पशुधन सहायक का किया है। ये कुछ विषय थे जो हमारे प्रतिपक्ष के लोगों को याद नहीं आता या चलाकर अवहेलना करते हैं, अनदेखी करते हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि राज्य में जो राज्य की आय है उसमें एक सुखद पहलू है कि एग्रीकल्चर का जो हिस्सा है वो कम हो रहा है और 28 प्रतिशत से 26 प्रतिशत हो गया, सर्विसेज का 40 से 44 प्रतिशत हो गया। एक जगह जरूर चिंता है कि उद्योग का शेयर भी घट गया जो घटना नहीं चाहिए, यह रोजगार से जुड़ा हुआ मामला है।

स्थायी पूंजी निर्माण में इनके टाइम में 2011-12 और 2012-13 में जो वृद्धि दर थी वो 8.29 थी और वो जीडीपी का केवल 34 प्रतिशत था। हमने इसको तीन साल में 17.65 प्रतिशत, 11.1 प्रतिशत और 11.54 प्रतिशत किया जबकि उनका 8 प्रतिशत था। इस तरह से जो स्थायी पूंजी निर्माण है वो

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

बढ़ाया है और टोटल एग्रीगेट में जो 34 प्रतिशत था उसको हम 41 प्रतिशत पर ले गये। जितनी जीडीपी है उसका 41 प्रतिशत स्थायी पूंजी निर्माण होना बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं।

इसी प्रकार से बिजली की बात करते हैं तो ऊर्जा निर्माण में हमने पिछले तीन साल में 45.76 प्रतिशत की वृद्धि की है। इसी प्रकार जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वह इनके टाइम में केवल 4.8 प्रतिशत, 5 प्रतिशत से नीचे था उसको हमने 2013-14 में 6.5 किया, फिर 6.6 किया, फिर 6.7 प्रतिशत किया और जीडीपी लगातार बढ़ रही है। अगर हम स्टेट की शुद्ध जीडीपी की बात करें तो हमने पहले वर्ष में 6.5 प्रतिशत, फिर 7.2 प्रतिशत, फिर 7.9 प्रतिशत, 7 प्रतिशत किया है। इसी प्रकार से जो स्टेट की पर्सनल इनकम है, प्रति व्यक्ति आय जो है उसमें इनके समय में 2 प्रतिशत से भी कम वृद्धि थी जिसको हमने 3 प्रतिशत किया, 4.66 प्रतिशत किया, 5.10 प्रतिशत किया और पिछले वर्ष 5.11 प्रतिशत किया है जो बहुत बड़ी उपलब्धि है।

अब मैं कुछ बातें दीनदयाल जी के अन्त्योदय विजन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं पिछले सात साल से यह विषय उठा रहा था कि माही में पानी पर्याप्त है इसलिए उसको बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में लिफ्ट करके उपलब्ध कराया जाए। पर्याप्त जल होते हुए भी कांग्रेस ने हमेशा सिर्फ वोट ही प्राप्त किए और कभी चिंता नहीं की लेकिन मुख्य मंत्री जी ने बांसवाड़ा जिले की दो तहसीलों के लिए 684 करोड़ रुपये दिये हैं जिससे 554 गांवों में उसका लाभ होगा। इसके अलावा प्रतापगढ़ जिले के 359 गांव और 200 ढाणियों के लिए 912 करोड़ रुपये का जो प्रावधान किया है वह काबिले-तारीफ है और जो अंतिम मगरे में बैठा हुआ व्यक्ति है उसके लिए पहली बार इतना बड़ा प्रावधान किया है और माही का पानी जो समुद्र में चला जाता था उसका उपयोग किया है। वहां बांसवाड़ा से तीन-तीन मुख्य मंत्री रहे लेकिन कभी भी उन आदिवासियों के पानी की चिंता नहीं की और पहली बार हमारी मुख्य मंत्रीजी ने इसकी व्यवस्था की है।

इसी प्रकार से कभी केन्द्र ने पैसा नहीं दिया पर घर-घर में नि:शुल्क कनेक्शन हो जाए उसके लिए 2800 करोड़ रुपये, छोटा-मोटा नहीं, केन्द्र सरकार

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

ने 2800 करोड़ रुपये दीनदयाल उपाध्याय कुटीर ज्योति योजना में दिये हैं जिससे सुखद परिणाम होंगे।

कुछ बातें मैं जनरल जो सभी सदस्यों से सम्बन्धित हैं उनके बारे में निवेदन करूंगा। एक तो माध्यमिक शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि हमने समानता के आधार पर हमेशा व्यवहार किया है और उसमें एक बार 5062 स्कूलें खोली हैं और इस बार भी 300 के लगभग स्कूल खोलेंगे। 112 विद्यालयों में विज्ञान संकाय खोलेंगे जिसमें आप देखिये कि बांसवाड़ा में 19, डूंगरपुर में 14, उदयपुर में 11, कुल 44 यानी लगभग 50 प्रतिशत केवल उस ट्राइबल क्षेत्र में जहां शिक्षा का उजाला नहीं था वहां कर रहे हैं। इसी प्रकार से, यहां पर माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, कॉलेजेज के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो एक्ट हैं उनमें स्पष्ट प्रावधान हैं कि संघटक कॉलेजों को विश्वविद्यालय का कॉलेज माना जाए। हमारे सभी संभागों पर विश्वविद्यालय हैं केवल बांसवाड़ा को छोड़कर और सब जगह 3-4 कॉलेज हैं, विज्ञान का कॉलेज अलग है, कला का कॉलेज अलग है, वाणिज्य का अलग है, लॉ का अलग है, 4-4 कॉलेज हैं और अब कब विश्वविद्यालय होंगे, कब भवन बनेंगे, कब कॉलेज बनेंगे इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह सुझाव देना चाहता हूं कि संघटक कॉलेजों को विश्वविद्यालय के कॉलेज मानकर सातों संभागों पर विश्वविद्यालय हों। जैसे जयपुर में महारानी कॉलेज है, महाराजा है, कॉमर्स है, लॉ कॉलेज हैं ऐसे ही सब स्थानों पर 4-4 करके संघटक कॉलेजों का किया जाए।

अब मैं दो मिनट और लूंगा और मेरे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनका संकेत रूप में करूंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलें। यह आसन का काम है कि कौनसे को बोलने देना है और कौनसे को नहीं बोलने देना है।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय सभापति महोदय, मेरे यहां स्टेट हाइवे है जो चार साल से सैंक्शन है लेकिन अभी भी वो कच्चा है, स्टेट हाइवे होकर भी कच्चा है इसलिए उसको बनाया जाए। वह सीकर जिले में बन चुका है और केवल जयपुर जिले में 13 किलोमीटर का नहीं बना इसलिए आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। इसी प्रकार से मेरे तीन एमडीआर

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

सड़कें हैं जिनके लिए कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है तो वो राशि दी जाए। इसी प्रकार से मेरे यहां पर 13 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनमें सीनियर हायर सैकण्डरी नहीं है इस कारण से यह जो 40 की सीमा तय की गई है उसको हटाकर सभी जितनी सैकण्डरी स्कूल हैं उनको सीनियर हायर सैकण्डरी किया जाए।

इसके अलावा मेरे यहां पर एक भी सरकारी आई.टी.आई. नहीं है, एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है इसलिए पावटा और विराटनगर, दोनों जो तहसीलें हैं उनमें सरकारी कॉलेज खोले जाएं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) एक मिनट और लूंगा।

इसी प्रकार से मेरे यहां दो विकास खण्ड हैं और शायद राजस्थान में इस रूप में, चिकित्सा के मामले में मैं ही एक अभागा होऊंगा। दो लाख की आबादी पावटा की है और एक सी.एच.सी. है और विराट नगर की 1.88 लाख जनसंख्या है। एक पर एक होता है इस कारण इन दोनों जगह सी.एच.सी. खोली जाएं। इसी प्रकार से पावटा को पूरी तहसील बनाया जाए, उपखण्ड बनाया जाए। एक मुंसिफ कोर्ट है जो मेरे क्षेत्र के थाने का है लेकिन वो कोटपूतली में लगता है इसलिए उसका ट्रांसफर करके उसका मुख्यालय बदला जाए। आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री मेवाराम जी जैन।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2017-18 पर बोलने का समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ये तो बायकॉट करके चले गये हैं इसलिए क्यों बुला रहे हो? वापस आ गये क्या? इनका बायकॉट समाप्त हो गया क्या, यह तो पूछ लो।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, 8 तारीख को राजस्थान का बजट प्रस्तुत हो रहा था तो राजस्थान की 7 करोड़ जनता.....

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, अभी कांग्रेस मुक्त सदन हो गया था थोड़ी देर पहले।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): राजस्थान की जनता, राजस्थान के युवा,

(श्री मेवाराम जैन)

राजस्थान के किसान, राजस्थान के आम गरीब, बेरोजगार, सभी की 8 तारीख की तरफ निगाहें थीं कि हमारा यह जो बजट आएगा वह सबके लिए इस तरह का होगा कि सबको इसमें लाभ मिलेगा, राजस्थान में रिफाइनरी की घोषणा होगी। हमारे अमरा राम जी, हमीर सिंह जी चाह रहे थे कि हमारे जिले की घोषणा होगी, शंकर सिंह जी वगैरह हमारे माननीय विधायक चाहते थे कि हमारे नया जिला बनेगा और नई-नई पानी की योजनाएं, युवाओं को 15 लाख नौकरियों की जो बात कर रहे थे उसकी घोषणा होगी। पर आज यह जो बजट है यह चौथा बजट है। और इस बजट के अंदर जो कुछ होना था, इसी में होना है क्योंकि अगला बजट तो वैसे ही आपका चुनावी बजट होगा तो उसमें तो फिर कुछ करोगे तो भी कुछ फायदा नहीं होगा, न जनता को फायदा होगा। ये सारे माननीय विधायक बोल रहे थे कल से आज तक। बोल रहे हैं, सारे प्रशंसा कर रहे हैं। बाहर निकलते ही कह रहे हैं कि साहब, क्या करें, बोलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब इनको अंदर से तो पूछो कि हालात क्या है? राजस्थान के हालात क्या हैं?

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान का और बाड़मेर का रिफाइनरी प्रोजैक्ट और इसके साथ में पूरे तेल का 24 प्रतिशत तेल बाड़मेर में निकल रहा है। गैस बाड़मेर में निकल रही है। लिग्नाइट बाड़मेर में मिल रहा है और 2003 के अंदर ये तेल बाड़मेर में निकला। आज उसको 13-14 साल होने को है। रिफाइनरी की, तब भी आपकी सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, उस समय भी चर्चा चली कि रिफाइनरी बाड़मेर में लगेगी। उससे लगाकर आज तक रिफाइनरी के बारे में रस्साकशी चल रही है। पता नहीं, सरकार की इच्छा शक्ति क्या है। जब हमारी सरकार आई, हमने उसका शिलान्यास भी कराया। काम शुरू होना था। सरकार चेंज हो गई और इन्होंने उस प्रोजैक्ट को ठंडे बस्ते में डाला। पहले बजट के अंदर इन्होंने चारदीवारी के लिए भी पैसे स्वीकृत किये थे और उसके बाद में बस, उसको यह कहकर कि रिफाइनरी फिजिबल नहीं है। कभी किसी कम्पनी से हम सर्वे करा रहे हैं। कभी वेदान्ता और केयर्न से बात कर रहे हैं या दूसरों से बात कर रहे हैं। यह तेल जामनगर जा रहा है। कोई बड़े उद्योगपति है, उनके इशारे से यह नहीं हो रहा हो तो भी हमें पता नहीं। यह राजस्थान का रिफाइनरी प्रोजैक्ट है, राजस्थान

(श्री मेवाराम जैन)

के लिए एक बहुत ही जड़ी-बूटी है और बाड़मेर का विकास तो रिफाइनरी के माध्यम से होता। बाड़मेर में इस रिफाइनरी के साथ में कम से कम चार दूसरे अन्य जिंस की इण्डस्ट्री लगती। बाड़मेर एक दुबई जैसा शहर बनता और उसको ये रोक कर बैठे हैं। मैं सभापति महोदय, आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रोजैक्ट को मत रोको। यह राजस्थान का भविष्य है और बाड़मेर ने आपको क्या नहीं दिया। कितनी रायल्टी मिल रही है। सब कुछ मिल रहा है। सारे छह के छह एमएलए बीजेपी के हैं, एमपी आपका है और इस रिफाइनरी को मत रोको और जल्दी ही इसकी घोषणा करो ताकि बाड़मेर का विकास हो, राजस्थान का विकास हो।

आज अन्य योजनाओं की बात करें। बाड़मेर में और पूरे राजस्थान के अंदर पानी की योजनाएं जो हमारी सरकार के अंदर स्वीकृत हुई थीं। बाड़मेर में पाँच योजनाएं थीं चाहे नर्मदा की हो, चाहे मोहनगढ़-बाड़मेर लिफ्ट योजना हो। हमारे मंत्रीजी भी हाथ जोड़ रहे हैं कि मत बोलो। साहब, दूसरे एमएलए भी पता नहीं, बोलने में क्यों संकोच कर रहे हैं। नहीं बोलोगे तो जनता बुला देगी। आप इसको बोलो, फंड्स दें। उसमें फंड नहीं होगा तो काम नहीं होगा। फंड के लिए इस बजट के अंदर हमने नहीं देखा। आप यह बात करो और जब यह स्कीम होगी, लोगों को पानी मिलेगा तो ही दुबारा मुंह दिखाने लायक अपन रहेंगे, वरना हालत खराब होगी, इसलिए मुंह बंद मत करो। मेरा आपसे निवेदन है कि मोहनगढ़-बाड़मेर की योजना है, चाहे पोकरण-फलसूण्ड की है, चाहे नर्मदा के प्रोजैक्ट हैं, करीब-करीब इसमें काम ठंडे बस्ते में डाला पड़ा है। बिल्कुल धीमी गति से काम चल रहा है। उसको तेज करने की आवश्यकता है, इसको जल्दी पूरा करने की आवश्यकता है क्योंकि पानी के अंदर भेदभाव होना नहीं चाहिए। इसमें कांग्रेस-बीजेपी नहीं होनी चाहिए इसलिए मैं माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि बजट में धन की कमी नहीं रहे। इसके लिए आप प्रयास करें और लोगों को मीठा पानी पिलाने का प्रयास करें। (व्यवधान)

इसके साथ-साथ में जितनी योजनाएं हैं, पानी की योजनाएं हैं, आज उन योजनाओं का हाल क्या है? आज आपके पास लम्बे समय से कर्मचारी नहीं हैं, उनकी भर्ती नहीं की। आज हैल्पर्स वगैरह हैं, इनकी भर्ती करो। पद खाली

(श्री मेवाराम जैन)

पड़े हैं उनको भरने का प्रयास करो। आज हैण्ड पम्प हैं, खराब पड़े हैं तो उनको तुरंत ठीक करने का प्रयास करो। आपके जीएलआर के बारे में मैं उदाहरण देना चाहूंगा। अकेली बाड़मेर विधान सभा में 100 जीएलआर ऐसे हैं जो टूटे हैं तो आप अनुमान लगाओ, पूरे जिले में कितने होंगे और राजस्थान में कितने होंगे? टूटे हुए जीएलआर हैं। पानी जा रहा है वह नीचे गिर रहा है। उसको ठीक करने का प्रयास करो। उस पर भी बजट दो और जो खाली पद हैं, उनको भरो और पानी की योजनाएं जो पूर्व की हैं, उन योजनाओं को अच्छे तरीके से कैसे चले, क्योंकि गर्मी का मौसम आने वाला है, इसलिए उसके लिए भी अच्छी मानीटरिंग हो। बाड़मेर में वैसे ही अकाल है। 2,400 गांव अकाल में हैं। वहां इस गर्मी में पानी की भयंकर समस्या रहेगी तो आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वहां इस पानी की समस्या के निदान हेतु आप तत्काल चाहे हैण्ड पम्प दो, सिंगल फेस के ट्यूबवैल दो ताकि लोगों को पानी के लिए सिर्फ टैंकरों पर निर्भर नहीं रहना पड़े और उनके लिए व्यवस्था हो सके क्योंकि यह योजना तो आपकी 3-4-5 साल में कब पूरी होगी, इसका पता नहीं। लोगों को राहत मिल सके।

इसके साथ-साथ शिक्षा के बारे में कहना चाहूंगा। शिक्षा के बारे में बहुत बड़ी-बड़ी बातें हो रही थीं। एक रिकार्ड तोड़ दिया राजस्थान का। 17,000 स्कूलें एक साथ बंद करना और 3,000 और बंद होंगी। अभी हमीरसिंह जी, आप चिंता मत करो। 3,000 स्कूल और बंद होने जा रही हैं। कुल 20,000 स्कूलें बंद होंगी। होना तो यह चाहिए था कि जहां नामांकन कम है, वहां आप अध्यापक लगाते। आपने अध्यापक लगाये नहीं। अध्यापक लगाओगे नहीं तो बच्चे कहां से आयेंगे? आप आज भी देख लो, अध्यापक नहीं है। आपने कह दिया कि पंचायत स्तर पर हम सीनियर सैकण्डरी कर रहे हैं। उसमें भी अभी कई जगह पड़ी हैं। पंचायत मुख्यालय पर अभी तक आठवीं है, 10वीं भी नहीं हुई तो सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपने घोषणा बजट में की है। हर पंचायत मुख्यालय पर सीनियर सैकण्डरी स्कूल करने की आपकी घोषणा है। आप उसको कराओ। आप यह जो स्कूलें बंद कर रहे हो। बंद हुई है, उसका कारण खोजो। आपने नामांकन बढ़ाने का प्रयास किया होता तो ये स्कूलें बंद नहीं होतीं। आपने नामांकन तो बढ़ाने का प्रयास ही नहीं किया। आपने एक ही कहा कि जितने कम बच्चे हैं, उनको बंद करो तो

(श्री मेवाराम जैन)

बच्चे कहां होंगे। जिस विद्यालय में अध्यापक नहीं होगा तो उसमें बच्चे क्यों रहेंगे और अध्यापकों की हालत क्या है? मिडल स्कूल में एक-एक, दो-दो अध्यापक हैं और प्राइमरी के अंदर डेपुटेशन पर हैं और कई तो प्राइमरी स्कूलें आज भी हैं जहां बंद पड़ी हैं, जहां एक अध्यापक नहीं है। यह हालात हैं शिक्षा के और आप कह रहे हो, शिक्षा का हम कर रहे हैं। हमने इतने प्रमोशन कर दिये। भर्ती आपने की नहीं। अध्यापक आपने नये लगाये नहीं तो शिक्षा का स्तर सुधरेगा कैसे? पता नहीं, मुझे तो समझ में आ नहीं रहा है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) साहब, अभी तो पाँच मिनट ही नहीं हुए मुझे।

श्री सभापति: ऐसा नहीं होता, यहां रिकार्ड होता है।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): पाँच मिनट भी हुए हो तो बताओ साहब आप। पाँच मिनट ही हुए हैं और आप बोलने नहीं देना चाह रहे हो तो मैं नीचे बैठ जाऊंगा, और तो क्या करूं। नहीं, पाँच मिनट ही नहीं हुए। यह कोई बात नहीं है।

श्री सभापति: बराबर सबको टाइम मिलता है। आपका टाइम पूरा हो गया। यहां सब बराबर है।

एक माननीय सदस्य: आप एक-एक घंटे बोलते हो। आप तो एक-एक घंटे बोल गये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): मतलब पाँच मिनट नहीं हुआ अभी तक, आप देख लो।

श्री सभापति: आपको नहीं पता है, 2.40 बजे बोलना शुरू किया। पाँच मिनट कैसे बोलोगे?

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, आप बोलने दो तो मैं बोलूं, वरना आप कहो तो मैं नीचे बैठ जाता हूं।

श्री सभापति: बोलो आप, आप अपनी समय सीमा के अनुरूप जितना चाहो उतना बोलो।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): कम से कम 15 मिनट का समय तो आप दोगे ना।

श्री सभापति: 15 मिनट तो ज्यादा है।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा शिक्षा की हालत देख ली आपने। बिजली के लिए दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना। आज तक बाड़मेर के अंदर 418 करोड़ रुपये सैंक्शन हैं, टैण्डर नहीं हुआ। एक काम नहीं हुआ और हालात यह है, एक कनेक्शन नहीं हुआ। बातें आप लम्बी-चौड़ी भले ही कितनी भी करो, बिजली में वीसीआर की हालत क्या है। किस तरह से लोगों को लूटा जा रहा है।

आप 15 लाख नौकरियों की बात कह रहे थे। उसकी हालत आप देख लो। अकाल के अंदर पशुओं के चारे के लिए, पानी के लिए, रोजगार के लिए यह भी मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, 2,400 गांव बाड़मेर में अकाल में है। आप वहां पशुओं के लिए पशु शिविर और चारे की व्यवस्था करो। गौशालाओं के लिए चारे की व्यवस्था करो। सड़कों के हालात क्या हैं? मेरे साथी प्रशंसा कर रहे थे। सड़कें अच्छी बनी है। मैं कहना चाह रहा हूं, सड़कें आपने पीपीपी मोड पर या चाहे टोल पर बनाई है, कुछ जगह अच्छी बनी है परन्तु गांवों की सड़कों की हालत यह है कि वहां खड्डे पड़े हैं। ठीक नहीं हो रही हैं। हमारा तो सिर्फ आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पैचवर्क करा दो, ताकि लोगों के चलने लायक रहे और सड़क बिल्कुल उखड़े नहीं। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि आप पैच करवाकर सड़कों को ठीक करो। पशु चिकित्सालय आपने खूब खोले हैं परन्तु भवन एक जगह नहीं है। वहां भवन बने हुए नहीं हैं तो वे रहेंगे कहां।

आज पंचायती राज के हालात क्या है? पाँच विभाग हैं। पंचायती राज में प्रधान और प्रमुख को पावर क्या दिया है? सभापति महोदय, देखो, उनके हालात क्या हैं। किसानों की जमीन की बात करना चाह रहा हूं। बाड़मेर के अंदर आज से तीन साल पहले शिवकर कुडला प्रोजेक्ट के लिए भूमि अवाप्त की, अवार्ड जारी हो गया, तीन साल में न तो उनको पैसे दे रहे हैं, न वह भूमि ले रहे हैं या तो आप भूमि ले लो किसानों की या उनको पैसे दे दो। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी।)

साहब, पाँच मिनट तो दोगे न। जिन्दल में जालिपा बाड़का नेशनल हाइवे 15 जो बाईपास बनना है उसके लिए किसानों को जमीन का सवा लाख रुपये बीघा का मुआवजा...।

(15.00 बजे)

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): साहब, बात तो करने दो। मैं मुद्दे की ही बात करना चाह रहा हूं किसानों के हित की बात कहना चाह रहा हूं।

श्री सभापति: सभी माननीय सदस्य अपने-अपने मुद्दे की बात कहते हैं।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, अब वो जो प्रोजेक्ट है सड़क बननी है उसके पास में बीस लाख मुआवजा और उत्तरलाई उसके जस्ट पास में है जहां अभी 17 लाख मुआवजा दिया। रजिस्ट्री में चालीस लाख रुपये में बिकी तो मेरा निवेदन है कि एक कंपनी राजवेस्ट है सिर्फ उसको फायदा देने के लिए किसानों का गला घोंटा जा रहा है। आज किसानों को जालिपा जो एनएच-15 बननी है उसके लिए मुआवजा सही दिलवाओ, ताकि किसानों के साथ अन्याय नहीं हो। आज राजवेस्ट है, केयर्न है इसमें सीएसआर के फंड वहां लगे...।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी।)

सभापति महोदय, आप बिलकुल ही बोलने नहीं दे रहे हो। मैं कोई गलत बात तो कर नहीं रहा हूं।

श्री सभापति: आपका जितना समय था उससे तीन मिनट ऊपर हो गये हैं।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): कहां हो गये?

श्री सभापति: हो गये, साहब।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सिर्फ मेरे लिये ही हुए हैं तो पता नहीं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री पब्बा राम जी।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, मेरे ख्याल से इतना भेदभाव आपको नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।

श्री सभापति: कोई भेदभाव नहीं है। घड़ी चलती है वो ध्यान में रखो नोट कर लिया करो।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, अभी 3 बज कर के 2 मिनट हुए हैं और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार से आलराउंडर बेट्समैन ने पहले यहां पर बेटिंग की भाई अभिषेक जी मटोरिया और बनवारी लाल जी सिंघल और हमारे मध्यम गति के गेंदबाज फूलचंद जी भिण्डा तो विपक्ष तो फॉलोओन के लिए मजबूर हो गया। माननीय सभापति महोदय, 'बोलो प्रीत निभाओगे न तब भी अपने बचपन की' तो उस प्रीत के आधार पर ही पांच मिनट आप एक्स्ट्रा दे देना।

मैं आपका ध्यान साढ़े तीन साल पहले की उस परिस्थिति के अन्दर ले जाना चाहूंगा कि किस प्रकार से ये प्रदेश पूर्व सरकार के कारनामों और कुशासन से कराह रहा था। इस पीड़ा को समझते हुए हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री वसुन्धरा जी राजे के राज्य के भ्रमण के दौरान आम जन की परेशानी और पीड़ा महसूस करके सहृदय आदरणीय वसुन्धरा जी का मन तड़प उठा और इस कुशासन को उखाड़ फेंकने का जनता से आहवान किया और जनता ने भी विश्वास करते हुए इनके हाथों में हाथों-हाथ इनकी बात को स्वीकार करते हुए अभूतपूर्व बहुमत प्रदान किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित की और कांग्रेस अपने इतिहास के बिलकुल थोड़े मत के साथ में विपक्ष में बैठने के लिए मजबूर हैं। कांग्रेस के घोटालों व अकुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण विरासत में मिली चरमराई अर्थव्यवस्था के अन्दर राज्य का प्रगतिशील बजट प्रस्तुत करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था फिर भी ये शानदार और सर्वश्रेष्ठ तीसरा बजट यशस्वी मुख्यमंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है। राज्य के विभिन्न सम्मान तीन वर्षों के दौरान में राज्य को मिले हैं चाहे राष्ट्रीय हो चाहे अन्तरराष्ट्रीय हों। इनको दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है। मिशन एंड विजन 20-20, अभी आपको 20-20 समझ में नहीं आया अब दूसरी बार फिर आपको आना पड़ा फॉलोओन करना पड़ा अभी तक भी नहीं समझ आया। खुशहाल राजस्थान की अवधारणा को साकार करने के लिए इस संकल्प के साथ में ये बजट प्रस्तुत किया गया। इस देश के अन्दर अनेक ऐसे नारे लगे गरीबी हटाओ, गरीब को हटा दिया नक्शे के पटल पर परंतु गरीबी नहीं हटी और एक अदद छत ढूंढता रहा इस सत्तर साल के अन्दर परंतु छत नहीं मुहैया करायी गयी उस गरीब को। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बड़ी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से

(श्री पब्बाराम)

शुरू की और उस योजना के अन्तर्गत सभी को उन व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए कहा जिनके घर में एक कमरा और बाकी कच्चे हैं और शहर में दो कमरे और कच्चे हैं। उन सभी को आवास उपलब्ध करवाने की बात कही गयी। आज पूरी जनता विपक्ष से यह सवाल पूछती है कि सत्तर सालों में अधिकतर समय तक राज करने वाली वो सरकार आज तक इस तरफ क्यों नहीं ध्यान दे पायी। गरीब का बेटा दीये के प्रकाश के नीचे पढ़ने को मजबूर था। हमारे वहां पर तो परिस्थितियां ही बड़ी नाजुक थी। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना लायी गयी और उसके आधार पर पश्चिमी राजस्थान जहां पर स्केटर्ड पापूलेशन है। अभी मेरे भाई बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य फरमा रहे थे कि दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत कोई काम नहीं हुआ, जोधपुर जिले में तीन सौ करोड़ का कार्य हुआ है। आप चलिये और चल करके ...(व्यवधान)... आपकी बात को हम सुन रहे थे आप सुनने का माद्दा रखिये और कुछ-कुछ धैर्य रखिये। ...(व्यवधान)... आप चलिये मेरे वहां पर दो घर हैं वहां पर लाइट गयी है और सब जगह लाइट पहुंच चुकी है आज गरीब का बेटा यह कह रहा है कि आज तक हमें वंचित क्यों रखा गया और इसका हिसाब-किताब आने वाले डेढ़ साल बाद में आपसे फिर चुकाना पड़ेगा और पुन: फॉलोओन करने के लिए मजबूर कर देगी ये जनता। गरीब का बेटा बीमार पड़ जाये, बुजुर्ग बीमार पड़ जाये उसके लिए आपने कुछ नहीं सोचा। वसुन्धरा जी ने ये जो स्वास्थ्य बीमा योजना भामाशाह लागू की है इसके आधार पर तीस हजार से लेकर के तीन लाख तक का उपचार मुहैया कराना यह छोटी बात है? तिल-तिल करके मरने को मजबूर वो गरीब आज दुआएं दे रहा है इस सरकार को। जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार की योजनाओं में घोटाले किये गये, अब सीधी राशि उनके खातों में जा रही है, यह भी भ्रष्टाचार को समाप्त करने की तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व कदम बढ़ाया है।

मेरे विपक्ष के साथी ये नोटबंदी की झालर और मंजीरें पता नहीं लगातार बजाते जा रहे हैं और जनता का मूड इनको समझ में नहीं आ रहा है। लगातार विजय की तरफ अग्रसर, सम्पूर्ण भारतवर्ष में चक्रवर्ती विजय की तरफ बढ़ती-बढ़ती ये भारतीय जनता पार्टी आपको समझ नहीं आती। 12

(श्री पब्बाराम)

नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में अभी-अभी विजय हासिल की है और रात को जब आपने एग्जिट पोल देखा है आप के जो नेता हैं उनको साइकिल की पिछली सीट पर बैठे वहां से भी उतार दिया उनको और कह दिया जहां मर्जी जाओ। आपने हमको डुबो दिया। यह स्थिति है। कोई समय ऐसा आने वाला है कि इतिहास में पढ़ेंगे कांग्रेस नाम की कोई पार्टी हुआ करती थी इसलिए मेरा सदन से आग्रह है कि इनका डीएनए आज थोड़ा प्रिजर्व कर दिया जाए ताकि शोध का विषय बने कि किस प्रकार की पार्टी थी, उनकी सोच कैसी थी।

सभापति महोदय, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ...(व्यवधान)... थोड़े-थोड़े कमेंट्स पास हो जाना चाहिए बुरा न मानो होली है।

श्री सभापति: आप आसन को संबोधित करके बोलें अपना वक्तव्य।

श्री पब्बाराम (फलौदी): ये कंपेरेटिव स्टेटमेंट मेरे पूर्व वक्ताओं ने खूब कहे कि कितना हमने किया तीन साल में और कितना आपने। मैं आपको दावे के साथ में कहता हूं कि हमारे पाँच साल आपके दस साल के ऊपर भारी पड़ेंगे, पाँच साल के बाद में हम आपको बता देंगे। ये रोड्स के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा परंतु मेरे क्षेत्र की अब तक तो पूरे राजस्थान की बात लोग करते रहे थे परंतु आपको यह पता नहीं है कि हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है तो बताइये मेरा फलौदी क्षेत्र है। मैं आपको बता देता हूं कि मैं पहली बात तो मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा जी को बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं...

बाप से लेकर कानासर होते हुए भलडा के लिये डबल लेन की 38 करोड़ की लागत की एक सड़क अभी अभी इस बजट में स्वीकृत की है, इसके लिये मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। परंतु ऐसा कभी आपने सुना है इतिहास में कि एक कांस्टीट्यूएंसी में 5-5 नेशनल हाई वे स्वीकृत हुए हैं, वह सौभाग्यशाली फलौदी है इसके लिये माननीय वसुन्धरा जी राजे, मोदी जी और यूनुस खान जी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। सुन लीजिए कौन कौन से नेशनल हाई वे मेरे फलौदी से निकालने वाले घोषित हुए हैं, दिल थाम कर सुनिए। नेशनल हाई वे फलौदी-नागौर-खाटू, नागौर में होते हुए आता है। नंबर दो....

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री पब्बाराम (फलौदी): टोल तो लगेगा और आपके ऊपर विशेष लगेगा। भारत माला के तहत चार और स्वीकृत हुए हैं।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): 000

श्री पब्बाराम (फलौदी): सभापति महोदय, यह मुझे बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री सभापति: बिना आसन की अनुमति के जो भी बोले उसको आप रिकार्ड नहीं करे।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय, अभी तो 10 मिनट हुए हैं और बीच में 2-5 मिनट तो इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। बाप, सांवरा गांव, नोख बिकमपुर होते हुए एक भारत माला का प्रोजेक्ट पिछली साल स्वीकृत कर दिया था, डीपीआर बनकर तैयार है और आज जब आओगे तब हम आपको बता देंगे कि इसके ऊपर चलिए। इसी प्रकार से अभी अभी तीन प्रोजेक्ट और सैंक्शन हुए हैं, एनएच 15 कानसिंह की सिढ से जांभा एसएस नगर लोहावट होते हुए देचू। इसी प्रकार से नागौर एनएच आऊ से भोजासर बियांसर, पड़ियाल, मोटाई जांभा और बाप और फिर धार्मिक नगरी रुणचा को मिलाने के लिये बाप से शेखासर, सिहाड़ा और रामदेवरा तक के लिये, यह अभी भारत माला में सैंक्शन हुए हैं, डीपीआर बनाने के आदेश हो गये हैं। एनएचआई डीपीआर बना रही है और अगली बार इलेक्शन के समय आपके लोग आयेंगे तो बता देंगे क्या हुआ है।

एक अदद अंडर ब्रिज के लिये यह फलौदी तरसता है, उसको अंडर ब्रिज नहीं मिल रहा था वहां पर न सिर्फ अंडर ब्रिज परंतु ओवर ब्रिज और फ्लाई ओवर, तीन फ्लाई ओवर शहर के अंदर, एक आरओबी और एक अंडर ब्रिज सेंक्शन हुआ है। उस अंडर ब्रिज के अंदर से मैं कांग्रेस वालों को निकालूंगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप आसन को संबोधित करें।

श्री पब्बाराम (फलौदी): सभापति महोदय, यह मेरे ससुराल से है इसलिए होली के समय ठिठोली कर रहे हैं, करने दो।

श्री सभापति: अपना वक्तव्य पूरा करें।

श्री पब्बाराम (फलौदी): अभी तो कुछ हुआ ही नहीं।

श्री सभापति: काई बात नहीं, सबको ऐसे ही लगता है।

श्री पब्बाराम (फलौदी): रेल लाइन फलौदी से कोलायत के बीच में 17 अंडर पास सैंक्शन हुए हैं, बता दीजिए ऐसी कौनसी जगह है जहां पर इतना हुआ है। कुछ बातें मैं आपको शोर्ट में बता देता हूं, पाँच मिनट का समय मैं चाहूंगा।

श्री सभापति: पूरा करें, सिर्फ एकमिनट। एक मिनट में पूरा करें।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, आप तो बड़े दयावान हैं परंतु समय की दृष्टि से बहुत बड़े +++ हो गये हैं, इस +++ को कुछ कम कीजिए, होली के समय में इतनी +++ ठीक नहीं रहती। मेरे क्षेत्र में चार जलप्रदाय योजना जिसके अंदर 131 करोड़ रुपये लगे हैं और वह पूरी हो गई है, हमारे इंटीरियर क्षेत्र में पानी जा रहा है। उसी प्रकार से फलौदी शहर में 15 करोड़ की लागत से यह काम हुआ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मेरे यहां पर जो काम हो रहे हैं उससे आपको ईर्ष्या तो नहीं हो रही।

श्री सभापति: आप अपना वक्तव्य पूरा करें।

श्री पब्बाराम (फलौदी): विजय नगर और ननेहू में 2 करोड़ 60 लाख के काम हुए हैं। इसी प्रकार से दो और योजनाओं के लिये मैं आग्रह करता हूं कि बालूशीडा रानेरी के 27 गांवों के लिये 67.68 करोड़ ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य तरुण राय कागा।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट, दो तीन चीज में अपनी बात को पूरा कर लूंगा, आप सर्जिकल स्ट्राइक न करें। 2 करोड़ की दो योजनाएं हैं, इसी प्रकार से जो एक लाख कृषि कनेक्शन जारी किये हैं यह बहुत बड़ी बात है। हमारे वहां पर किसानों के खेत जो आज तक नहर बनने के बाद, तीस साल हो गये नहर बने हुए, खेतों को अगर पानी देने का काम किया है तो वह माननीय वसुन्धरा जी ने किया है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, तरुण राय कागा।

श्री पब्बाराम (फलौदी): इसी प्रकार से बाप में महाविद्यालय खोलने के लिये राज्य सरकार को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मुझे धन्यवाद तो देने दें, माननीय सभापति महोदय, जो आपने समय दिया उसके लिये आपका बहुत बहुत आभार।

श्री सभापति: आ गया धन्यवाद, बहुत बार आ गया, धन्यवाद।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): माननीय सभापति महोदय, आप द्वारा बजट पर वाद विवाद में बोलने का जो मौका दिया है उसके लिये मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने अभी जो चौथा बजट पेश किया है जो आम जनता, युवा बेरोजगार, महिलाओं, नौकरी पेशा वालों के लिये यह एक बिलकुल नायाब, मुफ़ीद और बेहतरीन बजट है। मैं इस संबंध में यह कहना चाहूंगा कि हमारे साथी मटोरिया जी ने जो तुलनात्मक मुशाबत रूप से कांग्रेस के पाँच साल के शासन और हमारे तीन साल के शासन की मुशाबत करके जो आंकडे पेश किये वह हमारा एक आइना है, यह हमारा एक विजन है। हमने इस तरह से ऊंचाइयों को छुआ है। हमारे क्षेत्र में हम जाते हैं तो हमारी जनता भूरि भूरि प्रशंसा करती है। जैसे पानी के लिये प्रदेश में त्राहि त्राहि मची हुई थी, विशेष तौर से हमारा जो सीमावर्ती इलाका है जहां पानी के लिये बहुत परेशानियां हुआ करती थी, वहां आज की तारीख में काफी कुछ हमारी समस्या का हल हुआ है। सड़कों में जिस तरह से ग्रामीण गौरव पथ के जो जाल बिछे हैं, नई सड़कें बनी हैं, हर कस्बे, गांव में लोगों को आवागमन के साधन में बहुत बड़ी राहत मिली है जिससे लोग वहां सुकून महसूस करते हैं। इसके आगे बताऊं कि जितनी भी योजनाएं हैं, सामाजिक क्षेत्र में 60 साल से अधिक की महिलाओं को, पेंशनर्स को जो इजाफा किया गया है वह भी तारीफ ए काबिल है। इसके अलावा अलग अलग योजना में हमारी माननीय मुख्य मंत्री जी ने शिक्षा के क्षेत्र में हमें कितनी तरह से सुविधाएं दी हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में 60-70 साल से हमारे धार्मिक संस्थान वगैरह की सुध नहीं ली। तन्नौट माता की जन्म स्थली हमारे विधान सभा क्षेत्र में आती है जिसमें चालकना है, चालकना में पेनोरमा स्वीकृत करके हमको जो सौगात दी है

(श्री तरुण राय कागा)

इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इसके अलावा मेरे विधान सभा क्षेत्र चौहटन में आईटीआई केन्द्र का काम शुरू हो गया है। धनाऊ और शेडवा को आईटीआई की सौगात मिली है। शेडवा में इसका सेंटर खुल गया है और धनाऊ में पीएचसी को सीएचसी बना दी गई है। हमारे वहां एक पशु चिकित्सालय को अपग्रेड किय गया है जिसके लिये मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद देता हूं। हालांकि मेरी तीन चार साल से लगातार मांग रही है जो हमारी चार पंचायत समितियां हैं उनको मिलाकर भौगोलिक दृष्टि से बड़ा क्षेत्र हैं वहां कालेज नहीं है। जबकि सरकार की मंशा है कि हर उपखण्ड में एक कालेज खोला जाये। हमारे यहां तीन उपखण्ड है, वहां 7 लाख के लगभग की जनसंख्या है और 828 वहां गांव है, 148 ग्राम पंचायतें है, यह एक सरहदी इलाका है और ऐसा भू-भाग है। 1960 में हमारे बाड़मेर के बाद यदि कोई पहली सीनियर हाई सैकेण्डरी स्कूल थी, तो चौहटन थी। चौहटन में दूरदराज से लोग जैसलमेर तक के लोग पढ़ने आते हैं। लेकिन आज हम तालीम के क्षेत्र में बिलकुल पिछड़ गए हैं। यह पिछड़ता हुआ क्षेत्र है। इसके लिए चार साल से लगातार मांग रही है कि हमारे वहां इतने उपखंडों के बीच में, अगर चौहटन में एक कॉलेज खोला जाए तो वहां की सारी जनता, जिसमें विधान सभा क्षेत्र शिव का भी कुछ हिस्सा आता है और मेरे चौहटन का भी हिस्सा है। इसलिए लोगों के लिए और आम पब्लिक के लिए..। हालांकि, हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा स्कूलें खुली हैं। वहां बच्चियों और बच्चों के रुझान के लिए, हर ग्राम पंचायत में पढ़ने के लिए स्कूल उपलब्ध है। लेकिन बारहवीं के बाद वे कहां जायें? दूर-दूर भटक रहे हैं। उन बच्चियों का भविष्य अंधकार में है। इसलिए मैं पुरज़ोर शब्दों में मांग करुंगा। इस तरह हमारे क्षेत्र में, तालीम के क्षेत्र में, यह लोग कहते हैं कि हमारे लिए शिक्षा का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। इसलिए ये सब हम कहते हैं। एक दो जख्म नहीं, सारा बदन छलनी। हमारे क्षेत्र में शिक्षा के लिए, हम कहां से किस तरह से करें। मैं आपका ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा। मेरी यही मांग है कि हमारे चौहटन में एक महाविद्यालय खोलना चाहिए। हालांकि, एक बच्चे ने अपने बाप को एक बात की गुजारिश की। गुजारिश अपने शब्दों में की। यह वहां का एक लोकगीत है 'सगला साथी पण गया, हूं रहया कुआरों टाबरियो'। सबको कॉलेज मिल गये

(श्री तरुण राय कागा)

हैं। मेरे को नहीं मिला, इसका मुझे दर्द है। मेरी आम जनता को दर्द है। कल से मेरे को खूब सारे फोन आने लग गए हैं। लोग कहते हैं कि अगर आप कॉलेज नहीं लाए तो हमारे यहां शक्ल मत दिखाना। मैं शक्ल कैसे दिखाऊं। यह मेरी बहुत महत्वपूर्ण मांग है। आपने मुझे मौका दिया। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं पुन: गुजारिश करूंगा कि मुझे कॉलेज चाहिए। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री नाना लाल जी अहारी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, सत्तापक्ष के विधायक अगर सरकार से इस तरह से गुहार लगायेंगे।

श्री सभापति: आप विराजें। बिना अनुमति के नहीं बोलें। आप विराजें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप इनका जवाब तो दिलाओ, साहब।

श्री सभापति: नो, विराजो। वह हमारा काम है, आपका नहीं है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): वे परेशान हैं।

श्री सभापति: Please take your seat.

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया एवं संचालन नियम 138, 139 और 141 के तहत आपने मुझे बोलने का समय दिया। आज हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री ने 2017-18 का जो बजट भाषण पढ़ा। 'सबका साथ, सबका विकास' राजस्थान की जनता ने और इस बजट भाषण के लिए कई टी.वी. चैनल पक्ष-विपक्ष, मीडिया और जनता ने इसकी भूरी-भूरी प्रशंसा की।

माननीय सभापति महोदय, सड़क के बारे में हमारी सरकार ने तीन वर्षों में 20 हजार 822 करोड़ रुपए की लागत से 4 हजार 281 गाँवों, फलों, मजरों और ढाणियों को जोड़ने का काम किया, जबकि तीन वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने मात्र 9 हजार 157 करोड़ रुपए की लागत से 661 गांव, मजरों, ढाणियों को जोड़ने का कार्य किया। हमने तीन वर्षों में 15 हजार 278 किलोमीटर की नवीन सड़कों का निर्माण कर 4 हजार 637 करोड़ रुपए व्यय किए, जबकि आपकी सरकार ने पाँच वर्षों में 12 हजार 554 किलोमीटर की

(श्री नाना लाल अहारी)

लम्बाई एवं 2 हजार 993 रुपए व्यय किए। जो कि हमारे तीन वर्षों के कार्यकाल से अधिक है।

पंचायत मुख्यालय की सड़कों को सुधारने के लिए माननीय वसुन्धरा जी ने एक अच्छी योजना लागू की। ग्रामीण गौरव पथ बनाने का काम किया। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में गत दो वर्षों में काफी ग्रामीण गौरव पथ व सड़कों का निर्माण किया। प्रथम वर्ष में मेरे यहां पर 16 पंचायत मुख्यालयों पर ग्रामीण गौरव पथ का काम किया गया और वर्तमान में अभी 20 पंचायत मुख्यालय पर ग्रामीण गौरव पथ का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इसी तरह से मिसिंग लिंक के भी काफी काम मेरे यहां पर हुए हैं। प्रथम चरण में 1972 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर नाली सहित ग्रामीण गौरव पथ का कार्य चालू किया गया है तथा दूसरे चरण में 2 हजार 86 ग्राम पंचायतों में 1253 करोड़ रुपए की लागत से यह कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। शेष ग्रामीण गौरव पथ को वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली कांग्रेस के पाँच वर्षों के कार्यकाल में मेरी विधान सभा में 67 करोड़ 55 लाख रुपए स्वीकृत करवाए और उसमें से 46 करोड़ 44 लाख रुपए इन्होंने व्यय किए और आज इसी वर्ष में खैरवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में डेढ़ सौ करोड़ रुपए के काम इसी वर्ष में चल रहे हैं। मैं एक-एक की सूची नहीं बता सकता। कई गुना काम, गौरव पथ के कार्य हो, चाहे मिसिंग लिंक के कार्य हो, नॉन पेचेबल के कार्य हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क हो। इस प्रकार से इन तीन वर्षों में करीब तीन सौ करोड़ रुपए के काम खैरवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में करवाए गए हैं और अभी रतलाम से स्वरूपगंज NH-927 जो बांसवाड़ा, डूंगरपूर, खैरवाड़ा होता हुआ स्वरूपगंज जा रहा है। उस सड़क को भी चौड़ा किया जा रहा है। उसके अभी टेंडर लगने वाले हैं और इसी तरह से जल संसाधन विभाग में भी हमारी सरकार ने 320 माइक्रो इर्रिगेशन टैंक, 48 चैक डेम एवं 50 माइक्रो स्ट्रांग टैंक के कार्य प्रारम्भ कर लिए गए हैं। जनवरी, 2017 तक 269 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। अब तक 747 कार्य स्वीकृत करवा दिए गए हैं, जिस पर 366 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं।

(श्री नाना लाल अहारी)

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2007-08 में मैंने घोड़ा खोज बाँध का शिलान्यास किया था। माननीय सांवरलाल जी जाट सिंचाई मंत्री थे। हमने उस बाँध का शिलान्यास किया। वह बाँध पूरा हो गया। कांग्रेस के राज में उसकी नहरों का कोई कार्य नहीं करवाया गया। वर्ष 2015-16 में मैंने माननीय मंत्रीजी से और मुख्यमंत्रीजी से निवेदन किया, उसका एस्टीमेंट बनाया, 200 करोड़ के आस पास नहरों का काम करवाया गया। इसी तरह से दो नदी बाँध की नहरें भी अधूरी थी। उसमें भी अगले वर्ष पौने चार करोड़ रुपये की लागत से उन कार्यों को पूरा करवाया गया। जल संसाधन में घोड़ा खोज लघु परियोजना में

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पहली बार बोल रहा हूं, थोड़ा सा। घोड़ा खोज बाँध पर 132 लाख रुपये। सोम कागदर पर 45 लाख रुपये, सोम कागदर आरएमसी पर 2 करोड़ 57 लाख, सोम कागदर बांई नहर पर 338.50 लाख अन्य छह माइनर पर 423.29 लाख, इस प्रकार से करोड़ों रुपये के काम खैरवाड़ा विधान सभा में चल रहे हैं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में पिछली सरकार ने वहां केवल 4 हास्पिटल खोले थे। अभी वर्तमान सरकार ने वहां 2 सीएचसी, 5 पीएचसी की स्वीकृति दी है जिसमें सेमारी और डेलाना। डेलाना की, पिछली सरकार ने आव देखा न ताव देखा, आनन फानन में 2012-13 में उसका शिलान्यास कर दिया, भाटे रौंपने का काम कर दिया। उसमें ना तो वित्तीय स्वीकृत ना प्रशासनिक स्वीकृति थी। मैंने 2014-15 में यहां विधान सभा में इस बात को उठाया। चिकित्सा मंत्री राजेन्द्र जी राठौड़ ने उसमें मुझे साढ़े तीन करोड़ रुपये देकर उसका कार्य चालू करवाया। उसी तरह से सेमारी सीएचसी के लिए भी आपने चार करोड़ 55 लाख रुपये दिए हैं। पाँच अन्य हास्पिटलों के लिए आठ करोड़ रुपये दिए हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरा चिकित्सा मंत्रीजी से निवदेन है, ऋषभदेव है, बहुत बड़ा कस्बा है वहां पर 25 बैड का हॉस्पिटल है उसको क्रमोन्नत कर 50 बैड किया जाए।

श्री सभापति: खतम करें, कृपया समाप्त करें।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैं शिक्षा पर दो मिनट और बोलूंगा। 2003-04 में जब मैं विधायक बनकर इस विधान सभा में आया, मेरे विधान सभा क्षेत्र में मात्र 62 यूपीएस विद्यालय थे और 32 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय थे। उन पाँच वर्षों में उच्च प्राथमिक विधालय का बढ़ाकर हमने 117 उच्च प्राथमिक विधालय खोले। आज माध्यमिक और उच्च माध्यमिक....

श्री सभापति: माननीय सदस्य घनश्याम जी मेहर।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): सिर्फ एक मिनट।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): हमारा नम्बर है, निवेदन कर रहा हूं।

श्री सभापति: आ रहा है, आ रहा है। सब फिक्स है।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): पहले तीन उनको फिर एक कांग्रेस को, फिर तीन इनको, फिर कांग्रेस को। साहब हमारा नम्बर है।

श्री सभापति: ऐसा है, आपका भी समय आएगा। आसन ने सबका समय विधिवत तय कर रखा है।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ठीक है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, आपकी इजाजत से राजस्थान सरकार द्वारा बजट पर अपने विचार सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, राज्य सरकार ने जो बजट पेश किया है वह जनता को गुमराह करने वाला बजट है। पिछले तीन बजट सरकार ने पेश किए हैं उनकी राशि भी आज तक खर्च नहीं की गई है। बजट की 50 प्रतिशत से कम राशि अब तक खर्च हुई हैं, पिछले बजटों की। जनता को गुमराह करने वाला यह बजट सरकार ने पेश किया है।

प्रदेश में सड़कों के जो हालात हुए हैं वह आपके सामने हैं। आज पूरे राजस्थान में सड़कों की हालत है, हमारे प्रदेश में व्यापारी वर्ग बिजनस के लिए आते थे वह इन सड़कों की हालत को देखते हुए आने से कतराते हैं। माननीय सभापति महोदय, पिछली बार भी, सड़कों का मामला कई बार सदन

(श्री घनश्याम)

में उठ चुका है। सड़कों के हालात पैदा हुए हैं यह सरकार की गलत नीति के कारण हुए हैं। पूर्वी राजस्थान में पत्थर का बहुत बड़ा बिजनस है, पत्थर की बहुत सारी माइंस है। उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, दिल्ली से आने वाले व्यापारी हैं, जो पिछले समय में आते थे, उन्होनें आज आना बिलकुल बंद कर दिया है। सरकार की ऐसी नीतियों से सड़क के क्षेत्र में जो हालात पैदा हुए हैं उसके लिए सरकार की निंदा करता हूं।

इसके साथ-साथ गौरव पथ का मामला है। सरकार गौरव पथ की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना बताती है। आज गौरव पथ को या तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, कार्यकर्ताओं ने अपने घर के आगे बनाए हैं। या फिर पीडब्लूडी की जो पहले से रोड़ बनी हुई उन रोड पर उसका निर्माण करवाया गया है, जो जनता के कोई काम नहीं आ रहा है।

जहां तक मिसिंग लिंक का मामला है, मिसिंग लिंक को भी भारतीय जनता पार्टी के, या तो एम पी साहब के साले के खेत में रोड़ बनवाया गया है या एमएलए साहब के ससुराल वालों के यहां रोड़ बनाए गए हैं। जनता के उपयोग में सड़कें नहीं आ रही है।

मैंने पिछले बजट भाषण में भी यह कहा था कि माननीय मंत्री महोदय, सरकार का पैसा खर्च हो रहा है, इस तरह जनता के पैसे का दुरूपयोग नहीं करना चाहिए। आज जो हालात सड़कों के क्षेत्र में हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकर ने, हम कांग्रेस के विधायको को, विपक्ष के विधायकों को एक किलोमीटर की भी सड़क मिसिंग लिंक के रूप में नहीं दी है। जो भी गौरव पथ बने हैं, वह हमारी अनुशंसा से नहीं दिए गए हैं। यह बहुत भेदभाव पूर्ण रवैया है।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से परिवहन के क्षेत्र में जो हालात पैदा किए गए हैं, आज रोड़वेज की जो हालत पैदा हुई है वह प्रदेश में जनता के सामने हैं। आप प्राइवेट सैंक्टर के लोगों को ला रहे हो, तो वह भी जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। बहुत सारी रोड़वेज को आपने ठेके पर, पीपीपी पर बातचीत कर ली और उनके लाइसेंस नहीं दिए, उन्होंने बोडियां बनवा ली, यह भी दुर्भाग्यपूर्ण विषय है।

(श्री घनश्याम)

इसी तरह से मैं पेयजल के मामले में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सवाई माधोपुर, नादौती चंबल पेयजल योजना है जिसको 12 साल हो गए, उसमें करोड़ों सैंकड़ों रुपये सरकार के खर्च हो गए पर आज तक उसमें कोई क्रियान्विती नहीं हुई है।

जहां तक सिंगल फेस का मामला है, 400 सिंगल फेस करौली जिले में बंद पड़े हैं। सरकार ने यह कहा कि इनका पैसा जमा कराया जाए, विद्युत के बहुत सारे कनेक्शन के पैसे बाकी है, वह पैसे भी जमा करा दिए गए। ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति के द्वारा पूर्णतया पैसा जमा कराया गया और उनको ठीक कराने का, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 29 ऐसे सिंगल फेस है जिनका पैसा जमा होने के बावजूद वह जनता के काम नहीं आ रहे हैं। आज पूरी तरह से योजना बंद कर रखी है।

हैण्डपम्पों को आपने ड्राई जोन घोषित कर रखा है। बंद कर रखे हैं, पूरे जिले में जनता त्राहिमाम कर रही है। टैंकरों से पानी पी रहे है, टैंकरों का भी घोटाला हो रहा है, उसमें किसी तरह का जनता को फायदा नहीं मिल पा रहा है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार इसमें पारदर्शिता रखे। जनप्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल किया जाए, वहां के एमएलए, सरपंच, प्रधान है। उनकी मानीटरिंग होनी चाहिए कि किस ठेकेदार को एजेंसी दी है, किसको काम दिया है। हर आठवें दिन जनता से मिलकर उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश माननीय मंत्रीजी करेंगे।

जहां तक कृषि का मामला है, कृषि में किसानों के साथ धोखा हुआ है। हमारी सरकार में 80-90 परसेंट, किसानों से संबंधित जो संयंत्र थे उन पर सब्सिड़ी मिलती थी, आज आपने उसमें कटौती करके 40 परसेंट कर दी, किसी में 45 परसेंट कर दी, किसी में 60 परसेंट कर दी। यह किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। हमारे क्षेत्र में फार्म पॉण्ड वरदान साबित होने वाली योजना हमारी सरकार ने साबित की। वह किसानों के लिए वरदान साबित हुई। उसमें हम 60 प्रतिशत सब्सिड़ी किसान को देते थे, उसमें कटौती करके आज 52 हजार रुपये कर दिए। फार्म बनने में इस तरह की परिस्थिति पैदा कर दी है, ऐसे नियम लगा दिए गए हैं जिससे किसानों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। एक हजार 50 के टारगेट आए उसमें सरकार ने मात्र 200

(श्री घनश्याम)

एप्लीकेशन स्वीकृत की है, यह भी किसानों के लिए बहुत बड़ा धोखा है। कृषि कनेक्शनों का मामला है, आपने रेट तो कम की है पर आपने वीसीआर भरकर जनता को दूसरे रास्ते से लूटने का, किसानों को लूटने का काम किया है। किसानों की पीठ पर छुरा घोंप रही सरकार, यह जनहित में बिलकुल नहीं है, किसान विरोधी है। राजस्थान में किसानों पर चालीस लाख का कर्जा है।

राजस्थान में 40 लाख किसानों पर कर्जा है। यह पूरे देश का दूसरा प्रदेश है, जिसमें 40 लाख किसानों पर कर्जा है। आप कर्जा माफ करने की बात करें। जब तक आप किसानों के कर्जे माफ नहीं करेंगे, तब तक इस प्रदेश का भला नहीं हो सकता। हमारी सरकार में हमने 72 हजार करोड़ एक साथ किसानों के माफ किये थे। उससे किसानों में खुशहाली आई, किसान आत्मनिर्भर हुए और प्रदेश के किसानों में आगे बढ़ने की परिस्थिति हुई। आज आपकी सरकार किसानों को जितना तंग कर रही है, जितना उनके साथ धोखा कर रही है, यह जनहित में नहीं है।

ग्रामीण विकास का जहां तक मामला है, गांव में विकास के नाम पर केवल राजनीति हो रही है। आप भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या आर.एस.एस. के कार्यकर्ता हैं, सिर्फ उनके ही काम कर रहे हैं। प्रदेश में सरकार आम आदमी की है, किसी पार्टी की सरकार तो है, पर यह नहीं कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्य मंत्री हैं। आप पूरे प्रदेश की मुख्य मंत्री हैं तो पूरे प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना चाहिये।

सरकार की लापरवाही एवं प्रभावी पैरवी नहीं करने के कारण एस.बी.सी. का आरक्षण भी रद्द हो गया। आज एस.बी.सी. का आरक्षण रद्द होने से प्रदेश में साढ़े चार हजार बच्चे अनशन पर बैठे हुए हैं। कई जगह अनशन हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में 17 जगह अनशन हो रहे हैं। उन अनशनकारियों से प्रदेश का प्रतिनिधि, आज तक कोई भी उनको पूछने नहीं गया, उनकी समस्या को जानने नहीं गया। यह भी दुर्भाग्य का एक बहुत बड़ा विषय है।

जहां तक हार्ड कोर अपराधी पुलिस अभिरक्षा से फरार हो रहे हैं, पूरी तरह से प्रदेश की कानून व्यवस्था भंग हो चुकी है। सरकार का इस ओर भी मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। प्रदेश में अपराधों, चोरी, नकबजनी, बलात्कार की

(श्री घनश्याम)
घटनाओं का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। सरकारी अधिकारियों पर भी सरकार का नियंत्रण खतम हो चुका है। हमारे प्रदेश के पाँच कैबिनेट मंत्रियों ने, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आये थे कि हमारी अधिकारी सुनते नहीं हैं। यह इस प्रदेश के मंत्रियों ने पीड़ा जाहिर की है कि अधिकारी हमारी नहीं सुनते हैं। तो इस तरह से प्रदेश को भगवान के भरोसे छोड़ना, यह जनहित में नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ढाई करोड़ रुपये सरकार के अधिकारियों पर पैनल्टी के रूप में वसूल करने चाहिये, जो उनके ऊपर बकाया चल रहा है। प्राइवेट वकील अधिकारी कर रहे हैं और सरकारी खजाने से वह पैसा उनको दिया जा रहा है। सरकार यह जनता के खिलाफ एक बहुत बड़ा धोखा कर रही है। इसी तरह से होम गार्ड के जवानों की भी वाजिब मांगों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है।

अन्तरराज्यीय जल विवादों के निस्तारण में सरकार को कोई सफलता नहीं मिली है। सरकार लोक सेवाओं के प्रदान में गारण्टी योजनाओं की सेवाओं में वृद्धि के प्रति गम्भीर नहीं है। तमाम जन सुनवाई एवं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम शिविरों पर अधिकारीगण जन समस्याओं को गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं। राजस्थान सम्पर्क पोर्टल की शिकायतों के निस्तारण में टालमटोल कर रहे हैं। विभाग द्वारा राजस्थान की जन सुनवाई अधिकार अधिनियम के प्रावधान में पालना नहीं हो रही है। राजस्थान के अधिकारियों एवं न्यायालयों की स्थिति अत्यंत लचर है। सभी कार्यालयों में अधिकारियों व कर्मचारियों की भारी कमी के कारण कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो पा रही है। एक तरफ तो राजस्थान की सरकार कहती थी कि हम 15 लाख नौकरियां देंगे, 15 लाख नौकरियां देने के बजाय आपने दो लाख नौकरियां अभी तक नहीं दी हैं। तो इस तरह से प्रदेश में जो बेरोजगारी फैल रही है, प्रदेश के युवाओं के साथ जो धोखाधड़ी इस सरकार ने की है, यह बहुत निंदनीय विषय है। इसके साथ-साथ जैसे आप कहते हैं, बहुत सारे स्कूलों की शिक्षा का स्तर हम बढ़ाने की बात करते हैं। प्रदेश में शिक्षा के जो हालात आपने पैदा किये हैं, आपने 27 हजार स्कूल इस प्रदेश में बंद किये हैं। उसके बाद तीन हजार स्कूल बंद करने जा रहे हैं। यह इसलिये बंद नहीं किये आपने, यह इसलिये बंद किये कि इन स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। कोई अमीर लोगों के बच्चे नहीं पढ़ते, सेठों के बच्चे नहीं पढ़ते। उनमें किसान,

(श्री घनश्याम)

मजदूर, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। वे पढ़ लिखकर जब अधिकार की मांग करते हैं, वे नौकरी की मांग करते हैं तो वे सरकार को बुरे लगते हैं। इसलिये उन गरीबों के साथ इस तरह का अन्याय जो हो रहा है, यह बहुत निन्दनीय है। आपने सरकारी स्कूलों की हालत यह पैदा कर दी कि आज 40 हजार पद रिक्त पड़े हैं। अध्यापकों की आप भर्ती नहीं कर रहे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम समानीकरण करने जा रहे हैं, समानीकरण के नाम पर आपके बच्चों की जो स्थिति है, उसके हालात आप प्रदेश में देख सकते हैं, इसलिये मेरा आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से भी निवेदन है कि एक बार इन एयरकंडीशंड बंगलों से और आफिसेज से निकल कर आप प्रदेश के स्कूलों की हालत जानें। प्रदेश में सरकारी स्कूलों की जो स्थिति पैदा की है, वह बहुत निंदनीय है। आप प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों को इसलिये बढ़ावा दे रहे हैं कि वह उद्योगपतियों के स्कूल हैं, बड़े लोगों के स्कूल हैं। तो मेरा सभापति महोदय से निवेदन है कि आप शिक्षा के मामले में भी सरकार का ध्यान दिलाएंगे।

इसी तरह से चिकित्सा व्यवस्था है। इस प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था के जो हालात पैदा हुए हैं, वह आपके सामने हैं। आज एस.एम.एस. अस्पताल जैसे बड़े हॉस्पिटल में लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है। वहां लोग मर रहे हैं। जो हालात चिकित्सा व्यवस्था में आपने पैदा किये हैं, यह एक बहुत बड़ा विषय है। जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उन सब में डाक्टरों की कमी है, नर्सों की कमी है, कम्पाउण्डरों की कमी है, इस तरह के हालात आप क्यों पैदा करना चाहते हैं। यह मेरे समझ में नहीं आता।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आप चिकित्सा मंत्री को एक बार यह हिदायत दें कि आपने एक जो जनता को मारने का कारखाना खोला है, 2700-2800 हॉस्पिटल्स को आपने प्राइवेट सैक्टर, पी.पी.पी. मोड पर दिया है। वहां की आप हालत देख सकते हैं कि वहां एक आदमी की दूसरे आदमी से कोई टसल है तो प्राइवेट ठेकेदार और प्राइवेट पी.पी.पी. मोड पर वहां क्या हालात पैदा हो गये हैं, जो आप जान सकते हैं। इस तरह से सरकार जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, पानी है, चिकित्सा है, शिक्षा है, ऐसे

(श्री घनश्याम)

मुद्दों को अगर हम प्राइवेट सैक्टर को देंगे तो फिर यह प्रदेश की सरकार, प्रदेश के नेता क्या काम करेंगे। इस तरह से यह पूरी तरह कम्पनी राज होने वाला है। सरकार सारे मामलों को कम्पनी को पूरी तरह सौंपना चाहती है और गरीब जनता, भोली-भाली जनता को लूट कर इस तरह का जो काम सरकार कर रही है, यह बड़ा निंदनीय है। मैं इस बजट की घोर निंदा करता हूं।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री मनोज कुमार।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान के बजट, 2017-18 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत आभार।

इस बजट में सबसे गम्भीर विषय हमारे इस प्रदेश के अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति, गरीब, किसान, बेरोजगार उस नौजवान के बारे में अगर हम चर्चा करें, अगर इस बजट का आकलन करें तो पूर्णत हमारे उस अंतिम छोर के व्यक्तियों के लिये कहीं भी इस बजट में लाभान्वित करने वाली कोई योजना नहीं है।

इस बजट के पैरा नम्बर 06 में विजन-2020 की बात की है और राजस्थान को आगे ऊंचाइयों पर ले जाने के लिये राज्य सरकार ने तीन आधार-स्तम्भों का हवाला दिया है। सबसे पहला दिया है, निवेश को बढ़ावा देने के साथ आर्थिक विकास में तेजी लाना; दूसरा, रोजगार के नव अवसरों का सृजन करना; और तीसरा है, सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं सामाजिक समरसता के आधार पर जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ राजस्थान को आगे ले जाने की बात कही है।

सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बजट 2016-17 में कि इसी राजस्थान की सरकार ने, इसी सदन में बजट पेश किया। नवम्बर, 2015 में रिसर्जेण्ट राजस्थान के नाम से स्वदेशी ही नहीं, बल्कि विदेशी कम्पनियों के साथ भी एम.ओ.यू. करने की बात कही, जिसमें कुल 03 लाख 21 हजार करोड़ रुपये का निवेश करने हेतु 295 एम.ओ.यू. करने की बात कही। इतना ही नहीं, तीन माह बाद 11531 करोड़

(श्री मनोज कुमार)

रुपये के 51 एम.ओ.यू. और करने की बात कही। लेकिन आज इस बजट में सिर्फ निवेश को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास को आगे ले जाने की बात कही है। पिछले 295 एम.ओ.यू. और 51 एम.ओ.यू. जो हुए, उन पर धरातल पर क्या काम हुआ, इस पर सरकार ने चिंतन और मंथन नहीं किया। दो नम्बर पर इन्होंने बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही। वह इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जब आपके एम.ओ.यू. नहीं हुए, आपके निवेशक आ करके इस राजस्थान में निवेश नहीं कर पाये, कार्य नहीं कर पाये तो बेरोजगारों को रोजगार देने के अवसर, आपने 15 लाख लोगों को रोजगार देने की बात इस प्रदेश में कही। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बिन्दु नम्बर दो में कितने लोगों को आपने रोजगार दिया, कितनी भर्तियां आपने निकालीं? आज तक जितनी भी भर्तियां इस सरकार ने निकालीं, वह सारी की सारी भर्तियां राजस्थान हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में आज भी विचाराधीन हैं। दूसरा, सरकार ने स्किल डवलपमेंट के नाम से कि हमने लोगों को रोजगार देने के लिये उनको अपने आपमें पारंगत कर दिया, वे रोजगार प्राप्त करेंगे। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस प्रदेश में आपने खूब सारी प्राइवेट आई.टी.आईज. खोल रखी हैं। उनकी सीटें भी नहीं भर रही हैं। उनमें डिप्लोमा करने वाले, उनमें डिग्री प्राप्त करने वाले व्यक्ति बेरोजगार घूम रहे हैं। स्किल डवलपमेंट के साथ ही साथ रोजगार के अवसर, जो निवेशक आ करके करने वाले थे, वे इस प्रदेश में कहीं भी नहीं हुए। इसलिये बेरोजगार आज भी बेरोजगारी की मार झेल रहा है। इस प्रदेश में सरकार की इस बात पर कोई मानीटरिंग नहीं है कि उन लोगों को रोजगार दिया जाए, स्किल डवलपमेंट के नाम से भ्रष्टाचार जरूर हुआ है। इस राजस्थान की ए.जी. रिपोर्ट ने कहा है कि आपके अंगूठा जो कह रहे हैं आप कि हम अंगूठा के नाम से उनकी हाजिरी, उपस्थिति करते हैं, उन लोगों में भी भ्रष्टाचार करके, इस प्रदेश की जनता के साथ बड़ा गंभीर अन्याय किया है।

सरकार अगर रोजगार की बात करे तो सरकार ने 24163 विद्यार्थी मित्रों को, घर भेजने का काम किया है। होम गार्ड ने अपनी मांग की कि हमें नियमित किया जाए, हमें स्थाई रोजगार दिया जाए, सरकार ने उनके आंदोलन के कारण उनसे नाराजगी जाहिर करते हुए, अब खूब से आर्डर

(श्री मनोज कुमार)

निकाल कर उनको घर भेजने का काम किया है।

2013 की शिक्षक भर्ती, जिसका फैसला हुआ चार माह हो गये सुप्रीम कोर्ट से और सात हजार बेरोजगार सरकार के मुंह की ओर देख रहे हैं कि कब हमें सरकार नियुक्ति दे देगी। 2012 की जो भर्ती हुई थी, उसमें भी संशोधन चयन के बाद जिला परिषद आज भी भर्ती नहीं कर पा रही। सरकार बेरोजगारों के साथ जो अन्याय कर रही है, यह बेरोजगार आपका इंतजार कर रहा है। सरकार इस पर, जो आप कह रहे हो कि हम रोजगार देकर इस नौजवान का भला करने वाले हैं लेकिन सरकार ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है।

सामाजिक एवं अधिकारिता की स्थिति में मुख्य रूप से जो जनता से जुड़े हुए बिजली, पानी, सड़क और उनकी मूलभूत आवश्यकता की चीजें हैं, उन पर सरकार को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।

ऊर्जा विभाग की बात करे तो सरकार आज भी पिछले तीन वर्ष का, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आपस में दोनों यहां ताल-मेल करके, एक बार वह आ गये और आने के बाद तीन साल तक कांग्रेस का गीत गा रहे हो कि कांग्रेस यह कर गयी, कांग्रेस यह कर गयी लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर आज इस प्रदेश के लिए कांग्रेस कहीं घुन बनी हुई है इस जनता के लिए तो आप खपरा बन गये हो और इस जनता को खपरा बनकर आप खाने का काम कर रहे हो।

जो 60 हजार करोड़ रुपये का आप जनता के लिए कह रहे हो कि हमने भुगतान कर दिया तो आप कहां से लेकर आए जो आपने भुगतान कर दिया? उन कंपनियों को लूटने के लिए आपने फ्री छोड़ दिया और आप कहते हो कि हमने 60 हजार करोड़ का भुगतान कर दिया। जनता के टैक्स से, जनता का जो पैसा आया, उसी में से आपने भुगतान किया है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने तीन वर्ष में बिजली के विभाग ने यह कोई कार्य नहीं किया और लूटने के लिए इसको छोड़ दिया। आम जनता के घरेलू पैसा बिजली का बढ़ा दिया, कृषि का बढ़ा दिया और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि बिजली विभाग का मेरे पास एक उदाहरण है कि किस तरीके से जनता को लूटने का काम

(श्री मनोज कुमार)

किया है। सरकार ने दो ऐसे व्यक्तियों को इस विभाग में रखा हुआ है, तीन व्यक्तियों को अधिकारी के रूप में, सलाहकार अधिकारी के रूप में बिना रिक्त पदों के वह कार्यरत हैं, जिनका गवर्नमेंट ने 10.5.2013 से 15 लाख रुपये का भुगतान कर दिया। एक को 24.2.2015 से साढ़े छह लाख रुपये का भुगतान कर दिया और तीसरे को दो से तीन लाख रुपये का भुगतान अब तक गवर्नमेंट कर चुकी है और यह सरकार का इस सदन में दिया हुआ जवाब है, जिसमें सरकार 24 लाख रुपये बिना किसी पद के दे चुकी है। ऐसे हजारों व्यक्ति होंगे, इस सरकार के पास जिनको सरकार भुगतान नहीं कर पाई। मैं यह कह रहा हूं कि सरकार इस तरीके से घाटे को रोके।

छीजत के नाम से घर में वी.सी.आर. से लूट करना चाह रही है लेकिन मैं यह कहता हूं कि सरकार, इस टेक्नोक्रेट ने जो 70 प्रतिशत लूट यहां जयपुर में बैठे-बैठे कर रहे हैं, उनको रोकने का काम करे।

माननीय सभापति महोदय, यह सड़क की बात कर रहे थे। मैं कहता हूं कि प्रदेश में सड़क की जो हालत है, आप किसी भी गांव में, किसी भी गली में चले जाएं तो सड़क की इतनी दयनीय हालात है और सरकार ने सड़क के बड़े जाल की बात की है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपने सिर्फ गौरव-पथ और मिसिंग लिंक की बात की है। जिस तरह से मेहर साहब कह रहे थे कि बड़े भेद-भावपूर्ण तरीके से आपने सड़कों को बनाने की बात की है।

शिक्षा की बात की कि 772 उच्च माध्यमिक विद्यालय जो ऐसे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, पांच मिनट में बस। पांच मिनट, हम आ रहे हैं, पांच मिनट सिर्फ।

772 उच्च माध्यमिक विद्यालय जो 40 का बाधक लगा दिया आपने, पिछली बार तो आपने लगा दिया कि उच्च माध्यमिक विद्यालय वहां पर क्रमोन्नत करेंगे जहां प्राइवेट विद्यालय नहीं हो और अबकी बार आपने लगा दिया कि छात्र संख्या 40 होगी वहां पर उच्च माध्यमिक विद्यालय करेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि यह बेरिकेड्स आप हटा दें और सभी पंचायत हैडक्वार्टर पर आप उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करें।

(श्री मनोज कुमार)

कृषि की अगर बात करूं तो माननीय सभापति महोदय, एक गंभीर विषय है। इस प्रदेश में किसान मुख्य धुरी है। किसान की वर्तमान में हालत सबसे ज्यादा दयनीय होती जा रही है। सरकार पहले तो इनके लिए बिजली माफ करे, आवारा पशुओं से मुक्ति दिलवाएं और किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिले, इसके लिए सरकार लागत का 50 प्रतिशत लाभांश तय करे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लोक सभा चुनाव में, एक मिनट, लोक सभा चुनाव में 2014 के घोषणा पत्र के पृष्ठ संख्या-44 पर इसी भारतीय जनता पार्टी ने लिखा था कि कृषि भारत के विकास का इंजन है। सर्वाधिक लोगों को इसमें रोजगार मिलता है। भाजपा कृषि विकास को उच्च प्राथमिकता, किसानों की आय और ग्रामीण इलाकों में विकास की वृद्धि का वादा करती है तथा कृषि और ग्रामीण विकास सरकारी निवेश को बढ़ाया जाए और ऐसे कदम उठाये जाए कृषि क्षेत्र में ....(व्यवधान)....

श्री सभापति: समाप्त करें। माननीय सदस्य, समाप्त करें। दो मिनट ऊपर हो गये। आप समाप्त करें।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): मैं समाप्त करता हूं, साहब। यह सुनिश्चित करे कि कृषि उत्पादक ....(व्यवधान).... डा. एम.एस.स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग, 2004 की ....(व्यवधान)....

श्री सभापति: श्री अमृतलाल।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट का समय और दे दें। साहब, मैं पूरी कर दूंगा दो मिनट में।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी श्रीमती वसुन्धराजी राजे ने राजस्थान विधान सभा के वित्त मंत्री के रूप में चौथा बजट वर्ष 2017-18 का पेश किया। मैं अपने विचार सदन के पटल पर रखना चाहूंगा। मैं मुख्य मंत्री महोदय को, सभी मंत्रियों को और सरकार को और सदन को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो हमारी वर्षों से मांग थी हाड़ा रानी राजकीय महाविद्यालय, सलूम्बर को पी.जी. में क्रमोन्नत किया।

(श्री अमृतलाल)

दूसरा, हमारा उदयपुर से सलूम्बर-बांसवाड़ा, स्टेट हाई-वे-32 जिसको आपने क्षेत्र की जनजाति की जनता की आवाज को सुना और उसको टू लेन में 65 किलोमीटर स्वीकृत किया उसके लिए मैं माननीया हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा।

तीसरा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सेमारी पंचायत समिति में एक आई.टी.आई. खोलकर उस क्षेत्र के ....(व्यवधान)....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, आज सुबह ही माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने कहा, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, आज सुबह उपाध्यक्ष महोदय ने सारे सदन को बताया, मंत्रियों को विशेष कर बताया कि जो यह बीच में जगह हो, उसमें खड़े होकर बात नहीं करें फिर भी मंत्रीजी उनके पास जाकर, उसी जगह खड़े होकर बात कर रहे हैं।

श्री सभापति: आप वक्तव्य जारी रखें।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर): आई.टी. आई. सेमारी और झल्लारा खोल कर उस क्षेत्र को बहुत बड़ा उपहार दिया है। हमारे विश्व की सबसे कृत्रिम झील जो जयसमंद झील है, मीठे पानी की झील है, उसके रख-रखाव और सुधार के लिए आपने स्वीकृति जारी की है। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे बीच में टोड़ाभीम के माननीय विधायक ने जो फरमाया और माननीय विधायक महोदय मनोज जी ने पिछले तीन साल में जो सरकार ने काम किये, मैं सदन के पटल पर रखना चाहूंगा। हमारी सरकार युवा, महिला, मजदूर और किसान और व्यापारियों, 36 कोमों को साथ लेकर चल रही है। सर्वजन सबका विकास, बिजली, पेयजल, कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और रोजगार का भी आयाम उपलब्ध करवाया है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, इसमें भजनलाल (वैर) आ रहा है। माननीय सभापति महोदय, इसमें तो भजनलाल (वैर) आ रहा है और माननीय सदस्य दूसरी जगह के हैं। इसमें आ रहा है भजनलाल (वैर) तो भजनलालजी दूसरे माननीय सदस्य हैं और जो बोल रहे हैं उनका नाम आना चाहिए स्क्रीन पर। ....(व्यवधान)....

श्री अमृतलाल (सलूम्बर): मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, जहां हाड़ा रानी ने अपना सिर कटवाया था। जहां महाराणा प्रताप ने 18 वर्ष अपना अज्ञातवास करके अंतिम सांस ली थी, उस क्षेत्र से आता हूं जहां मीठे पानी की झील है। वाकई में उस उत्तर और दक्षिणी छोर से हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने पिछले 30 वर्षों में उद्योग, ग्रामीण विकास की सुरक्षा, हमारी सरकार ने भामाशाह योजना को लागू करना, न्याय आपके द्वार द्वारा श्रमिक कार्ड को बनाया। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा में 30 हजार से 3 लाख तक की आम जनता के लिए जो इलाज हेतु आपका जिला आपकी सरकार, प्रधान मंत्री आवास, नि:शुल्क महिला को गैस, उदय योजना बिजली के क्षेत्र में, स्वच्छ भारत, अपना खेत अपना कार्य, किसानों की फसल खराबा पर हमारी सरकार ने पचास परसेंट से घटाकर 33 परसेंट पूरे राजस्थान के किसानों के लिए और देश में प्रथम आना, केटेगरी फोर के अंतर्गत कार्य करना, जिसमें व्यक्तिगत कार्य के लिए भूमि समतलीकरण करना, कुएं खोदना और बगीचे लगाना। सरकार आपके द्वार, आपका जिला आपकी सरकार, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा, यह भी हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। आरोग्य राजस्थान, मुख्य मंत्री जन आवास, राजस्व लोक अदालतें, अन्नपूर्णा भंडार, मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन अभियान के अंतर्गत राजस्थान सम्पर्क पोर्टल, स्मार्ट सिटी, रिसर्जेंट राजस्थान, सामाजिक सुरक्षा, प्रधान मंत्री फसल बीमा, भामाशाह पशु बीमा, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधान मंत्री कृषि बीमा योजना, गरिमा बालिका संरक्षण सम्मान योजना लागू की है।

(16.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, 'मुख्य मंत्री राजश्री योजना', 'खेल प्रतिभा खोज', 'मुख्य मंत्री सक्षम बालिका योजना', 'मुख्य मंत्री जनसहभागिता विद्यालय विकास', 'मुख्य मंत्री स्वच्छ ग्राम योजना' 'मुख्य मंत्री खेल मैदान' 'मुख्य मंत्री मुक्ति धाम विकास' 'दीनदयाल उपाध्याय' बी.पी.एल. अन्त्योदय अन्नपूर्णा' ।

मैं माननीय सभापति महोदय, आपसे यही कहना चाहूंगा कि हमारा प्रतिपक्ष कह रहा है, लेकिन मेरा यह कहना है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में आगामी वर्ष में 6 हजार 657 करोड़ 32 लाख का जो प्रावधान किया है,

(श्री अमृतलाल)

वह 58.47 प्रतिशत है सबसे हाइएस्ट।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारा जो श्रम विभाग है, जिसमें इस वर्ष का बजट 21.34 प्रतिशत, पर्यटन में 42.28 प्रतिशत, उद्योग में 17.10 प्रतिशत, महिला एवं बाल विकास में 17.09 प्रतिशत, गृह विभाग में 11 प्रतिशत की वृद्धि, चिकित्सा विभाग में 8 प्रतिशत की वृद्धि, सामाजिक न्याय विभाग में 2 प्रतिशत की वृद्धि, जनजाति विकास विभाग में 6 प्रतिशत की वृद्धि, कृषि विभाग में 3 प्रतिशत की वृद्धि, जल संसाधन में 11 प्रतिशत की, उच्च शिक्षा में 11 प्रतिशत, यू.डी.एच. विभाग में 4 प्रतिशत, पंचायती राज में 5 प्रतिशत, शिक्षा विभाग में 7 प्रतिशत, देवस्थान विभाग में 5 प्रतिशत, जलदाय विभाग में 16 प्रतिशत और राजस्व विभाग में 8 प्रतिशत बढ़ोतरी की है।

हमारे बीच में सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री, जिन्होंने इस प्रकार का ग्रामीण क्षेत्र के जिलों की सड़कों को जोड़ा, ग्रामीण गौरव पथ को जोड़ा, मिसिंग लिंक को जोड़ा, प्रधान मंत्री सड़क योजना में जोड़ा, ढाणियों, मजरों को जोड़ा। नोन-पेचेबल सड़क, हमारे घनश्यामजी जो टोडाभीम क्षेत्र से आये हैं, उन्होंने यह कहा कि एक किलोमीटर की भी सड़क नहीं बनायी। यह सरासर ठीक नहीं है। आप आखिर में कैसा बजट चाहते हैं? यह सदन हमारा पवित्र मंदिर है, इसमें सच बात कहनी चाहिये। हमारे यहां विकास के कार्य हुए हैं।

सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग से 944 करोड़ का काम पिछले तीन वर्षों में हुआ है। यह एक प्रकार का आंकड़ा है। हमारे यहां गृह विभाग से 4 करोड़ 73 लाख रुपये का कार्य हुआ है। इसी तरह से चिकित्सा विभाग से 22 करोड़ 96 लाख के कार्य हमारे वहां हुए हैं। 93 गांवों के पेयजल के लिये डी.पी.आर. जारी हो गयी। 15 सौलर सिंगल फेस के पम्प स्वीकृत हो गये। 112 विद्यालयों में हैण्डपम्प की स्वीकृति मिली। टंकी या पाइप लाइन का मामला हो, सबमें अच्छा काम हुआ है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार आने के बाद पूरे राजस्थान में पंचायती राज विभाग का पुनर्गठन करके 773 नवीन ग्राम पंचायतों का

(श्री अमृतलाल)

पुनर्गठन किया और राजस्थान में 47 नई पंचायत समितियों का गठन हुआ। यह बहुत बड़ा काम हमारे पंचायती राज मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी ने किया है। साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पंचायत राज में नरेगा के अन्तर्गत मैंने 19 नदियों पर रपट बनायी। यह कार्य भी बहुत बड़ा मेरे विधान सभा क्षेत्र में हुआ है।

सभापति महोदय, मैं आपके सामने यह भी कहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 50 से अधिक उच्च सीनियर माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत हुए, 12 उच्च प्राथमिक विद्यालय हुए और रमसा में 21 विद्यालयों में 5 करोड़ 84 लाख के कार्य हुए। मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगा कि आपने भी हमारा बहुत काम किया है और जनजाति विभाग में पांच सड़कें 7 करोड़ 20 लाख रुपये की स्वीकृत हुईं। दो बालिका छात्रावास खोले गये दो-दो करोड़ के और बन्द पड़ी लिफ्टों को पुन: चालू किया गया। ऊर्जा मंत्रीजी ने भी हमारे क्षेत्र में 190 करोड़ के काम किये हैं।

मैं अन्त में यही कहना चाहूंगा कि हमारी मुख्य मंत्रीजी से मांग है कि माही का पानी गुजरात में बहकर जाता है और जाखम का ओवर-फ्लो अगर जयसमन्द हमेशा के लिये भरने के लिये किया जाये उसकी डी.पी.आर. बनाकर, तो उससे सब क्षेत्र को पानी मिलेगा।

गृह मंत्रीजी से भी मेरी मांग है कि मेरे क्षेत्र में एक पुलिस थाना है गींगला, उसको क्रमोन्नत किया जाये ओर टोकड़ और इटालीखेड़ा और सलाड़ा को स्थायी पुलिस चौकी में परिवर्तित किया जाये।

सिंचाई मंत्रीजी से मेरी मांग है कि हमारा वह सारा क्षेत्र तालाबों का एरिया है। वहां पर नहरों का सुदृढ़ीकरण हो जाये।

धन्यवाद। जयहिन्द। जय राजस्थान।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्री छोटू सिंहजी।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): माननीय सभापति महोदय, आय-व्ययक बजट 2017-18 के वाद-विवाद के ऊपर सदन के अंदर पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये।

माननीय मेरा निवेदन है कि आदरणीय अति सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी

(श्री छोटू सिंह)

की अच्छी सोच, प्रदेश के हित को सोचते हुए बड़ी कुशलता से प्रबन्ध करते हुए न केवल पूर्ववर्ती योजनाओं को पूर्ण करवाया, बल्कि ऐसे भी फैसले लिये जो दूरगामी, सराहनीय साबित हुए। माननीय सभापति महोदय, सरकार की मुखिया की सोच प्रदेशवासियों का स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद से प्रदेश का विकास, नई दिशा और गति मिली। माननीय मुख्य मंत्रीजी की परिकल्पना, निवेश को बढ़ावा, आर्थिक विकास में तेजी लाना, रोजगार के नये अवसर सृजन करना, साथ ही सुशासन कायम रखना है। पहली प्राथमिकता सरकार की माननीय मुखिया की बिजली, पानी, शिक्षा को सुदृढ़ और आमजन को सुदृढ़ न्याय प्रदान करना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का विकास हो। परिवर्तित बजट में नवाचार समाहित करके नागरिकों को समुचित सुविधा मिल सके और जीवन में सुधार नजर आये, यह सोच माननीय मुख्य मंत्री साहिबा की थी। उन्होंने ऐसे-ऐसे निर्णय लिये जिसके लिये माननीय मुख्य मंत्री साहिबा को बहुत बहुत धन्यवाद।

आदरणीय सभापति महोदय, पैरा नम्बर-12 के अंदर आर्थिक सुधार और मूलभूत ढांचे का विशेष वर्णन है। लोगों की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे, महंगाई कैसे कम हो, इसके लिये माननीय मुख्य मंत्री साहिबा की सोच है और प्रदेश में सबसे पहला काम सड़क का निर्माण हो। पूर्व सरकार के पांच साल में जो बजट था, उसे तीन साल में हमने दोगुना किया। साथ ही सबसे बड़ी सोच कि गांवों में सड़कें हैं, शहरों में सड़कें हैं, लेकिन गांव की महिला किसी भी प्रकार का काम हो जाय तो गांव के अंदर सड़क नहीं है। जहां पानी की कमी नहीं है वहां तो शायद नालियों का गंदा पानी होगा, लेकिन मेरे जैसलमेर क्षेत्र में सबसे बड़ी सोच यह थी कि गांव में फोर व्हीलर गाड़ी भी नहीं जा सकती तो सबसे पहला काम गौरव पथ का निर्माण किया। यह आमजन के लिये बहुत ही सराहनीय काम रहा। आज जैसलमेर के दो तिहाई क्षेत्र के अंदर ग्राम पंचायतों के अंदर गौरव पथ रोड का निर्माण हो गया, इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री साहिब को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जैसलमेर एक ऐसा जिला है जो एक केरल प्रदेश के हिसाब से है, मैं चाहता हूं जिस हिसाब से रोड निर्माण, आमजन छोटे जिलों को दे रहे हो और वहां की जनसंख्या,

(श्री छोटू सिंह)

मैं मानता हूं, बहुत ज्यादा है, लेकिन 39 हजार स्क्वायर वर्गमील क्षेत्र के अंदर दो एम एल ए को जनसंख्या के अनुपात में बहुत ही कम बजट मिलता है। मैं चाहता हूं कि इस बजट को जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्र से दिया जाता है, उसी हिसाब से जैसलमेर के विकास के लिये मरूभूमि के अंदर दिया जाये। ताकि आम जन, चाहे वो सड़क के मामले में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र के मामले में हो, चाहे वो पानी के मामले में हो, ताकि वहां समुचित व्यवस्था हो सके।

मैं मानता हूं पांच साल पूर्व में भी खूब सारी मांगें की लेकिन इन पांच साल के अन्दर जो माननीय मुख्यमंत्रीजी का सोच था, जो कल्पनाएं उन्होंने की थीं, जो उनके द्वारा विचारधाराएं थीं उस हिसाब से मेरे जैसलमेर के अन्दर बहुत सारा विकास हुआ है। सबसे बड़ा विकास पानी का था कि साढ़े चार सौ करोड़ की स्कीम जो 171 गांवों को पानी मिलने की थी और नहर से डाइरेक्ट पेयजल का था, 15 साल से बस्ते में बंद पड़ी रही, उसको ओपन किया और खोला, वो बहुत ही सराहनीय काम रहा। हम जैसलमेर की पूरी जनता की ओर से, पूरे मुल्क की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि ठीक उसी प्रकार से, जब नहर बनी थी तो नहर के अन्दर चक आबादियां अलग-अलग क्षेत्र में बनी थीं लेकिन उस समय भी जिस हिसाब से काम हुआ था, लोकतंत्र के अन्दर आम नेता ने, आम मंत्री ने वहां का अवलोकन किया लेकिन चक आबादियों की हालत इस प्रकार से है, पूर्ववर्ती सरकार ने 61 करोड़ का प्लान ला कर वो बना हुआ रहा, काम शुरू नहीं हुआ लेकिन माननीय मुख्यमंत्री की सोच और एक बार उधर तनोट साइड में घूमने से यह साबित हुआ, कुछ गांव मिले हैं, मैं चाहता हूं कि उस विकास को और तेज गति लाने के लिए, चक आबादियों को आबाद करने के लिए, वहां के लोगों को सही जिंदगी जीने के लिए, वहां की स्कूलों को और बढ़ाने के लिए विशेष पैकेज दिया जाए ताकि वहां के लोगों को विशेष योजनाबद्ध तरीके से लाभ मिल सके।

दूसरा, पर्यटन के क्षेत्र में आज जैसलमेर एक छोटा सा माउंट आबू है और आपने अपने इस परिवर्तित बजट में लिखा है कि हवाई सेवा से भी उसकी प्रक्रिया आगे के लिए चालू है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आदरणीय

(श्री छोटू सिंह)

मंत्री जी विराजे हैं, कि केन्द्र सरकार से भी सम्पर्क किया जाए और जैसलमेर को हवाई सेवा से जोड़ा जाए ताकि जैसलमेर का पर्यटन का जो बिजनस है वो और आगे बढ़े।

इसके साथ में एक और निवेदन है कि जो भी पर्यटक जैसलमेर आता है तो सबसे पहले यह सोचता है कि तनोट मैया के दर्शन किये जाएं और तनोट मैया के दर्शन करने के बाद में वो यह भी सोचता है कि सम का सैंड ड्यूंस, उसके अन्दर किस प्रकार से सैंड ड्यून को देखा जाए, तो यदि केवल 15 किलामीटर रोड़ बन जाए तो आने वाले देसी पर्यटक की 60 किलोमीटर की दूरी कम हो जायेगी। आदरणीय, मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय की आज्ञा से कि इसको विशेष गौर फरमाया जाए।

विशेष कर जैसलमेर की पेयजल की व्यवस्था के बारे में आपने बहुत अच्छी व्यवस्था की है फिर भी 2004 से 245 एसएमजी की जो स्कीम है वो सैंक्शन भी हुई लेकिन कुछ कारणवश कुछ काम होकर बंद हो गया, फिर पूर्ववर्ती सरकार ने भी शुरू किया, फिर भी वो बंद रहा, मैं चाहता हूं किसी भी प्रकार से उसका एस्टिमेट 30 करोड़ का है, उसको वापस चालू किया जाए।

आदरणीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी सरकार के द्वारा बहुत सारे काम हुए हैं। यह सोच थी कि जैसलमेर में भी कभी उजाला होगा लेकिन पंडित दीनदयाल योजना में बहुत सारे गांव जुड़ गये हैं। मैं यह चाहता हूं कि जिस प्रकार से वो कनेक्शन हुए हैं उसी खुशी के साथ, आम जन के लिए पहले थ्री फेज कनेक्शन नहीं थे, नहरी क्षेत्र में पानी बहुत कम आता है, मेरा निवेदन है कि ऊर्जा को जोड़ते हुए उस जगह जहां डिग्गियां होती हैं वहां भी एक पांच हॉर्स पावर के कनेक्शन की इजाजत फरमाएं जिससे कि वो काम और गति लायेगा और पानी की खपत भी कम होगी।

आदरणीय, इसके साथ में मैं आज विशेष महत्व पर्यटन को दे रहा हूं क्योंकि जैसलमेर का एक गोल्डन किला है, उस गोल्डन किले को आम जन देखने आता है और एक वो बैंटोनाइट की पहाड़ी पर बसा हुआ है, आज स्थिति यह है कि वहां आज से 40 साल पहले कम आबादी थी, अब आबादी

(श्री छोटू सिंह)

बढ़ गयी है, जगह-जगह होटलें बन गयी हैं और उस किले के अन्दर इस प्रकार का सीपेज हो रहा है, पूर्ववर्ती समय में भी इस कार्य के खूब सारे टेण्डर हुए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आदरणीय, अभी तो दो मिनट ही नहीं हुए। आप कहो तो मैं बैठ जाऊंगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है।

मेरा निवेदन है कि उस किले के जीर्णोद्धार के लिए, किले को कैसे बचाया जाए, वहां की जनता को कैसे नयी कॉलोनियां देकर बसाया जाए और वहां के पानी के सीपेज को कैसे बचाया जाए। पूर्व में भी आरयूआईडीपी में यह काम शुरू हुआ, वो काम पांच-साल से रेगुलर चल रहा है, किसी भी तरीके से कोई काम नहीं हो रहा है और जैसलमेर की स्थिति ऐसी हो गयी है कि वो काम फाइनलाइज नहीं हो रहा है। मेरा निवेदन है आज आपके माध्यम से सदन से कि इस प्रकार से गौर फरमाएं।

विशेष कर एक निवेदन करना चाहता हूं जैसलमेर के शहर के बारे में। 1158 में जैसलमेर नगर बसा और 99 बुर्ज वाला यह किला है और महारावल जैसलजी ने इसको बसाया था लेकिन सभी शहरों में और जिलों में जो भी शासक था उसकी मूर्ति है लेकिन जैसलमेर के संस्थापक महारावल जैसलजी की आज तक मूर्ति नहीं है। मेरा निवेदन है कि इस जैसलमेर शहर के किले के प्रथम गेट के पास महारावल जैसलजी की मूर्ति लगे। यह मेरा अनुरोध है आदरणीय मंत्रीजी से।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पैरा नम्बर 50 में पशुपालन के बारे में बहुत सारी बातें हैं। ग्लोबल राजस्थान एग्रोटेक मीट का भी भव्य आयोजन हुआ लेकिन उसके अन्दर पशुपालन जिला कौनसा है, एग्रीकल्चर जिला कौनसा है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके लिए मेरा जिला उसमें प्रथम आता है। मेरा निवेदन है कि पशुपालन को गायों की देखरेख को रखते हुए ...(व्यवधान)... केवल आधा बीघा गो-चरण के लिए रखा है।

श्री सभापति: अपना वक्तव्य पूरा करें।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): दो मिनट लूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरा निवेदन है कि किसी भी तरीके से गाय विचरण के लिए दो बीघा और साथ में मेरा निवेदन है कि भादरिया राय, भादरिया महाराज ने 21 हजार गायें वहां रखी हैं और वहां गोशाला है वहां कोई वेटेरनरी हॉस्पिटल नहीं है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जहां 21 हजार गायें बसती हैं, इतनी संख्या में गायें किसी पंचायत मुख्यालय पर नहीं है, न समिति मुख्यालय पर है लेकिन वहां आज तक कोई वेटेरनरी हॉस्पिटल नहीं है। आदरणीय, आपके माध्यम से निवेदन है, माननीय मंत्रीजी तो नहीं विराजे हुए हैं लेकिन निवेदन यही करना चाहता हूं कि वहां वेटेरनरी हॉस्पिटल की घोषणा की जाए।

श्री सभापति: समाप्त करें। कृपया अब समाप्त करें।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: आदरणीय श्री गोतमलालजी। माननीय सदस्य, श्री गोतमलाल।

(अनुपस्थित)

माननीय सदस्य, श्री केसारामजी चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में 08 मार्च को वित्त मंत्रीजी द्वारा वर्ष 2017-18 का जो बजट रखा है उसमें इस राजस्थान प्रदेश का 'सब का साथ सब का विकास', इस बजट से इसकी सार्थकता नजर आती है और मेरे कांग्रेसी भाई इस विकास को कागज के पन्ने में ढूंढ़ रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि आप अपने क्षेत्र के धरातल पर देखें कि इस तीन साल में जो विकास हुआ है, राजस्थान के विकास में आपने जो शासन किया उसकी अगर तुलना की जाए तो निश्चित रूप से इस भारतीय जनता पार्टी के तीन साल के शासन का पलड़ा भारी होता है।

आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से स्कूलों के ताले लग रहे थे और स्कूलों के ताले लगने के बाद में ऐसी

(श्री केसाराम चौधरी)

स्थिति थी कि मास्टर नहीं थे और मास्टर नहीं थे तो स्कूलों में बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे थे। ऐसी स्थिति को देख कर के, परिस्थिति इस तरह की थी। उसकी आज जो स्थिति बनी है, मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी और राजस्थान की सरकार को धन्यवाद देता हूं कि अगर कोई मील का पत्थर साबित होगा भारतीय जनता पार्टी के शासन का, तो यह शिक्षा में जो क्रांतिकारी परिवर्तन किया है, उस परिवर्तन का साक्षात, इस राजस्थान की धरती पर जो सच्चे मायने में विकास होता है वो शिक्षा होती है और इस तरफ अगर कोई ध्यान दिया गया है तो हमारी सरकार ने विगत वर्षों में देकर के जिस तरह से हर पंचायत हैडक्वार्टर पर 12वीं की स्कूल कर के जो ऐतिहासिक निर्णय लिया उसमें हर पंचायत हैडक्वार्टर पर स्कूल, कोई भी कांग्रेसी भाई कह सकता है कि मेरी पंचायत हैडक्वार्टर पर स्कूल नहीं है? मैं निवेदन करता हूं कि कोई न कोई प्राइवेट स्कूल जरूर होगी। अगर प्राइवेट स्कूल नहीं है तो सरकारी स्कूल जरूर है। कुछ स्कूलें जो नई बनी हैं, उस पर हमारी सरकार ने नई घोषणा करके जो रिकार्ड बीट किया है, उसके लिए मैं राजस्थान सरकार का आभार व्यक्त करता हूं।

इन्होंने 37 हजार शिक्षकों की भर्ती की और 86 हजार शिक्षकों को पदोन्नति दी। कांउसलिंग के माध्यम से टीचर्स का ट्रांसफर करके पूरे भारत देश में एक क्रांति लाए हैं कि इस तरह से भी कोई ट्रांसफर हो सकते हैं। यह एक नया इतिहास रचा है भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा मंत्री जी ने कि यहां पर कांउसलिंग के माध्यम से शिक्षक जहां चाहता है, वहां पर उसको जगह दे दी कि आप 3 में से कोई भी स्थान चुनिए और जाइए। अन्यथा तो आपके राज में एक ट्रांसफर कराकर आया तो दूसरा वापिस कराता था, तीसरा जाकर के वापस कराता था। आपने जो शिक्षा की दुर्गति कर रखी थी, उसको अगर किसी ने ठीक किया है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में केवल 7 पंचायत हैडक्वार्टर ऐसे हैं, जहां पर प्राइवेट स्कूलें तो हैं मगर सरकारी सीनियर स्कूल नहीं है। गरीब बच्चों के लिए सरकारी सीनियर स्कूल चाहिए। सरकारी स्कूलों की फीस कम है और गुणवत्ता की शिक्षा अगर कोई दे सकती है तो हमारी सरकारी स्कूलें दे सकती

(श्री केसाराम चौधरी)

हैं। मैं मांग करता हूं कि 6 पंचायतें ऐसी हैं जहां केवल प्राइवेट स्कूलें हैं। एक नया पंचायत हैडक्वार्टर बढ़ा है बांसौर में, वहां पर नई स्कूल खुलनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था यह सरकार करेगी जो कि इस बार की शिक्षा नीति में लाए हैं।

सभापति महोदय, अरावली क्षेत्र में जो स्कूलें हैं, उनमें दसवीं की स्कूलों में छात्रों की भरमार है। एक स्कूल में अभी मैं शनिवार को था। वहां पर 400 बच्चे हैं। दसवीं की स्कूल में 400 बच्चे हैं। आप तो 40 बच्चों की बात करते हो। एक-एक कक्षा के 2-2 सैक्शन चल रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि बाघौल जैसी स्कूल और उसके साथ ही डोठारिया, पुनाड़िया, अटाटिया, यह 3-5 स्कूलें ऐसी हैं, जहां पर दसवीं की स्कूलों की आवश्यकता है। अगर वहां दसवीं की स्कूल है तो उसको बारहवीं करने की आवश्यकता है, ऐसी मेरी मान्यता है।

सभापति महोदय, सरकारी विद्यालयों में वर्ष 2012 में मात्र 53.04 परसेंट बच्चे पढ़ते थे। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के विद्यालय में नामांकन थे। वर्ष 2016 में 56.02 परसेंट विद्यार्थी बढ़े हैं। इससे यह साफ जाहिर होता है कि शिक्षा का जो स्तर बढ़ा है वह भारतीय जनता पार्टी के शासन में बढ़ा है। इस वजह से जनता में और बच्चों में विश्वास पैदा हुआ है कि सरकारी स्कूलों में जिस गुणवत्ता की शिक्षा होती है, वैसी शिक्षा प्राइवेट स्कूलों में नहीं होती है। इससे बच्चों का नामांकन बढ़ा है। अभिभावकों के मन में भी यह जागा है कि सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिल रही है इसलिए बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजा जाए।

सभापति महोदय, शिक्षा के साथ-साथ खेलों को भी राजस्थान सरकार ने महत्व दिया। खेल जगत में जिस तरह से 2015-16 में 17 से 19 वर्ष की आयु के छात्रों ने 39 पदक प्राप्त किए और उसमें से 13 स्वर्ण पदक थे। इसके लिए राजस्थान सरकार और खेल मंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इस तरह का रिकार्ड बीट किया। 2012-13 में कुल पदक संख्या 20 थी और उसमें से मात्र 3 स्वर्ण पदक थे। इस तरह से अगर विकास शिक्षा और खेल में नहीं दिखता है तो मैं मेरे कांग्रेस के साथियों से निवेदन करता हूं कि सरकार ने जो क्रांतिकारी काम इन क्षेत्रों में किए हैं, उनकी सराहना करनी चाहिए।

(श्री केसाराम चौधरी)

सभापति महोदय, मैं उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि मेरे क्षेत्र में जिस तरह से 2,275 बच्चे सीनियर की परीक्षा दे रहे हैं और पूरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी सरकारी महाविद्यालय नहीं है। इसलिए बच्चों की शिक्षा की बड़ी दिक्कत होती है। मेरा मारवाड़ जंक्शन जो विधान सभा क्षेत्र है, वह 125 किलोमीटर लंबा बसा हुआ है, उसमें एक सरकारी महाविद्यालय की मांग करता हूं।

सभापति महोदय, इसके साथ ही कृषि जगत में जिस तरह से सरकार ने काम किया, उसकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूँ। राजस्थान में पहली बार राजस्थान एग्रो मीट जयपुर में आयोजित की गई। एग्रो मीट को देखकर के किसानों को नये-नये आयामों का पता लगा। उसमें किस तरह से नये बीज बन रहे हैं। हाईब्रिड सीड किस तरह से पैदा होते हैं। गुणवत्ता वाली नस्ल कैसे पैदा होगी। आपने तो एग्रो मीट देखी होगी। देश-विदेश से लोग आकर के उसकी सराहना करके गये। आप कम से कम एक भैंसा देख लेते। उस भैंसे को देखकर के भी आप सराहना कर लेते कि देश में ऐसी नस्ल के भैंसे भी हैं।

राजस्थान में किसानों को पहली बार इस तरह का विजन दिखाई दिया। इसको देखकर के हमारी मुख्यमंत्री संभाग स्तर पर भी ऐसे एग्रो मीट आयोजित करके किसानों को जागरूक करेंगी। जिससे राजस्थान आत्मनिर्भर होकर के उत्पादन के क्षेत्र में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। ऐसा मेरा मानना है। सभापति महोदय, नवीन यंत्रों का प्रयोग, खाद, बीज और कम पानी में खेती किस तरह से की जाये, वह सारा उसमें किसानों ने देखा। फव्वारा खेती कैसे होती है। उससे पानी को कैसे बचाया जाए। यह सारा उस एग्रो मीट में प्रदर्शित किया गया। यह हमारी राजस्थान सरकार का विजन था जो कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में यह बहुत अच्छा कार्य हुआ।

इसी तरह से खरीफ की फसल में 53 लाख किसानों की 73 लाख हैक्टेयर कृषि भूमि का, रबी फसल में 30 लाख किसानों की 29 लाख हैक्टेयर कृषि भूमि पर बोई गई फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा किया जाएगा। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। किसानों का फसल बीमा करने से किसानों को फायदा होगा। अभी कोई बोल रहे थे कि ओलावृष्टि हो गई। अब

(श्री केसाराम चौधरी)

किसान किसके पास जाए? किसके सामने हाथ फैलाए? किसान की फसल का बीमा किया हुआ है तो सरकार द्वारा निश्चित रूप से उसकी फसल का हर्जाना मिल जाएगा। इससे किसान को किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी।

वर्ष 2017-18 में किसानों की मांग के अनुसार 50 हजार मैट्रिक टन यूरिया तथा 20 हजार मैट्रिक टन डीएपी का अग्रिम भंडारण किया गया। कांग्रेस राज में किसान मारा-मारा फिरता था। उसको ना डीएपी मिलता था और ना ही यूरिया मिलता था। किसान को खेती करने के लिए खाद और बीज चाहिए और वह समय पर नहीं मिले तो वह खेती किस तरह से करे। यह हमारी सरकार की सोच है कि उसने खाद की व्यवस्था अग्रिम की है। उसके लिए मैं सरकार की प्रशंसा करता हूं।

सभापति महोदय, मैं पीडब्ल्यूडी पर बात करना चाह रहा हूं। आगामी वर्ष में 6657 करोड़ 32 लाख रुपयों का प्रावधान सड़कों के लिए सरकार ने किया है। इससे राजस्थान की वह सड़कें जो खराब स्थिति में हैं, उसको सुधारा जाएगा। यह बजट में प्रावधान किया गया है।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): यह संशोधन से 58.47 परसेंट अधिक है। सभापति महोदय, मैं 2 मिनट में कर रहा हूं।

सभापति महोदय, आपको धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामपालजी।

श्री रामपाल (बारां-अटरू): सभापति महोदय, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका आभार।

सभापति महोदय, साथ ही 'सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय' को ध्यान रखकर के माननीय मुख्यमंत्रीजी ने प्रदेश को जो बजट दिया है, उसके लिए बहुत-बहुत बधाई। माननीय मुख्यमंत्रीजी ने राजस्थान प्रदेश को, जिस प्रकार से गत सरकार ने राजस्थान के विकास की रसातल में भेज दिया था, उसको मात्र 3 साल में उबारकर धरातल पर रखा और चहुमुंखी विकास की गंगा बहाई। यह प्रदेश की जनता के लिए अभूतपूर्व उदाहरण है।

(श्री रामपाल)

प्रदेश की जनता के लिए आर्थिक, सामाजिक संरचनाओं में सड़क, पानी, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, विकास एवं रोजगार आदि के विषयों पर समग्र विकास का प्रयास किया, जो माननीय मुख्यमंत्रीजी का सराहनीय प्रयास रहा है। माननीय मुख्यमंत्रीजी ने प्रदेश के विकास को मजबूत करने के लिए जो सड़क तंत्र मजबूत किया है, वह आंकड़े आप सबने सुने हैं। लगभग 57.47 प्रतिशत अधिक बजट देकर आगामी वर्ष के लिए प्रदेश में सड़कों के विकास के लिए एक बहुत बड़ा सड़क तंत्र विकसित किया है।

इसी के साथ ही नाबार्ड के 825 करोड़ की 5 हजार किलोमीटर की सड़कें आगामी वर्ष में 800 करोड़ की 5 हजार किलोमीटर लम्बाई का कार्य प्रारम्भ किया जाना राज्य मार्गों के लिए 1580 करोड़ की 796 किलोमीटर लम्बाई की 15 परियोजनाओं का कार्य स्वीकृत किया जाना, 441 करोड़ रुपए कि 402 किलोमीटर लम्बाई की 19 सड़कों को विकसित करना, यह एक अनुकरणीय उदाहरण है।

माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, मेरे क्षेत्र में भी वर्षों-वर्षों से लोगों की एक बड़ी मांग चली आ रही थी अटरू से खानपुर सड़क की, उस सड़क को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने गत बजट में देकर क्षेत्र को एक बहुत बड़ी सौगात दी है।

माननीय सभापति महोदय, पेयजल की बात करें तो प्रदेश की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इस बजट में 2039 गांवों और ढाणियों को लाभांवित किया जाना, शेष 2500 गांवों को भी शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जाना माननीय मुख्य मंत्रीजी का लक्ष्य है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में वर्षों-वर्षों से धरने प्रदर्शन, मांग, पानी की मांग चली आ रही थी, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उस विषय को ध्यान में रखकर गत बजट में 86 करोड़ रुपए की शेरगढ़ पेयजल परियोजना को देकर 36 गांवों के साथ अटरू उपखंड मुख्यालय को जोड़कर मेरे क्षेत्र के गांवों के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, गत सरकार की अपेक्षा पेयजल पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दुगना व्यय किया है, उसके लिए भी बहुत-बहुत बधाई।

(श्री रामपाल)

गांवों में आर.ओ. प्लांट की योजना, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, यह सराहनीय कार्य रहे हैं।

ऊर्जा के क्षेत्र की बात करें तो गत सरकार के जो आंकड़े विद्युत भार ऋण 72724 करोड़ तथा 15645 करोड़ रुपए का घाटा छोड़कर गए थे, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उदय योजना के अंतर्गत विद्युत निगमों से 62421 करोड़ 96 लाख रुपए ऊर्जा का ऋण राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण करके विद्युत तंत्र को उबार कर 5 हजार 86 मेगावाट क्षमता की वृद्धि की है जो एक अनुकरणीय उदाहरण माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दिया है। साथ ही एक लाख सत्ताइस हजार कृषि कनेक्शन दे चुके हैं और यह एक लाख कृषि कनेक्शन देने की घोषणा भी की है। सत्रह लाख सत्यासी हजार घरेलू कनेक्शन दे चुके हैं। 400 किलोवाट के दो, 220 किलोवाट के छह, 132 किलोवाट के पन्द्रह तथा 33 किलोवाट के दो सौ नए सब स्टेशन स्थापित किया जाना इस प्रदेश के लिए बहुत बड़ा सराहनीय कार्य होगा।

माननीय सभापति महोदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा में 20 हजार वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाने का लक्ष्य, साथ ही 5 हजार वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग के द्वारा धार्मिक स्थलों के दर्शन करवाने की, बहुत बड़ी सौगात माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान की जनता को दी है।

माननीय सभापति महोदय, कृषि के क्षेत्र में स्वस्थ धरा, खेत हरा का विजन रखते हुए माननीय प्रधान मंत्रीजी के द्वारा सूरतगढ़ में 9 फरवरी, 2015 को प्रदेश में सोयल हैल्थ कार्ड योजना के तहत 29 लाख सोयल हैल्थ कार्ड किसानों को उपलब्ध करवाना, समय पर खाद बीज की व्यवस्था करवाना, फव्वारा संयंत्र पर सामान्य लघु सीमांत किसानों को लागत पर साठ प्रतिशत से बढ़ाकर पैंसठ प्रतिशत तक की छूट देना, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बीज स्वावलम्बन योजना में उन्नत बीज तैयार करने के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विकसित करना बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी।

माननीय सभापति महोदय, सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों को पशु चिकित्सा केन्द्र जो शेष बचे हैं उन पर खोलना। महिला सशक्तीकरण में महिलाओं को ग्रामीण स्तर पर आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से 2017-18 में

(श्री रामपाल)

1 हजार नवीन दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन करवाया जाना, पंजीकृत शेष बची महिला दुग्ध उत्पादक समितियों को टेस्टर देने की घोषणा करना, एक सराहनीय कदम है।

माननीय सभापति महोदय, सिंचाई परियोजना में सत्र 2017-18 में जल संसाधन विभाग के लिए 3 हजार 313 करोड़ 8 लाख रुपए का प्रावधान गत सत्र 2016-17 की अपेक्षा 11.14 प्रतिशत अधिक देकर इस प्रदेश की जनता को खुशहाल किया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में वर्षों-वर्षों से चली आ रही मांग परवन वृहत सिचाई परियाजना जो एक जिले के लिए ही नहीं, बारां ही नहीं झालावाड़ और कोटा के लिए अन्न दायिनी, जीवन दायिनी योजना है, इस योजना में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 1 हजार करोड़ रुपए की घोषणा करके बहुत बड़ी राहत हमारे क्षेत्र को पहुंचाई है और गत सत्र में भी 700 करोड़ रुपए की घोषणा करके सारी शर्तें, आवश्यक क्लीयरेंस जारी करके टेंडर जारी करवाए हैं। इससे लगभग 2 लाख हैक्टेयर की जमीन सिंचित होगी, साथ ही 820 गांवों को इससे पेयजल उपलब्ध होगा। इस योजना के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी का मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय उदाहरण माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रदेश को दिए हैं वह सारे आंकड़े प्रस्तुत किए जा चुके हैं। मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में अटरू उप खंड मुख्यालय पर 35 हजार जनता निवास करती है और आसपास 35 ग्राम पंचायतें भी हैं और लगभग 55 सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल आसपास अटरू के लगते हैं। मेरा निवेदन है कि हर साल हजार से बारह सौ विद्यार्थी 35 किलोमीटर से 60 किलोमीटर की दूरी पार कर कॉलेज जाते हैं। मेरा निवेदन है कि अधिकांश बालक-बालिकाएं बारहवीं पास करके ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो मेरा माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि अटरू उप खंड मुख्यालय पर महाविद्यालय खुल जाए तो बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से बहुत-बहुत निवेदन करता हूं कि मेरे बारां शहर में भी आरओबी बन जाती है तो जो जनता बाधित होती है उसे राहत मिलेगी।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने

(श्री रामपाल)

इस बजट से प्रदेश की जनता को लाभांवित करने का काम किया है। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री हमीर सिंह भायल।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2017-18 का जो बजट पेश किया गया है उसके पक्ष में मैं अपनी बात रखना चाहूंगा।

आधारभूत ढांचे के प्लान का दायरा बढ़ाते हुए प्रदेश वासियों को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने समयबद्ध तरीके से पूरा करने की सौगात दी है। इस बार के बजट में ग्रामीण क्षेत्र के विकास की बड़ी झलक नजर आई है जिसमें शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, कृषि, वन व सहकारिता के क्षेत्र में कई नई-नई घोषणाएं की गई हैं। सबसे बड़ी विशेषता इस बजट की यह रही है कि किसी प्रकार का कोई कर नहीं लगाया गया है। बजट राज्य के समग्र विकास की दृष्टि से रखा गया है जिससे राजस्थान के विकास को गति मिलेगी। पहली बार स्मार्ट विलेज जैसा नवाचार किया गया है। मुख्य मंत्री बीज स्वावलम्बन जैसी योजना शुरू की गई है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय मंत्रीगण कृपया ध्यान से सुनें, बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य है।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): इसमें पायलट और अपने कई जिले लिए गए हैं। भविष्य में किसानों के महंगे बीज लेने से राहत मिलेगी। बजट 2017-18 में जीएसटी से व्यापारियों को उर्वरक...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, मैं सुबह से देख रहा हूं कि कालीचरणजी लगातार किरणजी से बात करते रहे हैं, हमको किसी को अवसर नहीं देते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपकी मुझ पर विशेष मेहरबानी है।

श्री सभापति: आप अपना वक्तव्य जारी रखें।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, बजट 2017-18 जीएसटी से व्यापारियों को रूबरू करवाने वाला है। जो व्यापारी कर व

(श्री हमीरसिंह भायल)

रिटर्न समय पर जमा नहीं करवा पाये हैं उनके लिए यह बजट स्वयं कर निर्धारण कर देगा, जिससे व्यापारियों को राहत मिलेगी। इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी में राहत प्रदान कर मंदी के दौर से गुजर रहे रियल एस्टेट सैक्टर को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है।

राज्य में औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए एम.एस.एम.ई. सैक्टर के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। भविष्य में यह बजट साबित करेगा कि व्यापारी वर्ग को कितनी राहत दी गई है।

बजट में किसी भी वर्ग पर किसी भी प्रकार का नया बोझ नहीं डाला गया है। मुख्यमंत्री साहिबा ने हर क्षेत्र व हर तबके को छूने की कोशिश की है जिससे आने वाले वर्ष में राजस्थान खुशहाल बन जायेगा।

मैं यहां कहना चाहूंगा "सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती। न किसी के कदमों में और न किसी की नजरों में।"

माननीय सभापति महोदय, बजट में युवाओं व कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी गई है जिसमें नई भर्तियां एवं सातवां वेतन आयोग राज्य में लगाने हेतु समिति का गठन कर जल्दी ही निर्णय लेने की बात कही गई है।

बजट को सभी जिलों में लगभग हिस्सा दिया गया है जिससे सम्पूर्ण राजस्थान में बजट के प्रति लोगों की सकारात्मक मानसिकता है।

वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल का यह सबसे बड़ा बजट है। इसमें स्टाम्प ड्यूटी में राहत के साथ जीएसटी की तैयारी, वैट नियमों में संशोधन किया गया। अन्नपूर्णा योजना राज्य के सभी शहरों में शुरू की गई। 5 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों को स्मार्ट विलेज का दर्जा दिया गया। ग्रामीण क्षेत्र में वर्तमान सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ग्रामीण गौरव पथ है जो हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बनाये जा रहे हैं।

इस बजट में प्लान एवं नॉन प्लान वर्गीकरण को समाप्त कर दिया है। विजन 2020 के तीन प्रमुख आधार मानकर बजट पेश किया गया है जिसमें शिक्षा एवं पेयजल को फोकस करते हुए राजस्थान की जनता को राहत प्रदान की गई है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यहां विभागवार बजट 2017-18 की कई

(श्री हमीरसिंह भायल)

घोषणाओं का जिक्र करना चाहूंगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए आगामी वर्ष में (व्यवधान)

श्री सभापति: कभी-कभी आसन की ओर देख लिया करें।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): आगामी वर्ष में 6 हजार 657 करोड़ 32 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जो 2016-17 से 58.47 प्रतिशत अधिक है। (व्यवधान)

आसन के सामने देख रहा हूं सभापति महोदय।

मैं मुख्यमंत्री महोदया को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में राज्य राजमार्ग बाड़मेर सिणधरी जालौर लम्बाई 148 किलोमीटर की स्वीकृति प्रदान की गई है जिससे मेरे विधान सभा क्षेत्र का आधा हिस्सा लाभान्वित हो रहा है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, ये सारा काम देख रहे हैं, गृह मंत्री कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।

श्री सभापति: मेरा निवेदन आपसे है, आप दो मंत्रियों के बीच में क्यों आते हैं? आदरणीय मंत्रीजी विराजें।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण गौरव पथ, मिसिंग लिंक एवं नवीनीकरण के कार्य करवाये गये हैं। आपके माध्यम से मेरी यह मांग रहेगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की सबसे प्रमुख सड़क सिवाना समदड़ी कल्याणपुर 51 किलोमीटर 7 मीटर चौड़ाई में बनायी जाए तथा जिले से जिले को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पादरू से दहिवा मार्ग जालौर तक बनायी जाय।

इसके अलावा सिवाना मुख्यालय अधिशासी अभियन्ता कार्यालय खोला जाय।

मिसिंग लिंक में लगभग 35 किलोमीटर तथा लोगों की धार्मिक आस्था धर्मस्थल से जुड़ी हैं उन सब धर्मस्थलों को सड़कों से जोड़ा जाय।

पेयजल विभाग में आगामी वर्ष में 8 हजार 647 करोड़ 21 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जो वर्ष 2016-17 से 15.68 प्रतिशत अधिक है। सम्पूर्ण राजस्थान में पेयजल हेतु वर्तमान बजट को फोकस किया गया है।

(श्री हमीरसिंह भायल)

इस वित्तीय वर्ष के अंत तक लगभग 2039 ढाणियों को लाभान्वित किया जाएगा।

आजादी के बाद राजस्थान और भारत सरकार में गांव, गरीब व किसान का विकास हुआ है तो मैं भारत के प्रधानमंत्री लौहपुरुष आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी को धन्यवाद दूंगा, गांव, गरीब और किसान के लिए उन्होंने 2003 में कृषि नीति बनाकर क्रेडिट कार्ड, आदरणीय राजनाथ सिंहजी जब कृषि मंत्री थे, गांव, गरीब और किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी का जब उस समय शासन आया तो गांव, गरीब और किसानों की तरफ ध्यान दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरोंसिंहजी शेखावत जब पहले मुख्यमंत्री बने, उन्होंने राजस्थान की शिक्षा के प्रति ध्यान दिया। तब उनके दिमाग में आयी गांव, गरीब और ढाणी की प्रतिभाएं बाहर नहीं आ रही हैं, उन्होंने पंचायत हैडक्वार्टर पर पांचवीं से आठवीं स्कूल की, इसी तर्ज पर हमारी राजस्थान की मुख्यमंत्री 2003 में आदरणीय वसुन्धरा राजे बनी तो उन्होंने आठवीं से दसवीं तक की स्कूलें पूरे राजस्थान में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में की। शिक्षा के प्रति ध्यान दिया। 2013 में जब राजस्थान की मुख्यमंत्री आदरणीय वसुन्धरा राजे बनी, एक साथ 5356 सीनियर स्कूल करके पूरे राजस्थान, गांव, गरीब और किसान को जो तोहफा दिया, आज दिन तक आजादी के बाद में गांव, गरीब और किसान के लिए जो कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसके मुकाबले तो हमारे सामने विराजे हुए कांग्रेस के हमारे भाई बातें कर रहे हैं, लेकिन आज दिन तक किसान के लिए कुछ नहीं किया।

फसल बीमा योजना 2003 में बनी। 2004 के बाद में आज दिन तक किसान के कम हो, ज्यादा हो, किसान के प्रीमियम से अनुदान के रूप में भी किसान की जेब में पैसे आये। आपने कमेटियां खूब बनायीं, लेकिन कमेटियां बनाने के बाद धरातल पर अमलीजामा नहीं उतार पाये जिससे किसान की जेब में किसी तरह का फायदा नहीं हुआ।

श्रमिक कार्ड ले लो, राजश्री योजना ले लो, जो भी योजना धरातल पर उतरकर गांव, गरीब, किसान के लिए आयी है वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में आयी और आज दिन तक अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में पेयजल से लगाकर, सड़क से लगाकर, स्वच्छता से लगाकर, शिक्षा

(श्री हमीरसिंह भायल)

से लगाकर जितना बजट गांव, गरीब के लिए दिया है, उदाहरण के तौर पर पन्ना पलटकर देख लें आज दिन तक बजट में गांव और जनता के लिए कभी नहीं दिया, यह मैं आपको निवेदन कर रहा हूं।

सड़क के मामले में अभी बाड़मेर से आने वाले मेरे साथी कह रहे थे, दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना में अभी 468 करोड़ आये हुए हैं, लेकिन टेण्डर नहीं हुए। माननीय सदस्य, आपको ध्यान होना चाहिए टेण्डर हो गये हैं। (व्यवधान)

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): एक कनेक्शन हुआ हो तो बता दो।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): पूरे जिले में टेण्डर हो गये हैं।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): जिले में एक कनेक्शन हुआ तो बता दो।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): आपका जो पुराना काम किया हुआ है, पाइपों का पता नहीं, तार का पता नहीं, खम्भों का पता नहीं, सारे ले गये थे, लेकिन अब धरातल पर सारे कनेक्शन बाड़मेर जिले में हो गये। (व्यवधान) आप क्या कह रहे हो, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं।

कृषि कनेक्शनों के अंदर राजस्थान की मुख्यमंत्रीजी ने किसानों के लिए एक लाख कनेक्शन की जो घोषणा की है, एक ढाणी और गांव तक हर किसान को इतना फायदा होगा कि आज तक भूतो न भविष्यति, आप कुछ नहीं कर पाये।

श्रमिक योजना। एक योजना के पीछे 85 रुपया का खर्चा एक श्रमिक कार्डधारी के पीछे आ रहा है। उस योजना में उसके घर में बच्ची का जन्म हो 21 हजार रुपये, बच्चे का जन्म हो 20 हजार रुपये। उसके घर में आठवीं पढ़ी हुई बच्ची अगर 18 साल की हो जाय तो उसके खाते में 55 हजार रुपये

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, जो गांव, गरीब की योजना राजस्थान की सरकार, आदरणीय वसुन्धराजी राजे ने गांव, गरीब और किसान तक पहुंचायी है, मैं उनको धन्यवाद अर्पित करता हूं, बार-बार धन्यवाद अर्पित करता हूं।

(श्री हमीरसिंह भायल)

आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत धन्यवाद। जय भारत, जयहिन्द।

श्री सभापति: सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 16 मार्च 2017 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 16.49 बजे गुरुवार, दिनांक 16 मार्च 2017 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

जनजाति योजनान्तर्गत 100 से अधिक आबादी के गांवों को सड़क से जोड़ने की योजना

222. श्री गोतमलाल (धरियावाद): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में 250 तक की आबादी वाले गांव व ढाणियों को जनजाति योजनान्तर्गत सड़क से जोड़ा जा रहा है ?

(2) क्या सरकार उक्त योजनान्तर्गत 100 से ज्यादा व 250 से कम आबादी वाले गांवों व ढाणियों को सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा 250 तक की आबादी वाले गांव व ढाणियों को सड़क से जोड़ने की अलग से कोई योजना संचालित नहीं की जा रही है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार जनजाति क्षेत्र में 250 तक की आबादी वाली ढाणियो को प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जोड़ा जा रहा है।

(2) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को भारत सरकार एवं राज्य सरकार से सड़क निर्माण हेतु राशि आवंटित नहीं होने से जनजाति योजनान्तर्गत 100 से ज्यादा एवं 250 से कम आबादी वाले समस्त गांवों को सड़क से जोड़ने संबंधी कार्य वर्तमान बजटीय प्रावधानों के अनुसार जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा करवाया जाना संभव नहीं होगा। ना ही जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग से इस प्रकार के कोई प्रस्ताव मांगे गये हैं।

चौहटन के मन्दिरों को पर्यटन से जोड़ने की योजना

223. श्री तरुण राय कागा (चौहटन): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री तरुण राय कागा)

(1) सरकार द्वारा पर्यटन को विकसित करने के लिये क्या-क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार चौहटन विधान सभा क्षेत्र में स्थित सुंइया मन्दिर, कपालेश्वर मन्दिर, वेरथान मन्दिर व विराजा माता मन्दिर को पर्यटन से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) बाड़मेर जिले के किन-किन क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से जोड़ने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा राज्य में पर्यटन के विकास के लिए केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत विभिन्न परियोजनाएं बनाई गई हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

राज्य योजनान्तर्गत वर्तमान में चल रही पर्यटन विकास योजनाओं की सूची परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

विभाग में उपलब्ध बजट प्रावधानों एवं प्राथमिकता के आधार पर पर्यटन विकास कार्य करवाये जाते हैं।

(2) वर्तमान में पर्यटन विभाग में चौहटन विधान सभा क्षेत्र से संबंधित कोई कार्ययोजना विचाराधीन नहीं है।

(3) पर्यटन विभाग द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार को स्वीकति हेतु प्रेषित डेजर्ट सर्किट योजना में बाड़मेर जिले में पेट्रो ट्यूरिज्म, किराडू तथा महाबार रेत के टीलें के विकास कार्य सम्मिलित किये गये हैं जो कि विचाराधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के निजी चिकित्सालयों द्वारा हार्ट वाल्व की अधिक राशि वसूलने पर कार्यवाही

224. श्री रमेश (सपोटरा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रमेश)

(1) क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह चिकित्सालय एवं राज्य के निजी चिकित्सालयों में वास्तविक मूल्य से दोगुनी राशि पर हार्ट वाल्व लगाने संबंधी शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई है?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा राजकीय और निजी चिकित्सालयों में लगाये जाने वाले हार्ट वाल्व की अधिक राशि वसूलने की जांच हेतु कमेटी का गठन किया गया है? यदि हां, तो इसके कौन-कौन सदस्य थे एवं समिति द्वारा जांच में क्या पाया गया? जांच प्रतिवेदन की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि निजी कंपनियों और निजी चिकित्सालयों ने कमेटी को दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये? यदि हां, तो उक्त कंपनियों और निजी चिकित्सालयों की अनियमितता की जांच किस आधार पर की गई?

(4) क्या यह सही है कि औषधि नियंत्रण संगठन द्वारा की गई जांच में वास्तविक राशि से दो गुना अधिक राशि वसूलना पाया गया? यदि हां, तो जांच की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त प्रकरण की पुन: जांच कराकर दोषी कंपनियों पर सख्त कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सवाई मानसिंह चिकित्सालय में हार्ट वाल्व लगाने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई थी परन्तु शिकायत दुगनी कीमत न होकर वास्तविक मूल्य से अधिक मूल्य में निजी फर्म से क्रय की शिकायत प्राप्त हुई है। औषधि नियंत्रण संगठन में जर्नेलिस्ट एण्ड चाइल्ड वेलफेयर एसोसियेशन के महासचिव द्वारा दिनांक 14.08.2015 को नारायणा हृदयालय प्रताप नगर जयपुर के द्वारा वास्तविक मूल्य से दुगुनी राशि में हार्ट वॉल्व लगाने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी।

(2) जी हां। अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर द्वारा जांच समिति का गठन निम्न प्रकार किया गया:-

1. डॉ. आर.एम. माथुर, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, सी.टी. सर्जरी विभाग,

एस.एम.एस. चिकित्सालय, जयपुर।

2. डॉ. अनिल शर्मा, आचार्य, सी.टी. सर्जरी विभाग, एस.एम.एस. चिकित्सालय, जयपुर।
3. डॉ. संजीव देवगड़ा, आचार्य, सी.टी. सर्जरी विभाग, एस.एम.एस. चिकित्सालय, जयपुर।
4. श्री देवकी नन्दन शर्मा, वित्तीय सलाहकार, एस.एम.एस. चिकित्सालय, जयपुर।

दिनांक 29.06.2015 को कमेटी गठन के आदेश जारी किये गये। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।राजकीय और निजी चिकित्सालयों में लगाये जाने वाले हार्ट वॉल्व की अधिक राशि वसूलने की जांच हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग स्तर पर कमेटी का गठन नही किया गया है।

(3) निजी चिकित्सालयों द्वारा कमेटी को दस्तावेज उपलब्ध कराने/नही कराने के सम्बन्ध में कमेटी द्वारा कोई टिप्पणी नही दी गई है।

निजी चिकित्सालय की अनियमितता की जांच शिकायत के आधार पर की गई।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किसी कमेटी का गठन नही किया गया है।

(4) औषधि नियंत्रण संगठन मे जर्नेलिस्ट एण्ड चाइल्ड वेलफेयर एसोसियेशन के महासचिव की शिकायत पर दिनांक 09.09.2015 को फर्म नारायणा हरदयालय, प्रा.लि. प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर का निरीक्षण संगठन के अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण में हार्ट वॉल्व के लेबल पर अंकित एम.आर.पी. 72384/- की ऐवज में 55300/- कीमत वसूल की जानी पाई गई। एमआरपी से अधिक कीमत नही वसूलने के कारण औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 का कोई उल्लंघन नही पाया गया। प्रकरण की जांच रिपोर्ट परिशिष्ट-2 पर संलग्न है तथा संगठन द्वारा जारी पत्र की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(5) औषधि नियंत्रण संगठन को प्राप्त शिकायत के क्रम में नियमानुसार जांच पूर्ण हो चुकी है तथा निष्कर्ष निकाला जा चुका है कि औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रायसिंहनगर के शहीद भगतसिंह महाविद्यालय को सरकार के अधीन लेने की योजना

225. श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार शहीद भगतसिंह महाविद्यालय का सरकारीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। शहीद भगतसिंह महाविद्यालय, रायसिंहनगर गैर अनुदानित निजी महाविद्यालय है। गैर अनुदानित निजी क्षेत्र में संचालित महाविद्यालय के सरकारीकरण किये जाने हेतु वर्तमान में नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

कोटपूतली शहर में सीवरेज लाइन डालने की योजना

226. श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले के कोटपूतली शहर में सीवरेज लाइन अब तक नहीं डाली गई है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सीवरेज लाइन हेतु पूर्व में टेण्डर भी जारी किये गये थे? यदि हां, तो कब एवं कितनी राशि के? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार कोटपूतली शहर में सीवरेज लाइन डलवाकर आमजन को राहत देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 24.12.2013 के द्वारा कोटपूतली हेतु सीवरेज परियोजना स्वीकृत की गई थी। भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने अपने आदेश दिनांक 11.12.2014 से उन परियोजनों को अस्वीकृत कर दिया, जिनके लिये प्रथम

(स्वायत्त शासन मंत्री)

किश्त दिनांक 31.03.2014 तक जारी नहीं हुई थी। कोटपूतली की परियोजनाओं की प्रथम किश्त दिनांक 31.03.2014 तक जारी नहीं होने से इस परियोजना को भी भारत सरकार द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था।

(2) जी हां। केन्द्र पोषित जवाहर लाल नेहरू अरबन रिनुअल मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत 26 नगरीय निकाय क्षेत्रों में सीवर लाइन कार्य हेतु अनुमानित लागत रुपये 2071.28 करोड़ राशि के दिनांक 14.08.2013 को सीवरेज कार्यों के टेण्डर जारी किये गये थे। जिनमें कोटपूतली शहर भी सम्मिलित था। कोटपूतली हेतु रुपये 59.47 करोड़ की राशि का टेण्डर आमंत्रित किया गया था। टेण्डर की प्रति परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(3) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में श्रमिक कार्ड बनाने के नियमों में संशोधन

227. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में श्रमिक कार्ड बनाये जाने के क्या नियम है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि श्रमिक कार्ड बनाने के लिये पात्र व्यक्ति द्वारा रजिस्टर्ड संस्थाओं के पास वर्ष में 90 दिन कार्य करना जरूरी होता है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि प्रदेश के अधिकांश लोग रजिस्टर्ड संस्थाओं में काम नहीं करने से उनके श्रमिक कार्ड नहीं बनाये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार नियमों मे संशोधन कर उक्त के भी श्रमिक कार्ड बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के अंतर्गत प्रदेश में गठित भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल राजस्थान द्वारा लागू की गई योजनाओं के लिए हिताधिकारियों का पंजीयन किया

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

जाता है। श्रमिक कार्ड बनाने के लिए ऐसे सभी निर्माण श्रमिक पात्र हैं जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य हो तथा जिन्होंने पिछले 12 माह में 90 दिन या इससे अधिक निर्माण श्रमिक के रूप में काम किया हो। निर्माण श्रमिकों का पंजीयन भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा-11 एवं 12 के अनुसार किया जाता है। अधिनियम की इस वर्णित प्रावधान की प्रति परिशिष्ट-"1" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। श्रमिक कार्ड बनाने के लिए पात्र व्यक्ति द्वारा रजिस्टर्ड संस्थाओं के पास कार्य करना जरूरी नहीं है। अधिनियम की धारा-12 के अनुसार प्रत्येक निर्माण श्रमिक जिसकी आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य है तथा जिसने 12 माह में किसी भी भवन अथवा अन्य संनिर्माण कार्य पर 90 दिन या इससे अधिक निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया है तो वह हिताधिकारी के रूप में पंजीयन कराने अर्थात श्रमिक कार्ड बनाने के लिए पात्र है।

(3) जी नहीं। प्रदेश में रजिस्टर्ड संस्थाओं के अतिरिक्त भी बड़ी संख्या में निर्माण श्रमिक कार्यरत हैं और ऐसे सभी निर्माण श्रमिक जो अधिनियम की धारा-12 के अनुसार पात्रता रखते हैं उनका हिताधिकारी के रूप में पंजीयन किया जा रहा है। अत: नियमों में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर जिले के चारदीवारी रहित विद्यालयों की चारदीवारी का निर्माण

228. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में ऐसे कितने विद्यालय हैं, जो स्वयं के भवन में संचालित नहीं है ? क्या सरकार उक्त विद्यालयों हेतु भवन निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अलवर जिले में ऐसे कितने विद्यालय हैं, जिनके भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं? क्या सरकार उक्त भवनों का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है? यदि हां,

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त जिले में चारदीवारी रहित विद्यालयों की चारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदेश में ऐसे कितने सरकारी विद्यालय हैं, जिनमें पीने के पानी की सुविधा नहीं है? क्या सरकार उक्त विद्यालयों में पीने का पानी उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में 1314 राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, 56 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वयं का भवन नहीं हैं।

जी हां। भूमि तथा वित्तीय संसाधानों की उपलब्धता होने पर निर्भर करवाए जा सकेगा।

(2) प्रारम्भिक शिक्षा के अंतर्गत अलवर जिले में 3 विद्यालय जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। विधान सभा क्षेत्र बानसूर में कोई भी विद्यालय पूर्णरूप से जीर्ण-शीर्ण नहीं है।

जी हां। इन विद्यालयों में भवन के पुनर्निर्माण के प्रस्ताव सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना 2017-18 के तहत स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किये गये है, स्वीकृति उपरान्त इन विद्यालयों के भवनों के पुनर्निर्माण के संबंध मे कार्यवाही की जावेगी।

माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत अलवर जिले एवं बानसूर विधान सभा क्षेत्र में कोई भी विद्यालय भवन पूर्णरूप से जर्जर अवस्था में नहीं हैं परन्तु अलवर जिले के विद्यालयों में 47 कक्षाकक्ष तथा विधानसभा क्षेत्र बानसूर के विद्यालयों में 4 कक्षाकक्ष जर्जर अवस्था में हैं। उक्त कक्षाकक्षों का पुनर्निर्माण वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर करवाया जा सकेगा।

(3) जी हां। वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर जिन विद्यालयों में चारदीवारी नहीं है उनमें चारदीवारी निर्माण प्राथमिकता के आधार पर करवाया जा सकेगा।

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

अलवर जिले में 595 राप्रावि/उप्रावि एवं 165 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों चारदीवारी नहीं हैं तथा बानसूर विधान सभा क्षेत्र में 95 राप्रावि/उप्रावि एवं 19 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चारदीवारी नहीं हैं।

(4) प्रदेश के 1270 राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं 622 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पीने के पानी की स्थाई सुविधा नहीं है। परन्तु सभी विद्यालयों में अस्थाई पेयजल सुविधा उपलब्ध हैं। विद्यालयों में स्थाई रूप से पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर स्थाई पेयजल व्यवस्था चरणबद्ध रूप से उपलब्ध करवाई जा सकेगी।

प्रदेश के डेयरी चेयरमैन के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

229. श्री घनश्याम (टोडाभीम): क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के जिलों में वर्तमान में डेयरी चेयरमैन के पदों पर कौन-कौन कब-कब से पदस्थापित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है वर्तमान में पदस्थापित चेयरमैन के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो किन-किन के विरुद्ध व कब-कब? प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 21 जिला दुग्ध संघों में वर्तमान में डेयरी चेयरमैन के पदों पर पदस्थापित व्यक्तियों व उनके कार्यकाल का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में पदस्थापित चेयरमैन के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों व उन पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नगर में देवनारायण योजना के तहत आवासीय कॉलेज खोलने की योजना

230. श्रीमती अनीता (नगर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नगर के एस.बी.सी. बाहुल्य क्षेत्रों में देवनारायण योजना के अन्तर्गत स्कूल व आवासीय कॉलेज खोलने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र नगर में चल रहे देवनारायण हॉस्टल को 50 बिस्तर से 100 बिस्तर में क्रमोन्नत करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। बजट की उपलब्धता एवं नियमों में आने की स्थिति में विचार किया जा सकेगा। वर्तमान में देवनारायण योजनान्तर्गत नगर विधान सभा क्षेत्र में नगर के अन्तर्गत छात्रों हेतु छात्रावास (स्वीकृत छात्र क्षमता 50) निर्मित भवन में संचालित है।

(2) जी नहीं। विशेष पैकेज में स्वीकृत उक्त छात्रावास भवन का निर्माण 50 छात्रों की क्षमता के अनुरूप ही कराया गया है।

बारां-अटरू में माडा योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य

231. श्री रामपाल (बारां-अटरू): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बारां जिले के विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में माडा योजनान्तर्गत गत 4 वर्षों में किन-किन कार्यों में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में उक्त कार्यों के लिए कितनी-कितनी राशि कब-कब स्वीकृत की गई? तहसीलवार व ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त कार्यों में से किन-किन कार्यों की वित्तीय

(श्री रामपाल)

स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं तथा शेष कार्यों की वित्तीय स्वीकृतियां कब तक जारी कर दी जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले के विधान सभा क्षेत्र बारां अटरू में माडा क्षेत्र अन्तर्गत गत 4 वर्षो में कुल 12 कार्यो के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनमे बारां तहसील के 3 कार्यो के प्रस्ताव (सी.सी सड़क मय नाली निर्माण कार्यो के), तहसील अटरू के 9 कार्यों के प्रस्ताव (7 सी.सी सड़क मय नाली निर्माण, 1 पुलिया निर्माण, 1 सामुदायिक भवन निर्माण) प्राप्त हुए।

(2) प्राप्त प्रस्तावो में से 7 कार्य राशि 53.00 लाख के स्वीकृत किये गये जिनकी सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) स्वीकृत कार्यों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। ग्राम पंचायत मूण्डला बिसौती तहसील अटरू की कुल जनसंख्या 3730 है, उसमें से सहरिया की जनसंख्या 170 व अन्य अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1712 है।

जिला परिषद बारां को ग्राम पंचायत मूण्डला बिसोती तहसील अटरू से प्राप्त शेष 5 कार्यों के प्रस्ताव विभागीय योजना अनुमत कार्यों की बजट की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत किये जा सकते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भरतपुर में पर्यटन विकास की कार्ययोजना

232. श्री विजय बंसल 'पप्पू बन्डा' (भरतपुर): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में पर्यटन विकास हेतु अब तक कोई प्रयास किये गये हैं? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में पर्यटन विकास हेतु कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन विकास हेतु राज्य योजनान्तर्गत एवं केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत गत 5 वर्षों में कराये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध हैं।

पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में पर्यटन विकास हेतु गत 5 वर्षों में स्वीकृत किए गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

उपर्युक्त विकास कार्यों के अतिरिक्त पर्यटन विभाग द्वारा भरतपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रतिवर्ष ब्रज होली उत्सव का आयोजन भी किया जाता है, जो कि पर्यटकों में अत्यन्त लोकप्रिय हो रहा है।

(2) पर्यटन विभाग तथा पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग में वर्तमान में भरतपुर विधान सभा क्षेत्र में पर्यटन विकास हेतु कोई नवीन कार्य योजना विचाराधीन नही है।

विभाग में उपलब्ध बजट प्रावधानों एवं प्राथमिकता के आधार पर पर्यटन विकास कार्य करवाये जाते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के आउटडोर में वरिष्ठ नागरिकों को विशेष सुविधा

233. श्री अमृतलाल (सलूम्बर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सलूम्बर, सराडा झाड़ौल में वरिष्ठ नागरिकों एवं महिलाओं को आउटडोर पर विशेष सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। उदयपुर जिले के राजकीय चिकित्सालय सलूम्बर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सराडा एवं झाड़ौल में आउटडोर पर 60 वर्ष व इससे अधिक

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता के आधार पर नि:शुल्क चिकित्सा एवं नैदानिक जांच उपलब्ध करवाई जाती है।

राजकीय चिकित्सालय सलूम्बर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सराडा एवं झाड़ौल पर माह के प्रथम, तृतीय एवं चतुर्थ शुक्रवार को सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत एवं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत प्रत्येक माह की 9 तारीख को अधिक जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को चिकित्सकीय जांच कर परामर्श सुविधा दी जाती है।

राज्य में नेशनल प्रोग्राम फॉर हैल्थ केयर ऑफ द एलडर्ली (एनपीएचसीई) चरणबद्ध रूप से स्वीकृत किया गया है। जिला उदयपुर में नेशनल प्रोग्राम फॉर हैल्थ केयर ऑफ द एलडर्ली (एनपीएचसीई) वित्तीय वर्ष 2016-2017 में स्वीकृत किया गया है। उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत सुविधाओं में वृद्धि यथा: सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर दो दिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए ओ.पी.डी., रिहेबिलिटेशन वर्कर/फिजियोथैरेपिस्ट व उपकरण आदि की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।

राजकीय महाविद्यालय बयाना का स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्रमोन्नयन

234. श्री बच्चू सिंह (बयाना): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) स्नातकोत्तर महाविद्यालय खोलने के क्या-क्या मानदण्ड निर्धारित है? क्या राजकीय महाविद्यालय बयाना उक्त सभी मानदण्डों को पूरा करता है? यदि हां, तो उक्त महाविद्यालय को अब तक स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्रमोन्नत नहीं करने के क्या कारण है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राजकीय महाविद्यालय बयाना में कितने पद स्वीकृत हैं, उनमें से कितने पदों पर कर्मी पदस्थापित हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? सरकार उक्त रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) स्नातकोत्तर स्तर पर विषय खोलने के लिए स्नातक स्तर पर संबंधित विषय होना, संबंधित विषय में तृतीय वर्ष में पर्याप्त संख्या में विद्यार्थी उपलब्ध होना, महाविद्यालय में पर्याप्त आधारभूत संरचना होने के साथ ही संसाधनों की उपलब्धता भी आवश्यक है।

संसाधनों की उपलब्धता व गुणावगुण के आधार पर राजकीय महाविद्यालय, बयाना को स्नातकोत्तर स्तर तक क्रमोन्नत करने पर विचार किया जा सकेगा।

(2) राजकीय महाविद्यालय, बयाना में शैक्षणिक वर्ग के पदों की स्थिति परिशिष्ट-1 पर तथा अशैक्षणिक वर्ग के पदों की स्थिति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

नियमानुसार चयनित कार्मिक उपलब्ध होने पर राजकीय महाविद्यालय बयाना में रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नगर विकास न्यास कोटा द्वारा कुन्हाड़ी क्षेत्र की कालोनियों में आवश्यक सुविधाएं

235. श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नगर विकास न्यास कोटा द्वारा कुन्हाड़ी क्षेत्र में विकसित कॉलोनियों में क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कुन्हाड़ी क्षेत्र की कॉलोनी कमला उद्यान में पानी के निकास हेतु नाली निर्माण व सड़क निर्माण करवाये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा कृषि भूमि पर विकसित अनुमोदित कॉलोनियों में जमा राशि की उपलब्धता के आधार पर सड़क, नाली, बिजली, पानी आदि के कार्य करवाये जाते है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

नदी पार क्षेत्र की अनुमोदित कृषि भूमि कॉलोनियों में न्यास द्वारा कराये गये सड़क, नाली, बिजली, पानी के कार्यो की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) नदी पार क्षेत्र की कृषि भूमि पर विकसित अनुमोदित कॉलोनी कमला उद्यान में पानी की निकासी की समस्या रहती है, जिससे मकानों तथा बरसात का पानी सड़क पर भर जाता है। कमला उद्यान के पानी की निकासी के लिए न्यास द्वारा अभी नाले तथा नालियों का निर्माण कार्य करवाया गया है, जिससे बरसात में पानी भरने की समस्या में काफी कमी आयी है।

कमला उद्यान में सड़क निर्माण भी किया जाना है। लेकिन वर्तमान में कमला उद्यान में काफी निर्माण कार्य चल रहे है तथा इन कॉलोनी में जलदाय विभाग द्वारा पानी की पाईप लाईन डालने का कार्य प्रस्तावित है। पानी की पाईप लाईन डालने तथा इससे नल कनेक्शन का कार्य पूर्ण होने पर ही इस कॉलोनी की जमा राशि की उपलब्धता के आधार पर सड़क निर्माण किया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भादरा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

236. श्री संजीव कुमार (भादरा): क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में अनेक पंचायत समिति ब्लॉकों में निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (I.T.I.) होने के उपरान्त भी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले हैं? यदि हां, तो कहां-कहां? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति ब्लॉक भादरा में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की मांग लम्बे समय से की जा रही है?

(3) क्या सरकारी तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पंचायत समिति ब्लॉक भादरा (जिला-हनुमानगढ़) में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण

(श्री संजीव कुमार)

संस्थान खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समितिवार राजकीय/प्राईवेट औद्‌योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विवरण संलग्न है। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। इस विभाग में पंचायत समिति ब्लॉक भादरा से जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, छात्र संगठनों एवं अन्य संगठनों व अन्य लोगों द्‌धारा राजकीय औद्‌ययोगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने की मांग का पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में पंचायत समिति ब्लॉक भादरा, जिला हनुमानगढ में 09 निजी आईटीआई संचालित है संलग्न परिशिष्ट-2

माननीय मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2014- 15 (संशोधित) के बिन्दु संख्या 136 के अनुसार अगले दो वर्ष में ऐसी कोई पंचायत समिति नहीं बचेगी जिसमें आईटीआई उपलब्ध नहीं हो उसकी पालना में राज्य की सभी पंचायत समितियों में राजकीय/प्राईवेट आईटीआई स्वीकृत हो चुकी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अन्य राज्यों की तर्ज पर उत्तर पुस्तिकाएं बोर्ड में ही जांचने की योजना

237. श्री मान सिंह (गंगापुर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं एवं 12वीं कक्षाओं की परीक्षा की कॉपियां जांच के लिए परीक्षक (जांचकर्ता) के घरों पर भेजी जाती है? यदि हां, तो क्यों तथा किन नियमों के तहत?

(2) क्या यह सही है कि मध्यपदेश, गुजरात आदि कई प्रदेशों में परीक्षा कॉपियां बोर्ड में ही जांची जाती हैं, जिससे कि परीक्षा की गोपनीयता एवं विश्वसनीयता बनी रहे। क्या सरकार मध्यप्रदेश व गुजरात की तर्ज पर कॉपियां जांच का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री मान सिंह)

(3) क्या यह सही है कि सरकार के इस पुराने पैटर्न के कारण कई होनहार विद्यार्थी प्रभावित होते हैं तथा कई निजी विद्यालय बोर्ड से सांठगांठ कर उन परीक्षकों के घरों तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं? यदि हां, तो इस व्यवस्था को कब तक बदल दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बोर्ड की अब तक की प्रक्रिया एवं परीक्षकों के निर्देश संख्या 1 तथा बोर्ड में पंजीकृत परीक्षार्थियों का कार्यभार, समयबद्ध मूल्यांकन, समय पर परीक्षा परिणाम घोषित करने आदि की दृष्टि से बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाऐं मूल्यांकन हेतु विगत निर्देशों प्रक्रियाओं के तहत पंजीकृत अनुभवी, योग्यताधारी बी.एड. शिक्षकों को संग्रहण केन्द्रों के माध्यम से भेजी जाती है। निर्देश की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) राजस्थान बोर्ड में पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या लगभग 20 लाख एवं उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या लगभग 1.25 करोड़ है। इस वृहद संख्या में उत्तर पुस्तिकाओं का केन्द्रीय मूल्यांकन पद्धति से मूल्यांकित कराने की प्रक्रिया विचाराधीन है। बोर्ड द्वारा विगत वर्षों में इसके प्रयास भी किये गये हैं। वर्ष 2016 में 6 केन्द्रों पर आंशिक तौर पर केन्द्रीय मूल्यांकन कराया गया व वर्ष 2017 में इसका दायरा बढाया जाना प्रस्तावित है।

(3) विगत वर्षो में गोपनीय विभाग की कार्यविधि में आमूल चूल परिवर्तन ही नहीं किये अपितु आई.टी. तकनीक का अधिकतम प्रयोग किया जाकर गोपनीय विभाग की कार्य प्रणाली को भी अधिक चुस्त दुरूस्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त कार्मिकों का भी रोटेशन में स्थानान्तरण/परिवर्तन प्रतिवर्ष किया जाता है। केन्द्रीय मूल्यांकन की प्रक्रिया को चरणबद्ध अंगीकृत किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के प्रत्येक जिले में नन्दीशाला खोलने की योजना

238. श्री सुखराम विश्नाई (सांचौर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने प्रदेश में बेसहारा घूम रहे नन्दियों के लिए प्रत्येक जिले में एक नन्दीशाला खोलने की घोषणा की है? यदि हां, तो उक्त नन्दीशाला कब तक खोली जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गौशालाओं को 09 माह का अनुदान देने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो अब तक एक भी दिन का अनुदान नहीं देने के क्या कारण है?

(3) क्या सरकार द्वारा उपखण्ड सांचौर जिला जालौर में एशिया की सबसे बड़ी गौशाला एवं नन्दीशाला जो पथमेड़ा ट्रस्ट द्वारा संचालित हो रही है, के ट्रस्टियों से दिसम्बर, 2015 से मार्च, 2016 तक चार महीने का अनुदान देना तय किया था, यदि हां, तो अभी तक उक्त अनुदान नहीं देने के क्या कारण है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि नन्दीशाला गोलासन एवं पथमेड़ा ट्रस्ट द्वारा अन्य संचालित गौशालाएं जो गोचर में चल रही है, के विरुद्ध राजस्थान लेण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत गोवंश को गोचर में अतिक्रमी मानकर गौशाला संचालक को अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गौशाला व नन्दीशाला को दिए गए नोटिस को निरस्त कर गौ-अभ्यारण व नन्दी-अभ्यारण घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर लगाये गये अधिभार से सृजित निधि से, 200 या अधिक गौवंश संधारित करने वाली तथा दो वर्ष या अधिक अवधि से पंजीकृत गौशालाओं/कांजी हाऊस में आवासित गौवंश के पालन पोषण के लिए माह जनवरी, फरवरी एवं मार्च 2017 अधिकतम 90 दिवस की सहायता राशि,

(पशुपालन मंत्री)

चारा-पानी एवं पशुआहार हेतु बड़े गौवंश हेतु 32 रुपये तथा छोटे हेतु 16 रुपये प्रतिदिन की दर से दिये जाने का निर्णय लिया है जिसका क्रियान्वयन किया जा रहा है।

(3) जालौर जिले में स्थित गौशालाओं को गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम-2016 के तहत राशि रुपये 6,44,62,640 का बजट आवंटन किया गया है। इस राशि में से रुपये 98,00,000 उक्त गौशाला को 60 दिन के लिए आवंटित किया गया है, जिसमें से 64,76,160 रुपये (अक्षरे चौसठ लाख छिहत्तर हजार एक सौ साठ रुपये) का भुगतान उक्त नंदीशाला, गोलासन को 20.01.2017 को किया जाकर शेष स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। 30 दिवस की सहायता उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर और दी जा सकेगी।

(4) जी हां। यह सही हैं कि वर्ष 2014 में गौशाला, गोलासन एवं अन्य गौशालाओं को तहसीलदार, सांचोर द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये थे।

जी नहीं।

नवलगढ़ में संचालित छात्रावासों में मूलभूत सुविधाएं

239. डॉ. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में सरकार द्वारा कौन-कौनसे छात्रावास कहां-कहां व कब से संचालित किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त छात्रावासों में कितने छात्र-छात्राएं निवासरत हैं तथा इन्हें क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त छात्रावासों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने के कारण छात्र-छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार छात्र-छात्राओं के हित में कोई कार्य-योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. राजकुमार शर्मा)

(4) उक्त छात्रावासों के भवन निर्माण के लिए कब-कब स्वीकृति जारी की गयी? क्या स्वीकृति के अनुसार उक्त छात्रावासों का भवन निर्माण करा दिया गया है? यदि हां, तो किस-किस छात्रावास में क्या-क्या भवन निर्माण कार्य पूर्ण किये गये हैं और क्या-क्या कार्य अपूर्ण हैं? अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा एक राजकीय अम्बेडकर (अनु.जाति) बालक छात्रावास, मुकुन्दगढ़ में 1989-90 से संचालित है एक 50 की आवासीय क्षमता का अनुसूचित जाति बालक छात्रावास भवन नवलगढ़ में निर्माणाधीन है।

(2) मुकुन्दगढ़ में संचालित छात्रावास में स्वीकृत क्षमता 25 के विरुद्ध 24 छात्र निवासरत है तथा छात्रावासी छात्रों हेतु विभाग द्वारा नि:शुल्क आवास, बिस्तर, बर्तन इत्यादी के अतिरिक्त अन्य समस्त प्रावधित सुविधाये प्रदान की जा रही है। जिनका विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। इन छात्रावासों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी मूलभूत सुविधाये स्वीकृत क्षमता के अनुरूप प्रदान की जा रही है।

(4) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ में अनुसूचित जाति के दो राजकीय बालक छात्रावासों के भवन निर्माण की स्वीकृति जारी की गई थी, जिसमें से राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास मुकुन्दगढ के राजकीय भवन निर्माण की स्वीकृति क्रमांक 55068 दिनांक 18.07.2011 को जारी की गई थी। उक्त भवन वित्तीय वर्ष 2013-14 में पूर्ण होने के पश्चात् दिनांक 03.02.2014 से छात्रावास को राजकीय भवन में स्थानान्तरित कर दिया गया था तथा राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, नवलगढ के राजकीय भवन निर्माण की स्वीकृति क्रमांक 31691 दिनांक 18.04.2012 के द्वारा जारी की गई थी उक्त भवन वर्तमान में निर्माणाधीन है। सार्वजनिक निर्माण विभाग, नवलगढ से प्राप्त सूचना अनुसार उक्त भवन का निर्माण कार्य दिनांक 31.05.2017 तक पूर्ण होने की संभावना है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में आदिवासी परिषद के नियम-उपनियम

240. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राज्य स्तरीय आदिवासी परिषद एक संवैधानिक संस्था है? यदि हां, तो इसकी कार्यशैली एवं कार्य पद्धति क्या है? क्या उक्त परिषद ने नियम, उप नियमों के बारे में कोई अनुशंसा की है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त परिषद की अनुशंसा पर सरकार ने अब तक कोई कार्यवाही की है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान में राज्य स्तरीय आदिवासी परिषद के गठन के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं है। अत: प्रश्न के शेष भाग की सूचना शून्य है।

(2) बिन्दु संख्या 1 के उत्तर अनुसार सूचना शून्य है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बस्सी में बिखरी जनजाति के कल्याण की योजना

234. श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में गत पांच वर्षों में बिखरी जनजाति योजना क्षेत्र में क्या प्रमुख विकास एवं कल्याण कार्य करवाये गये व उक्त कार्यों पर कितना व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जनवरी, 2014 से जनवरी, 2017 तक उक्त योजना क्षेत्र में जयपुर जिले में प्रतिवर्ष क्या-क्या कार्य किये गये एवं उन पर कितना व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में गत पांच वर्षों में बिखरी जनजाति योजना क्षेत्र में करवाये गये प्रमुख कार्यों एवं कल्याण कार्य की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। इन कार्यों पर 129.92 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है।

(2) जनवरी, 2014 से जनवरी, 2017 तक उक्त बिखरी योजना क्षेत्र में जयपुर जिलें में विधान सभा क्षेत्र वार कराये गये कार्यों का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नति

235. श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गत 5 वर्षों में विभागीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों की डी.पी.सी. कर पदोन्नति की गई है यदि हां, तो कब-कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत 5 वर्षों से अधिक एक ही स्थान पर पदस्थापित अधिकारियों/ कर्मचारियों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में निम्नांकित पदों पर पदोन्नति हेतु उनके सम्मुख अंकित दिनांक को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई:-

क्र. सं.	पदोन्नत पद का नाम	डीपीसी की बैठक दिनांक
1	अनुसंधान सहायक	19.11.2012
2	निजी सहायक	25.10.2012
3	कार्यालय सहायक (सहायक कार्यालय अधीक्षक	25.10.2012
4	वरिष्ठ लिपिक (लिपिक ग्रेड-I)	25.10.2012
5	जमादार	25.10.2012
6	कनिष्ठ लिपिक (लिपिक ग्रेड-II)	25.07.2013

वर्ष 2016-17 हेतु वरिष्ठता सूचियां जारी कर दी है। आगामी दो माह में डीपीसी आयोजित की जायेगी।

(2) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में विगत 5 वर्षो से अधिक एक ही स्थान पर पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण परिशिष्ट-अ पर एवं अनुसूचित क्षेत्र में संचालित आवासीय विद्यालयों एवं आश्रम छात्रावासों में 5 वर्ष से अधिक एक ही स्थान पर पदस्थापित कर्मचारियों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पनोता (मारवाड़ जंक्शन) के भवन की चारदीवारी का निर्माण

236. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम पनोता में आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण करवाया गया है? यदि हां, तो इस हेतु कितनी राशि स्वीकृत हुई एवं कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री केसाराम चौधरी)

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का तो निर्माण कराया गया लेकिन चारदीवारी नहीं बनाई गई? यदि हां, तो क्या सरकार चारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मारवाड जंक्शन के ग्राम पनोता, जिला पाली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य नाबार्ड के अन्तर्गत करवाया गया है। उक्त निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 119.72 लाख की स्वीकृति जारी की गई थी, जिसके विरुद्ध राशि रुपये 116.69 लाख व्यय किये गये है।

ग्राम पनोता के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु माह जून 2016 में चयनित किया गया है। जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पनोता के भवन का निर्माण कार्य पूर्व में ही हो गया था।

(2) जी हां। आगामी वित्तीय वर्षो में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों में आवर्तन/परिवर्तन/अन्य निर्माण कार्य करवाने हेतु वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पनोता के भवन की चारदीवारी के निर्माण की कार्यवाही की जायेंगी।

सिकराय में संचालित आयुर्वेद चिकित्सा केन्द्र

237. श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में वर्तमान में कितने आयुर्वेद चिकित्सा केन्द्र संचालित हैं व इन्हें खोलने के क्या मानदण्ड हैं? गांव वार सूची विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा संचालित सभी आयुर्वेद चिकित्सा केन्द्रों पर क्या-क्या सुविधाओं का होना आवश्यक है?

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के किस आयुर्वेद चिकित्सा केन्द्र में कौन-कौनसे डॉक्टर्स कार्यरत हैं? पद व नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती गीता वर्मा)

(4) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में पुराने आयुर्वेद चिकित्सा केन्द्रों को क्रमोन्नत व नए आयुर्वेद चिकित्सा केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्मा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधानसभा क्षेत्र सिकराय जिला दौसा में वर्तमान में 22 आयुर्वेद औषधालय संचालित हैं। गांव वार विस्तृत विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न हैं। नवीन औषधालय खोलने के मानदण्ड परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न हैं।

(2) केन्द्रो में चिकित्सक, अन्य स्टाफ तथा औषधियां यथावश्यकता उपलब्धता एवं मांग के अनुसार उपलब्ध करायी जाती है। इस हेतु कोई निर्धारित मापदण्ड नही है।

(3) विधानसभा क्षेत्र सिकराय जिला दौसा में वर्तमान में 22 आयुर्वेद औषधालयों में कार्यरत चिकित्सकों की पद एवं नाम सहित सूची परिशिष्ट अ पर संलग्न हैं।

(4) निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति, उपलब्ध बजट प्रावधान तथा गुणावगुण के आधार पर पुराने आयुर्वेद चिकित्सा केन्द्रों को क्रमोन्नत व नए आयुर्वेद चिकित्सा केन्द्र खोले जा सकेगें।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर जिले में संविदा कर्मियों का बकाया भुगतान

238. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा वितरण योजना के तहत जोधपुर जिले में कहां-कहां, कब-कब व किन-किन कम्प्यूटर ऑपरेटर मशीन विद मैन की नियुक्ति की गई? केन्द्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजनान्तर्गत कोर्ट स्टे के आधार पर लगे हुए संविदा मशीन विद मैन के भुगतान बकाया है? यदि हां, तो कब से व कितना-कितना? केंद्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि वित्त विभाग की स्वीकृति की पालना में निदेशालय के पत्रांक 4008 दिनांक 06-12-2016 द्वारा उक्त संविदा कार्मिकों

(श्री बाबू सिंह)

को भुगतान करने हेतु संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आदेश दिये गये हैं? यदि हां, उक्त आदेश की प्रति संलग्न कर मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त आदेश की पालना में संविदा कार्मिकों को भुगतान कर दिया गया व यदि हां, तो कब व किन-किन कार्मिकों को व नहीं, तो क्यों? इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त आदेश की पालना में उक्त कार्मिकों को बकाया भुगतान, समय-सीमा तय कर शीघ्र करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना के तहत जोधपुर जिले में योजना प्रारम्भ से अब तक 115 संविदा मशीन विद मैन की सेवायें ली गई है। उक्त संविदा मशीन विद मैन का नामवार नियुक्ति तिथिवार एवं चिकित्सा संस्थानवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना के तहत जोधपुर जिले में कोर्ट स्टे के आधार पर रखे गये संविदा मशीन विद मैन के बकाया भुगतान का चिकित्सा संस्थानवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। आदेश की प्रति परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) जोधपुर जिले में वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 की अवधि में नियमित सूचना सहायकों के पदस्थापन के कारण संविदा कार्मिकों का कोई भी पद रिक्त नहीं रहा, किन्तु माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किये जाने के कारण इन्हें हटाया नही जा सका। कोर्ट स्टे पर कार्यरत संविदा मशीन विद मैन के बकाया मानदेय का प्रकरण परीक्षणाधीन है। विभाग के सभी कार्यालयों से इस बारे में सूचना संकलित की जा रही है। तत्पश्चात प्रकरण परीक्षण एवं आवश्यक स्वीकृति हेतु वित्त विभाग में भेजा जायेगा।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(5) संबंधित प्रकरण परीक्षणाधीन है। विभाग के सभी कार्यालयों से इस बारे में सूचना संकलित की जा रही है। तत्पश्चात प्रकरण में परीक्षण एवं आवश्यक स्वीकृति उपरान्त बकाया भुगतान करने की कार्यवाही की जायेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

झुन्झुनूं जिले में भामाशाह योजना में शामिल निजी अस्पताल

239. श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में भामाशाह स्वास्थ्य योजना लागू की गई है? यदि हां, तो क्या झुन्झुनूं जिले के सरकारी/निजी अस्पतालों को भी इस योजना में शामिल किया गया है? यदि हां, तो किन-किन को व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त जिले के इस योजना में शामिल सरकारी/निजी अस्पतालों ने उपचार हेतु असमर्थता जाहिर की गई है? यदि हां, तो किन-किनने?

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त योजनान्तर्गत इलाज हेतु पैकेज निर्धारित किया गया है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 13 दिसम्बर, 2015 से प्रदेश में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारम्भ किया गया है।

योजनान्तर्गत झुन्झुनूं जिले 17 सरकारी चिकित्सालय योजना से सम्बद्ध है। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

जिले के 27 निजी अस्पतालों ने योजना से सम्बद्ध होने के लिए न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी से प्राप्त सूचना के अनुसार 27 अस्पतालों में से 19 अस्पतालों को योजना से सम्बद्ध किया जा चुका है। शेष 8 अस्पतालों को सम्बद्ध करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। अस्पतालों को सम्बद्ध करने से पूर्व न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी द्वारा अस्पतालों का निरीक्षण कर उनके भौतिक संसाधन एवं योजना के अन्तर्गत सम्बद्ध किये जाने हेतु निर्धारित मापदण्डों की सन्तुष्टि की जाती है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

निर्धारित मापदण्ड परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना अन्तर्गत् झुन्झुनूं जिले के सम्बद्ध अस्पतालों द्वारा पात्र परिवारों को नि:शुल्क ईलाज की सुविधा मुहैया करायी जा रही है।

(3) जी हां। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना अन्तर्गत कुल 1715 डिजीज पैकेजेज चयनित है। बीमारियों हेतु पैकेज निर्धारण करना बीमा योजना का मुख्य अंग है एंव बिना पूर्व निर्धारित डिजीज पैकेजेज के टेन्डर फ्लॉट नहीं किया जा सकता और ना ही बीमा कम्पनी द्वारा प्रीमियम कोट किया जा सकता है। योजनान्तर्गत सम्मिलित डिजीज पैकेजेज की सूची परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पं. दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय जयपुर में दंत चिकित्सकों का पदस्थापन

240. श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल): क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध ट्रोमा चिकित्सालय एवं पं. दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय जयपुर में दंत चिकित्सक एवं दंत विशेषज्ञों के पद स्वीकृत नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पद स्वीकृत करने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में निदेशक व डिजास्टर मैनेजमेंट निदेशक के पद स्वीकृत है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त पदों को स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) प्रदेश में वर्तमान में कितने मेडिकल कॉलेज संचालित हैं एवं उनमें वरिष्ठ आचार्य, आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य एवं अतिरिक्त आचार्य के कितने पद स्वीकृत हैं और उनमें से कितने कार्यरत हैं व कितने रिक्त हैं? स्पेशियलिटी व मेडिकल कॉलेजवार सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री सुरेन्द्र पारीक)

(4) क्या सरकार मेडिकल काउंसिल रेग्यूलेशन के आधार पर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल चिकित्सकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पदों को भरने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध ट्रोमा चिकित्सालय एवं पं. दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय में दंत चिकित्सक एवं दंत विशेषज्ञों के पद स्वीकृत नही हैं। क्योंकि एम.सी.आई. की आवश्यकता के अनुसार पद एस.एम.एस. में पूर्व से ही स्वीकृत हैं।

(2) जी नहीं। निदेशक का पद सृजित किया जाना विचाराधीन है। डिजास्टर मैनेजमेंट निदेशक के पद एम.सी.आई. नॉर्म्स के अनुसार आवश्यक नही है।

(3) प्रदेश में आठ मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, जिनमें आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य के स्वीकृत कार्यरत व रिक्त पदों की सूची स्पेशियलिटी के आधार पर परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। वरिष्ठ आचार्य एवं अतिरिक्त आचार्य के कोई पद स्वीकृत नही है।

(4) जी हां। आर.पी.एस.सी. से चयनित व्यक्ति उपलब्ध होने पर शीघ्र भर दिया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर के संस्कृत महाविद्यालय में रिक्त पद

241. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर): क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अलवर में संस्कृत महाविद्यालय संचालित है? यदि हां, तो इसमें कौन-कौनसे पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि स्वीकृत पदों के विरुद्ध काफी संख्या में पद रिक्त हैं? यदि हां, तो क्यों?

(श्री बनवारी लाल सिंघल)

(3) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। अलवर शहर में राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, संचालित है। इस महाविद्यालय में स्वीकृत एवं कार्यरत पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	पद नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त	रिमार्क
1.	प्राचार्य	01	01	-	
2.	व्याख्याता	06	06	-	
3.	सहायक कार्यालय अधीक्षक	01	03	-	03 पद के विरुद्ध 03 कार्मिक कार्यरत है।
4.	लिपिक ग्रेड-I	01	-	01	
5.	लिपिक ग्रेड-II	01	-	01	
6.	च.श्रे.क:	02	-	02	

(2) जी नहीं। शेष उत्तर बिन्दु संख्या-1 में निहित।

(3) जी हां। रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

नावां व कुचामन उपखण्ड मुख्यालयों पर महाविद्यालय की स्थापना

242. श्री विजय सिंह (नावां) क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नागौर जिले में कौन-कौनसे उपखण्ड स्तर पर राजकीय महाविद्यालय खोले जा चुके हैं और कौनसे उपखण्डों पर राजकीय महाविद्यालय नहीं खोले गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार नावां विधान सभा क्षेत्र के उपखण्ड नावां व कुचामन

(श्री विजय सिंह)

में भी महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नागौर जिले के 12 उपखण्डों में से 07 उपखण्डों में 09 राजकीय महाविद्यालय संचालित है तथा 05 उपखण्डों पर राजकीय महाविद्यालय संचालित नहीं है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	उपखण्ड	राजकीय महाविद्यालम
1	नागौर	राजकीय महाविद्यालय राजकीय विधि महाविद्यालय राजकीय कन्या महाविद्यालय
2	खींवसर	राजकीय महाविद्यालय
3	जायल	राजकीय महाविद्यालय
4	मेडता	राजकीय महाविद्यालय
5	डेगाना	राजकीय महाविद्यालय
6	परबतसर	राजकीय महाविद्यालय मंगलाना
7	डीडवाना	राजकीय कन्या महाविद्यालय
8	मकराना	राजकीय महाविद्यालय संचालित नहीं है।
9	नावां	राजकीय महाविद्यालय संचालित नहीं है।
10	लाडनूं	राजकीय महाविद्यालय संचालित नहीं है।
11	रियाबाडी	राजकीय महाविद्यालय संचालित नहीं है।
12	कुचामन सिटी	राजकीय महाविद्यालय संचालित नहीं है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में नावां विधान सभा क्षेत्र के उपखण्ड नावां में 01 व कुचामन उपखण्ड में 18 महाविद्यालय निजी क्षेत्र में संचालित है।

पाली जिले के रायपुर उपखण्ड मुख्यालय पर महाविद्‌यालय की स्थापना

243. श्रीमती संजना आगरी (सोजत): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार उपखण्ड मुख्यालय रायपुर में महाविद्‌यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पाली जिले में वर्तमान में कितने राजकीय महाविद्‌यालय संचालित हैं? उक्त महाविद्‌यालय कौन-कौनसे वर्ष में खोले गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्रदेश में कई उपखण्ड मुख्यालयों में राजकीय महाविद्‌यालय संचालित नहीं हैं? क्या सरकार वंचित उपखण्ड मुख्यालयों पर राजकीय महाविद्‌यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। निर्धारित मानदण्डों के पूर्ण होने और संसाधनों की उपलब्धता व गुणावगुण के आधार पर चरणबद्‌ध रूप से रायपुर में राजकीय महाविद्‌यालय खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(2) पाली जिले में संचालित राजकीय महाविद्‌यालयों के नाम, संख्या एवं खोलने के वर्ष का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी हां। निर्धारित मानदण्डों के पूर्ण होने और संसाधनों की उपलब्धता व गुणावगुण के आधार पर राजकीय महाविद्‌यालय से वंचित उपखण्ड मुख्यालयों पर चरणबद्‌ध रूप से महाविद्‌यालय खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

संयुक्त गृह निर्माण समिति की योजना विधान सभा नगर पर अवसायक की नियुक्ति

244. श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सहकारी समितियों द्वारा विकसित आवासीय कॉलोनियों में की गई हेरा फेरी के कारण सरकार द्वारा उसे भंग कर उस पर अवसायक की नियुक्ति की जाती है? यदि हां, तो किस नियम के तहत? अवसायक के अधिकार क्या-क्या हैं? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि संयुक्त गृह निर्माण समिति की विधान सभा नगर ग्राम धौलाई योजना में उक्त समिति द्वारा अनियमितता करने पर सरकार द्वारा उसे भंग कर उक्त योजना पर अवसायक की नियुक्ति की गई? यदि हां, तो कब व योजना पर अब तक कितने अवसायक पदस्थापित रहे? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त योजन ग्राम धौलाई को जब सरकार द्वारा भंग कर उस पर अवसायक की नियुक्ति की गई थी उस समय सहकारी विभाग द्वारा समिति के रिकार्ड (भू-खण्डों का आवंटन रजिस्टर, रसीद बुकें तथा आवासीय कॉलोनी के नक्शे) को जब्त किया गया था? यदि हां, तो उनकी प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या अवसायक को भू-खण्डों की संख्या बढाने-घटाने व उनके आकार में परिवर्तन का अधिकार है? यदि हां, तो किस नियम के तहत व नहीं, तो अवसायक द्वारा उक्त आवासीय कॉलोनी में किस अधिकार से भू-खण्डों की संख्या बढाई-घटाई तथा भू-खण्डों के आकार में 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक कमी की? क्या सरकार उक्त के संबंध में अवसायक पर कार्यवाही कर उक्त आवासीय कॉलोनी का जेड. एल. सी. द्वारा पारित नक्शे को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सहकारी समितियों द्वारा विकसित आवासीय कॉलोनियों में की गई

(सहकारिता मंत्री)

हेरा-फेरी की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा उसकी जांच की जाकर यथावश्यक अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही की जाती है। जहां तक अवसायक नियुक्ति का प्रश्न है, किसी सहकारी सोसाइटी में अवसायक की नियुक्ति राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 61 में वर्णित स्थितियों में की जा सकती है तथा अवसायक के अधिकार अधिनियम की धारा 64 में वर्णित है। उक्त प्रावधानों की प्रति परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

(2) प्रशासक को रिकॉर्ड नहीं संभलाने के कारण समिति बन्द होने, निष्क्रिय होने तथा समिति को अधिनियम, नियम एवं उपनियमों के अनुरूप संचालित किया जाना संभव नहीं होने के कारण समिति को अवसायन में लाया गया है।

संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर में अवसायक की नियुक्ति दिनांक 16.02.2004 को की गई। उक्त समिति में अब तक रहे अवसायकों का विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है।

(3) संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर में वर्ष 2004 में नियुक्त अवसायक को प्राप्त समिति के रिकॉर्ड की सूची परिशिष्ट 3 पर संलग्न है।

(4) संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना विधानसभा नगर ग्राम धौलाई के योजना मानचित्र में उपायुक्त जोन-8 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के पत्र क्रमांक जविप्रा/उपा./ जोन-8/ 2008/ डी-1698 दिनांक 02.07.2008 एवं जोन स्तरीय (ले आउट प्लान) की बैठक दिनांक 19.03.2008 के अनुमोदन बाबत लिये गये निर्णय अनुसार कार्यवाही की गई है। परिशिष्ट 4 पर संलग्न है। सरकार द्वारा योजना के नक्शे को निरस्त करने का कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ। साथ ही जोन में इस संबंध में नक्शे को निरस्त करने के क्रम में कोई कार्यवाही प्रक्रियाधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में रबी एवं खरीफ की फसलों हेतु ऋण वितरण

245. श्री विजय बंसल 'पप्पू बन्डा' (भरतपुर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री विजय बंसल 'पप्पू बन्डा')

(1) प्रदेश में किसानों को सुलभ कृषि के लिये रबी एवं खरीफ की फसलों की बुवाई हेतु कौन-कौनसी ऋण योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में रबी एवं खरीफ की फसलों की बुवाई हेतु गत तीन वर्षों में कितना-कितना ऋण वितरित किया गया एवं अब तक उसकी कितनी वसूली की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में कृषि हेतु "किसान क्रेडिट कार्ड योजना" एवं "कृषक मित्र योजना" अन्तर्गत ऋण उपलब्ध कराये जाते है। योजनाओं की प्रति क्रमश: परिशिष्ट 1 व 2 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा गत 03 वर्षों में किये गये ऋण वितरण व वसूली का विवरण परिशिष्ट 3 पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में रबी एवं खरीफ की बुवाई हेतु गत 03 वर्षों में प्राथमिक भूमि विकास बैंक द्वारा किये गये फसली ऋण वितरण एवं वसूली का विवरण परिशिष्ट 4 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक व जयपुर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव लिमिटेड के कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति

246. श्री हीरालाल (निवाई): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एवं जयपुर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कर्मचारी सेवा नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त दोनों बैंकों के लिए अन्य वाणिज्यिक बैंकों के समान स्थानान्तरण नीति बनी हुई है? यदि नहीं, तो क्या सरकार स्थानान्तरण नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री हीरालाल)

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों बैंकों में एक ही स्थान पर दस वर्ष या उससे अधिक समयावधि से कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत हैं? यदि हां, तो उक्त कर्मचारी/अधिकारियों की सूची मय पदस्थापन स्थान के सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार लम्बे समय से एक ही स्थान पर पदस्थापित कर्मचारी/अधिकारियों का स्थानान्तरण अन्यत्र करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि., जयपुर एवं दि जयपुर सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. में लागू सेवा नियमों की प्रति क्रमश: परिशिष्ट-1 व परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि., जयपुर द्वारा स्थानान्तरण नीति अंगीकृत किया जाना प्रक्रियाधीन है। केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., जयपुर की स्थानान्तरण नीति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) जी हां। राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि., जयपुर एवं दि जयपुर सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. में एक ही स्थान पर 10 वर्ष से अधिक पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची क्रमश: परिशिष्ट-4 व परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 (यथा संशोधित) की धारा 30(ख)(क) के अन्तर्गत कार्मिक नीति, कर्मचारीवृन्द, नियोजन, पदस्थापन और कर्मचारीवृन्द को प्रतिकर के मामलों को सम्मिलित करते हुए लघु अवधि सहकारी साख समितियों को अपने समस्त वित्तीय और आन्तरिक प्रशासनिक मामलों में अधिनियमान्तर्गत स्वायत्तता प्राप्त है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जमवारामगढ़ में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लम्बित आवेदन

247. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री जगदीश नारायण)

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में वर्तमान में अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछडी जाति के अभ्यर्थियों को किस-किस प्रकार की छात्रवृतियां दी जा रही हैं तथा उनके क्या-क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ में जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2017 तक अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछडी जाति के उत्तर मैट्रिक छात्रों को कितनी-कितनी छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई तथा कितने छात्रों के आवेदन वर्तमान में लंबित हैं? वर्षवार एवं श्रेणीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र के अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति के उत्तर मैट्रिक छात्रों के लंबित आवेदनों का कब तक निस्तारण कर छात्रवृति का भुगतान कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग के लिये उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। उक्त उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के नियम परिशिष्ट अ पर सलंग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत जनवरी 2014 से लेकर 31 जनवरी 2017 तक स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या, स्वीकृत छात्रवृत्ति की राशि एवं लम्बित आवेदन पत्रों का संख्या विवरण वर्षवार एवं श्रेणीवार परिशिष्ट ब पर सलंग्न है।

(3) विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उक्त विधानसभा क्षेत्र के लम्बित आवेदन पत्रों का इसी वित्तीय वर्ष में निस्तारण कर छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया जावेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सवाई माधोपुर के राजकीय भवनों में रैम्प बनाने की योजना

248. राजकुमारी दीयाकुमारी (सवाई माधोपुर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि बजट 2015-16 में नि:शक्तजनों की सुविधार्थ राजकीय भवनों में रैम्प बनाए जाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में किन-किन राजकीय भवनों में रैम्प बनाए गए व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। बजट 2015-16 में विशेष योग्यजनों की सुविधार्थ राजकीय भवनों में रेम्प बनाये जाने की घोषणा की गई थी।

बजट घोषणा 2015-16 के अन्तर्गत सवाई माधोपुर विधान सभा क्षेत्र से किसी भी सरकारी भवन में रैम्प निर्माण हेतु जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त नही होने के कारण सवाई माधोपुर विधान सभा क्षेत्र में किसी भी राजकीय भवन में रेम्प निर्माण नही करवाया गया।

राजकीय भवनों में रेम्प निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग से तकमीना तैयार करवाकर संबन्धित जिले के जिला कलेक्टर द्वारा प्रस्ताव निदेशालय विशेष योग्यजन को प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त रैम्प निर्माण हेतु राशि स्वीकृत किये जाने संबधी कार्यवाही की जाती है।

भरतपुर जिले में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति का भुगतान

249. श्री भजन लाल जाटव (वैर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या भरतपुर जिले में वर्ष 2014-2015 से 2016-2017 तक की अवधि में एस. सी. /एस. टी. के छात्रों को छात्रवृत्ति का अब तक भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों व किन-किन विद्यार्थियों के प्रकरण वर्तमान में लंबित है? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त जिले के विधान सभा क्षेत्र वैर में अनुसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थियों हेतु नवीन छात्रावास खोलने का विचार

(श्री भजन लाल जाटव)

रखती है? यदि हां, तो कब तक व कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विभाग द्वारा संचालित विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत भरतपुर जिलें में वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2015-16 तक प्राप्त सभी आवेदन पत्रों में से नियमानुसार पात्र सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में उक्त वर्षो के नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति लम्बित नही है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में छात्रवृत्ति आनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथी 15 मार्च 2017 है उसके उपरान्त वर्ष 2016-17 में प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जावेगा।

(2) जी नहीं। पूर्व से ही वैर विधान सभा क्षेत्र में विभाग द्वारा एक राजकीय अम्बेडकर (अनुसूचित जाति) छात्रावास, वैर में 65 की स्वीकृत क्षमता के साथ संचालित है, जिसमें शैक्षणिक सत्र 2016-17 में 65 छात्र लाभान्वित हो रहे है।

राजस्थान माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक कल्याण नियम, 2010 का प्रचार-प्रसार

250. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश के प्रत्येक जिले में दिनांक 18 जून, 2010 को अधिसूचित किए गये राजस्थान माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक कल्याण नियम 2010 की प्रभावी पालना में जिला समन्वय समितियों का गठन किया जा चुका है? यदि हां, तो किस जिले में कब-कब? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त एक्ट की प्रभावी पालना हेतु जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटियों के गठन से लेकर 31 जनवरी, 2017 तक नागौर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर व जैसलमेर जिलों की बैठक की कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

(3) क्या सरकार उक्त एक्ट की प्रभावी पालना तथा संबंधित को जानकारी देने हेतु प्रत्येक जिला मुख्यालय पर कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त एक्ट की जानकारी व प्रचार-प्रसार हेतु सरकार की क्या योजना है तथा 31 जनवरी, 2017 तक उक्त एक्ट के प्रचार हेतु सरकार ने कितनी राशि व्यय की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 18 जून 2010 को राजस्थान सरकार माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम 2010 की प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग राजस्थान सरकार के आदेश द्वारा प्रत्येक जिलें में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति का गठन किया गया है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-अ पर सलंग्न है। जिला समन्वय समिति में गैर सरकारी सदस्यो का मनोन्नयन किया जाना प्रक्रियाधीन है।

(2) जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में बीकानेर, नागौर एवं जैसलमेंर जिले में गठित जिला समन्वय समिति की 31 जनवरी 2017 तक बैठक कार्यवाही विवरण की प्रति परिशिष्ट-ब पर सलंग्न है। बाडमेंर व जोधपुर जिले में जिला समन्वय समिति बैठके आयोजित नही हुई है।

(3) उक्त अधिनियम के प्रभावी पालना तथा पुलिस अधिकारी/कर्मचारीयों को अधिनियम की जानकारी देने हेतु अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सीआईडी अपराध शाखा, राजस्थान जयपुर द्वारा आदेश जारी किये गये है। माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी हेतु तैयार की गई सीडी को जिला स्तर पर हर माह होने वाली उपराध गोष्ठी में दिखाये जाने के निर्देश प्रसारित किये गये है। इसके साथ ही अधिनियम के प्रावधानों को पुलिस भर्ती परीक्षा, प्रारम्भिक प्रशिक्षण तथा पुलिस सेवाकाल में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के पाठ्यक्रमों में शामिल किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये है। समस्त महानिदेशक पुलिस एवं

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

समस्त जिला अधीक्षक पुलिस को लिखे गये पत्र क्रमांक 109847-88 दिनांक 18.12.2012 की प्रति परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 से 7 अक्टूबर तक समाज कल्याण सप्ताह मनाया जाता है। इसमें प्रथम दिन (1 अक्टूबर) वृद्वजन दिवस के अवसर पर प्रभात फेरी, विचार गोष्ठी, सेमीनार वृद्धजनों के लिये चिकित्सा एवं जांच शिविर जिला, तहसील एवं ब्लाक स्तर पर आयोजित किये जाते है।

राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को अन्तरराष्टीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर वृद्धजनों को सम्मानित कर उनसे चर्चा के साथ नियम/अधिनियम की जानकारी एव प्रचार प्रसार किया जाता है।

वर्ष 2016-17 में कुल राशि 3.48 लाख रुपये व्यय किये गये।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नगरपालिका बिलाडा व पीपाड़ शहर के लिये सीवरेज परियोजना

251. श्री अर्जुनलाल (बिलाड़ा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में विभिन्न नगरपालिका क्षेत्रों में सीवरेज सिस्टम परियोजनाओं की स्वीकृति जारी की गई? यदि हां, तो कहां-कहां कब-कब कितनी-कितनी राशि की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्वीकृत सीवरेज परियोजनाओं के कार्य प्रारम्भ कर दिये गये है? यदि हां, तो कहां-कहां कब-कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि जोधपुर जिले की दो नगरपालिकाएं बिलाड़ा/पीपाड़ शहर के लिये सीवरेज परियोजनाओं के प्रस्ताव एवं डी.पी.आर. सरकार को प्रस्तुत किये गये है? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि के कब-कब एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त प्रस्तावित परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विभिन्न नगर निकाय क्षेत्रों में निम्नानुसार सीवरेज परियोजना स्वीकृत है:-

1. यूआईडीएसएसएमटी।
2. यूआईडीएसएसएमटी योजना ट्रांजिशन फेज।
3. अमृत योजना।
4. यू.आई.जी. योजना।

   स्वीकृति का स्थानवार, राशिवार एवं तिथिवार विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) जी हां। सीवरेज परियोजनाओं के कार्य प्रारम्भ करने एवं कार्य आदेश की तिथि का विवरण परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(3) भारत सरकार द्वारा एफएसएसएम नीति जारी की गई है, जिसके तहत नगर पालिका बिलाड़ा को परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया है एवं नगरपालिका पीपाड़ शहर का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(4) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नगर निगम जयपुर द्वारा हटाई गई सोडियम लाइटों व ट्यूब लाइटों का उपयोग

252. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में एल.ई.डी. लाइटें लगाने के लिए नगर निगम जयपुर द्वारा सोडियम एवं ट्यूब लाइटें बिजली के खंभो से हटायी गयी थी? यदि हां, तो कुल कितनी सोडियम लाइटें एवं ट्यूब लाइटें और कितने पोल हटाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या हटायी गयी सोडियम और ट्यूब लाइटों के स्थान पर एल.ई.डी. लाइटें लगा दी गयी है? यदि हां, तो कितनी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(3) उक्त हटाई गई सोडियम लाइटें, ट्यूब लाइटें व पोल कितनी राशि के थे?

(4) उक्त हटायी गयी सोडियम लाइट और ट्यूब लाइट एवं पोल का नगर निगम द्वारा क्या उपयोग किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नगर निगम जयपुर द्वारा 15,189 नग सोडियम लाइट एवं 198 नग ट्यूब लाइटें हटायी गई है। एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट के तहत कोई पोल नहीं हटाया गया है।

(2) जी हां। जयपुर शहर में अब तक एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट के तहत 26,626 नग एलईडी लाइटें लगा दी गई है।

(3) रोड लाईट कार्य में लगी हुई लाइटें पुरानी अवस्था (काम में ली गई) उतारकर स्टोर में जमा कराई गई है, जिनमें से 9702 लाइटें पुन: उपयोग में ली गई है। शेष का मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(4) उक्त हटायी गई सोडियम लाइटें कुल 15,189 नग में से 4,900 नग लाइट निकायों, नगरपालिकाओं को जारी की गई तथा 4,802 नग लाइटें दीपावली पर्व पर व रोड लाइट सुधार कार्य में लगवाई गई है। शेष 5,487 नग सोडियम लाइटें व 198 ट्यूब लाइटें उपलब्ध है।

जयपुर के राजा शिवदासजी के रास्ते में नालियों का निर्माण

253. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गत तीन वर्ष में नगर निगम जयपुर द्वारा राजा शिवदास जी के रास्ते में नालियां बनाई गई है? यदि हां, तो उक्त के निर्माण पर कितनी राशि व्यय की गई? निविदा एवं कार्यादेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि नालियों का निर्माण सड़क से अधिक उंचाई पर करने के कारण उक्त स्थान पर यातायात जाम की समस्या रहती है? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन दोषी है व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

(3) क्या यह भी सही है कि निगम द्वारा उक्त नालियों को तोडकर पुन: बनाये जाने की योजना है? यदि हां, तो इस पर कितनी राशि व्यय होगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विगत तीन वर्षों में राजा शिवदास जी के रास्तें में नालियों का निर्माण कार्य नहीं करवाया गया है। वर्ष 2016 में केवल ड्रेनेज सुधार का कार्य करवाया गया था। जिस पर राशि रुपये 22,62,727/- का व्यय हुआ था। कार्यादेश व निविदा की प्रति परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। सुधार कार्य करवाये जाने पर पूर्व की भांति ही नाले के ऊपर लगे हुए कातले/पट्टियों का लेवल यथा स्थिति ही रखा गया है, उसी लेवल/स्तर पर आरसीसी बिछाने का कार्य किया गया है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में उक्त नालियों के पुनर्निर्माण की योजना प्रस्तावित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा में केरियर सेंटर के भवन का निर्माण

254. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा कोटा में केरियर सेंटर के भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत कर कार्य आरंभ करवा दिया गया है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त केरियर सेंटर पर लोगों को कौन-कौनसी सुविधाएं उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा कोटा में केरियर सेंटर का निर्माण कार्य आरंभ करवा दिया गया है। सरकार द्वारा कोटा में कैरियर सेंटर भवन निर्माण के लिये 138-88 लाख रुपये की राशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

स्वीकृति पत्रांक ईपी 19 (30) बजट घो./कै.सें./2014 दिनांक 31-3-2015तथा 11 जून, 2015 के द्वारा जारी की जा चुकी है। स्वीकृति की प्रति परिशिष्ट 'क' तथा 'ख' पर उपलब्ध है।

(2) रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, द्वारा दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार केरियर सेंटर आधुनिक तकनीकी माध्यमों का उपयोग कर प्राप्त सूचनाओं के द्वारा स्थानीय तथा रोजगार के इच्छुक अन्य युवाओं को काउंसलिग तथा ट्रैनिंग के माध्यम से अधिकतम रोजगार के अवसरों से जोड़ने की सुविधायें उपलब्ध कराई जायेगी। दिशा निर्देशों की प्रति परिशिष्ट 'ग' पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में बंधुआ श्रमिकों का सर्वे

255. श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्तमान में कितने बंधुआ श्रमिक कार्यरत हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बंधुआ श्रमिकों को मुक्त कराने के लिए सरकार ने अब तक क्या-क्या कार्यवाही की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में अपना निर्णय दिया है? यदि हां, तो निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार बंधुआ श्रमिकों का सर्वे कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976 की धारा 12 के अंतर्गत बंधक श्रमिक का निर्धारण उपखण्ड/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। वर्तमान में किसी भी जिले से बंधक श्रमिक के कार्यरत होने की सूचना

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

नहीं है। परन्तु प्रदेश में गत दो वर्षों में 509 बंधुआ श्रमिकों को मुक्त कराकर उनका पुनर्वास किया गया। जिलेवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976 की धारा 21(1) के अंतर्गत उपखण्ड अधिकारियों द्वारा कार्यवाही करके बंधुआ श्रमिकों को मुक्त कराया गया है तथा उनको मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं। गत दो वर्षों में चिन्हित 509 बंधुआ श्रमिकों को मुक्त कराकर मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके है।

(3) जी हां। माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई-दिल्ली द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) सं. 3922/1985 पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम तमिलनाडु राज्य व अन्य में दिनांक 15.10.2012 को निर्णय पारित किया गया है। निर्णय की प्रति परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(4) जिला प्रशासन द्वारा बंधक श्रमिकों का सामान्य सर्वे वर्ष में दो बार मई-जून एवं नवम्बर-दिसम्बर में कराया जाता है। विशेष सर्वे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई-दिल्ली द्वारा बजट आवंटन होने पर कराया जाता है। वर्ष 2012 में राज्य के दो जिलों क्रमश: बांसवाड़ा एवं श्रीगंगानगर में सर्वे कराया गया जिसमें कोई बंधक श्रमिक चिन्हित नहीं हुआ। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को बंधक श्रमिकों के सर्वे हेतु राशि आवंटन के प्रस्ताव भिजवाए गए हैं। केन्द्र सरकार से राशि प्राप्त होने पर विशेष सर्वे कराया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सहाड़ा में श्रमिक कार्ड योजनान्तर्गत श्रमिकों का पंजीयन

256. डॉ. बालू राम चौधरी (सहाड़ा): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में श्रमिक कार्ड योजना के अन्तर्गत कितने श्रमिकों का पंजीयन हुआ व वर्तमान में कितने श्रमिकों को श्रमिक कार्ड वितरित किये जा चुके हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डॉ. बालू राम चौधरी)

(2) सरकार द्वारा वर्तमान में श्रमिक कार्ड योजना के अन्तर्गत कौन-कौनसे लाभों से कार्ड-धारकों को लाभान्वित किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त लाभों में इजाफा करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौनसे लाभों में व नहीं, तो क्यों?

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र के किस-किस कार्ड धारक के द्वारा श्रमिक कार्ड योजना के अन्तर्गत किस-किस तरह का लाभ प्राप्त किया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के अंतर्गत राजस्थान में गठित भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल राजस्थान द्वारा लागू की गई योजनाओं के लिए हिताधिकारियों का पंजीयन किया जाता है। विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में फरवरी, 2017 तक 1677 हिताधिकारियों का निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन हुआ है।

(2) भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के अंतर्गत पंजीकृत हिताधिकारियों के लिए भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल राजस्थान द्वारा 9 योजनाऐं संचालित हैं। संचालित योजनाओं की सूची परिशिष्ट-"1" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल राजस्थान द्वारा दिनांक 16.11.2015, 5.1.2016 तथा 9.9.2016 को अधिसूचना जारी कर क्रमश: प्रसूति सहायता योजना, शिक्षा व कौशल विकास योजना एवं सुलभ्य आवास योजना में देय हितलाभों में वृद्धि की जा चुकी है।

(4) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल राजस्थान द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत देय लाभ प्राप्त करने वाले 168 पंजीकृत हिताधिकारियों की सूची परिशिष्ट-"2" पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रामगंज में पर्यटन व पुरातत्व के विकास कार्य

257. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में पर्यटन एवं पुरातत्व के अनेक विकास कार्य करवाये गये हैं? यदि हां, तो जनवरी, 2009 से जनवरी, 2017 तक क्या-क्या विकास कार्य कितनी-कितनी राशि के करवाये गये व नहीं, तो क्यों? कार्य के नाम, पर्यटन स्थानवार व्यय राशि सहित वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

रामगंजमण्डी विधान सभा क्षेत्र में पर्यटन या पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा जनवरी, 2009 से जनवरी, 2017 में कोई विकास कार्य नहीं करवाये गये हैं।

उपलब्ध बजट प्रावधानों एवं प्राथमिकता के आधार पर पर्यटन व पुरातत्व के विकास कार्य कराये जाते हैं।

सिवाना में वीर दुर्गादास राठौड़ की मूर्ति की स्थापना

258. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): क्या कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में पुराने तीर्थस्थलों एवं महापुरुषों के पनोरमा बनाये जा रहे है? यदि हां, तो कहां-कहां विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सिवाना में वीर दुर्गादास राठौड़ की मूर्ति स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि वीर दुर्गादास राठौड़ की कर्मस्थली सिवाना रही है एवं उनके द्वारा निर्मित भव्य पोल जो आज भी खण्डर के रूप में हल्देश्वर की पहाड़ी की तलहटी में मौजूद है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थल का विकास करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण द्वारा संलग्न परिशिष्ट ''अ'' के अनुसार महापुरुषों के जीवन, योगदान को प्रदर्शित करने हेतु पेनोरमा बनाए जा रहे है।

(2) जी नहीं। राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण द्वारा जोधपुर स्थित मसूरिया पहाडी पर वीर दुर्गादास पेनोरमा का निर्माण प्रस्तावित किया गया है जो राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।

(3) वीर दुर्गादास राठौड़ द्वारा निर्मित भव्य पोल हल्देश्वर की पहाड़ी पुरातत्व विभाग के संरक्षित स्मारकों की सूची में नही है तथा इस स्थल के विकास हेतु विभाग में कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नही हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मनोहर थाना के विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण

259. श्री कंवर लाल (मनोहरथाना): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना के कितने माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शौचालय, पेयजल एवं विद्यार्थियों हेतु फर्नीचर की सुविधा उपलब्ध है व कितनों में नहीं है? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं, जिनमें कक्षा अनुसार पर्याप्त मात्रा में भवन नहीं हैं? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के उच्च माध्यमिक व माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधानसभा क्षेत्र मनोहर थाना के सभी 74 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शौचालय, पेयजल एवं विद्यार्थियों हेतु फर्नीचर की सुविधा

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

उपलब्ध है। विद्यालयवार सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से 49 विद्यालय ऐसे हैं, जिनमें कक्षा अनुसार पर्याप्त मात्रा में भवन नहीं है। विद्यालयवार सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी हां। सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण कराने हेतु प्रतिवर्ष यू-डाईस गेप के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भिजवाये जाते हैं और उनसे उपलब्ध संसाधनो के आधार पर प्राप्त स्वीकृति अनुसार कार्य करवाये जाते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

झुन्झुनूं जिले के बिजली रहित विद्यालय

260. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश में विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा देने के लिए कौन-कौनसी योजनाऐं संचालित की जा रही हैं? योजनाओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनाओं के तहत अब तक प्रदेश में कितने प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर उपलब्ध करवाये गये हैं? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि झुन्झुनूं जिले में उक्त योजना के तहत उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटरों में से अधिकांश कम्प्यूटर ऐसे विद्यालयों में दिये गये हैं जहां बिजली नहीं हैं? यदि हां, तो उक्त विद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है, जिनके द्वारा विद्यालयों में बिजली नहीं होने पर भी कम्प्यूटर उपलब्ध करवाये गये?

उत्तर

(1) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर विषय के रूप में "कम्प्यूटर शिक्षण" नहीं करवाया जाता हैं।

(2) बिन्दु संख्या 01 के अनुसार।

(3) बिन्दु संख्या 01 के अनुसार।

(4) बिन्दु संख्या 01 के अनुसार।

प्रदेश में मिड-डे मील में हुई अनियमितताओं की जांच

261. श्री रमेश (सपोटरा): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गत तीन वर्षों में अनेक विद्यालयों में बच्चों की अधिक उपस्थिति बताकर मिड-डे मील योजना में करोड़ों रुपयों की अनियमितता के प्रकरण सामने आए हैं? यदि हां, तो कहां-कहां?

(2) सरकार द्वारा उक्त अनियमितता के दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में उक्त अनियमितताओं की जांच कराई गई है? यदि हां, तो कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा उक्त प्रकार की अनियमितता को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। मिड-डे मील योजनान्तर्गत गत तीन वर्षो में राज्य में किसी भी जिले के विद्यालयों के बच्चों की अधिक उपस्थिति बताकर मिड-डे-मील योजना में करोड़ों रुपयो की अनियमितता से संबंधित कोई भी प्रकरण सामने नहीं आया है।

(2) बिन्दु संख्या 01 के अनुसार।

(3) बिन्दु संख्या 01 के अनुसार।

(4) मिड-डे-मील योजनान्तर्गत राज्य में इस प्रकार की कोई अनियमितता प्रकाश में नही आई है। मिड-डे-मील योजना के क्रियान्वयन की उचित समीक्षा करने एवं नियमित रूप से मानिटरिंग करने के लिए समुचित

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

व्यवस्था की हुई है। मिड-डे-मील योजना की मानिटरिंग हेतु राज्य स्तर पर मा.मुख्य सचिव राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एवं खण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता मे समीक्षा एवं संचालन समिति का गठन किया हुआ है जिनके द्धारा समय-समय पर बैठक आयोजित कर, योजना के क्रियान्वयन की मानिटरिंग की जाती है। इसके अतिरिक्त विद्यालय स्तर पर विद्यालय प्रबन्धन समिति का गठन किया हुआ है जिसकी देख-रेख में पोषाहार तैयार होने एवं वितरण किये जाने की व्यवस्था संपादित की जाती है। योजनान्तर्गत जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी एवं अन्य शिक्षा विभाग के अधिकारियो इत्यादि के लिए मासिक निरीक्षण के मापदण्ड निर्धारित है। वर्ष में दो बार औचक निरीक्षण भी करवाये जाते है। इसके अतिरिक्त राज्य स्तरीय अधिकारियों द्धारा भी समय-समय पर जिलो के निरीक्षण किये जाते है। निरीक्षण के दौरान विद्यालयों में मिड-डे-मील योजना से संबधित किसी भी प्रकार की कमियां पाई जाती है तो तुरन्त दूरूस्त करने हेतु कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य में मिड-डे मील योजना की मानिटरिंग हेतु SMS buto-Mated Monitoring System अगस्त, 2016 से लागू किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत प्रत्येक विद्यालय द्वारा SMS के माध्यम से मध्यान्ह् भोजन के तुरन्त पश्चात् प्रतिदिन लाभान्वित विद्यार्थियों की सूचना प्रेषित की जा रही है। इस प्रकार राज्य में मिड-डे-मील योजना की ऑनलाईन मानिटरिंग भी की जा रही है।

हिण्डौन में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना

262. श्रीमती राजकुमारी (हिण्डौन): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन के पंचायत मुख्यालयों पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कहां-कहां क्रमोन्नत किये गये व नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के जिन पंचायत मुख्यालयों के माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत नहीं किया, उन्हें अब कब तक क्रमोन्नत कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) विधानसभा क्षेत्र हिण्डौन में 52 ग्राम पंचायतों में से 12 ग्राम पंचायतों में निजी विद्यालय संचालित एवं 06 ग्राम पंचायतों के मुख्यालय के परिक्षेत्र अन्य ग्राम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय होने तथा 01 ग्राम पंचायत में प्राथमिक विद्यालय होने के कारण उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत नही किए गए। शेष 33 ग्राम पंचायत मुख्यालय पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित है। ग्राम पंचायतवार संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सूची परिशिष्ट-क पर संलग्न है। बजट घोषणा के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत परिक्षेत्र में उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षण सुविधा उपलब्ध करवायी जानी थी, इस घोषणा में पंचायत मुख्यालय पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत करने का प्रावधान नही था तथा जिन ग्राम पंचायतों में निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय है वहां पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत नहीं किया जाना था।

(2) बजट घोषणा के अनुसार पंचायत मुख्यालय पर विद्यालय क्रमोन्नति का कोई प्रावधान नही है। पंचायत परिक्षेत्र में जिन ग्राम पंचायतों में उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षण सुविधा नही है, उनमें चरणबद्ध रूप से विद्यालय क्रमोन्नत किये जा रहे है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया।

टोंक के आसपास वन क्षेत्र के पहाड़ों में अवैध खनन

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र टोंक के चारों और पर्वत श्रृंखलाएं वन क्षेत्र में सम्मिलित हैं। वन क्षेत्र की इन पहाड़ियों पर स्थित वनों को बचाने एवं वृक्ष लगाने में भी अब तक करोड़ों रुपये का व्यय हो चुका है, किन्तु वर्तमान में वन क्षेत्र के पहाड़ों मे अवैध खनन माफियाओं द्वारा ग्राम कारोला ग्राम पंचायत देवली भांची तथा टोंक शहर के पास स्थित काली पहाड़ी, अन्धेराबाग, चांदमारी क्षेत्र, कच्चा बन्धा, गलतानदास की बगीची, टॉवर वाली पहाड़ी आदि क्षेत्रों में वर्षों से लगातार बेरोकटोक अवैध खनन से पहाड़ के पहाड़ खत्म होने के कागार पर है। टोंक शहर के नजदीक की इन पहाड़ियों में अवैध खनन के कारण वर्ष 2007 में 3 गरीब मजदूरों की दबने से अकाल मृत्यु भी हो चुकी है। चेजा पत्थर के माफियाओं द्वारा दिन दहाडे इन पहाड़ों पर विस्फोटक सामग्री लगाकर पहाड़ों को समाप्त कर रहे है तथा दिन ढलते ही बिना नम्बरी ट्रेक्टर ट्रोलियों के जरिये मुख्य मार्गों जिसमे वन विभाग के सदर नाके के सामने से इन्दिरा सर्किल, घंटाघर चौराहा, पटेल सर्किल तथा टोंक बाईपास से सैकड़ों की तादाद में सारी रात तेज गति से जा रहे हैं। जिसके कारण आसपास की कॉलोनियों में निवास करने वाले लोगों में हमेशा दुर्घटना होने का भय के साथ ही रात्रि को नींद भी आराम से नही ले सकते। अवैध खनन का यह क्षेत्र तथा अवैध पत्थरों को ले जाने के रास्ते भी थाना पुरानी टोंक एवं पुलिस थाना सदर के अन्तर्गत आते हैं। किन्तु इन दोनों थानों द्वारा दिन में तथा रात्रि में गश्त के दौरान एक भी अवैध पत्थरों के ट्रेक्टर ट्रोलिया जब्त नहीं करना पुलिस पर भी सन्देह प्रकट करता है। अवैध खनन को रोकने के लिए पुलिस, वन विभाग तथा खनिज विभाग की संयुक्त जिम्मेदारी होने के बावजूद तीनो विभागों के उच्चाधिकारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल कर बच रहे हैं। अवैध खनन करने वाले लोग खतरनाक तथा

दबंग होने के कारण वन विभाग के छोटे कर्मचारी घबराते हैं क्योंकि इन लोगों ने कई बार कर्मचारियों से मारपीट करके हाथ पैर तक तोड़ दिये जिनके मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं। कुछ दिनों पूर्व इन पहाड़ियों में खनन माफियाओं द्वारा लगाये गये विस्फोटक सामग्री वन विभाग द्वारा बरामद भी की जा चुकी है। टोंक संवेदनशील क्षेत्र होने एवं विस्फोटक सामग्री होने से कभी इनका प्रयोग हो सकता है।

अत: इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि टोंक शहर के आस पास स्थित वन क्षेत्र के पहाड़ों में हो रहे अवैध खनन को शीघ्र बन्द करने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का श्रम करें।

अजीत सिंह
(टोंक)

निम्बीजोधा (लाडनूं) में पुलिस थाने की स्थापना

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र लाडनूं (नागौर) में हो रहे अनैतिक कार्य एवं चोरी व अपराध की घटनाओ की रोकथाम के लिये आपके माध्यम से नियम 295 के तहत माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र लाडनूं में अनैतिक कार्य, चोरिया व अपराध की घटनाएं होने के कारण जनता में भारी रोष है जिसका एक कारण यह भी है कि लाडनूं स्थित पुलिस थाना का कार्य कार्यभार अधिक है। लाडनूं के पास ग्राम निम्बीजोधा में एक पुलिस चौकी स्थापित है। अगर निम्बीजोदा में एक नया पुलिस थाना स्वीकृत कर दिया जाता है तो अनैतिक कार्यो को रोक लगा सकती है।

अत: माननीय मंत्री महोदय से में अनुरोध करना चाहूंगा कि निम्बीजोधा में पुलिस थाना खुलवाने की कृपा करावें जिससे हो रहे अपराध की रोकथाम हो सके।

मनोहर सिंह
(लाडनूं)

रानीवाड़ा में सांचौर रेलवे फाटक एलसी-114 पर आरओबी का निर्माण

महोदय,

आपके मार्फत विधान सभा प्रक्रिया निमय 295 के तहत सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूँ कि:-

रानीवाड़ा कस्बा जालौर जिले का गुजरात और सिरोही बोर्डर पर बसा है। विधान सभा और उपखण्ड़ मुख्यालय है। रानीवाड़ा कस्बा रेलवे स्टेशन के दोनों ओर बसा हुआ है। रानीवाड़ा कस्बे के बीच मे रेलवे लाइन बिछी हुई है। कस्बे के दोनों छोर पर रेलवे फाटक है।

रानीवाड़ा से प्रत्येक दिन गुड्स रेल चलती है। जिनकी संख्या अपडाउन 40 है। रेल के आने जाने के अन्तराल के दौरान 25 से 30 मिनट रेल फाटक बन्द रहता है। रेलवे फाटक बन्द के दौरान रानीवाड़ा कस्बा दो हिस्सों में बंट जाता है। उस वक्त किसी भी आकस्मिक दुर्घटना के घटने पर चिकित्सा के लिये राजकीय अस्पताल जाने, एम्बुलेंस व सरकारी अधिकारियों को मौके पर पहुंचना सम्भव नही हो पाता है। जिसका नुकसान आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। रानीवाड़ा से सिरोही और गुजरात राज्य की ओर जाने वाला रास्ता भी यही है। यहां से प्रतिदिन सैकड़ों वाहन गुजरते हैं।

अत: माननीय मुख्यमंत्री महोदया और सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जनहित में रानीवाड़ा कस्बा में सांचौर रेल्वे फाटक एलसी 114 पर आरओबी के निर्माण की स्वीकृति की कार्यवाही कर रानीवाड़ा की जनता को परेशानी से छुटकारा दिलाने का श्रम करावे।

नारायण सिंह देवल
(रानीवाड़ा)

कपासन में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त बाँधों, नहरों एवं एनीकटों की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण

महोदय,

निवेदन है कि इस वर्ष अतिवृष्टि के कारण कपासन विधानसभा क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है। अतिवृष्टि के कारण मात्रीकूण्यिा बाँध की पाल व मेजा फीडर नहर व मेजा फीडर सड़क, भोपालसागर बाँध की नहरें, जाश्मा बाँध की नहरें, डिण्डोली बाँध व नहरें, धमाना बाँध की नहरें, बडगांव बाँध की नहरें, ऊंचाकिया बाँध व नहरें, क्षतिग्रस्त हुई हैं जिसे ठीक कराना अति आवश्यक है। इसी प्रकार अतिवृष्टि के कारण बनास नदी में बने एनिकट कम काजवे मात्रीकूण्डिया, एनिकट कम काजवे गेगपुरा, एनिकट कम काजे राशमी, एनिकट कम काजवे मरमी, एनिकट कम काजवे उपरेड़ा, एनिकट कम काजवे, पहुंना एनिकट कम काजवे ऊंचा को ठीक कराने की आवश्यकता है।

अत: मै माननीय जल संसाधन मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूँगा कि अतिवृष्टि में क्षतिग्रस्त बांधों, तालाबो, नहरों, एनिकटों व एनिकट कम काजवे की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण करवा कर जनता को राहत देने का श्रम करावे।

अर्जुल लाल जीनगर
(कपासन)

ग्राम पंचायत बग्गड़ (भीम) के औद्योगिक क्षेत्र को वन विभाग से एन.ओ.सी. की स्वीकृति

महोदय,

उपरोक्त विषयानतर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र भीम में पूर्व बजट में औद्योगिक क्षेत्र बग्गड़ सरकार द्वारा घोषित किया गया था, तदुपरान्त जमीन एवं अन्य व्यवस्था हो चुकी है। मेरा विधान सभा क्षेत्र एक आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है तथा कृषि जोत भी बहुत कम है व उनके पास रोजगार के कोई साधन उपलब्ध नहीं है, जिसकों ध्यान में रखते हुए माननीया मुख्यमंत्री द्वारा जब विधान सभा क्षेत्र भीम में बग्गड़

औद्योगिक क्षेत्र, में खोलने की घोषणा हुई, तो क्षेत्रवासियों को बहुत खुशी हुई थी। परन्तु अभी तक औद्योगिक क्षेत्र बग्गड़ में घोषणा अनुसार वन्य जीव अभयारण्य की वजह से इसकी क्रियान्विति नहीं हुई है, जिसमें क्षेत्रवासियों में आक्रोश है।

अध्यक्ष महोदय; मेरे क्षेत्र के क्षेत्रवासी अन्य प्रदेशों महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश में उद्योग धन्धें कर रहे लोग काफी उत्साहित हैं कि आप बग्गड़ औद्योगिक क्षेत्र को शीघ्र प्रारम्भ कराओं, ताकि हम भी अपनी जन्मभूमि पर आकर अपने क्षेत्र में उद्योग धन्धे खोलकर अपने क्षेत्र का आर्थिक दृष्टि से चहुंमुखी विकास में सहयोगी बन सकें। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी केन्द्रीय सरकार को जिन्होंने विकास में एक बड़ा अध्याय जोड़ा और मालवी-मारवाड़ रेल्वे लाइन को 1650 करोड़ राशि प्रदान कर, नैरोगेज से ब्रॉडगेज करने की घोषणा की। जिसकी वजह से हमारे क्षेत्रवासियों को उद्योग, पर्यटन एवं यातायात सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। मेरे क्षेत्र में फेल्सपार, क्वॉटज, माइका, ग्रेनाइट का प्रचुर मात्रा में भण्डार हैं, जिससे यहां से सारा कच्चा माल मोरवी, थानगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र में जाता है, यदि यह औद्योगिक क्षेत्र प्रारम्भ हो जाएगा, तो यहां के स्थानीय नागरिकों को यहीं पर रोजगार मिल जाएगा, जिसमें क्षेत्रवासियों का पलायन रुक सकेगा।

अत: मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार तत्काल उक्त वन्यजीव अभयारण्य से स्वीकृति दिलाकर उक्त समस्या का समाधान करावें, ताकि क्षेत्र का चहुंमुखी विकास हो सके, जिसके लिए क्षेत्रवासी आपके आभारी रहेंगे।

हरिसिंह रावत
(भीम)

प्रदेश में अन्नपूर्णा रसोई योजना को धार्मिक स्थलों पर लागू किया जाना

महोदय,

राज्य सरकार की महत्वाकांशी योजना ''अन्नपूर्णा रसोई योजना'' नि:संदेह सराहनीय एवं दूरगामी परिणामों से परिपूर्ण हैं। इस योजना को मात्र प्रदेश में ही नहीं अपितु पूरे देश भर में सराहा गया है। इस योजना को जिस तरह वर्तमान में प्रदेश के बडे शहरों में संचालित किया जा रहा है। ऐसे ही इसे प्रदेश के नागौर जिले में स्थित बूटाटी धाम जहां लकवाग्रस्त रोगियों को आध्यात्मिक पद्दति से चिकित्सा लाभ मिलता है, जिसे विज्ञान ने भी माना है, जहां प्रतिदिन दूर-दराज क्षेत्र एवं अन्य प्रदेशों से आये लगभग पांच हजार से ज्यादा मरीजों एवं इनके परिजनों का जमावड़ा रहता है। जहां इनके ठहरने की व्यवस्था तो ट्रस्ट द्वारा कर दी जाती है, लेकिन इनके भोजन की व्यवस्था हेतु यदि सरकार इस धाम को ''अन्नपूर्णा रसोई योजना'' से जोड़ दे तो सरकार को ना केवल इन मरीजों एवं इनके परिजनों की दुआएं मिलेंगी, अपितु देश-विदेश में इस योजना की सफलता एवं सरकार का यशोगान होगा।

जैसलमेर जिले में स्थित लोक देवता बाबा रामदेवजी का धाम रामदेवरा तीर्थ स्थल, जहां वर्ष भर मैले सा माहौल रहता है, अनेकों जातरू/श्रदालु यहां दर्शनार्थ आते हैं। हालांकि लोगों द्वारा जगह-जगह पर राम रसोड़े चला कर इनके खाने-पीने की व्यवस्था की जाती है। लेकिन यह केवल 2-3 माह के लिए ही होती है। इसी तरह अजमेर जिले में स्थित धार्मिक नगरी नाम से ख्याति प्राप्त पुष्कर जहां श्रद्धा का सैलाब उमड़ता है, लोग हरिद्वार की तरह पुष्कर में भी ब्रहमाघाट पर अस्थि विसर्जन एवं कर्मकांड कराने प्रदेशभर से आते हैं। इनके साथ ही पर्यटकों का भी जमावड़ा इस स्थल पर रहता है।

अत: मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदया से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ''अन्नपूर्णा रसोई योजना'' को उक्त धाम/तीर्थ स्थलों पर भी प्राथमिकता के तौर पर लागू कर अधिकाधिक जरूरतमंद लोगों को इस योजना से लाभान्वित करावें।

अर्जुन लाल
(बिलाड़ा)

उदयपुर ग्रामीण में यूआईटी पेरीफेरी क्षेत्र में पेयजल सुविधा

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि पेरीफेरी एरिया में यूआईटी व उप खण्ड अधिकारी द्वारा कन्वर्ट कालोनियां बसी हुई हैं जिनमें पेयजल की भारी समस्या है। इस संबंध में लगातार तीन वर्षों से विधान सभा प्रश्नों के माध्यम से या अन्य किसी न किसी माध्यम से यह मुद्दा उठाता आ रहा हूं। परन्तु फिर भी पेयजल की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। जबकि इस क्षेत्र में मुख्यमंत्री द्वारा 1700 आवास बनाने की नींव रखी थी, वह भी पूरी होने जा रही है परन्तु उसके लिये भी पानी की कोई स्थाई योजना नहीं बनी है। आवासीय योजना पूरी होने जा रही है परन्तु तीन वर्ष में इस आवासीय योजना को स्थाई रूप से पानी देने के लिये कोई योजना अधिकारियों द्वारा नहीं बनाई गई हैं। इसलिये मेरा आपसे सुझाव है कि देवास योजना द्वारा जिंक स्मेल्टर को पानी दिया जा रहा है जो मीठा व पीने योग्य है और जिंक स्मेल्टर को उदय सागर से पानी देकर देवास के पानी को आम जनता के उपयोग में लिया जा सकता है। क्योंकि अब उदयसागर भी देवास द्वितीय एवं तृतीय का पानी आने की वजह से कभी भी खाली नहीं होगा। मुझे मालूम है कि यह करना बड़ा मुश्किल है परन्तु सरकार जनहित को देखते हुये इस काम को करवाने की पहल करेगी तो उद्योग भी चलेगा व आम जनता को पीने का पर्याप्त एवं अच्छा पानी भी मिलेगा।

फूलसिंह मीणा
(उदयपुर ग्रामीण)

प्रदेश मे लैब टेक्निशियन एवं प्रयोगशाला सहायकों के पदों में बढ़ोतरी कर भर्ती विज्ञप्ति जारी करना

महोदय,

प्रयोगशाला सहायक मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना में पूर्व में 2348 पद स्वीकृत हैं। जबकि राज्य सरकार के अन्तर्गत मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना में संविदा पर कार्यरत प्रयोगशाला सहायकों की संख्या राज्य में लगलग 4000 हैं एवं पूर्व में की गई प्रयोगशाला सहायक की भर्ती में 2348 पदों में से 644 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा चुकी है। शेष पदों की संख्या 1704 है ऐसे में नियमित प्रयोगशाला सहायक भर्ती में राज्य में संविदा पर कार्यरत लैब टेक्निशियन एवं प्रयोगशाला सहायक भर्ती में आधे से अधिक अभ्यर्थी भर्ती से वंचित रह जाएंगे।

अत: मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि पूर्व में शेष रहे 1704 पदों 2000 पदों को जोड़ते हुए शीघ्र ही भर्ती विज्ञप्ति जारी करवाने की कृपा करावें। जिससे प्रदेश भर में लगे संविदाकर्मी लैब टेक्निशियन एवं प्रयोगशाला सहायक को नियमित रोजगार दिया जा सके।

नरेन्द्र कुमार
(मण्डावा)

बाड़ी में पंजीकृत थोक विक्रेताओं को भू-खण्ड आवंटन

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र कस्बा बाड़ी जिला धौलपुर में लगभग 75 पंजीकृत थोक फल एवं सब्जी विक्रेताओं ने अक्टूबर सन् 2012 में कृषि उपज मण्डी समिति बाड़ी जिला धौलपुर में भू-खण्ड आवंटन कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिये थे। उक्त व्यापारियों से अक्टूबर 2012 में भू-खण्ड आवंटन किये जाने हेतु कृषि उपज मण्डी समिति बाड़ी जिला धौलपुर ने दस-दस हजार रुपये की राशि भी जमा करवाई थी, लेकिन उक्त व्यापारियों को अभी तक भू-खण्ड आवंटित नहीं किये गये हैं।

अत: मैं सदन के माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन व्यापारियों द्‌वारा दस-दस हजार रुपये की राशि जमा करवाई गई है उन व्यापारियों को भू-खण्ड आवंटित कर उक्त व्यापारियों को कृषि ऊपज मण्डी में स्थानान्तरित किया जावें एवं 2012 से अब तक की गई लापरवाही में लिप्त दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए।

गिर्राज सिंह
(बाड़ी)

मथुरादास माथुर अस्पताल के बाहर बिना परमिट वाली एम्बुलेंसों को सीज करना

महोदय,

मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में ट्रोमा सेन्टर के बाहर रात होते ही निजी जुगाड़ रोगी वाहनों का जमघट देखा जा सकता हैं। ये रोगी वाहन मरीजो की सेवा के लिए नहीं, बल्कि लाभ कमाने के लिए खड़े होते हैं। इनके संचालक ट्रोमा सेन्टर में आने वाले गम्भीर घायलों के परिजनों को गुमराह कर अहमदाबाद सहित अन्य बाहर के निजी अस्पतालों में रैफर करवाकर खुद किराए की मोटी रकम वसूलते हैं। जुगाड़ रोगी वाहन चालक यहां आने वाले या भर्ती घायलों-मरीजों के परिजनों को यहां इलाज सही नहीं होने का डर बताते हैं। उन्हें रोज हो रही मौतो के बारे में बताते है। यहां से कहीं दूसरी जगह ले जाकर इलाज करवाने की सलाह देते हैं। मुसीबत में फंसे परिजन इनकी बातों में आ जाते हैं और घायल को दूसरे अस्पताल में ले जाने को तैयार हो जाते हैं। इसके बाद ये रोगी वाहन ले जाने का किराया, ऑक्सीजन, दवाइयां एवं साथ चलने के लिए प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ तक की व्यवस्था के लगभग 8-10 हजार रुपये तक की राशि लेते हैं। इन जुगाड़ रोगी वाहनों में अधिकाशं वाहन टवेरा, इनोवा व क्वालिस जैसे हैं, जब कि परिवहन के नियमानुसार कम्पनी से बनी बनाई एम्बुलेंस होती है उसी को एम्बुलेंस का परमिट जारी किया जाता है। इस तरह के वाहनों को एम्बुलेंस का परमिट नहीं दिया जाता है।

अब सवाल यह है कि जब ऐसे वाहनों को एम्बुलेंस का परमिट नहीं दिया जा सकता है, तो ये कौन है? परिवहन विभाग यदि इनकी जांच करें तो अधिकांश ये रोगी वाहन फर्जी निकलेंगे।

अत: सदन के माध्यम से मैं राज्य के चिकित्सा मंत्री से मेरा आग्रह करना चाहूँगा कि जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल के बाहर ऐसे जुगाड़ वाली एम्बुलेंसों पर नजर रखकर उन्हें सीज करवाये जाने के साथ दण्डित किया जावे।

कैलाश भंसाली
(जोधपुर)

ग्राम जटवाड़ा (बस्सी) में नाले की भूमि पर अवैध होटल निर्माण

महोदय,

निवेदन यह है कि ग्राम जटवाड़ा तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा न. 1004/687/1 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा न. 687/2 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा ग्राम जटवाड़ा स्थित गैर मुमकिन नाले के बहाव क्षेत्र की राजकीय सम्पति पर राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत कर नाले की भूमि पर भूमाफिया द्वारा होटल का निर्माण करवाया जा रहा है। उक्त भूमि का नियम विरुद्ध रूपान्तरण किया गया और इसके साथ ही साथ नामान्तरण खोलकर पुराने दस्तावेजों मे भी छेडछाड की गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 (2) के अनुसार नाले या बहाव की भूमि पर किसी को भी खातेदारी का अधिकार उत्पन्न नही होते तथा ऐसी भूमि पर खातेदारी दिया जाना निषेध है। लेकिन कर्मचारियो की अनदेखी के कारण इतने बड़े बहाव क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारियों के सामने खुले आम निर्माण हो रहा है। प्रशासन मूक दर्शक बन कर अतिक्रमण के कार्य की सराहना कर रहा है। अधिकारियों की मिली भगत से पुराने नक्शे को खुर्द बुर्द करके नये नक्शे मे पुराना खसरा न. एवं भूमि उपयोग बदल कर नया खसरा न. बनाया गया। भूमि का रूपान्तरण करने मे भी अधिकारियों ने भू-माफिया के साथ सांठ-गांठ करके गलत तरीके से भूमि का रूपान्तरण किया। जिसके कारण राज्य को राजस्व की भी हानि हुई है। ग्राम जटवाड़ा में स्थित गै.मु. नाले की भूमि खसरा न. 1004/687/1 व 2 के ग्राम जटवाड़ा को पुर्वानुसार गैर मुमकिन नाले के रूप में दर्ज करवाकर राजकीय सम्पति का कब्जा राज्य के पक्ष मे हासिल कराने के आदेश प्रदान करें।

श्रीमती अंजू देवी धानका
(बस्सी)

झुन्झुनूं-जयपुर स्टेट हाइवे-8 की मरम्मत

महोदय,

झुन्झुनूं जिले को राजधानी जयपुर से जोड़ने वाला स्टेट हाइवे-8 न केवल राजधानी को जोड़ता है बल्कि जिले के अन्य भागों को जैसे खेतड़ी, चिड़ावा, सूरजगढ़, पिलानी, बुहाना, उदयपुरवाटी, बड़े शहरों के लोगों द्वारा उपयोग किया जाता रहा है। जिला मुख्यालय झुन्झुनूं के अन्दर से जाने वाली इस सड़क को वहां के लोग अपनी भाषा में रोड संख्या 3 भी कहते हैं। यह सड़क अत्यधिक जीर्णावस्था में पिछले काफी वर्षों से है व आवागमन के लायक नहीं है जिसमें 2-2 फीट के खड्डे बने हुए हैं। यह सड़क आगे हरियाणा को जोड़ने का काम भी करती है। जिसमें भारी संख्या में भारी वाहन भी चलते हैं।

अत: इस सदन के माध्यम से आग्रह है कि सरकार इस सड़क की तत्काल प्रभाव से मरम्मत करावे ताकि आमजन को असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़े।

बृजेन्द्र सिंह ओला
(झुन्झुनूं)